राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १०] तृतीय विधान सभा के दसवें सत्र, १६६६ का १३ वां दिवस [संख्या १०

मंगलवार, दिनांक २७ सितम्बर, १६६६

विधान सभा की बैठक म.पू. ११.०६ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(स्वायत शासन, उद्योग, विद्युत्, समाज कल्याण, यातायात, सार्वजनिक निर्माण, सहकारी, राजकीय उद्योग, नगर आयोजन, वित्त, योजना–विभाग)

प्रश्न संख्या २४६

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया !

उद्योगों को ऋण

२४७. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) सन् ६५–६६ व ६६–६७ में सरकार ने किन किन उद्योगों को एक लाख से ज्यादा ऋण किस किस काम के लिए दिया ?

(२) जिस काम के लिए ऋण दिया गया वह उसी काम में खर्च किया गया या नहीं ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) सन् ६५–६६ में राज्य सरकार ने केवल एक उद्योग, मेसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लि०, कानपुर को नॉयलोन फैक्ट्री, कोटा के विकास के लिये २० लाख का ऋण दिया था। सन् ६६–६७ में ५० लाख का ऋण मंजूर हुआ था लेकिन भुगतान नहीं हुआ।

(२) उससे युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह जो ५० लाख रुपयों का ऋण देने की बात फरमाई वह किस फर्म को दिया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : वह इसी फैक्ट्री को नायलोन कोट एक्सपेन्शन के लिये सेंक्शन कर रहे थे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, कल भी इस फैक्ट्री के बारे में जिक्र आया था और जहां तक मेरी पर्सनल नॉलिज है, मैं खुद वहां गया हूं और फैक्ट्री के मैनेजर से बात की है– उस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी भी बडे

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

उद्योग को जब पैसा देते हैं तो किसी न किसी पर्टीक्यूलर काम के लिए देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा पैसा दिये जाने के एक साल बाद तक ही नहीं, दो साल बाद तक उस पैसे का यूटीलाइज़ेशन नहीं होता है, बल्कि जो फैक्ट्री का काम चल रहा है उस पैसे को उस काम में वह इसलिए खर्च कर देते हैं क्योंकि उनके पास पूंजी नहीं है। सरकार की पूंजी को लेकर वह अपना कारखाना चलाते हैं। मैंने कल भी कहा था और आज भी बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि जैसा आपने फर्माया, इनसे यूटीलाइज़ेशन सर्टीफिकेट प्राप्त किया जा रहा है। आपने इनको दो दफा पैसा दिया है, पचास लाख रुपया तो अभी दिया है इससे पहले भी आपने रुपया दिया है। तो पहले का पैसा है उसका यूटीलाइज़ेशन सर्टीफिकेट जब तक प्राप्त नहीं हो उससे पहले ही पचास लाख रुपया आपने किस लिए दे दिया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, दूसरी रियासतों के अन्दर भी इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट के अन्दर पार्टीसिपेशन किया जाता है, सरकार द्वारा शेयर्स ले कर और ऋण देकर। राजस्थान के अन्दर भी जो इन्डस्ट्रीज़ लगी हैं उनकी राजस्थान सरकार ने पैसे से मदद की है और शेयर केपीटल लगा कर भी पार्टीसिपेशन किया है। इस पॉलिसी के तहत ही जो फैक्ट्री, नॉयलोन कोट का प्लान कोटा में लगाने का काम शुरू किया था, उसमें उनके सामने फाइनेन्शियल डिफिकल्टी होने के नाते सरकार ने ऋण स्वीकार किया है जिसके लिए उनसे माकूल सिक्योरिटी ली जायगी। फाइनेन्स डिपार्टमेंट से यह जांच करा ली जायगी कि यह सिक्योरिटी ठीक रहेगी और उसके बाद ही ऋण दिया जायगा। माकूल सिक्योरिटी मिलने के बाद ही ऋण दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : अभी भुगतान नहीं हुआ है ?

श्री हरिश्चन्द्र : भुगतान नहीं हुआ है, ऑर्डर हो गये हैं और उसके लिए असेट्स की और पर्सनल सिक्योरिटी भी ली जायगी। जो इसके डाइरेक्टर्स हैं उनकी पर्सनल सिक्योरिटी ली जायगी। यह जो कम्पनी है इसके बारे में फाइनेन्स डिपार्टमेंट से अभी बात करने के बाद में जो भी सिक्योरिटी वाजिब समझी जायगी वह लेने के बाद भुगतान होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों का कल और आज भी यह निवेदन था कि इस प्रकार का पार्टीसिपेशन प्रोग्राम से लिंक होना चाहिए कि इतनी मशीनरी लगेगी या यह एक्सपेन्शन किया जायगा। यह नहीं कि वर्किंग केपीटल के अन्दर उसको यूज़ कर लिया जाय। वह सिक्योरिटी तो दे देंगे लेकिन माननीय सदस्यों का कहना है कि एक्सपेंशन के लिए अगर पैसा दिया है तो उसे वह एक्सपेंशन प्रोग्राम से ही लिंक करें या मशीनरी के लिए दिया है तो मशीनरी के लिए यूज़ करें या उसके लिए पे करें एडवान्स के रूप में। सरकार उनको जनरल केपीटल टाइप लोन नहीं दे।

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, जो नायलोन कोट फैक्ट्री लगेगी उसमें जो टोटल

Page No. 3

(श्री हरिश्चन्द्र)

एक्सपेंशन होगा उसके अनुमानित आंकड़े यह हैं कि करीब छः करोड़ रुपया लगेगा एक्सपेंशन में । अभी उन्होंने ५० लाख रुपये की डिमाण्ड की है, यह उनको मिल जाय ऋण क्योंकि डिवेल्यूएशन के कारण उनके सामने और दिक्कत आ रही है । इस वास्ते ऋण सरकार ने सेंक्शन किया है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं अर्ज करना चाहता हूं....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : यह छः करोड़ के अगेन्स्ट में पचास लाख रुपया देना तय किया है, यह किस आधार पर किया है ? छः करोड़ रुपया कई स्टेजेज में लगेगा, फर्स्ट स्टेज में कितना लगाना है, सैकिंड स्टेज में कितना है, यह होगा । तो यह पचास लाख रुपया आपने किस आधार पर दिया है ?

श्री अध्यक्ष : छः करोड़ तो कहने की बात है । सत्तर-अस्सी परसेन्ट तो बैंक से मिल जायगा और बकाया यह पचास-पचास लाख से हो जायगा ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जैसा आपने कहा कि अलग से प्लांट बन रहा है, यह सही हो सकता है । आपने यह भी फर्माया कि इसमें छः करोड़ रुपया लगेगा, उसमें उन्होंने पचास लाख रुपये की डिमाण्ड की है । मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि जो शख्स छः करोड़ रुपया इन्वेस्ट किसी इन्डस्ट्री में करना चाहे और पहले शुरुआत में ही अगर सरकार से पचास लाख रुपये का लोन लेना चाहे तो वह कैसे एक्सपेंशन करना चाहता है ? आपके सामने जब छः करोड़ का एक्सपेंशन प्रोग्राम है और उसमें से उसने एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया है और आपसे पचास लाख रुपये का लोन मांग लिया है, तो आपको इस ओर भी ध्यान देना जरूरी है । मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आदमी छः करोड़ की स्कीम में पचास लाख रुपये का भी खर्चा करना नहीं चाहे तो वह किस तरह से एक्सपेंशन करना चाहता है ? किस स्टेज पर उसकी स्कीम आ गई है ? क्या उसने जमीन अवाप्त कर ली है ? इन सब बातों की आपको पहले जांच करा लेनी चाहिए । क्या आपने इन बातों की जांच करा ली है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जे० के० सिन्थेटिक्स है वह एक अमेरिकन फर्म के कॉलोबोरेशन से बन रही है । उस अमेरिकन फर्म के टेक्निशियन्स यहां आये थे, उनसे मैं मिला हूं और मैंने बातचीत की है और फाइनेन्स मिनिस्टर भी उनसे मिले हैं । वह नॉयलोन कोट फैक्ट्री कोटा के अन्दर बैठाना चाहते हैं जिसके अन्दर कुल लागत लगेगी वह मैंने आपको बताई । आपने कल सदन में सूचना दी थी कि उन्होंने डीजल सेट नहीं लगाया है । मैंने तलाश करने की कोशिश की तो मुझे मालूम हुआ कि ३३ लाख रुपये लगे हैं डीजल सेट लगाने में । अब आपको मैनेजर साहब ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, उसमें तो मैं नहीं जाना चाहता । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सूचना उतनी सच नहीं है जितनी होनी चाहिए ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप जो यह छः करोड़ के प्रपोर्शन में पचास लाख रुपये

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

देने को तैयार हैं तो उसका क्या बेसिस है ? हम यह जानना चाहते हैं कि यह प्रपोर्शन आपने किस बेसिस पर रखा है, किस आधार पर रखा है ? क्या सरकार सेटिस्फाइड है कि इनको पचास लाख रुपये का लोन देना चाहिए ?

श्री हरिश्चन्द्र : इन्डस्ट्रियलिस्ट की यह मनोवृत्ति होती है कि सरकार से ज्यादा से ज्यादा ऋण लिया जाय और हम यह चाहते हैं कि कम से कम देकर काम चलायें इस वास्ते उन्होंने फाइनेन्स डिपार्टमेंट से और हमसे ज्यादा से ज्यादा की मांग की थी । लेकिन हमने कहा कि हम सारे प्रोजेक्ट को फाइनेन्स करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर ऐसा होता है कि हम सारा पैसा लगायें तो खुद एक इन्डस्ट्री लगाने का सवाल हो सकता था । इस वास्ते हम चाहते हैं कि इतने से काम चल जाय और क्योंकि डिवेल्यूएशन के कारण से प्राइसेज इन्फ्लेट हुई हैं....

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है....

श्री हरिश्चन्द्र : इस वास्ते इस मदद की जरूरत पड़ी थी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह जो पचास लाख रुपये का लोन देने वाले हैं, जो नॉयलोन कोट फैक्ट्री लगाने वाले हैं, जो एक्सपेन्शन प्रोग्राम है उसके लिए उन्हें यह प्रजेन्ट लोन दे रहे हैं, तो इसके अन्दर वह इन्डस्ट्री खुद कितना लगाने वाली है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो पचास लाख रुपया सरकार दे रही है, तो क्या यह सही है कि इसके साथ ही रेस्ट ऑफ दि एमाउन्ट इन्डस्ट्री खुद लगाने वाली है ?

श्री हरिश्चन्द्र : उसमें भी जो और फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उनसे लोन लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोन लिया है और माकूल सिक्योरिटी अगर वह पेश कर सकते हैं तो वहां से वह लोन ले सकते हैं । हमें भी जो सिक्योरिटी पेश की है उस पर फाइनेन्स डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट देने को राजी हो जाती है कि लोन दे सकते हैं तो हम लोन दे सकते हैं ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : जो आप पचास लाख का लोन दे रहे हैं उसके साथ ही नायलोन फैक्ट्री कितना इन्वेस्टमेंट कर चुकी है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ! श्री मानिकचन्द सुराणा !

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : प्रश्न यह है कि राज्य सरकार की यह भी कोई नीति है कि जिन चीजों को आपने प्लान में प्रायोरिटी दी है तो अब जब कि लोन दिया जा रहा है वह उससे रिलेट करेगा ? इस तरीके की राज्य सरकार की नीति अगर है तो आपकी नाइलोन कोट फैक्ट्री है यह सारे प्लानिंग में कौनसी प्रायोरिटी में आती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : प्रायोरिटी इन्डस्ट्रियलाइजेशन ऑफ राजस्थान में क्या होगी,

Page No. 5

(श्री हरिश्चन्द्र)

कौनसी प्रायोरिटी होगी–यह कहना तो सम्भव है नहीं क्योंकि अभी राजस्थान का इन्डस्ट्रीयलाइजेशन नहीं हुआ है। अब अगर कोई इन्डस्ट्री आती है तो उसको मदद करना हमारा फर्ज है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने फर्माया कि कोई इन्डस्ट्री आये तो हमें मदद करनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका मतलब है, राज्य सरकार की कोई औद्योगिक नीति नहीं है। राज्य सरकार यदि मदद करना चाहती है तो किसी फर्टीलाइजर फैक्ट्री के लिए पचास लाख का लोन दे तो हमारी समझ में बात आ सकती है। लेकिन आपने ऐसी इन्डस्ट्री को लोन दिया है जिसका राजस्थान के दूसरे उत्पादनों से सम्बन्ध नहीं है। नायलोन फेक्ट्री, नायलोन कोट फेक्ट्री के लिए आप लोन देते हैं तो यह बात आप खुद महसूस क्यों नहीं करते हैं? आपकी यह क्या औद्योगिक नीति है? यह बहुत दुर्लक्ष्यपूर्ण है, इसका कोई लक्ष्य नही है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ! Next question.

श्री रामकिशन (वैर) : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे सरकार की नीति का पता लगेगा, सरकार के दिमाग का पता लगेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि जे० के० सिन्थेटिक्स ने १०-१२ लाख रुपये स्मॉल सेविंग स्कीम में कन्ट्रीब्यूट किये थे और उसको कम्पेन्सेट करने के लिए यह बीस लाख रुपये का लोन दिया गया था?

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह बड़े बाप की इन्डस्ट्री है, जो एग्रीमेंट इससे शुरू शुरू में हुआ था उसमें जो टर्म्स थीं जिनको उसे फुलफिल करना था उनमें धीरे धीरे रिलक्सेशन किया गया है। उसमें टर्म थी कि ट्रेनिंग केम्प खोलना होगा लेकिन वह ट्रेनिंग कैम्प नहीं खोला। सिक्योरिटी देनी थी, वह नहीं दी और जो उसके साथ में एग्रीमेंट हुआ था, उसमें जो टर्म्स थीं उनमें समय समय पर रिलेक्सेशन किया गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हम यह जानना चाहते हैं कि जब पचास लाख रुपये का लोन अभी तक दिया नहीं है तो क्या राज्य सरकार इस लोन को दिये जाने के प्रश्न पर राजस्थान की प्लान प्रायोरिटी को मद्दे नजर रखते हुए पुनर्विचार करना चाहती है? यह आप आश्वासन दे सकते हैं?

श्री हरिश्चन्द्र : कोई सरकार इन्कार नहीं करेगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्यों करेगी, क्योंकि भूतपूर्व उद्योग मंत्री इसके लीगल एडवाइजर हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कहने दीजिये।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा कि सरकार इन्कार नहीं कर रही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पुनर्विचार करने के लिए इन्कार नहीं करना चाहते हैं।

Page No. 6

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

यह तो, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मेरा मंत्री महोदय की समझ में नहीं आया या उनका उत्तर मैं समझ नहीं पाया हूँ। इन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन्कार नहीं करना चाहती है। इसका तो कोई अर्थ नहीं होता है। प्रश्न यह है कि क्या इस परिस्थिति में, जो सवाल हमने आपसे पूछा है, आप सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो लोन आपने सेंक्शन किया है और जिसका पेमेन्ट नहीं किया है, उसका पेमेन्ट करने से पहले पुनर्विचार करेंगे कि लोन दिया जाय या नहीं दिया जाय ? और लोन ऐसे उद्योग को दिया जाय जिसका राजस्थान के अन्दर दूसरे उत्पादन बढ़ाने से ताल्लुक हो ?

श्री हरिश्चन्द्र : पुर्नविचार करने की आवश्यकता नजर नहीं आती है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : पुर्नविचार करने की आवश्यकता नजर नहीं आती है क्योंकि पुर्नविचार करने की शक्ति आपके हाथ में है नहीं, जो लोन देने की शक्ति है वह आपके मुख्य मंत्री के ताले–कुन्जी में बन्द है और वह न आपके हाथ में है और न केबिनेट के हाथ में है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह जो लोन दिया है, क्या यह प्लान प्रायोरिटी के तहत दिया है या प्लान के विपरीत है और विशेष प्राथमिकता देकर लोन सेंक्शन किया है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया वह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने पुनः विचार करने का कहा। राज्य सरकार कोई आपके पास बाप–दादे की बपौती नहीं है और उसका खजाना आप–दादों का नहीं है जो आप इस तरह से चल कर बड़े बड़े पूंजीपतियों को राजस्थान का धन लुटा रहे हैं और आप उनको लाखों रुपये लेकर चन्दा चुनाव में लेना चाहते हैं। इसलिए आपने यह सारा लोन देने का किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने २० लाख रुपये पहले दिये यह बताया। आपने उन २० लाख रुपयों को एक्सेस डिमांड पर यहां से मंजूर करा लिया और अब आप उनको ५० लाख रुपये देने की बात कह रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये ५० लाख रुपये आपके बजट में कहां सेक्शन हैं ? आपके बजट में तो इसके लिए कोई रकम है नहीं। २० लाख रुपये आपने इनको पहले दिये वे भी आपके बजट में नहीं थे फिर आपने एक्सेस डिमांड ला कर यहां सेक्शन किया है और वह सदन से मंजूर कराया। इसी तरह से इसको भी आप सदन में लाते ताकि सदन इस पर पूरी तरह से विचार करता।

इसके अलावा आपने यह कहा कि मैंने आपको गलत जानकारी दी कि डीजल सेट उन्होंने नहीं लगाये। मैं कहूंगा कि उन्होंने डीजल सेट पहले से ही लगा लिये थे। आपने उनको २० लाख रुपये एक्से-

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

न्शन के लिए दिए हैं उनमें से नहीं लगाये। पहले जब इसकी मंजूरी सदन से ली तब कहीं नहीं था कि डीजल सेट लगावेंगे। अब आप उनको ५० लाख रुपये एक्सपेन्शन के लिए दे रहे हैं और वह भी उस आदमी को दे रहे हैं जिसका नम्बर ३० बड़े आदमियों में, करोड़पति और अरबपतियों में आता है, उसमें उनका नम्बर ३०वां आता है। आप उनको रुपया इसलिए देते हैं कि उन्होंने नाथूरामजी और मुख्य मंत्रीजी को घुमाया और आपने उनको जैसलमेर में जमीन देने का वायदा किया था और वह भी आप उनको नहीं दे सके। इसलिए अब आप ७० लाख रुपये दे रहे हैं और इसमें से आप ५० हजार रुपया चन्दा भी ले सकेंगे।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात भी पूछ रहा हूं। मगर इसके साथ साथ मैं यह पूछना चाहता हूं; चन्दे वाली बात को छोड़ दीजिये, तो भी मैं यह निवेदन करूंगा कि नायलोन के बारे में सरकार इतना खर्च करे जबकि सैनिकों के लिये दूसरी चीजों की जरूरत है। इससे सरकार के दिमाग का पता तो चलना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : यह महात्मा गांधी की सरकार है और महात्मा गांधीजी के रास्तों पर चल रही है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सुनें तो सही। मंत्री महोदय कुछ कह रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : भारत सरकार लाइसेंस दे चुकी है और प्लानिंग में है।

श्री रामकिशन : भारत सरकार अगर राजस्थान सरकार को फांसी देना चाहे तो क्या होगा ? भारत सरकार कोई अलग सरकार है ? अगर गलत तरीके से पैसा खर्च होता है तो उसके लिए प्रबन्ध किया जा सकता है। गलत किसी को फांसी लगाती है तो आपको कहना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : आप यह भी गलत कह रहे हैं। भारत सरकार के प्लानिंग में यह नहीं है। अगर हो तो आप बता दें। भारत सरकार को यों ही बदनाम करना चाहते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, यह तो करें कि ५० लाख रुपयों का लोन जब तक सदन से इसके लिये स्वीकृत नहीं हो नहीं दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

विद्युत सम्बंधी लक्ष्य

२४८. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तृतीय पंच वर्षीय योजना में विद्युत सम्बन्धी क्या लक्ष्य निर्धारित थे और उनमें से कितने पूर्ण रहे और कितने अपूर्ण ? कृपया विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) यदि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी है तो किन किन कारणों से ?

Page No. 8

उप मंत्री विद्युत, (श्री घासीराम यादव) : (१) विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(२) लक्ष्य की प्राप्ति में कमी का कारण बड़ी बड़ी योजनाओं, जैसे राणा-प्रताप सागर, भाखरा राइट बैंक व सतपुरा थर्मल स्टेशन के तृतीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में पूरा न होना है । इन योजनाओं के पूरा न होने के विस्तृत कारण तो योजनाओं को सम्पन्न करने वाली संस्थाएं ही हो सकती हैं । वैसे धन राशि की कमी, विदेशी मुद्रा की कमी, कनाड़ा से आवश्यक उपकरणों के आयात में विलंब, पाक आक्रमण के कारण अन्य सामान के एकत्रित होने में विलम्ब, आदि आदि मुख्य कारण हैं ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामकिशन : आपने जो कारण बताये कि धन–राशि की कमी, विदेशी मुद्रा की कमी, आदि, आदि तो जब योजना बनाई गई थी तो केवल हमले को छोड़ कर दूसरी विदेशी मुद्रा की कमी, धन-राशि की कमी सरकार के दिमाग में नहीं थी ?

श्री घासीराम यादव : बहुत सी दिक्कतें बाद में पैदा हुईं ।

श्री अब्दुल जब्बार खाँ (निम्बाहेड़ा) : आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा पॉवर दिया है या दूसरों को ज्यादा पॉवर दिया है ?

श्री घासीराम यादव : इस प्रश्न का इससे कोई संबन्ध नहीं है ।

श्री रामकिशन : आपका इसमें क्या लक्ष्य है ? आपका देहाती क्षेत्र के लिये क्या लक्ष्य था ? इसके साथ साथ फर्स्ट प्लान में कितने गांवों को विजली देने का लक्ष्य था और आपने उसको पूरा किया ?

श्री घासीराम यादव : १३०३ गांवों को विजली देने की योजना थी और ११०३ गांवों को बिजली दी गई ।

श्री अब्दुल जब्बार खां : जो पॉवर कन्ज्यूम हो रहा हैं वह इन्डस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा खर्च हो रहा है और एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत कम हो रहा है ।

श्री घासीराम यादव : यह अलग प्रश्न है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह सही है कि आपका सारा रुपया खर्च हो चुका है और आपका निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है ? कितना रुपया आपने ५ वें प्लान में लगाया और कितना लक्ष्य आपका एचीव हुआ ?

श्री अब्दुल जब्बार खां : आप राजस्थान में बिजली पर खर्चा करने जा रहे हैं। आपने खर्चा कर दिया या कर रहे हैं और उसके बाद भी जो आपने अपना लक्ष्य रखा था वह पूरा नहीं हो रहा है ।

Page No. 9

श्री घासीराम यादव : रुपया तो उसके लिये खर्च हुआ है ।

श्री रामकिशन : प्रश्न यह है कि जो लक्ष्य खर्च करने का हमने रखा था वह रुपया तो हम खर्च कर चुके मगर जो टार्जेट हमने एचीव करने के लिये लक्ष्य रखा था वह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ····

श्री घासीराम यादव : रुपये का तो सदुपयोग ही हुआ है । वह तो इसी के लिये खर्च किया गया है ।

श्री रामकिशन : आपने प्रश्न को नहीं समझा । आपने जो टार्जेट रखा वह मानलें २ लाख ७५ हजार कि० वा० बिजली पैदा करने का था । उसमें से आपका लक्ष्य एचीव हुआ वह ४७ हजार ३२० कि० वा० और आपकी धन-राशि खत्म हो गई ।

श्री घासीराम यादव : माखरा से, तीसरे प्लान शुरू होने के बाद में अक्टूबर में पॉवर मिल रहा है, सतपुरा शुरू हो जावेगा और····

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : आपने तीसरे प्लान से २७५ हजार मेगा वाट अधिक बिजली पैदा करने की योजना बनाई और उस पर आपने ५ करोड़ रुपया खर्चा करना है । आपके २७५ मे० वा० की जगह १३८ मे० वा० पैदा कर पाये । मेरे कहने मतलब यह है कि आपने खर्चा तो २७५ हजार मे० वा० के लिये था वह कर दिया और उसके एवज में १३८ हजार मे० वा० के ही लक्ष्य पर पहुँचे और सारा रुपया खर्चा हो गया ।

श्री घासीराम यादव : यह सारा रुपया खर्च नहीं हुआ ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कितना रुपया खर्च हुआ और कितना पॉवर पैदा होना चाहिये था, आया वह हुआ या नहीं यह आप बता दें ।

श्री घासीराम यादव : वह अभी हिसाब आना है ।

श्री रामकिशन : अभी जो रुपया खर्च हुआ है उससे हम यह जानना चाहते हैं कि अनुपात से ज्यादा रुपया तो खर्च नहीं कर दिया गया है ताकि आगे आपको धनराशि नहीं होने के कारण काम रोकना पड़े ।

श्री घासीराम यादव : यह सही है कि जितना रुपया खर्च किया जा रहा है उससे कम बिजली पैदा हुई । रुपया खर्च किया जा रहा है और बिजली भी पैदा होगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गोयल ।

आदीवासियों के लिये कॉलोनी

२४६. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा); क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला बूंदी की तहसील तालेड़ा में गरडदा की कॉलोनी का आदिवासियों के लिए निर्माण करवाया गया ? अगर हां, तो कब ?

(२) उक्त कॉलोनी में कितने परिवारों को बसाने की योजना थी ?

Page No. 10

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(३) उक्त कॉलोनी पर कितना व्यय किस विभाग द्वारा किया गया ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त कॉलोनी में एक भी परिवार नहीं रहता ?

समाज-कल्याण मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : (१) जी हां निर्माण कार्य सन् १९६०-६१ में किया गया।

(२) इस कॉलोनी में ३७ परिवारों को बसाने की योजना थी।

(३) उक्त कॉलोनी में समाज-कल्याण विभाग के बजट से १४५५० रु० पंचायत समिति तालेड़ा द्वारा व्यय किये गये।

(४) जी नहीं, इस कॉलोनी में चार परिवार रहते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इस कॉलोनी के अन्दर कुल ३७ परिवार बसने वाले थे, उनके क्वार्टर्स सारे के सारे इनकम्पलीट पड़े हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : हां, कुछ क्वार्टर इनकम्पलीट हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कुछ कहने के बजाय स्पष्ट कर दीजिये कि ३७ परिवारों के लिये बनने वाले थे उनमें से कितने बन चुके हैं, कितने कम्पलीट हो चुके हैं, कितने अधूरी स्टेज पर हैं और कितने प्रारम्भ ही नहीं किये गये हैं।

श्री अमृतलाल यादव : यह फीगर्स तो मेरे पास नहीं हैं पर ३७ में से ६ मकान अभी अधूरे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसका मतलब यह है कि केवल ६ मकान अधूरे हैं बाकी ३१ कम्पलीट हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : जी हां !

श्री कृष्णकुमार गोयल : इन पर जो १४,५५० रुपया खर्च हुआ है उसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुके हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : मेरे ख्याल से कुछ के बाकी हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कुछ का क्या मतलब, सारे का सारा बताइए कि कितने कम्पलीट हो चुके हैं, कितने अधूरे हैं, कितनों के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुके हैं, कितनों के प्राप्त नहीं हुए हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : मेरे पास जो जानकारी है उसमें यह है कि ४ मकान तो कम्प्लीट हैं जिनमें ४ परिवार रह रहे हैं, ६ अभी कम्प्लीट नहीं हुए हैं, बाकी सब कम्प्लीट हैं।

(शोरगुल-अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, यह क्या उत्तर मन्त्री महोदय दे रहे हैं। पहले कहा ४ कम्प्लीट हैं फिर कहा ६ कम्प्लीट हैं....

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो चार परिवार रह रहे हैं वे भी ऐसे हैं जो योजना के तहत आने वाले नहीं थे, इधर-उधर से आ गये हैं। किसी क्वार्टर पर छत डाली हुई नहीं है, वे लोग फूंस डाल कर रह रहे हैं।

Page No. 11

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को एड्जोर्न कर दिया जाय और मन्त्री महोदय से पूरी सूचना मंगवाई जाय कि कितना-कितना काम हो गया है और कितना-कितना काम करना बाकी है, वास्तव में एक भी कम्प्लीट नहीं है। शाहाबाद में जो कॉलीनी है उससे भी वहां पर भयंकर स्थिति है। सारे का सारा पैसा भूतपूर्व सरपंच द्वारा खर्च कराया गया है और कुल रकम का १० परसेंट पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। इसलिए इस प्रश्न को पोस्टपोन किया जाय और कल पूरी सूचना के साथ इसका जवाब दिलवाया जाय।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपको आपके अधिकारियों ने क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री अमृतलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं इस स्थिति से संतुष्ट नहीं हूं....

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपके चिन्ता करने से क्या होता है, १० परसेंट भी रकम खर्च नहीं की गई और सारे के सारे अधूरे पड़े हैं, आपने क्या कार्यवाही की ? आपके अधिकारियों ने आपको क्या रिपोर्ट दी ?

श्री अमृतलाल यादव : एक मकान के लिए ७५० रु० मिलता है जो आज की स्थिति में तो बिल्कुल ही नाकाफी है, पहले भी पूरा मकान बन जाता था या नहीं, कई बातें विचारणीय हैं। इसके अलावा दो कमरों के बजाय ज्यादा बढ़ा लिये उन लोगों ने कहा कि हम खुद परिश्रम करके या पैसा लगा कर काम करवायेंगे। इसके लिए यह पैसा सोशयल वेलफेयर से पंचायत समितियों को जाता रहा है और पंचायतों को दिया जाता रहा है, सीधा कन्ट्रोल नहीं होने से सख्त गफलत होती रही है। माननीय सदस्य भी जानते हैं।

आज की स्थिति में मैं जो कुछ कर सकता हूँ वह यह है कि जांच करवाऊंगा कि कम्प्लीट कराने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर विचार किया जायगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : ७५० रुपया प्रति परिवार देते हैं पर इसमें एक भी पैसा किसी परिवार को नहीं दिया गया है। सारा पैसा पंचायतों के द्वारा खर्च किया गया है, किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कई बार देखा गया है कि मन्त्री महोदयों द्वारा सदन में जो जवाब दिये जाते हैं विभाग की ओर से सेंट परसेन्ट गलत जवाब देते हैं। फिर मन्त्री महोदय कहते हैं कि संतुष्ट नहीं हैं, मेरा कहना यह है कि विभाग को वार्निंग क्यों नहीं दे देते कि गलत जवाब नहीं दिया करें, आपके संतुष्ट नहीं होने से क्या होता है ?

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : डूब मरो।

श्री अमृतलाल यादव : मैंने यह कहा था कि स्थिति से सन्तुष्ट नहीं हूँ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : आप इस स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं, जो उधर से गुजरते हैं सभी की निगाहों में ये मकान आते हैं, आप भी उधर से गुजरते होंगे, आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो क्यों नहीं कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को पोस्टपोन करके कल लिया जाय । इस सदन में अनेकों बार यह सवाल उठाया गया है पर हर बार इसे टाला जाता है । ये चाहते हैं ६७ के चुनाव निकल जाय तब तक इस मामले को नहीं उठाया जाय । इतना पैसा खर्च हुआ है, कहां गया ? सब मकान इन्कम्प्लीट पड़े हैं । केवल १० परसेन्ट खर्च किया गया है ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आपकी तरफ से मन्त्रियों को वार्निंग, चेतावनी मिलनी चाहिए कि इस प्रकार गलत जवाब नहीं आने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : मेरी तरफ से आपने ताड़ना दे दी ।

श्री **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : और भी कई जगह इस प्रकार मकान अधूरे पड़े है, सुजानगढ़ गया तो वहां देखा कि पांच, सात लाख के मकान बना दिये, किसी के ऊपर छत नहीं है, इतना बड़ा इंन्वेस्टमेंट ७ साल से यों ही बेकार पड़ा हुआ है । सुजानगढ़ के पास बुनकरों के बड़े-बड़े मकान अधूरे पड़े हैं ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय स्वीकार करते हैं कि कॉलोनीज की स्थिति ठीक नहीं है । आप यह भी स्वीकार करते हैं कि रुपया कम है इसलिए ठीक नहीं बन पाते । तो या तो आप इस स्कीम को छोड़ दें, होस्टल्स, स्कूल्स आदि की ऐसी योजनायें बनायें जो व्यावहारिक हों या यह देखें कि किसको रुपया दिया गया, उसका क्या उपयोग हुआ, ७ साल तक विभाग रिपोर्ट नहीं करे, यह तो स्थिति ठीक नहीं है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा !

लाखेरी नगरपालिका को सड़क निर्माण हेतु धनराशि

२५०. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि लाखेरी नगरपालिका को गत वर्ष सड़क—निर्माण हेतु सरकार द्वारा १०,०००) रु० दिए गए थे ?

(२) क्या यह सही है कि प्रशासक, नगरपालिका ने उक्त रकम को सड़क-निर्माण में खर्च नहीं कर के भवन-निर्माण में लगा दिया ?

(३) यदि हां, तो क्या भविष्य में सड़क—निर्माण हेतु रकम नगरपालिका को दी जा सकेगी ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) :

(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

अध्यक्ष महोदय, इस सवाल और जवाब में थोड़ी सी गलतफहमी है, पिछले साल का

(श्री बरकतुल्ला खां)

पूछा गया है जब कि ६४-६५ में १० हजार रुपया दिया गया था। एडमिनिस्ट्रेटर ने बजाय सड़क पर खर्च करने के भवन निर्माण करा लिया, इसलिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला। गवर्नमेंट यह कोशिश कर रही है कि यह पैसा जो सड़क-निर्माण के लिए दिया गया था उसे सड़क पर खर्च न कर के भवन-निर्माण पर खर्च कर दिया गया इसलिए इसको लोन में कन्वर्ट कर के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हांसिल कर लिया जाय।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैंने भी यही पूछा था प्रश्न के भाग (१) के उत्तर में आपने 'ना' कर दिया और आगे आप कह रहे हैं कि १० हजार सड़क के लिए दिया। दूसरे प्रश्न में मैंने पूछा कि नगरपालिका ने यह रुपया सड़क-निर्माण में न लगा कर भवन-निर्माण पर लगा दिया, उसका उत्तर आपने दिया 'जी नहीं' और आगे आप कह रहे हैं कि सड़क पर नहीं लगा कर भवन-निर्माण पर लगा दिया। मेरा निवेदन है कि यह १० हजार जो सड़क-निर्माण के लिए दिया गया था वह भवन-निर्माण पर लगाया तो न तो आपसे इसकी स्वीकृति ली, न डी० एल० बी० से स्वीकृति ली। क्या यह सही है कि लाखेरी नगरपालिका से यह १० हजार रुपया वसूल करने का नोटिस दे दिया गया है ?

श्री बरकतुल्ला खां : जैसा कि मैंने निवेदन किया कि गत वर्ष नहीं ६४–६५ में दिया गया। दूसरा रिप्लाई दिया उसमें मैंने स्पष्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने जो उस समय एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको नोटिस दिया है कि जो रुपया सड़क बनाने में लगाना चाहिए या वह दूसरी जगह लगाया है, वे अपने कन्डक्ट को एक्स्प्लेन करें। इसके साथ-साथ हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी लिखा है कि उनसे वसूल करवाये। गवर्नमेंट की तरफ से भवन बनाने की सेंक्शन नहीं थी। रोड के लिए सेंक्शन दी थी। उन्होंने जो गलती की उसकी इन्क्वयरी कराके पहले तो तहसीलदार को लिखा, फिर कलेक्टर को लिखा और अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं। उन्होंने जो जवाब दिया है उसमें कहा है कि मैं मेरे खर्च से नहीं आपके खर्च से रेकर्ड देखने के लिए जा सकता हूं। हमने उन्हें कहा है कि रेकर्ड देखने जाना चाहते हैं तो आपको खुद के खर्चे से जाना पड़ेगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : गत सत्र में मैंने जानकारी दी थी। जो रकम सड़क बनाने के लिए दी गई थी उसको, बिना पी०डब्ल्यू०डी० से नक्शे बनवाये बिना डी०एल०बी० की सैंक्शन के १० हजार रुपया खर्च कर दिया। अब लाखेरी की म्युनिसिपैलिटी को नोटिस दे दिया गया है कि १० हजार जमा कराओ, अगले साल लाखेरी की नगरपालिका को निर्माण के लिए बिलकुल पैसा नहीं मिलेगा। १० हजार रुपया प्रशासक महोदय ने सड़क पर नहीं लगाया बिना सैंक्शन के भवन निर्माण में लगा दिया। भविष्य में लाखेरी नगरपालिका को निर्माण के लिए रकम मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह आश्वासन दीजिये।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): पहले

Page No. 14

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

रकम दी गई सड़क-निर्माण के लिए अनुदान के रूप में उस समय प्रशासक नगरपालिका में बैठा हुआ था। उसने भयंकर गलती की। उसके खिलाफ सरकार नोटिस दिया है। अब वे चाहते हैं की यह अनुदान जो लालेरी नगरपालिका को दिया है वह लोन में कन्वर्ट किया जाय। मैं सोचता हूं कि इस प्रकार की पद्धति को अपनाना छोटी-छोटी नगरपालिकाओं के लिए घातक होगा। सरकार की स्वायत्त शासन के प्रति यह नीति अच्छी नहीं है।

श्री बरकतुल्ला खां : २६-३-६५ को लोन सैंक्शन हुआ। मई के अंदर १९६५..

श्री हरिप्रसाद शर्मा : गलत जवाब दे रहे हैं। सड़क के लिए अनुदान मिलता है। ६० प्रतिशत नगरपालिका को लगाना पड़ता है और ४० प्रतिशत आप देते हैं। जो सड़क के लिए पैसा दिया है वह भवन में लगाया है जब तक सड़क नहीं बनाई है आप कैसे पैसा देंगे ?

श्री बरकतुल्ला खां : उस प्रशासक को मैं बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करता हूं। २६-३-६५ को लोन मन्जूर हुआ। मई के अंदर शिकायतें हुईं तो उसके खिलाफ इन्क्वायरीज कीं और उसके बाद १३-८-६५ को फैसला किया और उनको चार्जशीट किया लेकिन २७-८-६५ को उनसे कह दिया कि तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम चले जाओ और १-११-६५ को हमने शो-कॉज नोटिस सर्व किया ताकि उनसे रुपया वसूल कर सकें। क्योंकि उन्होंने रुपया गलत तरीके से इस्तेमाल किया, ऑडिट ऑब्जेक्शन के बाद हमने कलेक्टर को लिखा कि चूंकि ऑडिट ऑब्जेक्शन आया है, सो जिन जिन लोगों का नाम आया है उनके बारे में आपने क्या एक्शन लिया। उसके बाद प्रशासक ने जवाब दिया कि मैं आपके खर्चे पर जा सकता हूं। तो आखिर हमने निर्णय किया और रेवेन्यू विभाग को लिखा कि उसकी पेन्शन में से पैसे काटे जायं।

दूसरा सवाल है कि नगरपालिका के अंदर जो रुपया लगा वह सड़क के निर्माण में न लगाकर भवन पर लगाया तो आइन्दा उनको यह सहायता न मिल सके। अगर उसने क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन किया है तो प्रशासक पर मुकदमा चलेगा लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० ने झूठा सर्टीफिकेट नहीं दिया है। इनको ८ आना पर कैपिटा ग्रांट है जो ईअर टु ईअर नगरपालिकाओं को देते हैं। उसके अलावा मेरे पास कोई अनुदान का रास्ता नहीं है। इसलिए जो रुपया हमने सड़क के लिए उधार दिया था और जो रुपया उन्होंने पी. डब्ल्यू. डी. से वसूल किया, उसको हमने लोन में कन्वर्ट किया ताकि नगरपालिका को भविष्य में पी० डब्ल्यू० डी० से सहायता लेने में दिक्कत न हो। इस बीच में हम प्रशासक के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। जरूरत हुई तो उनको प्रोसीक्यूट करेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जिस समय प्रशासक १० हजार रुपए सड़क पर न खर्च करके पुराने पानी के प्याऊ को तुड़वाकर भवन बना रहे थे तो वहां की जनता ने प्रदर्शन किया, आंदोलन चला, यहां भी स्थगन प्रस्ताव आया था। मान-

Page No. 15

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

नीय सदस्य के खिलाफ प्रदर्शन के कारण ३५३ आई० पी० सी० में मुकदमा चला । उनको मना नहीं की गई कि तुम यह कार्यवाही मत करो। समय पर सरकार को चेतावनी देने के बावजूद भी भवन बनाया जा रहा है, कोई स्टे ऑर्डर नहीं है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इसके अलावा १२,०००) के सामान का पता नहीं है। स्टॉक रजिस्टर मैण्टेन नहीं हुआ । १२ हजार का सामान कहां लगा ? ७ हजार देना आज भी बाकी है। जोधपुर के भंडारीजी आपके खास मिलने वाले हैं । हमने कहा था कि आप इन्हें हटाइए।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा !

ग्राम आबूसर से जाटवल तक बिजली के लिए सर्वे

२५१. **श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू)** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या झुंझुनू जिले की झुंझुनू तहसील के ग्राम आबूसर से लेकर उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम जाटवल तक बिजली दिये जाने हेतु सर्वे करवाने के लिए कोई अर्जी विद्युत मंडल में पड़ी हुई है ?

(२) यदि हां, तो यह अर्जी किसके द्वारा और कब दी गई तथा इस लाइन का सर्वे होकर इसका कार्य कब तक प्रारम्भ करवा दिया जावेगा ?

उप मंत्री, विद्युत (श्री घासीराम यादव) : (१) विद्युत मंडल में नहीं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (उ० प०) के पास एक प्रार्थना-पत्र आया था ।

(२) यह प्रार्थना-पत्र लेफ्टिनेन्ट कर्नल कुन्दनसिंह, जनरल स्टाफ ऑफिसर ने तारीख ६-१-६६ को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (उ० प०) को दी थी । इस लाइन का सर्वेक्षण हो चुका है । विद्युतीकरण के कार्य के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्रीमती सुमित्रा : ग्राम आबूसर से जाटवल तक के बीच के गांवों के नाम बताइए ?

श्री घासीराम यादव : आपने दरख्वास्त लिखी थी उसमें नाम थे वे हैं-आबूसर, घनसारी, सितसर, सिरसा, अनासर, कालान, रितसर, रासोर ।

श्री अध्यक्ष : आप उन्हें लिस्ट दे दें ।

श्रीमती सुमित्रा : आप जिस लिस्ट के बारे में कह रहे हैं वह अलग एप्लीकेशन है और मैंने प्रश्न पूछा था जाटवल के बारे में। बीच में दूसरे गांव आ गए ।

श्री घासीराम यादव : दरख्वास्त ले० जनरल कुंदनसिंह की है। आपका कौनसे गांवों से मतलब है ?

श्रीमती सुमित्रा : हमारी एप्लीकेशन दी हुई है। उसमें गांवों के नाम दिए हुए हैं। मैं उन नामों को जानकर कन्फर्म करना चाहती हूं।

श्री घासीराम यादव : आप कौन से गांवों का सर्वेक्षण चाहती हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : आपके पास लिस्ट नहीं है तो जवाब कैसे दे रहे हैं ?

श्री घासीराम यादव : आपको खुद को पता नहीं हैं कि कौनसे गांवों के लिए पूछ रही हैं।

श्रीमती सुमित्रा : मेरा स्पेसीफिक सवाल था आबूसर से जाटवल तक। बीच में कई गांव हैं। कृपया वे बता दें। कब इनका सर्वेक्षण किया जा चुका है; कब तक बिजली देने का इरादा है ?

श्री घासीराम यादव : मैंने निवेदन किया कि सर्वेक्षण हो चुका है। ६-८-६६ को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई है। साढ़े सात लाख एस्टीमेट है। ७॥ का रिटर्न है जो कम पड़ता है इसलिए कहा नहीं जा सकता कि इन्कलूड होगा या नहीं।

प्रश्न संख्या २५२

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री बृजेन्द्रपाल।

सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति

*२५३. **श्री बृजेन्द्रपाल (करौली) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

निम्नलिखित सड़कों की मरम्मत व इन पर आवश्यक पुलियाओं के निर्माण के लिए १९६५–६६ में कितनी धनराशि स्वकृति की गई तथा अब तक इन पर किये गये कार्यों की क्या प्रगति हुई :—

१. करौली–मासलपुर। २. करौली–मंडरायल। ३. करौली–सपोटरा। ४. करौली- केलादेवी–करणपुर।

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भीमसिंह) : मरम्मत की धनराशि सड़कवार स्वीकृत नहीं की जाती है। करौली से मासलपुर सड़क पर पुल निर्माण के लिए ६०,०००) का प्रावधान किया था। कुन्दना नाला का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। अट्टा ब्रिज का कार्य प्रगति पर है; बाकी सड़कों के लिए कोई प्रावधान वर्ष १९६५–६६ में नहीं था।

श्री बृजेन्द्रपाल : मंत्री महोदय को मालूम है कि गत तीन वर्षों में इन सड़कों पर कोई मरम्मत कार्य नहीं हुआ है। तो क्या इस पर पुनः विचार करके इसके लिए आवश्यक कदम उठाएंगे ?

श्री भीमसिंह : मैंने जैसा निवेदन किया कि करौली से मासलपुरा के लिए प्रावधान किया था। कुन्दना नाला का काम पूरा हो चुका है। अट्टा ब्रिज का कार्य प्रगति पर है। बाकी तीन सड़कें जो नीचे आपने पूछी थीं करौली-मंडरायल, करौली–सपोटरा, करौली-केलादेवी–करणपुर इनके लिए कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि फंड्स की कमी थी।

श्री बृजेन्द्रपाल : क्या अगले वर्ष किया जायगा ?

श्री भीमसिंह : फंड्स की अवेलबिलिटी पर डिपेन्ड करेगा।

प्रश्न संख्या २५४

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

गंगानगर शुगर मिल में मशीन की खरीद

२५५. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या राजकीय उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गंगानगर शुगर मिल में डोर ओलीवर ज़ूस क्लेरीफायर कब ख़रीदा गया था एवं कितने मूल्य में ?

(२) खरीदे जाने के बाद उपरोक्त क्लेरीफायर ने किस वर्ष काम किया ? क्या यह सही है कि १९६४–६५ में क्लेरीफायर की ट्राइल तक नहीं ली गई ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त क्लेरीफायर केवल उन मिलों में ही खरीदा जाता है जो पूरे छः माह तक चलती हैं ? क्या गंगानगर शुगर मिल पिछले दस वर्षों में कभी पूरे छः माह चली है ?

राजकीय उद्योग मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) डोर ऑलीवर ज़ूस क्लेरीफायर सन् १९६३–६४ में सीजन बन्द होने के बाद में खरीदा गया था, इसका मूल्य रु० १,६०,७०१ था।

(२) उपरोक्त क्लेरीफायर के खरीदे जाने के बाद इससे सीज़न १९६५–६६ से काम लेना आरम्भ किया गया क्योंकि इसका इरेक्शन पूरी तरह से नहीं हुआ था।

(३) उपरोक्त क्लेरीफायर का फैक्टरी के अधिक या कम समय तक चलने से कोई सम्बन्ध नहीं है बल्कि यह तो कार्य को सुचारू रूप से व किफायत से चलाने के लिए लगाया जाता है और इससे कार्य-क्षमता बढ़ती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका उत्तर है उससे यह तथ्य निकलता है कि उसको इन्स्टाइल करने में दो वर्ष लग गये।

श्री मथुरादास माथुर : एक साल। एक तो सीज़न में खरीदा गया। दूसरा जब सीज़न शुरू हुई तो वह नहीं लग सका और बाद में सीज़न में वह काम आया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ६३–६४ में खरीदा।

श्री मथुरादास माथुर : ६३–६४ में सीज़न के बाद खरीदा गया। फरवरी में सीज़न चालू होता है वह उस समय नहीं लग पाया इसलिये अगले साल लगाया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ६३–६४ में खरीदा....

श्री मथुरादास माथुर : ६४ में खरीदा गया। उसके बाद इरेक्शन का काम शुरू हुआ। सीजन वापिस आगया, इरेक्शन नहीं हो सका इसलिये अगले साल काम हो सका।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ६३–६४ में उसको खरीदा....

श्री अध्यक्ष : आप तारीखों में क्यों पड़ रहे हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इन्हीं मिल्स के लिये यह क्लीयरली स्पेसिफाइड है कि १८० डेज़ चलता है। सारे भारतवर्ष में आप इसकी जांच करा लीजिये जहां यह लगे हुए हैं ६ मन्थस का रन है। यहां इतना रन नहीं है इसलिये ये बाकी पड़े रहेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री पोहूमल।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसका मतलब यह है कि १८० डेज़ मिल चलायेंगे?

अजमेर में मशीन टूल फक्ट्री

२५६. **श्री पोहूमल ईसरदास** (अजमेर पश्चिम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार को विदित है कि भारत सरकार द्वारा मशीन टूल फैक्टरी अजमेर में लगाई जा रही है? अगर हां, तो राज्य सरकार की जानकारी के अनुसार यह स्कीम कब तक क्रियान्वित हो सकेगी?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री मनफूलसिंह) : जी हां। इस स्कीम के क्रियान्वित होने की निश्चित तिथि अभी नहीं बतायी जा सकती।

श्री पोहूमल ईसरदास : क्या सरकार को यह मालूम है कि उसमें कितनी लागत लगेगी?

श्री मनफूलसिंह : यह भारत सरकार की स्कीम है और राजस्थान सरकार को इसकी लागत मालूम नहीं है।

श्री पोहूमल ईसरदास : इस फैक्ट्री के लिए कोई प्लान दिया गया है?

श्री मनफूलसिंह : जी हां।

श्री पोहूमल ईसरदास : इस फैक्ट्री के लिए पानी और बिजली की व्यवस्था भी की गई है।

श्री मनफूलसिंह : यह लिखा-पढ़ी चल रही है, अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता।

श्री पोहूमल ईसरदास : क्या सरकार के पास इस योजना की कॉपी भी है?

श्री मनफूलसिंह : जी हां।

श्री पोहूमल ईसरदास : उसकी कॉपी दी जावेगी।

श्री मनफूलसिंह : कॉपी देने के लिए मैं नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, इसको लगाने का निश्चय हो चुका है और आपने फरमाया है कि कुछ नहीं कहा जा सकता इसलिए योजना के ताहत क्या सरकार जानती है कि यह कब लग जावेगी और कब तक शुरू हो जावेगी ?

श्री मनफूलसिंह : जैसी राज्य सरकार को सूचना है ६७ के अन्त तक इसका काम शुरू हो जावेगा ।

प्रश्न संख्या २५७

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री दुर्गालाल बाड़दार !

जयपुर नगर का मास्टर प्लान

२५८. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या नगर आयोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जयपुर नगर का मास्टर प्लान तैयार हो गया है ? यदि हां, तो इसे कार्यान्वित करने लिए राज्य सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं ?

(२) दिल्ली से अजमेर जाने वाली सड़क को जयपुर के पास किधर से लेजाया जायेगा और इस कार्य को करने के लिए सरकार कितना समय लेगी ? क्या इस सड़क निर्माण में सरकार आबादी क्षेत्र को टालने का विचार रखती है ?

नगर आयोजन मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां): (१) जी हां । मास्टर प्लान भी एप्रूव कर लिया है । जनता के सुझाव और एतराज मांगने के लिए सेक्शन ५, राजस्थान नगर-न्यास एक्ट के मातहत शीघ्र ही शाया किया जावेगा ।

(२) प्रस्तावित मास्टर प्लान के अनुरूप दिल्ली से अजमेर जाने वाली बाई-पास सड़क जयपुर शहर की चाहर दिवारी के उत्तर में से ले जाई जावेगी । ड्राफ्ट मास्टर प्लान के अनुसार दिल्ली से अजमेर जाने वाली सड़क उत्तर की चाहर दिवारी के उत्तर में से ले जाई जावेगी । यह सड़क नाहरगढ़ के नीचे होकर झोटवाड़ा होती हुई मौजूदा अजमेर रोड से मिला दी जावेगी । मास्टर प्लान के मुताबिक जहां तक मुमकिन होगा सड़क आबादी से बाहर होकर ही लेजाई जावेगी और कोशिश की गई है कि यह आबादी पर कम से कम असर डाले । ड्राफ्ट प्लान के मुताबिक इस बाई-पास सड़क को ५ साल में बनाने का प्रस्ताव है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह कौन से सन् में एप्रूव किया और पब्लिक नोटिफिकेशन के लिए इश्यू किया गया या नहीं ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने सुना नहीं ।

श्री अध्यक्ष : मास्टर प्लान का पब्लिकेशन कर दिया ?

श्री बरकतुल्ला खां : कमेटी ने ड्राफ्ट एप्रूव कर दिया है । मास्टर प्लान एप्रूव होने जा रहा है, तब पब्लिक के सामने आवेगा और एतराजात सुनने के बाद फाइनल किया जायेगा ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह मास्टर प्लान किया है, बहुत एरियाज़ इन्डस्ट्रियल एरियाज डिक्लेयर किये गये हैं, आबादी और दूसरे काम के लिए डिक्लेयर किये गये हैं; आपकी इस प्रकार सारी योजनायें चल रही हैं वे मास्टर प्लान के अनुरूप हैं या मर्जी चाहे जिस प्रकार से उसमें परिवर्तन किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो प्लान देख लें।

प्रश्न संख्या २५६

श्री हनुमानसिंह।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २६०

श्री नाथूलाल करौल।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री हरिप्रसाद शर्मा।

लाखेरी–पाटन सड़क निर्माण कार्य

२६१. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि लाखेरी से पाटन रोड़ के निर्माण का बजट में प्रावधान है ? यदि हां, तो इस सड़क पर गत वर्षों में कितनी रकम खर्च की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) लाखेरी-पाटन रोड़ का निर्माण कार्य कब, कौन से वर्ष में प्रारम्भ किया गया था ? यह सड़क कब तक बन कर तैयार होनी चाहिए थी ?

(३) लाखेरी-केशवराय पाटन रोड़ का कार्य कौन से ठेकेदार के द्वारा करवाया जा रहा है और अब इस सड़क के निर्माण कार्य की क्या प्रगति है ? सड़क कितनी बन चुकी है और कितने मील बनना बाकी है ?

उप–मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां। इटावा से लाखेरी वाया लवान रोड़ तथा केशवराय पाटन से लवान रोड पर क्रमश: १,६२,२६२) रु०, १,६०१८६) रु० मार्च, ६६ तक व्यय हो चुका है।

(२) यह कार्य मार्च, १९६० से आरंभ हुआ है। योजनानुसार यह कार्य तृतीय योजना तक समाप्त होना था।

(३) इटावा से लाखेरी के भाग का कार्य निम्न ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है।

मील १ से ३–भारत सेवक समाज

मील ४ से ७–सरदारीलाल ठेकेदार

मील ८ से १२– ,, ,,

३ मील में कार्य पूरा हुआ है, बाकी मील १२ तक कार्य प्रगति पर है। केशवराय पाटन से लवान रोड का कार्य निम्न ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है :

मील १ से ४–श्री सुखलाल ठेकेदार

मील ५ से ८–श्री गुरुवचनसिंह प्रीतमसिंह

(श्री भीमसिंह)

मील ६ से १२–भारत सेवक समाज

मील १२ से १६– „ „

इस सड़क पर केवल मिट्टी ग्रदि का कार्य पूरा हुग्रा है । सम्पूर्ण २८ मील सड़क बननी है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : २८ मील सड़क को पूर्ण करना है, केवल मिट्टी काकाम हुग्रा है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये समाप्त होनी चाहिये थे पर काम पूरा क्यों नहीं हुग्रा, इसका क्या जवाब है ?

श्री भीमसिंह : कौन से पोर्शन की पूछ रहे हैं ? मैंने ग्रलग ग्रलग बिट्स का निवेदन किया ! ग्रब कौन से बिट के लिये पूछते हैं ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : ग्रर्थ वर्क हुग्रा । मिट्टी वर्षा से साफ हो गई ग्रौर काम पड़ा हुग्रा है । एक परसेन्ट भी काम पूरा नहीं हुग्रा ।

श्री ग्रध्यक्ष : कब पूरा हो जावेगा ग्रापके ख्याल से ?

श्री भीमसिंह : तृतीय योजना में लिया हुग्रा है । ज्यों २ फन्ड्स ग्रवेलेबल होते हैं पूरा कर रहे है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : गत वर्ष कितना खर्च हुग्रा ?

श्री भीमसिंह : ६५–६६ में इटावा से लाखेरी पर १३, १५५) रु० खर्च हुए । केशवराय पाटन से लवान तक ६५–६६ में ३४,१०५ रू० खर्च हुए ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : केवल ग्रापके प्रचार के लिये पड़ी हुई है । ग्राप प्रचार करते हैं कि जनसंघ के एम. एल. ए. को वोट दिया इसलिये पड़ी रह गई है, कांग्रेस को ग्रब वोट दो ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : ऐसा नहीं है ।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री गोकुलचन्द ।

पंचायत समिति क्षेत्र, कठूमर को बिजली

२६२. श्री **गोकुलचन्द** (कठूमर–सु०) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति, कठूमर (ग्रलवर) को बिजली दिये जाने का निर्णय कौन सी तारीख को लिया गया है ?

(२) कठूमर में बिजली पहुंचाने के लिये क्या क्या कार्य हो चुके हैं ग्रौर बाकी क्या रहे हैं ?

(३) कहां से बिजली लाई जा रही है ग्रौर कहां तक (कठूमर के ग्रागे) ले जाये जाने की योजना है ?

(४) कठूमर में कब तक बिजली ग्रा सकेगी ?

उप-मन्त्री, विद्युत (श्री घासीराम यादव) : (१) दिनांक २८–[illegible]–६५ को ।

(२) समस्त कार्य हो चुका है ग्रौर दिनांक १४–११–६५ को कठूमर ग्राम को बिजली दी जा चुकी है ।

(श्री घासीराम यादव)

(३) कठूमर को विद्युतीकरण हेतु नगर १/२ से के० वी० लाइन खींच गई है। सन् १९६६-६७ की योजना अभी विचाराधीन है। इसलिये निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह लाइन आगे कहां तक बढ़ाई जा सकेगी।

(४) कठूमर में १४-११-६५ को बिजली दी जा चुकी है।

श्री गोकुलचन्द : बिजली तो पहुँची नहीं, आप पता लगा लीजिये।

श्री घासीराम यादव : बिजली वहां आ गई है। किसी ने ली नहीं है। न दरख्वास्त हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री फतेहसिंह।

(१२ मध्यान्ह)

स्टाम्प बेचने वालों को कमीशन की दरें

२६३. **श्री फतेहसिंह** (चोहटन) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) बाडमेर में स्टाम्प्स और फोलियों वगैरह की क्या रेट से कमीशन वेचने वालों को दी जाती है?

(२) यह रेट जोधपुर राज्य के समय के अनुसार है या ज्यादा या कम है?

(३) क्या यह रेट सब जिलों में बराबर है? अगर कमी-बेशी है, तो इसका क्या कारण है?

वित्त-मन्त्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (१) बाड़मेर समेत सभी जिलों में स्टाम्प्स वेचने वालों को स्टाम्पों और फोलियों की बिक्री पर नीचे लिखी दरों पर कमीशन दिया जाता है :

(क) नॉन जुडिशियल स्टाम्पों पर :

(१) जिला हैड क्वार्टर में ३)१० फी सदी।

(२) सब-डिवीजन हैड क्वार्टर में ४)७०

(३) दूसरी जगहों में १)५५ फी सदी।

जुडिशियल स्टाम्पों और फोलियों पर सब जगह १)५५।

(२) जोधपुर रियासत में कमीशन की दरें नीचे लिखे मुताबिक थीं :

(अ) नॉन जुडिशियल छः रुपये चार आने फी सदी।

(आ) कोर्ट फीस स्टाम्प-दो रुपया पांच आना छः पाई फी सदी।

इससे जाहिर होता है कि जिलों व सब डिवीजनों के हैड क्वार्टरों में नॉन जुडिशियल स्टाम्पों पर कमीशन की मौजूदा दरें जोधपुर रियासत से कम हैं और दूसरी जगहों में बराबर हैं। जुडिशियल स्टाम्पों पर कमीशन की दरें जोधपुर रियासत से कम हैं।

(३) जी हां। कमी-बेशी का सवाल नहीं उठता।

श्री फतेहसिंह : रियासती टाइम में ज्यादा था। अब कम क्यों मिल रहा है कमीशन ?

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिये कि यह देखा गया कि बड़ी जगह ज्यादा लोग आवेंगे और ज्यादा उसकी बिक्री होगी तो वहां कमीशन कम रखा गया। जहां कम बिक्री होने की सम्भावना थी और आदमी नहीं मिल सकते थे कम कमीशन पर वहां ज्यादा कमीशन रखा गया।

श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : रियासती टाइम में कमीशन कम दिया जाता था। अब ज्यादा क्यों दिया जाता है ? यह प्रश्न है इनका।

श्री बालकृष्ण कौल : यह नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : यह नहीं है तो फिर आप जबाव दें न ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं तो जवाब दे ही रहा हूं। यह तो वे बीच में पूछ बैठे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इस सम्बन्ध में कोई नियम हैं ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : इस बिक्री के लिये कितने हजार रुपये तक के लिये क्या कमीशन है, यह बताएं, नहीं तो जहां अधिक बिकते हैं वहां कम कमीशन और जहां कम बिकते हैं वहाँ अधिक कमीशन, इससे तो स्वेच्छाचारिता हो जावेगी। आप तो बतावें इसके लिये कोई नियम हैं क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह नियम ही तो मैंने बताया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रश्न २७० का उत्तर भी दिलवाने की कृपा करें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने भी नोटिस दिया है। २७०।

बीकानेर की सड़कों एवं नालियों की मरम्मत के लिये अनुदान

२७०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या बीकानेर नगर की सड़कों एवं नालियों की मरम्मत के लिए बीकानेर नगर परिषद् ने राज्य सरकार से विशेष अनुदान देने की मांग की है ? यदि हां, तो कब और कितनी धन-राशि मांगी गई है ?

(२) क्या सरकार का विचार यहां की खराब सड़कों की स्थिति को अविलम्ब ठीक कराने का है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : (१) जी हां। ता० ३१-५-६६ को तीन लाख रुपयों की सहायता मांगी गई है।

(२) जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सहायता दे दी गई ?

श्री बरकतुल्ला खां : नहीं, अभी विचार चल रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : जब आपने महसूस किया कि वहां सड़कों और नालियों की

Page No. 24

(श्री मुरलीधर व्यास)

हालत खराब है और वहां की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि नगरपालिका उनको ठीक करा सके, तो फिर अनुदान क्यों नहीं दिया, जिसके सिवाय और रास्ता नहीं है। यह तो तकलीफ आम लोगों को है। तो फिर देते क्यों नहीं ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : पैसा हो तो दें भाई।

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने पूरी कोशिश की। पर उन पर पुरानी किश्तें और कर्जा चढ़ा है। नियमानुसार लोन उनको नहीं दिया जा सकता। दूसरा यह कि आठ आना पर-कैपिटा जैसी चीज भी है नहीं। फिर भी इस को फाइनेन्स विभाग से टेक-अप कर रखा है।

श्री मुरलीधर व्यास : आज हालत यह है शहर में कि वह सड़ रहा है। नालियां गन्दगी से भरी पड़ी हैं, जहां नहीं हैं नालियां वहां वैसे गन्दगी का ढेर लगा है, सड़कें टूटी-फूटी पड़ी हैं। पहले जब राजधानी थी बीकानेर तो अलग से खर्चा भी हो जाता था। अब राजस्थान बन जाने के बाद इतने बड़े शहर को वह सहायता न दी जावे, तो इस स्थिति में सुधार ही नहीं हो सकता। तो दो लाख की आबादी बीकानेर की है, उसका ख्याल तो सरकार को रखना ही चाहिये। समाज कल्याणकारी राज का आप नारा लगाते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : एक बार प्रश्न कर लें, फिर साथ ही उत्तर दे देना। श्री सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : राजस्थान सरकार के सामने यू. आई. टी. ने प्रस्ताव भेजा कि अपनी फाइनेन्स में से वह एक लाख, डेढ़ लाख रुपया सड़कों के लिये और १॥ लाख रुपया नाली पर खर्च करने के लिये तैयार है। उसको लिखे छः महीने हो गये पर राज्य सरकार ने कोई स्वीकृति इसे नहीं भेजी है।

साथ ही इन कामों के लिये सरकार से ऋण और अनुदान भी मांगा जा रहा है उस पर भी अभी तक सरकार ने कोई मन नहीं बनाया है।

मैं स्पेसिफिक बात पूछ रहा हूं और इसका स्पेसिफिक उत्तर चाहता हूं।

श्री बरकतुल्ला खां : जैसा मैंने बताया राजस्थान सरकार ने किश्तें की हैं तमाम उन नगरपालिकाओं पर जिन पर पुराना लोन चढ़ गया है और जिन की इन्स्टॉलमेन्ट ड्यू हैं और यह तय किया है कि जब तक यह चुकाया न जावे तब तक नया ऋण नहीं दिया जावे। बीकानेर नगरपालिका ऐसी है जिस पर लोन चढ़ा है और इन्स्टॉलमेन्ट ड्यू है जो ३१-३-६६ तक ३,४३,०७३ रुपया है और इन्ट्रेस्ट का ४७,८५३ रुपया बाकी है। बैलेन्स ड्यू २,८६,६५५) है। इसलिये यह कोशिश करते हुए भी कि लोन मिल जावे, यह मुद्दा बीच में आ जाता है।

इसके साथ साथ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट स्टेट की जमीनें बेचता है और उनका डेवलपमेन्ट करके अपना गुजारा करता है। इस पर्टीक्यूलर केस में स्पेशल कन्सेशन देकर राजस्थान सरकार ने इस बात को माना हैं कि चाहे इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को अधिकार नहीं कि

(श्री बरकतुल्ला खां)

३ लाख रुपया वह दे सके, फिर भी तारीख ८-९-६६ को एक लाख रुपया इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की ओर से बीकानेर नगरपालिका को उसके अन्दर लगी पी. डब्ल्यू. डी. विभाग के जरिये सड़कों पर काम करवाने के लिये सेंक्शन कर दिया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : जैसा आपने बताया कि लोन उसमें बाकी है २.१ लाख के करीब तो ऐसा कुछ बाकी नहीं है.। ऑडिट का हिसाब मैंने देखा है। आपने वाटर वर्क्स की बकाया निकाल निकाल कर यह चढ़ा रखा है।

रियासत के समय में नगर में पानी के टेप लगे थे और उससे लोगों को मुफ्त में पानी पिलाया जाता था। तो उसका आपने बकाया निकाल दिया है और उसी पर ब्याज भी ले रहे हैं।

आप बीकानेर की बात करते हैं, जयपुर शहर में और जोधपुर में इस तरह का लाखों रुपया बाकी है। उदयपुर और अलवर में बाकी है। पुष्कर में १६ हजार बाकी है। बीकानेर में जो आपका वाजिब लेना है वह कभी भी आप ले सकते हैं। पर सब मिलाकर ४७ हजार से ज्यादा बाकी नहीं है जिस को भी पांच साल में चुकाना है। इसके सिवाय बाकी नहीं है।

इसके साथ साथ बीकानेर की नगर-पालिका की जितनी सम्पत्ति थी पहले सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट था उसके बंगले थे, काफी मकान थे, वे सब तो आपने मुफ्त में ले लिये और इसका लाखों पहले का पी. डब्ल्यू. डी. में जमा था पहले का अगर वही पैसा आप इसको दे देते तो सारा काम हो जाता। आपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लाखों की जमीन ले ली। ऑक्ट्राय का एक पैसा इसने नगर-पालिका को नहीं चुकाया। अगर नगरपालिका की वाजिब चुंगी ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से दिलवा दी जाय तो वे ही कई लाख होते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कोई रियायत भी इसके एवज में नहीं की। बराबर पैसा ले रहा है और वह भी उतना ही जितना औरों से ले रहा है, जबकि इन संस्थाओं से कम लिया जाता है, पर इस नगरपालिका से ज्यादा लिया जाता है।

इसी तरह से वाटर वर्क्स का नहीं दिया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह इलेक्शन प्रोपेगेण्डा की तैयारी हो रही है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ऐसी स्थिति में अगर आप पैसा नहीं देते, तो इससे नालियां साफ नहीं होंगी, सड़कें खराब रहेंगी और इस नालियों की गन्दगी से एपिडेमिक बीमारियों के फैलने का खतरा है। लोग मरेंगे, बच्चे मरेंगे, और इनके मरने की जिम्मेदारी से आप वंचित नहीं हो सकेंगे। गन्दगी को दूर करना आपका भी काम है। और शहरों को आपने रुपया दे रक्खा है लोन पर। तो इसी तरह से बीकानेर में भी आप देकर पी. डब्ल्यू. डी. की मार्फत नालियों का और सड़कों का काम करावें।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यकीन दिला सकता हूं कि जोधपुर म्युनिसिपेलिटी को कोई रुपया

(श्री बरकतुल्ला खां)

उधार नहीं दिया गया। जहां तक मेरे पास फिगर्स हैं वह ऑथेन्टिक है। जो रुपया उधार दे रखा था उसकी भी इन्सटॉलमेंट्स के ड्यू हैं। और उसके अन्दर ३ लाख ४२ हजार रुपये इन्सटॉलमेंट्स के ड्यू हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : रुपया दिया गया है और आपने प्रश्न के उत्तर में भी कहा है कि इतना रुपया वहां के लिए दिया गया है। आप कैसे कहते हैं कि नहीं दिया गया ?

श्री मानिकचंद सुराणा : अध्यक्ष महोदय, यही प्रश्न नहीं है। ३ लाख ४२ हजार रुपये ड्यू होंगे और प्रश्न यह है कि जो इन्सटॉलमेन्ट आपका ड्यू था उन इन्सटॉलमेंट में क्या आपकी ३ लाख ४२ हजार रुपये की बकाया है, लेकिन अगले वर्ष में ३ लाख ४२ हजार रुपया बकाया है।

श्री बरकतुल्ला खां : यह जो अब तक बाकी है वह ३ लाख ४२ हजार और ७३ रुपये की बक है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : बकाया है तो क्या कारण हो सकते हैं कि आप बीकानेर की सड़कों को और ड्रेनेज को नहीं बनायें और जन-स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रखा ? और बकाया है इसलिए बीकानेर के लोगों को स्वच्छता से महरूम रखें ? जब कि बीकानेर में एक के बाद एक एपिडेमिक हो रही है और वहां पर प्लेग फैलने का भी डर था और वहां पर रैट्स मरे हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : जब लोकल सैल्फ गवर्नमेंट से बजट आया तो १ लाख रुपये का टोटल प्रोवीज़न था और उसके अलावा ८ आना पर-कैपिटा के अलावा........

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ८ आना तो ब्याज में चला जाता है।

श्री बरकतुल्ला खां : लोकल सैल्फ गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और न ही लोकल सैल्फ गवर्नमेंट ने किसी को रुपया दिया है। हां, उदयपुर म्युनिसिपैलिटी का एक केस है। उन्होंने बराबर वक्त पर अपना पैसा दिया है। उनके ऊपर बकाया नहीं है। तो जिन जिन म्युनिसिपैलिटीज़ को रुपया दिया गया है वह उन्हीं को दिया गया है जिनके ऊपर कोई इन्सटालमेंट ड्यू नहीं हैं। जैसे जोधपुर है, उसको रुपया नहीं दिया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर यह मनमाने तरीके से खर्च करते जायें, बिगाड़ते रहें तो क्या इसके लिए शहर के लोग जिम्मेदार हैं ? आपको कम से कम यह तो ख्याल रखना चाहिए कि बीकानेर शहर की क्या हालत है ? अब किसी ने क्या कर दिया, घोटाला कर दिया, गबन कर दिया तो उसके लिए क्या जनता तकलीफ देखे ?

आपने जोधपुर को अनुदान दिया है तो बीकानेर को देने में क्यों हिचकिचाते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ६० लाख रूपया जयपुर में है बकाया तो आपने क्या एक्शन लिया है ?

श्री बरकतुल्ला खां : जयपुर को कोई लोन नहीं दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप इतना नहीं कर सकते कि वहां पर कूड़ों के ढेर पड़े हैं उनको वहां से गाड़ियों से सुरतगढ़ फार्म पर भिजवा दें ? सारे बीकानेर को नरक बना रखा है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में शहरों की सड़कों को बनाने के लिए कितने रुपयों की सहायता दी और बीकानेर में क्या दिया ?

श्री बरकतुल्ला खां : जोधपुर में सड़कें बनाने के लिए लोकल सैल्फ गवर्नमेन्ट ने कोई सहायता नहीं दी। जयपुर को भी लोकल सैल्फ गवर्नमेन्ट से नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि मुख्य मंत्रीजी बीकानेर दो बार आये, बरकतुल्ला साहब बीकानेर कई बार आये, हरिदेवजी जोशी आये, मथुरादासजी माथुर आये और दो एक साल में राजा हरिश्चन्द्र जी भी आये–मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को शहर की सड़क और नालियों की हालत को देखकर यह नहीं लगता है कि राजस्थान में बीकानेर ही एक ऐसा शहर है कि जिसकी सड़कें ऐसी टूटी-फूटी हैं कि छोटी-मोटी म्युनिसिपिलैटी की सड़कों से भी बद्तर हालत है ? तो क्या राज्य सरकार के यह पांच-छः मंत्री उचित नहीं समझते की इस नगरपालिका को या तो किसी प्रकार से ठीक करें या आपके कांग्रेस के लोग वहां पर बहुमत में हैं और हमारे लोग तो वहां बहुमत में भी नहीं हैं। वहां आपकी पार्टी का शासन है और हम ही केवल यहां विधान सभा में आये हैं। वहा की म्युनिसिपैलिटी की सेवायें बिल्कुल समाप्त प्रायः हो गयी है। क्या राज्य सरकार इस स्थिति को ठीक करने के लिए कोई विशेष अनुदान १०–५ लाख का देकर वहां कि सड़कों और नालियों को ठीक करने के लिए उचित नहीं समझती है ?

श्री बरकतुल्ला खां : जब फण्ड्स अवेलेबल होंगे तब होगा। मैंने इसको बहुत स्ट्रिक्टली परस्यू किया है। फाइनेन्स में गया हूँ....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने तो बजट सेशन में भी यही कहा था।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष, मैं रुपया कहां से लाकर दूं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : और नये पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर ने तो दौरों का रेकॉर्ड बीट कर दिया।

(व्यवधान)

श्री बरकतुल्ला खां : आखिर माननीय अध्यक्षजी, मैं रुपया लाऊ कहां से ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! प्रश्न समाप्त हुए

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सरदार शहर में हरिजनों द्वारा हड़ताल

२४६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सरदार शहर में हरिजनों द्वारा हड़ताल किन २ बातों को लेकर चल रही है ?

(२) क्या वहां हरिजनों को कानून के अनुसार न्यूनतम मजदूरी मिल रही है ?

(३) क्या वहां सरकार द्वारा घोषित मंहगाई भत्ता मजदूरों को दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? हरिजनों की मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(१) माह अप्रेल, ६६ से मंहगाई भत्ते, में बढ़ोत्तरी करने की मांग को लेकर चल रही थी ।

(२) जी हां । उससे भी ज्यादा ।

(३) जी हां । लेकिन सरकार ने अपने मुलाजिमों के लिये अप्रेल, ६६ से मंहगाई भत्ते में जो बढ़ोत्तरी की है, वह उन्हें नहीं दी गई है । इसके बारे में यह तय किया गया है कि म्युनिसिपल मुलाजिमों को सरकारी मुलाजिमों के बराबर मंहगाई भत्ता देना या न देना म्युनिसिपल बोर्डों पर छोड़ा जावे और वे अपनी माली हालत देखकर मंहगाई भत्ता देवें ।

टायरों की खरीद

२५२. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान स्टेट रोड़वेज द्वारा उसकी स्थापना से अब तक कितने सिएट टायर खरीदे गये हैं, तथा किस दर पर ?

(२) क्या यह सही है कि जब यह टायर खरीदे गये थे उस समय ये बाजार में वास्तव में काफी कम मूल्य पर बेचे जा रहे थे ?

(३) क्या यह सही है कि सिएट टायर अन्य मेक के टायरों से काफी नीची श्रेणी के हैं ? यदि हां, तो वे क्यों खरीदे गये थे ?

(४) क्या यह सही है कि सिएट टायर फायरस्टोन अथवा गुड-ईयर जितने चलाऊ नहीं हैं ?

उत्तर

(१) कुल २१५० सिएट टायर डी० जी० एस० एण्ड डी० रेट कॉन्ट्रेक्ट पर खरीदे गये ।

(२) सरकार को इसकी सूचना नहीं है ।

(श्री यातायात मंत्री)

(३) जी नहीं, सिएट टायर भी मॉइलेज के हिसाब से दूसरे टायरों के मुकाबले का ही है ।

(४) जी नहीं, सिएट टायर भी उन दोनों के मुकाबले का चलाऊ टायर है ।

निवाई मार्केटिंग सहकारी समिति लि० की कार्यकारिणी का चुनाव

२५४. श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) निवाई मार्केटिंग सहकारी समिति लि० की कार्यकारिणी का चुनाव कब करवाया गया था ? क्या यह चुनाव नियमानुसार है जब कि चुनाव से पूर्व सहायक रजिस्ट्रार, टोंक द्वारा यह आदेश दिया गया था कि कार्यकारिणी में निम्न प्रकार के आदमी नहीं होने चाहिये—

(१) व्यापारी (२) लेन देन करने वाला (बोहरा) (३) जो पहले दो साल से कार्यकारिणी का सदस्य हों, (४) जो जिस सहकारी समिति का प्रतिनिधि हो, वहां का कर्जदार हो ।

(२) सहायक रजिस्ट्रार, टोंक ने जो उपरोक्त शर्तों का आदेश दिया, उसी के अनुसार सदस्य चुने गये या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या इस गलत चुनाव की रिपोर्ट निरीक्षक, सहकारी समितियां निवाई ने की और सहायक रजिस्ट्रार, टोंक ने भी सरकार के पास रिपोर्ट भेज कर इस चुनाव को शीघ्र खारिज करने को लिखा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

उत्तर

(१) निवाई मार्केटिंग सहकारी समिति लि० की कार्यकारिणी का चुनाव दिनांक १३-१०-१९६५ को हुआ था चुनाव नियमानुसार था, इस चुनाव के पूर्व सहायक रजिस्ट्रार टोंक ने कोई आदेश नहीं दिये थे ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

भादरा—झांसल बिजली की लाइन

२५७. श्री **मोहरसिंह** (चूरू) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भादरा—झांसल बिजली की लाइन कृषि उत्पादन योजना के अन्तर्गत गांव छानी ड़ी से आगे पुरानी पश्चिमी यमुना नहर की तलहटी के साथ साथ गांव बेर, जहां कि ट्यूब वेल्स के लिए काफी मात्रा में उपयुक्त पानी उपलब्ध है, से होती हुई स्वीकार की गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि इस लाइन का सर्वेक्षण करवाकर योजना बनाली गई है और इस लाइन पर ३० कुवे सिंचाई के

Page No. 30

(श्री मोहर्रासह)

योग्य मौजूद हैं और किसानों ने अनेक कूवों के लिए प्रार्थना-पत्र देकर विभाग को जमानत के पैसे जमा करवा दिये ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त लाइन निर्माण गांव बेर की तरफ चालू करके बंद कर दिया गया और इस लाइन की दिशा बदल कर दूसरी तरफ, जहां खारा पानी है सिंचाई के लिए कुवे नहीं हैं, चालू कर दिया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है और उसके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। केवल कृषि विकास योजना सन् १९६५-६६ के अन्तर्गत छानी बडी व भांसल को शामिल किया गया था। यह योजना नीनान से ११ के०बी० की लाइन ११मील दूर खेचने को बनाई गई थी। योजना के अनुसार ग्राम छानी मंडी को दिनांक १३-१२-६५ को बिजली दी जा चुकी है।

(२) जी हां, ग्राम बेर के विद्युतिकरण की योजना बनाली गई है। लाइन पर सिंचाई के लिए कु । कितने कुवें हैं इसकी जानकारी नहीं हैं।

जी हां। २१.

(३) उपरोक्त लाइन नीनान से भांसल तक ले जानी थी, लेकिन कुछ खम्बे बेरी की तरफ गाढ़ दिए थे, जो कि गलत था। लाइन योजनानुसार ही खींची है। इसलिये उत्तरदायित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। इधर पानी खारा है, इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

नमक उत्पादन के लिये एलॉट की गई भूमि

२५९. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि कुचामन खारड़े में श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री रामगोपाल व श्री भंवरलाल पुत्र श्री गोरधन शर्मा को संयुक्त रूप से सन् १९६२ में राज्य सरकार द्वारा नमक उत्पादन के लिये भूमि एलॉट की गई थी ?

(२) क्या यह भी सही है कि सैलाइन लैंड एलॉटमेंट रूल्स के अनुसार भूमि एलॉट होने के बाद निश्चय अवधि में नमक का कार्य शुरू न करने की हालत में एलॉटमेंट रद्द किया जाने का प्रावधान होते हुए भी ३ साल तक इन पार्टीज़ ने आज तक नमक उत्पादन का कार्य शुरू नहीं किया है और न ही उसका लगान राज्य सरकार को जमा कराया है ?

(३) यदि हां, तो राज्य सरकार ने एलॉटमेंट को रद्द क्यों नहीं किया व आगे रद्द करने के लिये क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

Page No. 31

(श्री उद्योग मंत्री)

(२) जी हां । नमक बनाने का कार्य शुरू नहीं किया । पार्टी ने लगान जमा करा दिया है ।

(३) नमक के प्लाटों में कुछ तकनीकी कठिनाइयां के बारें में पार्टी ने कार्यालय को सूचित किया था । वर्षा के बाद पार्टी ने कार्य आरम्भ नहीं किया तो अलॉटमेंट रद्द कर दिया जावेगा ।

टोडी रमजानीपुरा के कुओं पर बिजली

२६०. **श्री नाथूलाल करौल** (चाकसू): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सांगानेर के ग्राम जगतपुरा, गैटोर व टोडी रमजानीपुरा में बिजली की लाइन खिंच गई है ? यदि हां, तो टोडी रमजानीपुरा के बाकी के कुओं पर बिजली क्यों नहीं दी जा रही है ?

(ख) क्या यह सही है कि इसी लाइन को आगे ग्राम जयपुरा व कल्यानपुरा तक खींचने की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो फिर इस लाइन को खींचने में क्यों विलम्ब किया जा रहा है ?

उत्तर

(१) पंचायत समिति, सांगानेर के जगतपुरा, गेटोर, टोडी रमजानीपुरा में बिजली की लाइन खिंच गई है । रमजानीपुरा में बिजली प्राप्ति हेतु जैसे जैसे जिन जिन के प्रार्थना पत्र और समस्त अनुमानित रुपये प्राप्त होते हैं उन्हें कुओं पर बिजली दी जाती है ।

(२) जी नहीं ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सहकारी समितियां आदि का निर्माण कार्य

४१. **श्री मानिकचंद सुराणा** (कोलायत): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या ग्राम पंचायतें, सहकारी समितियों, श्रमिक ठेका सहकारी समितियों को जुलाई, ५८ के वित्त विभाग के आदेश द्वारा २०,०००) रु० के निर्माण कार्य बिना टेण्डर, बिना धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) के देने के आदेश हैं ? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(२) क्या उक्त आदेश के बाद तारीख २० अक्टूबर, ५६ द्वारा वित्त विभाग ने कुछ शर्तों सहित ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों व श्रमिक ठेका सहकारी समितियों को एक लाख तक के निर्माण कार्यों में प्राथमिकता देने के आदेश दिये ? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(३) क्या यह सही है कि श्रमिक सहकारी ठेका समिति लि० अम्बर के एक आवेदन-पत्र पर चीफ इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने तारीख १६-५-६१ को सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर (बी. एण्ड आर०) जयपुर को एक पत्र द्वारा आदेश दिया कि ता० ३०-१०-५६ के राज्य सरकार के आदेश के आधार पर सहकारी समितियों के एक लाख तक के कार्य पर कोई धरोहर राशि लेनी आवश्यक नहीं और इसके ऊपर

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

के कार्यों के लिए ही धरोहर राशि ली जावे ?

(४) क्या यह सही है कि चीफ इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ता० १३-११-६३ को उक्त आदेश के विरुद्ध दूसरा आदेश दे दिया जिसके फलस्वरूप सहकारी समितियों के लिए एक लाख तक के कार्य के लिए धरोहर राशि पेश करना आवश्यक कर दिया गया है व एक लाख के ऊपर के टेण्डर देने की मनाही करदी है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(५) क्या यह सही है कि मई, ६४ में सहकारी मन्त्री, श्री माथुर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के मन्त्री का ध्यान उक्त अनुचित आदेशों की ओर दिला कर उन्हें परिवर्तन करने का सुझाव दिया ?

उत्तर

(१) जी हां। उक्त आदेश की एक प्रति परिशिष्ठ (अ) प्रस्तुत है।

(२) जी हां। उक्त आदेश की एक प्रति परिशिष्ठ (ब) प्रस्तुत है।

(३) जी हां।

(४) जी हां, आदेश की प्रतिलिपि परिशिष्ट (स) प्रस्तुत है।

(५) जी हां, वर्तमान सार्वजनिक मन्त्री ने सहकारिता मन्त्री की हैसियत से भूतपूर्व सार्वजनिक मन्त्री को पत्र लिखा था।

(सूची—विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

मावली तहसील के गांवों को बिजली

४२. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) मावली तहसील में इस साल कौन से गांवों में बिजली दी जायेगी ?

(ख) क्या मावली तहसील में इस समय बिजली दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या सरकार मावली स्टेशन के उत्तर में गांव गाडरियावास, सालेरा वडीया, दौली व सांकरोदा में बिजली लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) सन् १९६६-६७ की योजना अभी विचाराधीन है।

(२) जी नहीं। क्योंकि मावली अभी किसी योजना में नहीं आता है।

(३) जी हां। यदि योजना लाभप्रद हो व धनराशि की उपलब्धि पर।

गंगानगर शुगर मिल में खांड

४३. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या सार्वजनिक उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(राजकीय उद्योग मंत्री)

(१) क्या यह सही है कि २६ नवम्बर, १९६४ से ३० नवम्बर, १९६४ के दौरान गंगानगर शुगर मिल चालू रही ?

(२) यदि हां, तो इस दौरान कितनी बोरियां खांड की निकलीं व कितनी निकलनी चाहिये थी ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) इस दरमियान में ज्यादा बोरियां बननी चाहिये थीं लेकिन मशीनरी खराब होने की वजह से ३७ बोरियां बन पाईं ।

समाज कल्याण बोर्ड को अनुदान

४४. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

समाज कल्याण बोर्ड राजस्थान को राजस्थान सरकार द्वारा व सामुदायिक विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सन् ६२-६३ व ६३-६४ व ६४-६५ में कितना अनुदान मिला ? इस अनुदान की रकम को कौनसी समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च किया गया ? जिलेवार योजनाओं की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

समाज कल्याण बोर्ड राजस्थान को राजस्थान सरकार तथा सामुदायिक विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा सन् १९६२-६३, ६३-६४ और १९६४-६५ में जो अनुदान दिया गया उसकी सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है । इस अनुदान की रकम को जिन समाज कल्याण योजनाओं पर व्यय किया गया है उसकी सूचि (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(१२.१६ म० प०)

सदन की मेज पर रखे गए पत्र

नियुक्ति विभाग की चार अधिसूचनाएं

श्री चन्दनमल बैद (यातायात मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद ३२० (५) के अन्तर्गत, नियुक्ति (क) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं जिनके द्वारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमिटेशन ऑफ फंक्शन्स) रेग्यूलेशन्स १९५१ एवं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (कन्डीशन्स ऑफ सर्विस) रेग्युलेशन्स, १९५१ में संशोधन किये गये हैं :

(१) अधिसूचना संख्या एफ. ८ (३) एपोइन्टमेंट्स । (ए-४) । ५६, दिनांक ३० मई, १९६६.

(२) अधिसूचना संख्या एफ. ८ (६) एपोइन्टमेंट्स । (ए-४) । ६६, दिनांक २६ जुलाई, १९६६

(३) अधिसूचना संख्या एफ० ३ (१३) अपोइन्टमेन्ट्स । (ए-४) । ६१, दिनांक ३० अगस्त, १९६६

(श्री चन्दनमल बैद)

(४) अधिसूचना संख्या एफ. ८ (८) नियुक्ति (क-४) । ६६, दिनांक २० अगस्त, १९६६.

(१२. १८ म० प०)

प्रतिवेदन का उपस्थापन

जनलेखा समिति के नवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री फूलचन्द जैन (सभापति, जनलेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं जनलेखा समिति के नवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं जिसका संबंध विनियोग लेखे १९६४-६५ पर अंकेक्षा प्रतिवेदन के पैरा २५, ८७, १०७, ११०, १११, ११२, ११४, ११६, १२०, १२४ और १२६ से है ।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों सम्बन्धी अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : जैसा मैंने कल माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि ध्यान आकर्षण प्रस्तावों को बाद में लिया जायेगा और उनको अभी न लेकर अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार प्रारम्भ रहेगा । सदन की कार्यवाही समाप्त होने से पूर्व अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो ध्यान आकर्षण प्रस्तावों पर कुछ विचार किया जा सकता है ।

अविश्वास प्रस्ताव ! श्री उमरावसिंह ढाबरिया !

(१२. १९ म० प०)

मंत्रि-मंडल के प्रति अविश्वास-प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार-विमर्श

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इस राज्य सरकार के मंत्री मण्डल के विरुद्ध एक अविश्वास का प्रस्ताव हमने रखा है । किसी भी सरकार के खिलाफ कोई भी अविश्वास का प्रस्ताव रखने के पीछे कुछ विशेष कारण होने चाहिए और जो हमने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है उसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जिन कारणों की वजह से यह अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध हमें रखना पड़ा है । मैं उन सब कारणों को इस सदन के सामने रखने की कोशिश करूंगा कि जिनके आधार पर हमने इस अविश्वास के प्रस्ताव को रखने की हिम्मत की और जो काम आज दिन तक इस सरकार ने इस तरह के किये हैं कि जो न तो प्रजातांत्रिक सरकार की नीति, न समाजवाद की सरकार की नीति हो सकती है बल्कि इस सरकार ने इन दोनों ही बातों के विपरीत ही काम नहीं किये बल्कि इतनी कोशिश की है कि इस प्रान्त से प्रजातंत्र ही समाप्त कर दिया जाये, एकतंत्र शासन, राजाओं और अंग्रेजों के जमाने में जिस तरह से जनता के ऊपर जुल्म किये जाते थे उससे भी ज्यादा जुल्म इन सालों में इस सरकार ने यहां की जनता पर किये हैं । जहां तक इस सरकार की नीति का सवाल है इन्होंने इस प्रान्त के सामने यह बात कही कि हम हमारे प्रान्त में एक प्रजातांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं । जहां तक प्रजातान्त्रिक समाजवाद की प्रक्रिया का सवाल है, उसकी नीति का सवाल है,

Page No. 35

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

इसके अन्दर दो-तीन बातें मुख्य हैं और वह बातें यह हैं–आर्थिक असमानता–जो इस प्रान्त के अन्दर बहुत है, उसको कम किया जाय और जो गरीबी से दबे हुए, शोषित लोग हैं उनकी आर्थिक उन्नति की जाय और जो बहुत ऊंचे स्तर के लोग हैं उनको नीचे लाया जाय। यह काम सरकार को करना चाहिए था।

इसके अलावा जो इस राजस्थान के अन्दर जो बहुत बड़ा रेगिस्तानी प्रान्त है, दूसरी तरफ इस प्रान्त का वह हिस्सा है जहां आदिवासी लोग बहुत ज्यादा तादाद में रहते हैं, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़ और दूसरे इस तरह के इलाके के लोग हैं, उन लोगों के आर्थिक ढांचे को ऊपर उठाना चाहिए और जो रेगिस्तानी, बहुत बड़ा हिस्सा है उसके अन्दर भी जो लोग रहते हैं उनको बहुत सारी सुविधायें, पानी के तौर पर, सड़कों के तौर पर, और दूसरी बातों में इस सरकार को देना चाहिए थीं। इन सारे मामलों में यह सरकार बिल्कुल फेल रही है और उन लोगों के लिए इस काम को सरकार ने बिल्कुल नहीं किया है। मैं इसके बारे में आपके सामने कुछ प्रमाण देना चाहूँगा।

जैसा मैंने आपसे कहा कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनके उत्थान का सवाल है। इस सदन के अन्दर भी कई दफा ६ अक्टूबर को, जहां तक सही तारीख का सवाल है, मैं समझता हूं कि यही तारीख होगी, इस सदन में एक अनुसूचित जनजाति और हरिजन जाति के समन्वय की गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की रिपोर्ट थी उसके ऊपर यहां बहस हुई थी इस सदन में, तो उस समय न सिर्फ विरोधी दल के अन्दर बैठने वाले सदस्य बल्कि कांग्रेस के अन्दर जो सदस्य हैं और खास तौर से उन्होंने भी यही शिकायत की थी कि चूंकि यहां आज पिछड़ी जातियों और हरिजन जातियों की रिपोर्ट पर बहस हो रही है तो सिवाय अमृतलालजी यादव के कोई मिनिस्टर और कोई दूसरे सदस्य जो सवर्ण कहलाते हैं, इस सदन में कांग्रेस पार्टी के उपस्थित नहीं थे, जब कि विरोधी दल के सारे नेता और दूसरे लोग यहां पर उपस्थित थे। तो कांग्रेस के लोगों ने ही जब यह बात कही और उन्होंने यह बताया कि हरिजनों के साथ इस सरकार ने जो भी काम किए हैं वे ऐसे काम नहीं हैं कि मानों कोई उनके लिए पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था कर दी हो, या अच्छे छात्रावास की व्यवस्था उनके लड़कों को पढ़ाने के लिए अच्छा इन्तजाम कर दिया गया हो। इस सरकार ने उनके समाज को उन्नत करने के लिए कुछ काम नहीं किया है। इस तरह से उन बेकवर्ड लोगों के लिए इस सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। जहां तक कुशलगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़े का सम्बन्ध है, मैं अभी कुछ दिनों पहले ही इन इलाकों में जाकर आया हूं और मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज चूंकि यहां अकाल की स्थिति है तो आप लोग यह कहेंगे कि हमने लाखों रुपया वहां के लाखों मजदूरों को दिया है। यह कोई आपने मेहरबानी नहीं की है। यहां अकाल था इसमें आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी थी और इसीलिए आपने वहां के लोगों को मजदूरी दी थी। यह कोई खास बात नहीं है, परन्तु इसके अन्दर मैं यह कहना चाहता हूं कि आज भी

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

वहां पर लाखों आदमी कच्चे माकानों में रह रहे हैं, उनको आपने पक्के मकान बनाकर नहीं दिए हैं। जो बरसों से खपरेल डालकर रहते आए हैं क्या उनको आपने टीन शेड के मकान बनाकर दिए हैं? ऐसे लम्बे-चौड़े इलाके में जो भील इलाका है, जहां छोटे २ टुकड़ों में खेती करने के लिए जमीनें हैं, पहाड़ हैं, या समतल हैं वहां पर उन्हें जमीनें मिली हैं। वहां पर कोई पानी के लिए अच्छे टैंक्स नए सिरे से बनाकर क्या आपने दिए हैं? पहले की बात मत करिये, पहले भी कुछ तो थे लेकिन वे बहुत कम हैं। फिर नये सिरे से इन सालों में आपने वहां पर कोई भी बड़े तालाब का निर्माण किया है? व्यक्तिगत तौर पर आपने कोई नए कुंए खुदवाने का इन्तजाम किया है? अगर इन इलाकों में, इन सारे जिलों में कोई अच्छी बात देखने में मिली तो वह यह रही है कि वहां मेड़बन्दी जो हुई है वह बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है और उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। परन्तु जो काम वहां पर नहीं किये हैं, जो कि आर्थिक उन्नति के मूल–साधन हैं, तब तक उनका उत्थान नहीं हो सकता।

जहां तक सागड़ी प्रथा का सवाल है, इस सदन में भी इसकी चर्चा दो-तीन दफा आई है और हमारे मंत्री महोदय ने जो इसी इलाके से जाते हैं, वह दावा भी किया कि हमने सागड़ी प्रथा को खत्म कर दिया है, पर आज भी सागडी प्रथा मौजूद है। उस इलाके में आज भी पांच, छः रुपया सैकड़ा व्याज का भील क्षेत्र में रहने वाले भील सज्जनों से वसूल किया जाता है। छः रुपया प्रति सैकड़ों का व्याज वहां के महाजन और सूदखौर लोग वसूल कर रहे हैं। आपने यह मनीलैंडर्स बिल पास करा लिया परन्तु उसको आपने लागू कहां किया है? और आज भी इतनी ज्यादा तादाद में लोग व्याज ले रहे हैं, उसको रोकने की आपने कोशिश नहीं की है। इन छोटी २ बातों से ही हो सकता है कि आपने इन हरिजनों के साथ या हमारे इन आदिवासी भाइयों के साथ जो इस तरह से दबे हुए हैं, वहां एक तरफ इसी हिन्दुस्तान के एक कोने में जो कि हमारे विद्रोही भाई रहते हैं, जो हिन्दुस्तान के एक दुश्मन की तरह से काम कर रहे हैं, बिहार, आसाम के मिजो हिल्स के लोग, उनके लिए आपने अपने संविधान में सिक्स्थ शिड्यूल जोड़ दिया है और इस प्रकार से संविधान में इसकी व्यवस्था कर उनके लिए अलग से विशेष व्यवस्था कर दी है। एजुकेशन में भी जहां ४८ प्रतिशत का प्रावधान है उनके लिए आर्थिक उन्नति करने के लिए एक अलग से प्रावधान रखा गया है। पर हमारे यहां इस भील क्षेत्र के अन्दर जहां डेढ़ परसेंट बल्कि मैं तो यूं कहूँ कि एक परसेंट भी एजुकेशन नहीं है उन लोगों की इस तरह से विशेष प्रोवीजन करके उनकी आर्थिक उन्नति और सामाजिक उन्नति के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास आज तक नहीं किया गया है और इस का खास कारण यही है कि आप चाहते हैं कि ये लोग इसी तरह से दबे रहें और आप की तरफ देखते रहें तभी जाकर आप स्वयं उनके वोटों से जीत कर आ सकें

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

और आप का काम चले। लेकिन आप को याद होगा कि वहां की जनता इतनी क्रांतिकारी है कि वहां से जितने भी लोग जीत कर आए हैं उनके अन्दर सोशयलिस्ट पार्टी के लोग ही ज्यादा होते हैं। मैं अभी जहां पर गया था कुशलगढ़ में, वहां की पंचायत समिति के अन्दर मैंने देखा कि वहां के जो ऑफिसर हैं, चाहे वह तहसीलदार हों, चाहे बी.डी.ओ. और वहां के एस.डी.ओ. हैं मिस्टर शर्मा, वह तो खास तौर से हैं, तो वहां पर जो काम चल रहे हैं, वहां पर जो आपके की रिलीफ वर्क्स चल रहे हैं, उनमें मेटों को कहा जाता है तो जब तक सफेद टोपी लगाकर नहीं आते तुम्हें काम नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार उस इलाके के लोग किस तरह से दबे हुए हैं, मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार ने न तो हरिजनों की तरक्की की तरफ ध्यान दिया है, न भील क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उन को ऊंचा उठाने के लिए आपने किसी तरह का काम किया है।

जहां तक समाजवादी अर्थ-व्यवस्था का सवाल है, आपको चाहिए था कि जो नीचे लोग हैं, जिनकी आमदनी कम है, जो खर्चों से दबे हुए हैं, उनकी उन्नति करते और जो बहुत ऊंचे हैं उनको नीचे लाने की कोशिश करते। परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात में भी सरकार बिल्कुल असफल रही है बल्कि जो लोग बहुत बड़े लोग हैं, जो कि इस राजस्थान के राजस्थानी लोग बाहर रहते हैं और वह यहां पर आकर राजस्थान वासियों का शोषण कर रहे हैं, उन लोगों को इस सरकार ने करोड़ों रुपया, एक दो करोड़ से भी ज्यादा रुपया देकर, यहां की गरीब जनता पर शोषण करने का अधिकार दिया है। दूसरी तरफ जो यहां के मज़दूर हैं, जो इस प्रान्त में रहने वाले किसान हैं उनका इस तरह से यह सरकार शोषण कर रही है और दूसरी तरफ इन पूंजीपतियों को, जो अरबपति तक हैं, उनको सरकार ने लाखों रुपया दे रखा है और जिस काम के लिए वह रुपया दिया गया है, ये लोग पैसे को उस काम में खर्च नहीं करते हैं और यह सरकार उनसे पैसा वसूल करने की हिम्मत नहीं कर पाती है। दूसरी तरफ पंचायत क्षेत्रों में जो पैसा आपने किसानों को अपने कुएं खुदवाने के लिए दिए हैं और अगर वह गरीब किसान किसी दूसरी जगह दूसरे काम के लिए खर्च कर देता है तो सरकार का यह नियम है कि उस पैसे को एक मुश्त वापिस वसूल कर लिया जाय। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने और इस सरकार के नुमायन्दों ने कभी भी इस प्रकार का प्रयत्न नहीं किया कि जिससे इन पिछड़े लोगों को राहत मिले, बल्कि जितने भी पैसे वाले लोग हैं उनसे लाखों मजदूरों और दूसरे लोगों का शोषण करवाया है। ये राजस्थान से बाहर रहने वाले लोग हैं उनको करोड़ों रुपया देकर इस राज्य के गरीबों का शोषण करने का मौका सरकार ने दिया है।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सदन से मैंने एक आधा घण्टे की चर्चा उठाई थी जिन्क स्मेल्टर फैक्ट्री के बारे में जिसको कि छः करोड़ ७७ लाख रुपया दिया गया है। छः करोड़ के करीब रुपया हमारे अपने पास से अपनी सिक्योरिटी पर गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने अपनी जमानत पर उस आदमी को रुपया दिया था, लेकिन उस आदमी ने उसमें कितना रुपया अपने पास से लगाया ? जब मैंने इस जिंक स्मेल्टर कारखाने के सम्बन्ध में आधे घण्टे की चर्चा उठाई थी तो यह उसी चर्चा का परिणाम था कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने उसको अपने हाथ में लिया। परन्तु वह तो हमारे इन मिनिस्टर साहब की मेहरबानी ही थी कि उस चर्चा का उन्होंने किस तरह से जवाब दिया था और उस सेठ की कितनी चापलूसी इन्होंने की थी और यह बताया था कि उस आदमी का इसमें कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है और जिसके कारण ही यह एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया था पंजाब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और आज उसके लिए हमारे राष्ट्रपति को एक नया ऑर्डिनेन्स लाकर उस कारखाने को अपने हाथ में लेना पड़ा है। इस तरह के लोग हमारी केबिनेट में हैं जो कि इन पूंजीपतियों की पैरवी करने में लगे हुए हैं। यह नहीं कि जो इस तरह के गलत काम करते हैं उनको सजा देने के लिए कदम उठायें; उसको नहीं करेंगे पर दूसरी तरफ अगर किसान में एक या दो साल का लगाना बाकी रह जाता है तो उसके घर की औरतों के जेवर नीलाम हो सकते हैं। यह एक नहीं राजस्थान में कितना ही जगह ऐसा हुआ है कि किसानों में लगान बाकी रह गया है तो पटवारी और तहसीलदार ने जाकर उनकी औरतों के जेवर लाकर बाजार में नीलाम करा दिये और उससे लैण्ड रेवेन्यू वसूल करने की कोशिश की। किसानों पर इतना बड़ा जुल्म और दूसरी तरफ इस तरह से पूंजीपतियों को छूट।

यही नहीं, माननीय अध्यक्ष, मैं नई एक मिसाल बताना चाहता हूं। इस राजस्थान में भीलवाड़े के अन्दर एक कारखाना इस वक्त लग रहा है। यह वेजीटेबल घी का कारखाना है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में इस तरह के कितने ही कारखाने लगे हुए हैं। यह मंत्री-मंडल जवाब देते वक्त यह बता दें कि जितने इस तरह के घी के कारखाने हैं हिन्दुस्तान के अन्दर दूसरे प्रान्तों में लगे हुए हैं उनको क्या जिस तरह की सुविधाएं इस आदमी को भीलवाड़े में दी हैं, वहां भी दी गई हैं ? इसको आबकारी माफ, और भी कई टैक्सेज माफ तथा और भी कई तरह की कितनी ही सुविधाएं उस आदमी को दीं। हिन्दुस्तान में कितनी ही जगह इस तरह के कारखाने बने हुए हैं, मैं समझता हूँ कि इस तरह के घी के कारखानों की हिन्दुस्तान में जरूरत नहीं है, उस तरह के कारखाने के सम्बन्ध में कितनी सुविधाएं दी हैं जिसके अन्दर जबरदस्ती कलेक्टर ने एग्रीकलचर लैण्ड जो व्यक्तिगत लोगों की हैं, उसको भी हड़प करके उस मालिक के सुपुर्द कर दी। इस तरह की सुविधाएं आज उस कारखाने के मालिक को दी जा रही हैं। तो मैं यह

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

पूछना चाहता हूं कि क्या यह किसी पक्षपात के आधार पर नहीं है ? लड्ढा साहब के वे दोस्त होने के कारण क्या ये सारी सुविधाएं उनको नहीं दी गई हैं ? मानसिंहका जो कि उनका लंगोटिया दोस्त है, जिसके साथ वे उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं ! जब वे चैयरमैन थे म्युनिसिपैलिटी के उस वक्त भी इन्होंने उसी आदमी को अपने मकान की हद में जो सड़क की जमीन थी वह ले लेने दी। आज भी आप जाकर देख सकते है कि उस मकान का लेवल और जितने दूसरे मकान बने हैं, कितना अन्तर है। उन मकानों के सामने कोई जमीन नहीं दी गई हैं और उसी आदमी को १५–२० बीघा (फीट) जमीन जो कि पी० डब्ल्यू० डी० की होनी चाहिए उस आदमी को देदी और मकान का घेरा सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया । इस तरह से बड़े आदमियों का पक्षपात लिया जाता है........

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : १५-२० बीघा जमीन दे दी तो वह मकान कहां है ?

श्री उमरावसिंह ढावरिया : १५-२० बीघा सुन गये जब कि मैं १५-२० फीट की बात कर रहा हूँ । यह मकान बिल्कुल स्टेशन के सामने है, सड़क पर मानसिंह-का जिसको कि आप अच्छी तरह से जानते हैं और आपका बगला भी उसी के बराबर बन रहा है....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मेरा बंगला नहीं, मकान होगा ।

श्री उमरावसिंह ढावरिया : मकान होगा, बंगला नहीं सही ।

दूसरी तरफ क्या हालत है ? किसानों की हालत के बारे में कहना चाहता हूं। सरकार कहती है कि हमने बहुत सारे एक्ट इस असेम्बली में पास किये हैं लैण्ड रेफॉर्म्स के बारे में । ये कहते हैं कि हमने बहुत सारी सुविधाएं किसानों को दी हैं। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस सदन में एक बार नहीं हजारों बार चर्चाएं हुई हैं कि जिन किसानों की जमीनें नहरों के लिए, सड़कों के लिए और किसी सरकारी काम के लिए अवाप्त की गई है, आज १०-१० साल से उन किसानों को मुआवजा, माननीय अध्यक्ष, नहीं दिया गया है । यह एक नहीं कितनी ही बार इस सदन के सामने सवाल आया है कि जिन पैसे वालों को इन्डस्ट्रीज के लिए पैसा दिया जा रहा है वह हम नहीं जानते हैं कि उसका पेमेंट वापिस भी होता है कि नहीं । उसकी स्कीम ही नहीं बनती है उसके पहले ही उसका पेमेंट हो जाता है । यह समाजवादी सरकार उस आदमी की स्कीम नहीं बनती है उससे पहले ही उसको पैसा दे देती है, लेकिन दूसरी तरफ़ जमीन को अवाप्त करने के बाद, उसको काम में लेने के बाद, १०-१० साल तक किसानों को पैसा नहीं देती है ।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने किसानों पर इस तरह के टैक्सेज लगाये हैं कि जो बारानी जमीन थी वह सिंचित होगई और सेटिलमेंट डिपार्ट-मेंट ने उस जमीन का लगान ४ रु० ६० पैसे बढ़ा दिया । जो पहले पीवल नहीं थी और पीवल भी थी तो आठ आने या एक रुपया

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

प्रति बीघा उस पर पिलाई लगती थी उसको चाही बनाकर ४ रु० ६० पैसे प्रति बीघे की पिलाई की उसकी रेट कर दी । इस तरह के काम हमारे किसानों के फेवर में इन्होंने किये । इस तरह की सरकार समाजवाद के आधार पर सोचने वाली सरकार अपने आपको कहती है ?

यही नहीं, माननीय अध्यक्ष, बैटरमेंट लेवी का काम किया गया है । चम्बल के इलाके में बैटरमेंट लेवी का काम जोरों से शुरू कर दिया है वसूल करना । मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं और आंकड़े भी इनके पास मौजूद हैं । जितने इलाके में चम्बल की नहरों से पानी पिलाकर वहां की जमीन को सिंचित करने की कोशिश की है, मैं कहना चाहता हूँ कि उससे ज्यादा जमीन वहां पर जो गलत तरीके से और साइन्टिफिक-वे से नहरें नहीं बनी हुई हैं उसके सीपेज से जो पानी इकट्ठा हो गया है, या दूसरे तरीकों से कहीं पानी इकट्ठा हो गया है, उसकी वजह से जमीनें खराब हो गई हैं । चार-चार साल से किसान उस जमीन पर खेती नहीं कर सके हैं, लेकिन कलेक्टर उन लोगों पर बैटरमेंट लेवी लगा रहे हैं । इसके अलावा वे लगान भी वसूल कर रहे हैं जब कि उन्होंने खेती नहीं की । यही नहीं, माननीय अध्यक्ष, मैं तो यही कहता हूँ कि यदि समाज, वादी सरकार होती तो उन किसानों ने इतने साल तक खेती नहीं की उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए था वह देती, लेकिन वह नहीं देकर यह समाजवादी सरकार उनसे लैण्ड रेवेन्यू जबरदस्ती वसूल कर रही है । यह भी हमारी सरकार का समाजवादी विचारधारा रखने का एक तरीका है ।

यही नहीं इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे इस राजस्थान के इस सदन में एक टीनेन्सी एक्ट हमने पास किया है । उस टीनेन्सी एक्ट की १५वीं धारा में साफ तौर से लिखा है कि अक्तूबर, १९५५ के पहले जिस जमीन के ऊपर जिस काश्तकार का अधिकार था वह जमीन उसके वापी हो जानी चाहिए । मैं माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय का भी और इस सरकार का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में लाखों ऐसे किसान हैं जिनके अधिकार में जमीन है, जिसके ऊपर वे खेती करते थे, अक्तूबर, १९५५ के पहले काबिज थे, उनको आज तक खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं । मैं रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय के सामने एक नहीं ५० बार इस बात को बता चुका हूँ कि जब ये भीलवाड़ा आये थे तब भी और उसके बाद में भी कसोलिया, जसोरिया ये गांव हैं....

श्री कुम्भाराम आर्य (राजस्व मन्त्री) : ५० बार की बात तो गलत है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ५० बार नहीं ५ ही समझिये, पर सही बात तो है ।

उन २०० किसानों को जिस वक्त हमें आजादी नहीं मिली थी तो जागीरदार रूपेली ने, जिसका उस जमीन पर कब्जा था, उसने उन लोगों को जमीनें दीं । उसके

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

बाद में १९५२ में वहां के पटवारी ने १०३ किसानों को वह सारी जमीन जो उनके नाम से थी उनको नापकर देदी, और १९६१ तक लगान इस सरकार ने बराबर वसूल किया, जिसके एक एक साल की लिस्ट उनके पास मौजूद है। उन १०३ किसानों को उस ५५० बीघा जमीन पर आज भी वहां के कलेक्टर, वहां के तहसील-दार, वहां के एस, डी. ओ. और यह सरकार खातेदारी अधिकार देने को तैयार नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ क्या किया है कि उन किसानों को बेदखल करने का हुकुम दे दिया है और ७५०० रु० उन पर पैनाल्टी के लगा दिये है। सिंचाई मंत्रीजी जसौरिया में गये तो एक मेमोरेण्डम वहां की जनता ने दिया था, परन्तु आज तक उन लोगों के बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई और दूसरी तरफ पूंजीपति लोगों के लिए यह सारी कार्यवाही होती है कि उनकी जमीनों को कैसे हड़पें और किसी तरह से काम चलायें।

इन सारी बातों को मैंने आपको थोड़े में बताया है। यही नहीं, मैं समझता हूँ कि समाजवाद उस देश के अन्दर और अच्छी तरह से कामयाबी से चलाया जा सकता है जहां सरकार को चलाने वालों का चरित्र बहुत अच्छा, पवित्र, ईमानदार और उज्ज्वल हो। अगर इन लोगों का जो कि राज्य के अधिकारी हैं, राज्य के बड़े बड़े, मैं समझता हूं, मिनिस्टर हैं चरित्र इस तरह का नहीं है, तो समाजवाद देश में कामयाब हो नहीं सकता।

आज दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी समाज-वाद जहां पर है यदि उनके यहां कोई भी सफलता प्राप्त हुई है तो उसका एकमात्र कारण यह है कि सरकार चलाने वाले आदमी बड़े चरित्रवान, अच्छे और जनता के हितों की रक्षा करने वाले हैं। हमारे देश में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हमारे यहां पर जितने भी सज्जन राज्य करने वाले हैं चाहे वे केन्द्र में बैठे हों, चाहे हमारे प्रांत में हों, चाहे हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों में हों उनका चरित्र प्रजातांत्रिक राज्य की स्थापना के बिल्कुल विपरीत है। उनका चरित्र भ्रष्ट है, वे अपनी जिम्मेदारी को निभाने लायक नहीं है, ऐसा हमारे यहां इन लोगों का चरित्र है।

इस सम्बन्ध में कितनी बातें इस सदन में रखी गई। हमारे मन्त्री-मण्डल के सदस्यों में से यहां आपने सुना होगा हरिदेवजी की जमीन का सवाल उठा था। एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब की जहां तक बात है उनके बारे में कल यहां पर कहा गया था, यदि वह बात सही है तो बहुत बुरी है। मेरे पास और भी छोटे-मोटे उदाहरण हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि वह जमीन उन्होंने अपने रिश्ते-दारों को दिलाई है और उनके खुद के पास भी जोधपुर में फार्म है। दूसरी जगह जहां पर वह रहते हैं, उनके भाई जहां रहते हैं वहां पर उन्होंने जबर्दस्ती जमीन पर कब्ज़ा कर रखा है। छोटी-बड़ी और भी बातें हो सकती हैं। मैं अभी जिस बात का जिक्र अभी सदन के सामने करना चाहता हूं यदि इस तरह के चरित्र के लोग, चाहे राजस्थान प्रांत में हों, चाहे दूसरे प्रान्त में हों, ऐसे लोगों के हाथ में राज्य की बागडोर रही तो यह राज्य एक दिन डूबने वाला है। उसके साथ भग-

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

वान नहीं करे इनके कर्मों से हमारी हालत खराब हो जाय। हमारे यहां कैसे कैसे मिनिस्टर मौजूद हैं उनका हाल मैं बताना चाहता हूं।

हमारे यहां पर एक बहुत बड़ा केस हुआ। उस केस के बारे में आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा। वह अखबार मेरे पास में है, यह 'राष्ट्रदूत' है जिसके आखिरी पन्ने पर एक फैसला आपने देखा होगा छगनलाल गोदावत पर २५ लाख रुपयों का जुर्माना। मैं इस बारे में सदन के माननीय सदस्यों के सामने और, अध्यक्ष महोदय, खास तौर से आपके सामने एक ऐसी चीज रखना चाहता हूँ जिसके पीछे कितना घृणित कार्य है। हमारी कांग्रेस, पी. सी. सी. और हमारे चित्तौड़ जिले की कांग्रेस कमेटी के मेम्बरों ने और खास तौर से मुख्य मन्त्रीजी ने यह कार्य किया है और उसके लिए किया जिस देवता को ये कांग्रेस वाले ही नहीं बल्कि हम लोग भी उनके व्यक्तिगत चरित्र के लिए तारीफ करते हैं, सारे हिन्दुस्तान ने तारीफ की है। उन लालबहादुरजी शास्त्री को सोने से तोलने के लिए बात-चीत की। उसके बारे में मैं एक एक डिटेल तारीखवार आपके सामने रखना चाहता हूं। वह केस ही नहीं रखना चाहता बल्कि, अध्यक्ष महोदय, आपसे और सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह केस नाथद्वारा कांड से कम नहीं है, जिस नाथद्वारा केस की जुडिशियल इन्क्वायरी बैठाई गई थी उसी तरह से इस केस को सुनने के बाद इसकी भी जुडिशियल इन्क्वायरी बैठाई जाय और जो कुछ मैं कह रहा हूं उसको मैं अकेला साबित करके दिखाऊंगा। मुख्य मन्त्रीजी, वहां के एम. एल. ए., एम. पी. और छोटी सादड़ी के चेयरमेन ने इस तरह का घोटाला सारे कांड में किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि हिन्दुस्तान के एक्साइज डिपार्टमेन्ट ने हमारी छोटी सादड़ा, जो इस प्रांत के एक हिस्से में है, वहां पर श्री छगनलाल गोदावत, जो करोड़पति हैं, उनके घर पर एक रेड किया और उनके वहां से बहुतसारा सोना बरामद करने की कार्यवाही की। मैं इस सारी कार्यवाही के डिटेल्स आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि वह किस्सा इस तरह का हो कि दो चार सौ का मामला हो या हजार दो हजार का या लाख दो लाख का मामला हो तो हम समझ सकते हैं कि कोई तथ्य की बात नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ३ जून, १९६५ के रोज नीमच और छोटी सादड़ी में सेन्ट्रल एक्साइज के लोगों ने उनके घर पर छापा मारा। पहली बार के छापे में साढ़े तीन किलो, २ किलो ९९७ ग्राम सोना उनकी औरत लक्ष्मीबाई, छगनलालजी की वाइफ, के शरीर से उतरवाया और साढ़े तीन किलो सोना उनके घर से बरामद किया। उसके बाद १४४० ग्राम सोना छगनलालजी की माता के पास से और १०९ ग्राम सोना छगनलालजी की दूकान से छोटी सादड़ी में सेन्ट्रल एक्साइज के लोगों ने प्राप्त किया। ११ अगस्त, ६५ को १७५ किलो २०० ग्राम नीमच से प्राप्त किया और २९ जुलाई, ६५ को दिन के २ बजे १०९८ में गिन्नियें जो २२ कैरेट सोने की थीं उनके वहां से बरामद कीं जिनके ऊपर किंग एडवर्ड, किंग जॉर्ज और विक्टोरिया की छाप थी। इनका वजन १ क्विन्टल

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

और २७।। किलो ग्राम था। यह सोना उन्होंने छगनलालजी गोदावत के घर से बरामद किया था। उसके बाद यह सोना जिसके बारे में फैसला आया है २४० किलो ग्राम सोना जो उनके पास था उसका फैसला कल शाम को दिल्ली में हुआ है और फैसला यह हुआ कि उस पर २५ लाख रु. का जुर्माना कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी सी बात कह देना चाहता हूँ कि श्री मुरलीधरजी व्यास ने जो बात पूरी उनकी जानकारी में नहीं थी वह कही थी उसके बावजूद किया है। यह उसी का नतीजा है कि कल का कल ही फैसला हुआ। मैं तारीख बता सकता हूं कि जितनी बार मुकदमे में सेठ को बुलाया गया, उसके वकील को बुलाया गया, ८ महीनों से वे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं फिर भी उसका फैसला इतने दिन नहीं हुआ और कल बिना सेठ के दिल्ली में होते हुए और बिना उसके वकील के वहां पर होते हुए यह फैसला २५ लाख की कीमत के सोने को जब्त करने का क्यों हुआ, उसके पीछे एक रहस्य है। उस रहस्य के पीछे एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उस सेठ का लड़का गुणवंतलाल टेलीफोन द्वारा यहां बुलाया गया और कल सारी रात वह वहां पर था और आज सुबह जीप में बैठ कर वापिस चला गया; इसका कारण क्या है जो यह इस तरह की बात हो रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि गुणवन्तलाल २५ रोज से छोटी सादड़ी और नीमच में नहीं है ...

श्री अध्यक्ष : क्या इससे राज्य सरकार का संबंध है, यह सारा किस्सा बता रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। आपने समय काफी ले लिया है संक्षेप में कोई मुद्दे की बात हो तो कहिये।

श्री उमरावसिंह ढावरिया : सरकार के साथ इसका क्या संबंध है, सोना बरामद हुआ है तो यह कानून के अर्न्तगत आ सकता है फिर हमारी सरकार का इससे संबंध है वह बताना चाहता हूं। हमारी सरकार का जो संबंध है वह यह है कि चित्तौड़ के जिलाधीश ने इतनी चांदी इसके साथ बरामद करके अपने पास रख रखी है और उसके लिये कहते है कि ट्रेजर ट्रोव एक्ट के अनुसार ऐसा किया हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि वह एक्ट उस चीज पर लागू हो सकता है जो धन जमीन में गड़ा हुआ हो, जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं हो, वह निकाले तो ट्रेजर ट्रोव एक्ट के अन्तर्गत आ सकता है, लेकिन यह मामला ऐसा नहीं है। कलेक्टर ने बताया कि यह निकाला, इतना निकाला लेकिन मैं आपको तारीखवार बताना चाहता हूं, १४-६-६५ को ५ बड़े चांदी के पॉट् निकाले जिनका वजन ३० किलो, ३५ किलो और ३५ किलो ६०० ग्राम क्रमशः था और चौथे पॉट का वजन ३५ किलो ६०० ग्राम और पांचवें का ३४ किलो ३०० ग्राम था। उसके बाद एक और निकला जिसका वजन ६५ किलो ७०० ग्राम था, इसके अलावा और भी टुकड़े निकाले जिनका वजन २२५३.५ किलो था। इसके अलावा एक टुकड़ा चांदी का और निकला। जो टुकड़े चांदी के वहां पर निकले उनको चित्तौड़ के कलेक्टर ने अपने पास रख लिया है। मैं नहीं समझता कि इनको रखना कानून के तहत ठीक है या और किसी के जोर तहत ठीक है। फिर उन्होंने ट्रेजर ट्रोव का उनके ऊपर मुकदमा चलाया है और अब तक उसकी चौदह पेशियां

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

पड़ी है और इन चौदह पेशियों के अन्दर एक बार भी आपके एडवोकेट जनरल जाकर पेश नहीं हुए हैं, आपकी तरफ से जाकर किसी ने भी पैरवी नहीं की है; इसलिए एक एक करके चौदह पेशियां बदली गई कि गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव हाजिर नहीं है । तो इस प्रकार यह पेशियां बदल दी गई, अब वह चांदी कितनी है यह भी मैं बता देना चाहता हूं २–८–६५ को ७७०, ३–८–६५ को ६०२, २५०, ७–८–६५ को ४७, २६. २२०, ८–८–६५ १३–८–३५ को १६ बोरे सिक्के को २२४३.२५०, जिसके अन्दर चांदी के ६५४८.५० ग्राम जो कि मुगल बादशाह के हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! यह तो सब ठीक है, लेकिन आप स्वयं जानते हैं समय सीमित है । आप यह बतायें कि इसमें क्या अनुचित है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वही मैं बताना चाहता हूं, अध्क्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : कब बतायेंगे । आपने आधा घण्टा तो बिता दिया ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वही बता रहा हूं कि यह चीज आखिर क्यों हुई ?

श्री अध्यक्ष : आप कुल तौल बता दीजिये । आप एक एक का बजन बतायें इससे क्या मतलब है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस सेठ ने जब राइटिंग में बताया है और कहा कि मेरा धन है, उस पर भी इस सम्बन्ध में ट्रेजर ट्रोव का मुकदमा चलाया जाय और कलेक्टर एक के बाद एक पेशी रखे, फिर इतनी पेशियां होने के बाद भी उसको उसका धन न दें तो एक ही प्रश्न सामने उपस्थित होता है; (ट्रेजरी बैंचेज से) आप इसको कैसे भी लाइटली लें, कैसे भी लें, लेकिन इससे यह बात साबित होती है कि आप एक तरफ गलती करते हैं और दूसरी तरफ उसको मंजूर भी नहीं करते ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब इतनी चांदी निकली तो उस पर ट्रेजर ट्रोव के अन्तर्गत मुकदमा चलायें तो आप कहते हैं उसको लेकर बैठे हैं और अगर देते छोड़ तो कह देते कि इतनी चांदी की बात थी उसका कुछ ले लिवा कर छोड़ दिया । जसे सोने की बात थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला कर देती है कि आपके कहने से वह फैसला कर देती है तो आप कहते हैं कि आपके कहने से यह फैसला कर दिया है । आखिर इसमें हमारा क्या कसूर है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया आपका क्या कसूर है, वही बता देना चाहता हूं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह आप बतायें ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सेठ ने और उसके मुनीम ने हमारे मुख्य मंत्री को कहा, जब वह ६ तारीख को पधारे थे, जब कि वह चित्तौड़ में आये थे उस वक्त कलेक्टर, उदयपुर के वहां थे, वहां एस० पी० उदयपुर के थे, और एक मिनिस्टर, जो उदयपुर डिवीजन के हैं, उनके साथ थे–कि यह किसी

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

कानून में नहीं आता है इसलिए यह चांदी हमको दिलवा दीजिये । तो उसको मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि पांच लाख रुपया चन्दा दीजिये तो यह किया जा सकता है । मैं यह कहना चाहता हूं, (ट्रेजरी बैंचेज से) आप इसको हंसी में लेकर भले ही टाल दीजिये,....

श्री चन्दनमल वैद (यातायात मंत्री) : इसके अन्दर दलाल आप थे ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चांदमल नाहर, जो छोटी सादड़ी के चेअरमैन हैं, वहां थे । और इसका पता तो तब लगेगा जब किसी सिविल जज को अपोइन्ट करके जुडिशियल इन्क्वायरी इस मामले के अन्दर करायें । तो यह केस मैंने आपको बताया, अब मैं दूसरा केस सदन के सामने रखना चाहता हूं ....

श्री रामकिशन : दूसरा मामला बहुत गम्भीर है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : और वह यह है कि इस सारे दौरान एक बात हुई, जितने सोने की बरामदगी बताई सेन्ट्रल एक्साइज़ द्वारा, तो इसमें एक बात यह हुई कि सेन्ट्रल एक्साइज़ वाले सोना बरामद कर रहे थे तब ५१ ईंटें थीं और उसमें एक एक ईंट तीन तीन किलो की थी । वह ५१ सोने की ईंटें उस सेठ का लड़का गणपतलाल नाम के एक व्यक्ति को दे देता है ताकि वह सोने की ईंटें पकड़ में न आयें । उस व्यक्ति को उसने कहा कि यह तुम अपने पास रख लो और वह ईंटें उसके सुपुर्द कर दीं । तो वह ईंटें सुपुर्द करने के बाद, कुछ दिन के बाद, जो सेठ का लड़का था और जो सेठ का वकील था– उन्होंने गणपतलाल को कहा कि ५१ सोने की ईंटें वापिस दो जो तुम्हारे पास हमारी अमानत के रूप में थीं । तो वह इन्कार कर देता है और कह देता है कि मेरे पास सोने की ईंटें नहीं रखी थी । तब सवाल यह पैदा होता हैं कि ५१ सोने की ईंटें इस गणपतलाल से किस प्रकार बरामद की जांय । उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, नाथूरामजी, जिस तरह आप हिम्मत से पहले खड़े हुए, उसी तरह अब फिर खड़े हो जाना और मेरी बात का जवाब देना । उन ५१ सोने की ईंटें के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जब सेठ के लड़के ने इस बात की कोशिश की कि सोने की ईंटें बरामद हों और इसके लिए एफ० आई० आर० दायर की चितौड़ के पुलिस अधिकारियों के पास और उन्होंने ५१ सोने की ईंटों को बरामद करने की कार्यवाही कराई, उस वक्त होता क्या है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ९ तारीख को चित्तौड़ के अन्दर मौजूद रहते हैं । नौ तारीख को इनके साथ में एक मिनिस्टर साहब और भी रहते है, इसके अलावा एक कांग्रेस के एम० पी० साहब भी रहते हैं और चांदमल, जो छोटी सादड़ी के चेयरमैन हैं, वह भी चित्तौड़ में मौजूद रहते है । उसके बाद सुबह ग्यारह बजे कलेटर द्वारा वहां के एस० पी० और कुछ लोगों को भेजा जाता है नीमच और गुणवन्तलाल को कहा जाता है कि तुम्हें बुलाया है चीफ मिनिस्टर साहब ने चित्तौड़ । वह गुणवन्तलाल अपने वकील के पास जाता है और वह अपने वकील से परामर्श करता है । तो उसका वकील कहता

(श्री उमरावसिंह डाबरिया)

हैं कि तुम जाओ, मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसके बाद गुणवन्तलाल चित्तौड़ आ जाता है। उनको चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि ५१ सोने की ईंट गणपतलाल ने ले ली थी उसमें वहां के बलवन्तसिंह, जिसका मर्डर यू. पी. में हुआ था, वह भी शामिल था, हीरालाल भी शामिल था और एक व्यक्ति और था–यह चारों व्यक्ति उसमें शामिल थे, जो चित्तौड़ में उपस्थित थे। तो हमारे मुख्य मंत्रीजी कहते है कि तुम एफ० आई० आर० दायर कर दो कि गणपतलाल ने मेरी इतनी सोने की ईंटें, जो एक एक तीन तीन किलो वजन की थी, ले ली हैं और वह वापिस नहीं देता है। यह एफ० आई० आर० दे दो। वह गुणवन्तलाल इस बात को सुन कर नीमच अपने वकील के पास फिर जाता है और वहां जाने के बाद करीब साढ़े छः बजे लौट कर चित्तौड़ आता हैं। चित्तौड़ आने के बाद मुख्य मंत्रीजी से उसके वकील ने भी परामर्श किया कि क्यों साहब, यह क्यों करना चाहते हो। इस मामले के अन्दर तो ४०६ का मुकदमा बनाना चाहिए, एस० नी० को मुकदमा बनाना चाहिए; हमें इससे क्या मतलब है। तो फिर मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि तुम एफ० आई० आर० मुझे लिख कर दे दो। यह वकील का कथन हैं कि एफ० आई० आर० लिख कर मुख्य मंत्री को सात बज कर कुछ मिनिट पर चित्तौड़ के अन्दर उस सेठ के वकील, रणजीतसिंह ने लिख कर दे दी। उसके बाद उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पुलिस ने क्या कार्यवाही की, कलेक्टर ने क्या कार्यवाही की–इस सबमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। होता यह है कि वह तो एफ० आई० आर० देकर चले जाते हैं। उधर ४४ सोने की ईंटे हैं, ५१ सोने की ईंटें जिनके बारे में वहां जिक्र हुआ था, उसमें से सात ईंट वह गणपतलाल काट–पीट कर देता है और ४४ सोने की ईंट रहती हैं उनको ११ तारीख को लेकर वह जयपुर में आता है एक जीप में। अगर एफ. आई. आर. दर्ज की थी तो उन सोने की ईंटों को उसी वक्त में बरामद कराया जाना चाहिए था और गणपतलाल, जो वहां था, उसको पकड़ा जाना चहिए था। लेकिन चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इन ४४ सोने की ईंटों को लेकर जयपुर में आ जाओ। वह जयपुर में आया और यहां आने के बाद साढ़े चार बजे पी० सी० सी० के ऑफिस के अन्दर पी० सी० सी० के उस वक्त के अध्यक्ष, हरिदेव जोशी ने टेलीफोन करके पी० सी० सी० के कुछ कार्यकर्त्ता मेम्बरों को पी० सी० सी० के ऑफिस में बुलाया और उनसे एक प्रस्ताव पास कराया गया कि गणपतलाल, जो चित्तौड़ का रहने वाला है, लालबहादुर शास्त्री को सोने से तोलेगा। आप देख सकते हैं कि ११ दिसम्बर को ऑल इंडिया रेडियो से जो सात बजे प्रान्तीय न्यूज प्रसारित की जाती है, उसमें यह पहला आइटम था कि चित्तौड़ का नागरिक नेता लालबहादुर शास्त्री को सोने से तोलेगा। इसके बाद आपका जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, जो खबरें देता है राजस्थान की, उसने प्रेस नोट भेजा है। मैं पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह गणपतलाल, जिसके द्वारा यह सोना दिया गया, जिसके नाम से लालबहादुर शास्त्री को तोलने की बात की गई, इस गणपतलाल की आर्थिक हालत

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

क्या है ? उसकी हालत यह है कि उसके पास सुबह खाने को है तो शाम को खाने को नहीं है। ऐसी हालत उसकी नहीं है कि वह किसी तरह से लालबहादुर शास्त्री को, जिनका वजन ४४ किलो से भी ज्यादा था, तोलने के लिए ४४ किलो सोना कहां से ला सकता था। अगर आप पसन्द करते है कि चोरी के सोने, जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर के पर्जेशन में है, जो कलेक्टर चित्तौड़ के ध्यान में है, जो एस० पी० के ध्यान में है, मिनिस्टर के ध्यान में है और जो चोरी करने वाला है इसके पास है, उस चोरी के सोने से हमारे पूज्य लाल बहादुर शास्त्री को तोलना चाहते थे, और वह भी इसलिए कि जिससे आपके व्यक्तिगत नाम ऐसा समाचार फैल जाय हिन्दुस्तान में कि हिन्दुस्तान में राजस्थान के अन्दर लालबहादुर शास्त्री को सोने से, चोरी के सोने से तोला है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उनको भले ही सोने से तोलें, उसमें हमें कोई एतराज नहीं हो सकता। पर, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वह ४४ ईंटें सोने की, जो एक एक तीन तीन किलो की थी, वह छः दिन पी० सी० सी० के ऑफिस में पड़ी रहीं। उसके बाद उसमें से एक एक किलो के पीसेज

(१·००म.प.)

काट लिए गये जो तीन तीन किलो की ईंटें थी और उनमें से ४४ किलो सोना अलग रखा और ८८ किलो सोना अलग रहा और उसमें से ६ किलो एक जगह और ६ किलो दूसरी जगह से बरामद हुआ ! दूसरा सारा सोना मैं पूछना चाहता हूं पी० सी०सी० के अध्यक्ष से और मुख्य मन्त्रीजी से और दूसरा पी. सी. सी. के सदस्यों से जो वहां थे उनसे कि वे बताएं कि वह बाकी का सोना कहां है ?

(विराम)

वह बाकी का सोना कहां चला गया ? और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त रणजीतसिंह, जो वकील हैं उन्होंने ७ बजे का रेडियो सुना तो उन्होंने और चन्दनमल जी नाहर जो छोटी सादड़ी के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि मैंने तो ४०६ का मुकदमा दायर किया है और आप कौन से सोने से तुलवा रहे हैं और यह अनाउन्समेंट किया गया है ? चीफ मिनिस्टर साहब से टेलीफोन से बात की और मैं यह कहना चाहता हूं कि १।। बजे तक बराबर टेलीफोन से बात चीत चलती रही। चन्दनमलजी नाहर से मुख्य मन्त्री ने और बाद में आई. जी. पी. ने उनसे बात की और बाद में चीफ मिनिस्टर को मालूम हो गया कि ४०६ का मुकदमा दायर कर दिया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ४४ किलो एक एक ईंट में से काटा गया वह सादड़ी के रास्ते में एक गांव है उसके एक खेत में एस. पी., कलेक्टर, गनपति-लाल और एक एस. पी. का पर्सनल नौकर और एक कलेक्टर का पर्सनल नौकर था, एक खेत में पहुंचते हैं और जोर से हल्ला करते हैं कि सोना बरामद हो गया; सोना बरामद हो जाय और वहां पर वह ४४ किलो सोना उन पांच आदमियों ने बरामद किया और रात को ६ बजे उसको लेकर चित्तौड़ कलेक्ट्री में आये। वकील वगैरा थे उनको वहां पर बुलाया गया। उसको बरामद करके और सील करके रखा और आज भी वह चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर के पास है।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

मैं यह कहना चाहता हूँ कि चोरी करने वाला मौजूद, एफ. आई. आर. चीफ मिनिस्टर ने लिखवाई और अपने हाथ में ली और दूसरी तरफ आप चोर की तरफ से यह अनाउन्स करते हैं कि यह श्री लालबहादुर शास्त्री को सोने में तोलेगा और बाद में आपने वह सोना तीन किलो की ईंटों में से काटा था वह बरामद कर लिया। बरामदगी के वक्त में कोई पंचनामा नहीं कराया। खेत में कोई खड्डा नहीं था। एक थेली में ४४ टुकड़े पड़े थे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैंने जो यह बात कही है और बहुत जोर से कही है कि एक किलो काटने के बाद में बताया कि यह ४४ किलो बरामद हुआ। बाकी का सारा सोना चीफ मिनिस्टर के पास है। पी०सी०सी० के मन्त्री के पास है। अगर यह बात सही नहीं हो तो नाथूरामजी खड़े हो कर कहें कि यह सही नहीं है। हम इसके लिए जुडिशियल इन्क्वायरी बिठाने के लिए तैयार हैं। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो मैं इस बात को साबित करने के लिए तैयार हूं।

एक मध्यप्रदेश में कत्ल हुआ, बलवन्त सिंह का कत्ल हुआ। उसमें कहा गया कि एक राजस्थान के मंत्री ने कत्ल करवानवाले को बचाया है और वे हैं हमारे राजस्थान के मंत्री श्री अमृतलालजी यादव। आप उस ९ तारीख को जब एफ०आई०आर० किया गया उस समय ये भी चित्तौड़ में वहां चीफ मिनिस्टर के पास मौजूद थे। अगर इस में कोई डाउट हो तो आप वहां पर सर्किट हाउस में आप के बिल देख लें। टी.ए. और डी.ए. के बिल देख सकते हैं। आप उनको देखलें तो आप को मालूम हो जाएगा कि आप ९ तारीख को वहां थे और इसलिए ये सारी कार्यवाही उन्होंने अपने द्वारा करवाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या लालाबहदुर शास्त्री को तोलने की हिम्मत और हैसियत है भी? अगर हैसियत नहीं है तो आप कहें कि यह क्या बात है? क्यों यह सारा ढोंग रचा गया? और मैंने यह बात आपके सामने क्यों कही? जो भी कुछ है, मैं भी कार्यवाही और आगे भी करूंगा। लेकिन जो काम राजस्थान सरकार के ताल्लुक का है चित्तौड़ के चाँदी और सोने का और उसके पीछे सारी कार्यवाही हुई उसमें मुख्य मन्त्री और मन्त्रियों का ताल्लुक है, उसके खिलाफ जुडिशियल इन्क्वायरी बिठाई जावे तो यह सारी बातें मालूम होंगी। वह सेठ और मुनीम है। जो बलवन्तसिंह मरे हैं उन मारनेवाले को छुडाने के लिए हमारे मंत्री श्री अमृतलालजी यादव गये। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उनको क्यों मरवाया गया। उसका कारण यह था कि बलवन्तसिंहजी ने कह दिया कि जो चीफ मिनिस्टर थे उसमें शामिल थे और उसके लिए मैं गवही दूंगा और इस कारण से उनको जान से मार दिया गया। और मारनेवालों को बचाने के लिए गये हमारे मन्त्री अमृतलालजी। एक जीप उनको लेने के लिए गई। आप इस प्रकार के कारनामें करें और उसके बाद

Page No. 49

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

आप यह कहें कि समाजवादी सरकार है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह लुटेरों की सरकार है।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : और जो दूसरे हमारे मन्त्री हैं उन पर चीफ मिनिस्टर का हाथ है। वे हैं रामप्रसादजी लड्ढा, जो देवस्थान के मन्त्री थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हू कि भीलवाड़ा में चारभुजाका मन्दिर है, उसके नीचे ९ दूकानें हैं। उन दूकानों को सोहनलालजी नाम के वकील हैं जो वहां पर किसी ट्रस्ट के सेक्रेट्री हैं उनको ये ९ दूकानें, जिसकी कीमत करीब १।। लाख रु० है उनको उन दूकानों को ४,४४५ रु० में बेच दी और उसका रजिस्ट्रेशन उनके नाम करवा दिया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वह यह कि एक रामचन्द्रजी का मंदिर है वहां पर रामसहाय या कोई व्यक्ति रसोई बनाता है, भोग बनाने वाला आदमी है, उस आदमी को हमारे मिनिस्टर साहब ने अपने यहां तीन साल से रसोई बनाने के लिये रखा है। वह मंदिर में ठाकुरजी की रसोई न करके हमारे मंत्रीजी रामप्रसादजी लड्ढा के परिवार वालों के लिए रसोई बनाता है और राज्य से वेतन प्राप्त करता है।

श्री मुरलीधर व्यास : आज कल के देवता तो ये ही हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ये ही रामप्रसादजी साहब लड्ढा जो पहले वकील थे और जिस समय ये वकालत करते थे तब उनके खिलाफ मैंने कई प्रूफ रखे हैं। ये ४२० हैं, झूठी गवाही दिलाते हैं। इनके एक दोस्त हैं, चैनसुखजी अजमेरा। मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, आप खुद इससे सेटिसफाइड हो जावेंगे, इसको सुनने के बाद कि इनके डिप्टी मिनिस्टर होने के बाद जितने भी माइन्स के मुकदमे आये वे चाहे जोधपुर के हों, चाहे जयपुर के हों या बीकानेर के हों या भरतपुर के हों या गंगानगर के हों या भीलवाड़ा के हों, इन मालिकों की तरफ से कौन पैरवी करने के लिये उनके सामने मुकदमों में जाता था? वही चैनसुखजी अजमेरा जाते थे और १०० मुकदमों में से ८० मुकदमों में ये ही जाते थे और बाकी एक भीलवाड़ा के रहने वाले हैं वे एपीयर हुआ करते हैं। इसका खास कारण यही था कि उपमंत्री महोदय उनको पैसा दिलाना चाहते थे। १०० में से ८० परसेन्ट केसेज चैनसुखजी के फेवर में फैसल होते और बाकी दूसरों के। इसके अतिरिक्त भीलवाड़ा में नाथानी एण्ड कम्पनी है जिसके अन्दर से उन्होंने १० हजार रुपया लिया है....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : ये बिल्कुल फॉल्स एलिगेशन्स हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस समय इनडिविजुअल एलिगेशन्स लगाते हैं तो उसके लिये पहले नोटिस देना चाहिये...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह अविश्वास का प्रस्ताव बहुत बड़ा नोटिस है।

Page No. 50

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह आपका भांडा फोड़ने के लिये ही तो है।

(शोरगुल)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं चैलेंज करता हूं इस बात को........

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका चेहरा बता रहा है ...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप शौक से....

(शोरगुल)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं आपको बता सकता हूं कि उनकी रोकड़ पाने १५ पर मार्च में है. उसको आप देख सकते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : (अश्रव्य)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं इसको चैलेंज करता हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जुडिशियल इन्क्वायरी बिठावें तो साबित कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो कहा है वह उचित है। जिन तथ्यों का किसी फाइल से संबन्ध हो उसके बारे में नोटिस दे दें तो यह आपके स्वयं के हित में है और उसका निराकरण हो जावे आप केवल यह कर छोड़ना चाहें तो आपकी मर्जी है, पर सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिये यह उपयुक्त होगा कि आयन्दा माननीय सदस्य इस प्रकार की व्यक्तिगत घटनाओं के सम्बन्ध में बोलें तो मुझे या माननीय सदस्य को जिन पर कि व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं, उनको नोटिस दे दें, तो मैं समझता हूं स्पीच प्रोपर रहगी। हमारे नियमों में भी इस ही प्रकार का प्रावधान है कि व्यक्तिगत आक्षेपों की पूर्व सूचना दे दी जाय ताकि सदन में तथ्यपूर्ण स्थिति आ सके।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अविश्वास प्रस्ताव बहुत बड़ा नोटिस है।

श्री अध्यक्ष : ढाबरियाजी काफी तेज आवाज में बोल सकते हैं, किसी की मदद की उनको आवश्यकता नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, आपने आज्ञा दी है उसको मैं मानता हूं पर आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इन्हीं माननीय सदस्य के बारे में मैंने इस सदन में दो-तीन साल पहले एक मसला उठाया था कोठियों की जमीन के बारे में, रघुनाथसिंह मानसिंहका की जमीन के बारे में आपको लिखकर दिया था और ये झूठ बोल गये कि कोई कार्यवाही नहो चल रही है, जब कि इन्होंने एक कांग्रेसी को चिट्ठी लिखी उसमें लिखा कि विचाराधीन है, वह चिट्ठी मेरे पास मौजूद है। अब और क्या लिखूं ? जो झूठी इस प्रकार की बातें कहें उस पर सदन में आप एक्शन नहीं लें तो मैं क्या लिखकर दू ? एक बार झूठ कहें तो मान लें, दूसरी बार कहें तो मान लें पर जो बार-बार झूठ कहे उसको कैसे मान लें ?

श्री अध्यक्ष : कौन झूठ बोलता है, कौन नहीं बोलता है....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह साबित है, इन्होंने लिखकर दिया है एक कांग्रेसी को....

श्री अध्यक्ष : झूठ कहने से कोई निराकरण नहीं हो सकता, उसके लिये तथ्य रखें, पूर्व सूचना दें ...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने आपको लिख कर दिया था....

श्री अध्यक्ष : मेरा नाम घसीटने की कोशिश न करें, मुझे लिखकर देते तो मैं बोलने की अनुमति देता। आपको बोलने का अधिकार है, पर व्यक्तिगत आक्षेपों के बारे में लिखित में पूर्व सूचना देनी चाहिये।

आप अब जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं पांच मिनिट लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपके कई पांच मिनिट हो गये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जो बातें मैंने सदन में कही हैं उनमें तारीख, समय और घटनाओं का जिक्र किया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : सोने के बारे में ....

(शोरगुल-व्यवधान)

मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि मुझसे चैलेंज किया था सोने के बारे में, जैसे दादीजी बच्चों को कथा सुनाती हैं उसी तरह की कथा कह दी। सोना एक सेठ के पास था, इसमें मैं जो समझा वह है कि एक आदमी सोने में तुलवाना चाहता था, जिनके पास सोना तोलने को रखा था उन दोनों में झगड़ा हुआ और सोना चांदी बाहर आ गया। सोना-चांदी बाहर आने से जहां पड़ा है, पड़ा है। आपने कहा, कि पी. सी. सी. में सोना तोलने के लिये आया और सोना सुखाड़ियाजी के पास, कुछ पी. सी. सी. के पास और कुछ सेक्रेटरी के पास रह गया। मैं चैलेंज करता हूँ कि वह सोना पी. सी. सी. में, जयपुर में या सुखाड़िया-जी के सामने आया हो तो साबित करें, आपकी बातों में तथ्य हो तो कहना वर्ना आपकी सब बातें झूठ, तथ्यहीन और बेबुनियादी हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं साबित करूंगा कि यह सोना यहां जयपुर में आया है। आपने किस आधार पर कहा कि लाल बहादुर शास्त्री को सोने से तोला जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके बोलने का मतलब यह है कि इतना बड़ा सोना चांदी का जखीरा बाहर आया वह दूसरों को मिला या नहीं मिला, पर चुनाव के लिये आपको मिल जाय।

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मन्त्री) : प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लेकर चैलेंज किया है....

(शोरगुल-व्यवधान)

(श्री हरिदेव जोशी)

माननीय सदस्य झूठ कहते हैं...

(शोरगुल)

गलत कहते हैं....

(शोरगुल व्यवधान)

सदन को गुमराह करने की कोशिश करते हैं।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय को उत्तर देना हो तो दीजिये, पर इस तरह बहस में...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये बीच में कैसे बोल गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे उन्होंने नाम से कहा था इसलिये बोले।

श्री हरिदेव जोशी : We must say.

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते।

श्री हरिदेव जोशी : We will say. Definitely we will say.

श्री अध्यक्ष : माननीय डाबरियाजी आप भाषण समाप्त करें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मन्त्री महोदय क्या पूछ ताछ करते हैं। मेरे में अकेले में हिम्मत है इन १०५ को जवाब देने की।

नाथूराम जी ने कहा कि मैंने इसमें से सोना लिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : लिया है यह नहीं कहा। लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हिस्सा आ जाय।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ऐसे गुलामों की मैंने पैरवी नहीं की। तुमने की है। तुम उसके गुलाम हो। मैं पैसे वालों की पैरवी करता तो न मालूम क्या करता।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत)। On a point of order, Sir, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय कृषि मन्त्री जी ने अभी एक मोटिव माननीय सदस्य पर इम्प्यूट किया है कि वे जो कुछ यहां कह रहे हैं इस नीयत से कह रहे हैं कि और किसी को सोना मिला हो न मिला हो पर माननीय सदस्य को यह सोना उस बड़े सेठ से मिल जाय। मैं समझता हूं इस प्रकार का मोटिव इम्प्यूट नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार का मोटिव आप इम्प्यूट करते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप इसकी जांच के लिये एन्क्वायरी कमीशन बैठाइये। क्या इस प्रकार के मोटिव से माननीय सदस्य विधान सभा में बोलने के अपने बहुत बड़े अधिकार का उपयोग सोना प्राप्त करने के किये कर रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : बिल्कुल यही दिखता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह मोटिव प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावलि के खिलाफ है। इसलिये सदन की कार्यवाही से इसको एक्सपंज किया जाय ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कहा कि जो मोटिव्ज़ लगाये हैं उनको सदन की कार्यवाही से निकाला जाय तो यह सिद्धांत अगर सभी पर लगाया जाय तो श्री ढाबरिया जी की स्पीच आधी ही रह जायगी। मैं माननीय सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि इस तरह के आक्षेप लगाते समय सोचें कि किस परिधि में लगाने चाहिये, जिस तरह के तथ्य कहे जा रहे हैं वे ठीक हैं, उनको तथ्यों के द्वारा साबित कर सकते हैं। पर उससे आगे बढ़ जाते हैं तो आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति आती है। इसलिये मैंने पहले निवेदन किया था कि व्यक्तिगत आक्षेप लगाने हों तो पहले लिख कर सूचना दें, मुझे या जिनसे सम्बन्धित हों, ताकि जानकारी कर के सदन में तथ्य रखे जा सकें। इसलिए मैं तो यही निवेदन करूंगा कि यह बहस ठीक तरह से चल सके, सही तथ्य सदन के सामने आ सकें, इस तरह करें तो उचित होगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने इसी लिये सबसे पहले कहा कि प्रजातन्त्र और समाजवाद उसी प्रान्त में स्थापित किये जा सकते हैं जहां राज्य चलाने वाले चरित्रवान् और ईमानदार हों। जहां चरित्रवान् और ईमानदार नहीं हों, इनके जैसे हों, वहां अराजकता आ सकती है, दिन-दहाड़े हत्याएं की जा सकती हैं, किसानों को जमीन से बेदखल किया जा सकता है, मजदूरों को उनकी मांगों के लिए लाठी गोली दी जा सकती है, यहां के लोगों को पथभ्रष्ट किया जा सकता है, बेकारी बढ़ाई जा सकती है, जहां कि इस प्रकार के लोग हों। मैं तो फिर कहना चाहता हूं कि जो ट्रेजेरी बेंचेज़ पर बैठे हैं अगर ईमानदार हैं तो जो मैंने कहा है वे उस पर जुडिशियल एन्क्वायरी बैठायें। लेकिन ऐसे आदमी से नहीं कराएं × × × × × × × निष्पक्ष जुडिशियल इन्क्वायरी कराएं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जब तक ऐसे लोग हैं इस मन्त्री मण्डल में, हमारा उनमें कोई विश्वास नहीं है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो शब्द अभी इस्तेमाल किए हैं, वे सदन की कार्यवाही में नहीं होने चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी गैर-हाजिरी में बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने किसी सोने के मामले को लेकर मेरा उल्लेख किया एज़ पी० सी०सी० प्रेजीडेंट और कहा कि कोई सोना चोरी का था। क्योंकि मैंने सारी चीज सुनी नहीं है कि वह पी० सी० सी० में आया और उस सिलसिले में मैंने कुछ कहा। इसके लिए, अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर दूं कि माननीय सदस्य का यह सारे का सारा बयान एकदम बेबुनियाद और गलत है और बदनीयती से भरा हुआ है। इसमें मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि ऐसी कोई चीज मुझे सुनने में नहीं आई। सोना तो आया ही नहीं, बल्कि सुनने में भी नहीं आया। इसलिए मैं निवेदन करना

× × × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

(श्री हरिदेव जोशी)

चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा है, वह एकदम भ्रामक है, इस सदन को भ्रम में ले जाने के लिए है। बाकी जो कुछ मुझे कहना होगा, मैं उनके स्टेटमेंट को देखकर फिर जब मुझे अवसर मिलेगा, इस बारे में स्पष्टीकरण करूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : आॅल इंडिया रेडियो पर एनाउन्समेंट हुआ कि उनको सोने से तोला जायगा।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने आॅल इण्डिया रेडियो को इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया।

श्री मुरलीधर व्यास : रेडियो पर आया या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने इस तरह का स्टेटमेंट आॅल इण्डिया रेडियो को या प्रेस को नहीं दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : सोने से लालबहादुर शास्त्री को तोला जायगा, यह कैसे आ गया ? मुख्य मन्त्री ने दिया होगा।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने नहीं दिया।

श्री रामकिशन : (मुख्य मंत्री के खड़े होने पर) मुख्यमंत्री जवाब देना चाहें तो दो बातों का जवाब दें........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सोने से शास्त्रीजी को तोलने की बात आई, सोना कहीं और चला गया और बहुत सी बातें कही गई। मैं इसके विस्तार में न जाकर केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वह सोना पुलिस या कोर्ट की कस्टडी के अन्दर है और न पी० सी० सी० में आया है। सोने की शक्ल भी मैंने नहीं देखी कि कहां है। डिटेल्स बाद में बताऊंगा। इस प्रकार भ्रामक बातें कहने से लाभ नहीं होगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बाकी के टुकड़े कहां हैं ? मैंने भी कहा कि पुलिस ने ४० किलो बरामद कर लिया। लेकिन बाकी कहां है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बाकी का सोना कहां गया, उसका जब मैं परसों विस्तार से जवाब दूंगा तो जानकारी दे दूंगा। बाकी क्योंकि सोना चोरी में गया हुआ है, इसलिए पी० सी० सी० में आ गया या मोहनलाल सुखाड़िया के पास आ गया, मैं इतनी आशा करता हूं कि किसी आक्षेप को लगाते समय वास्तविकता का ध्यान रखें तो अच्छा होगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीमन्डल में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता आज किस प्रकार से आई हुई है, यह ऐसा विषय है जिस पर हर व्यक्ति विचार कर सकता है। कुछ दिनों के बाद आम चुनाव होंगे और आम चुनाव से ५ माह पूर्व किसी अविश्वास का प्रस्ताव का आना यह एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम यह महसूस करके चलते हैं कि राजस्थान की वर्तमान सरकार यदि आगे के

(श्री भैरोंसिंह)

५ महीने के लिए किसी प्रकार से उदासीन रही तो न केवल राजस्थान की बरबादी होगी बल्कि राजस्थान के सामने ऐसी समस्याएं भी पैदा हो जायेंगी जिनका निराकरण करना आसान नहीं होगा और इसलिए इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि सरकार को तुरंत अपदस्थ किया जाय और अपदस्थ करने के लिए एक अविश्वास का प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया जाय।

(१.२६ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में सबसे पहले राजस्थान की आर्थिक स्थिति क्या है, इसका चित्र सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगा ताकि कम से कम सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों को इस बात का पता लग जाय कि हम किस प्रकार से आर्थिक संकट में उलझे हुए हैं। माननीय सदस्यों को सुनकर आश्चर्य नहीं होगा लेकिन शायद जानकारी नहीं हो तो जानकारी के बाद उनको इस बात का अवश्य दुःख होगा कि आज राजस्थान सरकार का सब प्रकार का कर्जा मिलाकर ३॥ अरब का है। यह बहुत बड़ी बात है। १०० करोड़ का बजट, १०० करोड़ का हमारा आमदनी और खर्चे का हिसाब है। हमारे पास उतने एसेट्स नहीं हैं, हम जनता पर अधिक टैक्स लगा सकें इस प्रकार का सामर्थ्य जनता में नहीं है। ऐसी हालत में साढ़े तीन अरब का कर्जा मैं समझता हूं, राज्य सरकार और राजस्थान की जनता के लिए बहुत बड़ा संकट है। अभी संकट के निवारण के लिए यही व्यवस्था हो सकती थी कि राज्य सरकार ने जो कर्जे लोगों को दिए हैं, उन कर्जों की वह वसूली करती लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज अलग–अलग जो हमने एडवान्सेज लोगों को दे रखे हैं, वह एडवान्सेज भी १५१ लाख रुपए की बकाया में हैं। एक तरफ कर्जा लेते हैं प्लान चलाने के लिए, एक तरफ टैक्स लगाते हैं राज्य सरकार का खर्चा मीट करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार ने ऐसे एडवान्सेज १५१ लाख रुपये के जिसके लिए कई बार सदन ने तकाजा किया है, भारत सरकार ने तकाजा किया है, रिज़र्व बैंक ने तकाजा किया है, अभी तक इन एडवान्सेज को वसूल नहीं कर पाई है और इसके साथ-साथ यह कहना भी उपयुक्त होगा कि राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में जो इतनी बड़ी बकाया है, उसको भी राज्य सरकार वसूल नहीं कर पा रही है। वह बकाया भी लगभग १३ करोड़ रुपए की आज है (१३१९ लाख रुपए)। मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी बकाया अलग-अलग विभागों की क्यों रही है? राज्य सरकार के कानून हैं, अलग-अलग विभागों के कानून हैं। विभागों ने पी० डी० आर० के तहत, लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत अधिकार ले रखे हैं इन बकायाओं को वसूल करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार इनकी वसूली करने में कोताही कर रही है। इतना ही नहीं हमारी इन्कम के साधन भी इतने संकुचित हो गए हैं कि अभी तक जो कुछ इन्वेस्टमेंट किया है उसके अगेन्स्ट में किसी प्रकार का लाभ नहीं होता।

(श्री भैरोंसिंह)

४२ कम्पनियों में लगभग ५ करोड़ रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और ५ करोड़ की इन्वेस्टमेंट की अगेंस्न्ट, मैं समझता हूं, कम से कम ५० लाख रुपए साल में राज्य सरकार की आमदनी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में ५ करोड़ इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी हमारी इन्कम केवल ४।। लाख रुपए प्रतिवर्ष है और इन ४२ कम्पनियों में से १३ कम्पनियां ऐसी हैं जो आज से नहीं, राजस्थान के बनने से आज तक लिक्विडेशन में चल रही हैं। हम लिक्विडेशन की कार्यवाही को पूरा नहीं कर पाते। कुछ ऐसी कम्पनियां हैं जो बिल्कुल डिफंक्ट हैं, जिनके मालिकों और उनके एग्ज़िस्टेन्स का पता नहीं। राज्य सरकार की कोई सही स्थिति नहीं है। वसूली कैसे की जाय ?

तो ऐसा लगता है कि इन पांच करोड़ को सम्भालने की स्थिति में आज हमारी राज्य सरकार कतई नहीं है। इन वितीय मामलों में राज्य सरकार ने इतनी ढिलाई बरती है कि वह इतनी निन्दनीय है कि कितनी ही इसकी निन्दा की जाय। ६५–६६ में १७ मिलें ऐसी हैं कि ५६ लाख का अनुदान दिया उनकी रसीदें नहीं हैं। एक रुपये की रसीद न हो यह समझ में आ सकता है, हजार रुपये की रसीद न हो, यह समझ में आ सकता है, लेकिन ५६ लाख रुपये के अनुदान की रसीद न हों इससे बड़ी गम्भीर वित्तीय स्थिति और क्या हो सकती है ?

५६-६० से लेकर ६३-६४ के लिए सरकार के द्वारा योजनाओं के लिए कर्जा लिया गया। १६० लाख में से ७६ लाख रुपये ऐसा है कि उसका आज तक उपयोग ही नहीं हुआ। कभी किसी विभाग को और कभी विभाग को, ८ विभागों की कशमकश में उसका दुरुपयोग अवश्य हो रहा है। जल-प्रदाय योजना के लिए धनराशि का प्रावधान किया था उसके अन्दर खर्चा करने के लिए ६०-६१ से लेकर ६३-६४ तक फ्री फण्ड के नाम पर ४५ लाख रुपया रखा था, उसमें से ३१ लाख का उपयोग नहीं हुआ और १४ लाख के उपयोग करने के लिए डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं और डिपार्टमेंट उस रेस्पोन्सिबिलिटी को केरी आॅन करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा मानना होगा कि जिन मदों पर खर्चा करना चाहिए था उन मदों पर खर्चा नहीं किया गया, उसको दूसरी प्रकार से खर्च किया गया, उसका दुरुपयोग हुआ, प्रमाण-पत्र नहीं मिले। जिन कामों में उपयोग होना चाहिए था उनका उन कामों में उपयोग नहीं हुआ।

परिवार-नियोजन और तालावों के सम्बन्ध में हमने जितने लाख रुपयों की धनराशि निर्धारित की थी, सार्वजनिक स्वास्थ्य की या ग्राम स्वास्थ्य की, उन सब को मिला कर ७६ लाख रुपये ऐसे पड़े हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हुआ जब कि हम उनका उपयोग करना चाहते थे। इस प्रकार कई जगह पर मनी रुका हुआ पड़ा है। कुछ अधिकारियों के कब्जे में पड़ा है जिनको काम के लिए दिया होगा, उसके पास आज तक ब्लॉक पड़ा हुआ है, उसका काफी मात्रा में दुरुपयोग हुआ है।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा। आज यह साइन्टिफिक युग है

(श्री भैरोंसिंह)

साइन्टिफिक युग है। आज यह समझ कर चलते हैं कि साइन्टिफिक मेथड्स होंगे। राजस्थान में एकाउन्टिंग की दृष्टि से और राज्यों के मुकाबले कुछ नए-नए रास्ते डेवलप किए हैं। दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि लैटेस्ट पोजीशन जो राजस्थान की है उसके अनुपात में ५१३ मामले ऐसे हैं जिनमें २८ लाख का गबन हुआ है, आज जो कई कोर्ट्स में पड़े हैं, पुलिस विभाग में पड़े हैं। आप यह अन्दाज लगा कर चलें कि एक साल में एक करोड़ का टैक्स लगाया गया उसकी बरबादी इस प्रकार से होती है। राजस्थान में २८ लाख के गबन के मामले पेन्डिग हैं। २८ लाख के गबन के मामले पेन्डिग हों, हम यह समझ कर चलेंगे कि जनता पर सरकार जो टैक्स लगाती है उस रकम का उपयोग नहीं कर सकती, उसका उपयोग नहीं कर सकती उसके साथ-साथ उसके उपयोग का कन्ट्रोल नहीं कर सकती और उसका परिणाम यह निकला है कि एक साल में राजस्थान की जो लैटेस्ट पोजीशन है उसके अनुसार २८ लाख के गबन के मामले हमारे पास पड़े हैं। २८ लाख का गबन हुआ है। माननीय सदस्यों को यह जानकर बड़ा अफसोस होगा कि इतने बड़े राज्य में जहां राजस्थान की सरकार हो, जहां राजस्थान सरकार के अलग अलग विभाग हों, उसमें २८ लाख का गबन हो और, उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि पुलिस विभाग जो दूसरों के गबन के मामलों को रोकता है उस पुलिस विभाग में तीन लाख का गबन हुआ है। इससे यह पता लगता है कि राज्य सरकार के कन्ट्रोल करने की स्थिति कहां तक है।

यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि ५६-५७ से लेकर ६६-६७ के बजट को देखा है और मैं यह सूचना देना चाहूंगा कि ५६-५७ से लेकर ६६-६७ तक राजस्व आय और खर्चा या एक्चुअल आय जो हुई है उसके लिए इस राज्य सरकार ने हमेशा धोखा दिया है एस्टीमेट अकाउन्ट पेश करके, रेवेन्यू अकाउन्ट पेश करके और एक्सपेन्डीचर बताकर, कभी बजट को सरप्लस बताया, कभी बजट को घाटे में बताया, घाटे की पूर्ति के लिये टैक्स लगाने का प्रावधान रखा है। उन सब का परिणाम यह निकला है कि ५६–५७ में घाटा हुआ है, ५७–५८ में घाटा हुआ है एक्चुअल और एस्टीमेट में विषम घाटा हुआ है, ५८–५९ में घाटा हुआ, ५९–६० और ६०–६१ में घाटा होता गया है। ६१-६२ में घाटा हुआ है और केवल ६२–६३ के साल को छोड़कर ६६–६७ तक निरन्तर घाटा होता गया है। निरन्तर बजट संतुलित बनाते रहे, उसके लिये टैक्स लगाते रहे। टोटल रिजल्ट यह निकला कि सन् ५६–५७ ले लेकर ६६–६७ तक २,५४५ करोड़ रुपयों का इन बजट आंकड़ों के हिसाब से इतना बड़ा घाटा हुआ, जो मैं समझता हूं, इस सदन को और जनता को धोखा देने का सबसे बड़ा प्रमाण हो सकता है। इससे बड़ा प्रमाण और कोई नहीं हो सकता।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी राज्य सरकार कहती है कि वह मितव्ययता के सिद्धांत में विश्वास करती है। वह सरकार राजस्व आय बढ़ाने की बात करती है। दुर्भाग्य की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, भाखड़ा, नांगल, चम्बल, गंगनहर और इस प्रकार के

(श्री भैरोंसिंह)

सिंचाई के प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके नाम मैं सदन के अन्दर रखना चाहता हूं, जवाई बांध, मोरी प्रोजेक्ट, पार्वती प्रोजेक्ट, मेजा बांध, अरावली प्रोजेक्ट, गुड़ा, मोरल, मानसी आदि, ये जितने भी राज्य सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ५,८७१ लाख रुपये खर्च हुए हैं और उनकी आमदनी नहीं हो रही है। यह जो केपिटल इन्वेस्टमेन्ट किया है उसके अगेन्स्ट २६२ लाख रुपये का प्रति वर्ष घाटा होता है। सिवाय गंग केनाल को छोड़ कर जिसको महाराजा गंगासिंहजी ने बनाया था बाकी सब प्रोजेक्ट्स में घाटा है। गंगनहर से लगातार लाभ होता गया है लेकिन पिछले तीन वर्ष से तो गंगनहर में भी घाटा चला आ रहा है।

यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि माइनर इर्रीगेशन वर्क्स पर सिचाई विभाग द्वारा ६०–६१ व ६१–६२ में १५३ काम किये जिन पर ३५ लाख का खर्चा किया। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन कामों के लिये ३५ लाख रुपया खर्च किया उनमें से ६ लाख रुपया ऐसा है जिसका कोई युटिलाइजेशन नहीं हुआ, ८ लाख ऐसे हैं जिनके काम अभी इन्कम्पलीट पड़े हैं और बाकी के काम ऐसे हैं जिनसे सिंचाई नाम-मात्र की भी नहीं होती और यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि कोई ईमानदार आदमी इन चीजों को देखे, मैंने राजस्थान में घूम घूम कर माइनर प्रोजेक्ट्स को देखा है, आंखों से देखा है। यह मौका मुझे एक बार नहीं मिला, दो–दो, तीन–तीन बार मिला है और मैं यह अधिकृत रूप से कह सकता हूँ कि ३५ लाख के कार्य राजस्थान सरकार ने समाज कल्याण विभाग को मिला कर कराये, आज उन माइनर इर्रीगेशन वर्क्स का एक परसेन्ट भी सही रूप में हमारे लिये लाभ दायक नहीं हो रहा है। (शेम, शेम की आवाजें) दुर्भाग्य की बात है कि इन मामलों पर राज्य सरकार विचार करने के लिये तैयार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाया। जो व्यवस्था अर्से से चल रही थी, उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बनने के बाद यह कहा गया कि जनता की बिजली की कमी पूरी की जावेगी, बिजली सस्ती मिलेगी और विद्युत् बोर्ड भी घाटे में नहीं रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सन् ५७–५८ में २४ लाख का घाटा रहा, ५८–५९ में ४० लाख, ५९–६० में ३२ लाख और ६०–६१ में १७ लाख और चलते चलते ६४–६५ में जाकर यह घाटा ५६ लाख का हो गया और वहाँ से बढ़ कर ६५–६६ में १३६ लाख हुआ और ६६–६७ में तो यह घाटा १४३ लाख का हो गया। आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे में चल रहा है, समाज कल्याण विभाग के इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स, इर्रीगेशन विभाग के प्रोजेक्ट्स जो घाटे में चल रहे है तो किस तरह अन्दाज लगाया जाय कि हमारी आय बढ़ी है? हम टैक्स के भरोसे पर चल रहे हैं। नान टैक्स रेवेन्यू का सवाल ही नही। नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिये हमारी सरकार ने किसी प्रकार ध्यान ही नहीं दिया।

हमारे जितने भी स्टेट एन्टरप्राइज हैं। चाहे गंगानगर का शुगर मिल हो, चाहे धौलपुर की हाईटेक कम्पनी हो, डीडवाना का सोडियम सल्फेट हो, हम निरन्तर घाटे में है। गंगानगर शुगर मिल में ४.६८ हजार का लाभ था।

(श्री भैरोंसिंह)

४.६८ लाख का लाभ था। वह ६१–६२ में घटकर १६३ हजार हो गया। ६२–६३ में ४७ हजार रह गया और ६३–६४ में घटकर लाभ के स्थान पर ६३६ हजार का घाटा हुआ। इस सरकार की एफीशियेन्सी का अन्दाज इसी से लगाया जा सकता है। जिसमें ४॥ लाख का लाभ था वह घटते घटते अन्त में जाकर छः लाख के घाटे में परिणत हो गया।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, आज धौलपुर हाईटेक में ८ लाख और ६६ हजार का डेफिसिट चल रहा है। यह डेफिसिट किस हालत में चल रहा है? जब धौलपुर ग्लास फैक्टरी आपने हाथ में ली तो आपने इसमें अपनी पूंजी लगाई थी। आज सरकारी या गैर सरकारी बाकी कम्पनियों के लिए, जिनमें सरकार का पैसा लगा है, कह सकते हैं कि उनमें हम घाटा इसलिए खा जाते हैं कि हमारा पूरा होल्ड उन पर नहीं हैं, हमारे डाइरेक्टर उनमें नहीं है, मैनेजमेन्ट वहां का हमारे हाथ में नहीं है। पर यहां तो ऐसा नहीं है।

इस शुगर फेक्टरी में डाइरेक्टरों में बहुमत आपका है, इस धौलपुर ग्लास फैक्टरी में डाइरेक्टरों में बहुमत हमारा, मैनेजमेंट पूरे का पूरा हमारे हाथ में। इसके बाद भी डेफिसिट की हालत इनमें आ जावे यह तो दुर्भाग्य की बात है।

छोटी–छोटी बातों को लेकर इस धौलपुर हाईटेक में घाटा हो रहा है। जिन चीजों को बनाने के लिए इस कम्पनी को सरकार ने अपने हाथों में लिया था उनके निर्माण को छोड़कर दूसरे–दूसरे धन्धों को हाथ में लिया। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, पानी पर एक लाख के चार्ज आज इसको देने पड़ रहे हैं. जब कि चार हजार रुपयों में अपना निजी कुआं खुदवाकर इस खर्चे को बचाया जा सकता था। पर बचाने की फिक्र यहां किसको पड़ी है? केवल अकेले एक आइटम पानी के चार्जेज पर एक लाख का खर्चा कर दिया। १६८ हजार का एम्बेजलमेन्ट भी हो गया। ऑडिट रिपोर्ट में साफ है। पर डाइरेक्टर्स की रिपोर्ट में बता दिया गया कि कांच टूट गये, सामान टूट गया। आज डाइरेक्टरों की रिपोर्ट में और ऑडिट रिपोर्ट में तालमेल नहीं है। आज ऑडिट रिपोर्ट तो कहती है कि २३ हजार का घाटा हुआ है, और इधर डाइरेक्टर लोग अपनी मीटिंग में कहते हैं कि १ लाख ६८ हजार का नुकसान हुआ।

आज किस प्रकार की ये स्थितियां हैं, मेरी समझ में नहीं आता। आज एक खत्री नामक व्यक्ति को वहां का मैनेजर बना दिया जो इस जगह के लिये क्वालिफाइड नहीं है। २५ हजार का खर्चा इन साहिब पर कर दिया। २५ हजार में तो बहुत अच्छा क्वालिफाइड आदमी आपको मिल सकता था जो इस की स्थिति को ठीक कर लेता। पर हमने इसका काम ठीक ढंग से चले ऐसी व्यवस्था नहीं की। २५ हजार हमने डेमरेज में दे दिया। सैल्स टैक्स तक समय पर नहीं दे पाये और उसमें भी पेनल्टी दी। यह सरकारी विभाग है या दिवालिये की दुकान है जिसमें किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। चोरों की दुकान हो गई।

मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी स्थिति में आप राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति

(श्री भैरोंसिह).

का अन्दाज लगाइये कि उनकी क्या हालत है ?

राजस्थान में तीसरी योजना में २३८ करोड़ का प्रावधान रखा फिर कोर ऑफ दी प्लॉन में २३८ से घटाकर आपने २०८ करोड़ रखा। २०८ करोड़ का प्रावधान रखने के बाद जनता की इकोनॉमिक कन्डीशन सुधरने की आशा दिलाई गई थी, पर वह आशा निराशा ही हुई। जनता की इकोनॉमी की हालत नहीं सुधर सकी। लक्ष्य के अनुसार स्टेट इन्कम नहीं हो सकी। पर–कैपिटा इन्कम भी नहीं बढ़ सकी। मैं अधिकृत रूप से यह बताने को तैयार हूं कि ५४ लाख हरिजनों की और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की संख्या है राजस्थान में। उनकी एवरेज आमदनी सात आने रोज से कम है। इससे आप अन्दाज लगा लीजिये कि आर्थिक स्थिति राजस्थान की क्या है ?

इसके बाद राजस्थान सरकार के बेरोजगारी के आंकड़ों को, पर–कैपिटा इन्कम के आंकड़ों को, खेती की उपज के आंकड़ों को, पर–एकड़ उपज के आंकड़ों को अलग-अलग उसकी ही दी हुई रिपोर्टों के आधार पर देखें तो आप कनफ्यूजन में पड़ जावेंगे। कोई नतीजे पर आप नहीं पहुंच सकते। पर एक बात स्पष्ट है। लक्ष्य के अनुसार पर–कैपिटा इन्कम नहीं बढ़ रही है। भारत वर्ष की पर–कैपिटा इन्कम के एवरेज से नीचे रह रहे हैं। हर क्षेत्र में हम भारत के एवरेज को अचीव करने में हम पीछे रह रहे हैं।

इस सब को करने के लिए एक साधन है। मुख्य मन्त्रीजी स्वीकार करेंगे कि जिस समय कोर ऑफ दी प्लान पर बहस हो रही थी आपने फर्माया था कि आपने प्लानिंग बोर्ड को यह विश्वास दिलाया था, आपकी सरकार ने यह विश्वास दिलाया था कि जहां हमारी प्लान २३८ करोड़ से घटकर कोर ऑफ दी प्लान में २०८ करोड़ की रहेगी तो उस आधार पर जहां ३२ करोड़ के नये टैक्स लगाने का प्रावधान था उसको घटाकर २४ करोड़ का ही रख रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि हुकूमत ने प्लान को तो २३८ करोड़ से घटाकर २०८ करोड़ कर दिया। पर २४ करोड़ से ३२ करोड़ का टैक्स वसूली का प्रावधान रखा था वह इस हुकूमत ने २४ की जगह गरीब जनता से अपनी इन फिजूलखर्चियों के लिए ३२ करोड़ वसूल कर लिये।

इस हुकूमत की तारीफ कोई भी करे, प्लानिंग कमीशन करे चाहे कोई और, पर यू. पी. की सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किये थे उसके अनुसार टैक्सों का कलेक्शन नहीं किया। मध्य प्रदेश ने, महाराष्ट्र और आन्ध्र सरीखे प्रगतिशील कहे जाने वाले प्रदेशों तक ने अपने एडवान्समेन्ट करने के बाद भी टैक्स वसूल नहीं किये निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार। वे नहीं कर सके। पर इस पिछड़े प्रदेश के हमारे वित्त मन्त्री धन्य हैं कि उन्होंने उससे बढ़कर वसूली की। इन्होंने रोटी पर टैक्स लगा दिया, अनाज पर टैक्स लगा दिया। बीमारों के लिये अस्पताल में लोग खून दें तो उस खून पर भी इन महापुरुष ने, इस राजस्थान की हुकूमत ने टैक्स लगा दिया। इससे ज्यादा बदकिस्मती राजस्थान की और नहीं हो सकती।

(श्री भैरोंसिंह)

जयपुर में जवाहरात का व्यापार चल रहा था, अच्छा चल रहा था, हजारों गरीब लोग इस व्यवसाय में अपनी आजीविका चला रहे थे पर इस पर भी इन्होंने इतना चक्करदार टैक्स लगाया कि हजारों कारीगर लोग बेकार होकर बैठ गये। ये दुखी बेकार व्यक्ति हमारे पास आते हैं। कहते हैं। आपके पास नहीं जाते हैं। इस परचेज टैक्स के कारण सरकार को भी कोई इन्कम नहीं हो रही है। पर इन गरीब लोगों का धन्धा चौपट कर दिया। इनके धन्धे को ब्लाक करने के लिये ऐसा टैक्स लगा दिया। जवाहरात का बिजनेस करने वाले बिजनेस तो करते हैं, पर टैक्स सरकार को नहीं मिलता और गरीबों को भी रोटी मिलती थी, वह बन्द हो गई। उनको रोटी नहीं मिलती। सरकार को टैक्स नहीं मिलता। आज राजस्थान की हालत इन लोगों ने इस प्रकार की कर दी है।

अब इस हालत में भी टैक्स देने की स्थिति हमारी नहीं। हमारी आर्थिक स्थिति गिरती जा रही है। आपने सुना और हम आंखों से देख रहे हैं मंत्रिमण्डल की संख्या बढ़ी। यह मेरी समझ में नहीं आता कि जब यह सरकार यह मानकर चलती है कि इस समय भी इमर्जेन्सी है, पाकिस्तान और चीन की फौजें हमारे देश की स्वतन्त्रता और अखण्डता को चुनौती देने के लिये हमारी छाती पर तनकर खड़ी हैं, ललकार रही हैं, और इसको देखकर हमारी सैनिक तैयारी के लिये अधिक व्यय को ध्यान में रखकर योजना कमीशन और भारत सरकार दोनों किसी न किसी प्रकार से यह जोर दे देकर कह रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से पूरी-पूरी मितव्ययता सरकार अपने अपने खर्चों में करे। राजस्थान हुकूमत जब मितव्ययता का नाम लेती है तो सबसे पहले तो यह हुक्म निकालती है कि इस मितव्ययता के नाम पर सेक्रेटेरियेट के चपरासियों को जो गरम कोट मिलते थे वे बन्द कर दिये जावें। वे न मिलें। दूसरा मितव्ययता के नाम पर हुक्म निकाला कि सेक्रेटेरियेट में फर्नीचर नहीं खरीदा जावे। तीसरा हुक्म यह निकाला कि राजस्थान में एक साल की अवधि में रहने वाले कर्मचारी जो हैं उनकी छटनी कर दी जावे। ये तीन बातें करने वाला राजस्थान का यह मन्त्रिमण्डल यह तो विचार करे कि छोटे-मोटे चपरासी और कर्मचारियों की छटनी करने में लगी रही, गरम कोट चपरासियों को नहीं दिये जावें यह भी उसके दिमाग में चक्कर काटने लगे–पर मैं पूछता हूं यह आपके दिमाग में क्यों नहीं आया अथवा आता कि मन्त्रिमण्डल की संख्या घटाई जावे ? पर घटाने की एवज में आप उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। आज ये मन्त्री इतनी संख्या में नहीं होते तो राजस्थान का काम नहीं चलता, ऐसी स्थिति नहीं थी। उनसे कम से भी काम चल सकता था और संख्या उनकी घटाकर अगर छः तक भी कर दी जाती तो उससे भी काम चल सकता था।

मैं आपको बताना चाहूँगा कि ६०-६१ में मिनिस्टरों पर खर्चा १३२ लाख का हुआ। वह बढ़कर ६१-६२ में १३३ का हुआ। ६२-६३ में ९६ हजार का हुआ, ६३-६४ में ९६ हजार का और ६४-६५ में ९९ हजार का हुआ और वही बढ़कर ६६-६७ में १६३ तक पहुंच गया है। यह तो है मिनिस्टरों के खर्चे की बात। अब डिप्टी

(श्री भैरोंसिंह)

मिनिस्टरों को लीजिये । ६०-६१ में २८ हजार का खर्चा था जो बढ़ते-बढ़ते ६६-६७ में ११५ हजार का हो गया है । इसके अलावा टी. ए., डी. ए. और है । जो यह खर्चा पहले एक लाख बीस हजार के करीब होता था आज वह दो लाख छः हजार का हो गया । मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की इस हुकूमत से कि राजस्थान की गरीबी को देखकर, जो इसकी पिछड़ी हालत है, उसे देखकर, राजस्थान की पर–कैपिटा इन्कम गिर रही है, उस हालत को देखकर, जो भारी भारी टैक्स लगाये हैं, उनसे जनता जीवित नहीं रह सकती, इस स्थिति पर दया करके, क्या राजस्थान का मन्त्रिमण्डल स्वयं अपने में किसी प्रकार की कटौती नहीं कर सकता ? कटौती का सवाल नहीं है यहां पर इनके सामने । इनको राजस्थान की दो करोड़ जनता के दुखदर्दों की परवाह नहीं है उनकी कमर जो महंगाई से टूट रही है, भारी भर कम टैक्सों के नीचे जो वह बुरी तरह से पिस रही है, उस पर दया नहीं है इनको ! इनको चिन्ता है अपनी गुटबन्दी की । आपस की गुटबन्दी में हमारा पलड़ा किस प्रकार से भारी रहे, इस गरज से, उपाध्यक्ष महोदय, इतना लम्बा-चौड़ा मन्त्रिमण्डल बना दिया । यह लम्बी-चौड़ी पलटन जो सुखाड़ियाजी ने इकट्ठी कर ली है चीन-पाकिस्तान के मुकाबले में खड़ी हो जावे तो हम तो दाद देंगे । पर ये चीन-पाकिस्तान के सामने खड़े नहीं होने वाले हैं । ये तो आपस में खड़े होकर गुटबन्दी में पड़कर इस जनता को डिमोरेलाइज करना चाहते हैं, सरकारी तन्त्र को, इन सरकारी कर्मचारियों को डिमोरेलाइज करना चाहते हैं और राजस्थान की हालत बद से बदतर करना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहूँगा कि आखिर इसी हालत के अन्दर हमारे राजस्थान की हालत आखिर में जाकर क्या हुई ? पिछले वर्ष पाकिस्तान ने हमला किया उस समय आज हम इसको कहें या नहीं कहें लेकिन एक तथ्य है कि पाकिस्तान ने राजस्थान में ४ हजार स्क्वायर मील में घुसपेठ की । यह हमारी सेना और आर० ए० सी० को बधाई देने की बात है कि उन्होंने अपने पराक्रम से और अपने बलिदान से राजस्थान की भूमि से पाकिस्तान को निकाला । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान घुसा ही क्यों, पाकिस्तान अन्दर कैसे आ पाया और ४ हजार स्क्वायर मील में उसने घुसपेठ कैसे की ? इसके कारणों की कि उसने घुसपेठ कैसे की-न राजस्थान सरकार ने जांच की है और न आगे इस प्रकार की घुसपेठ हो इसके लिए रोकथाम की है । पिछले दिनों मैं जैसलमेर और बाड़मेर गया । मैं सोच रहा था कि जिस समय सितम्बर और अक्टूबर में लड़ाई चल रही थी उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में फर्क होगा । आज सीमा पर अधिक सड़कें होंगी, वहां पर पानी का इंतजाम होगा, चीपग्रेन शॉप्स खुली होंगी और राजस्थान सरकार की तरफ से सीमा पर रहने वाली जनता को सारी एमेनिटीज मिल रही होंगी । उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात यह है कि आज सीमा पर जाने के लिए सिवाय १२ मील के टुकड़े के राजस्थान की हुकूमत कहें या भारत सरकार कहें वहां पर दोनों ने ही रोड्स का काम कोई नहीं किया, आठ–आठ मील से जहां पानी ले जाया जाता है

(श्री भैरोंसिंह)

आज वहां लोगों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है और आज राजस्थान के उस हिस्से में जो सीमा से लगता है वहां से कुछ लोग पाकिस्तान चले गये, कुछ अन्दर भागकर आ गये आज उनके प्रान्त की कोई सुरक्षा नहीं है और उसका परिणाम यह है कि हजारों बीघा भूमि कि जिसके अन्दर इसी साल बाजरे की खेती होती डर के कारण वहां पर काश्त नहीं हो पाई है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इतना निवेदन करना चाहूँगा कि पाकिस्तानी हमले के समय ५० लाख की प्रॉपर्टी का सरकार को नुकसान हुआ, जनता की एक करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। आज पंजाब में जाने का मुझे मौका मिला तो पता चला कि पंजाब सरकार और भारत सरकार ने मिलकर जिनका नुकसान हुआ था और जिनके खेत नष्ट हुए और मकानात टूटे उनको कम्पन्सेट किया है और वहां उन लोगों को ईज़ी टर्म पर कर्जा दिया है और सरकार ने काफी सहायता देकर उनको रिहेबीलीटेट करने की कोशिश की है। उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि आज राजस्थान पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके में वह चाहे बीकानेर हो, चाहे जैसलमेर हो और चाहे बाड़मेर हो वहां की जनता को हमारी राजस्थान की सरकार किसी प्रकार का राहत नहीं दे सकी और उस का परिणाम यह है कि जैसलमेर के शाहवाद के अकेले क्षेत्र में खंडारा के ऊपर और चनौट के ऊपर का हिस्सा और बाड़मेर के कान्हों का तालाब क्षेत्र में सारी भूमि नो-मैन्स लेण्ड बनी हुई है जिसके अन्दर पुलिस जा सकती है लेकिन कोई साधारण नागरिक डरने के कारण नहीं जा सकता। इस सरकार के लिए इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात नहीं हो सकती। सरकार ने कोई प्रयास इसके लिए किया हो ऐसा मुझे नहीं लगता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकार सेना से यह तो आशा करती है कि यदि पाकिस्तान हमला करे, चीन हमला करे तो सेना उसकी सुरक्षा करेगी। यह बात सही है कि हम सेना को देश की सुरक्षा के लिए रखते हैं लेकिन हमें इस बात को देखकर बड़ा दुख होता है कि उस सेना के लिए हमने कई प्रकार के कानून बनाये, कई प्रकार के नियम बनाये। उन कानूनों और नियमों का आज तक किसी प्रकार से पालन नहीं हो रहा है। यह खुशी की बात है कि राजस्थान में लड़ाई के अन्दर २ आदमियों को परमवीर चक्र मिला, २ को महावीर चक्र मिला, २२ को वीर चक्र मिला, ८ आदमियों को अशोक चक्र मिला और २ को विशेष सेवा मैडल और १ को सेवा मैडल मिला। लेकिन इसके बाद भी, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का जिन सेना के आफिसरों ने, जिन सेना के सिपाहियों ने मस्तक ऊंचा किया आज उसके एक्स—सोल्जर्स की किस प्रकार से हालत है वह मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। राजस्थान में २८ हजार के लगभग पेन्शनर्स हैं और उनकी हालत यदि आपको देखनी है तो आप इस ट्रेजरी के सामने जाकर खड़े हो जायं कैसे उनके बिल पास होते हैं। ट्रेजरी से बैंक में चले आते हैं तो वहां कैसी हालत होती है। ट्रेजरी आफिसर कहता है कि मेरी जान पहचान के लिए आइडेन्टीफिकेशन को ले आओ, बैंक वाले भी यही कहते है कि जिसका मेरे बैंक में अकाउन्ट हो उसको लाओ तब पेमेन्ट करूंगा और यह पे—मास्टर पेन्शन डिस्ट्रिब्यूट करने

(श्री भैरोंसिंह)

के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि यदि वह आदमी उपस्थित नहीं होता है तो ६–६ महीने तक कोई पेन्शन नहीं मिलती। पेन्शन का ही सवाल नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि राजस्थान सरकार इन एक्स-सोल्जर्स के बारे में चर्चा तो बहुत करती है लेकिन मैं राजनैतिक लाभ उठाऊं इस गरज से अर्ज नहीं करूंगा लेकिन देश के लिए सुरक्षात्मक कदमों के उठाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा सदन से कि आज ऐसे मामले बहुत से हैं जिनमें अनक्लेम्ड पेन्शन है, जिसमें पेन्शन होल्डर्स मर गए या वह किसी कारण से डिसएबल्ड हो गए लेकिन उनकी विडोज़ है जिनकी अनक्लेम्ड पेन्शन उस व्यक्ति के जीवित काल में एक्रूड हुई थी आज राजस्थान की हुकूमत उनको पेन्शन नहीं दे पाती है और आज उन लोगों को पेन्शन नहीं मिल रही है जिनको ८ रुपये की इन्क्रीज मिलनी चाहिये थी। पेन्शन के अन्दर ४ रुपये बढ़ाए गए लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि पेन्शनर्स किसी प्रकार से उसका लाभ नहीं उठा सके। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में कुछ आंकड़े तैयार कराये हमारी राजस्थान की हुकूमत ने। उन आँकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी सरकार ने हाउसिंग और एग्रीकल्चरल लेण्ड और मकानों के बारे में फौजियों के साथ कोई अन्याय नहीं किया है। ६ डिस्ट्रिक्ट के सरकार ने आंकड़े तैयार किए। उनसे आपको पता चलेगा कि अलवर में ?२० एक्स-सोल्जर्स ने दरख्वास्त दीं और उनमें से एक को नहीं मिली, भरतपुर में ३३ ने दरख्वास्त दीं और २ को मिली, झुंझुनू में ४५ ने दरख्वास्त दी थीं एक को भी नहीं मिली, अजमेर में ६३ ने दरख्वास्त दीं एक को भी नहीं मिली, नागौर में ५० ने दरख्वास्तें दीं एक को भी नहीं मिली, उदयपुर में १०४ ने दरख्वास्तें दीं १३ को मिली और चूरू में ६० ने दरख्वास्तें दीं एक को भी नहीं मिली। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हाउसिंग का है और अब मैं एग्रीकल्चरल लैण्ड के बारे में बताना चाहूँगा। अजमेर में ११०० एक्स-सोल्जर्स ने दरख्वास्त दीं जिसमें से २०० को मिली, जोधपुर में ३२० ने एप्लीकेशन दीं २६ को मिली, नागौर में ३६५ ने दरख्वास्त दीं जिसमें से ११६ को मिली, चूरू में ३०० ने दरख्वास्त दीं उसमें से १६ को मिली और उदयपुर में ५७४ ने दरख्वास्त दीं और ४३ को मिली। उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि जिन एप्लीकेशन्स की स्वीकृति हुई है वह टोटल के अन्दर १५ परसेन्ट से ज्यादा नहीं जाती हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आज जमीन दूसरों को मिल सकती है लेकिन एक्स-सोल्जर्स को नहीं मिल सकती। उपाध्यक्ष महोदय, सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि सैकण्ड वर्ल्ड वार में जिन लोगों ने बहादुरी के काम किये थे तो बहादुरी करने पर लोगों को इनाम मिलते थे और राजस्थान में उनको जमीन देनी थी। आज १५-२० साल का समय गुजर गया वह काश्तकार किसी प्रकार से जमीन नहीं ले सकते। आज राजस्थान में एक्स-सोल्जर्स को जमीन दी है। आज ब्यावर के अन्दर एक गांव है जहां के एक रावत ने बहादुरी की और उसकी मृत्यु हो गयी। कलेक्टर ब्यावर गया और बड़ा भारी जलसा किया, उस मृतक की औरत को जमीन दे दी गई। उस खेत पर बाजरा खड़ा हो गया और बाजरा खड़ा होने के बाद

(श्री भैरोंसिंह)

में उसका बिल्कुल सफाया कर दिया गया। वह औरत राजस्थान के मुख्य मन्त्री से लेकर छोटे से छोटे अधिकारी से मिली लेकिन कोई उसको जमीन पर कब्जा नहीं दिला सका। आज चाहे आप एज्यूकेशनल फेसेलिटीज़ को लें, मेडीकल का मामला लें, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मामला लें और बाकी की जितनी भी हमने सुविधायें देने के यह सारे कानून और नियम बना रखे हैं उनको किसी को भी ले लें मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की हुकूमत ने इनके साथ और मिलिट्री में होने वाले सोल्जर्स के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सदन से अपील करूंगा और मुख्य मन्त्रीजी से अपील करूंगा कि आपने जो किताब निकाली है, 'डिफेन्स एफर्ट्स इन राजस्थान' और जिसमें सारे कन्सेशन्स का उल्लेख किया है इसको तो आप जला दो और ऐसी सरकार अपने प्रान्त की सेवा क्या करेगी और एक्स-सोल्जर्स की क्या सेवा करेगी जिन्होंने चीन और पाकिस्तान से लड़कर अपने देश की रक्षा की? ऐसी गन्दी और निकम्मी सरकार सरकार नहीं कही जा सकती।

(२. ०० म. प.)

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मैं कुछ आपके सामने ऐसे मामले रखना चाहूँगा कि राजस्थान की हूकूमत को फुरसत कहां मिलती है। उसको फुरसत तो जब मिले जब कि राजस्थान की हुकूमत का कोई काम करने का इरादा रखे। राजस्थान की हुकूमत को....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इनका तो दिवालिया बनने का इरादा है और क्या कर सकते हैं?

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का मंत्रिमण्डल कहता है कि हम करप्शन को रोकेंगे। मेरा सारा लुब्बे लुबाब यही है कि राजस्थान का मंत्रिमण्डल करप्शन से लिप्त है, पक्षपात में लिप्त है। राजस्थान के मंत्रिमण्डल में काम करने और इसकी रेसपांसिबिलिटी का अहसास नहीं। ऐसी स्थिति के अन्दर हुकूमत यह करना चाहे तो मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार की भ्रष्ट हुकूमत जितने दिन इनके हाथ में रहेगी उतने ही दिन राजस्थान की बरबादी होगी और जितना जल्दी इनके हाथ से राजस्थान की हुकूमत ले ली जायेगी उतनी ही जल्दी राजस्थान की प्रासपेरिटी होगी। उस हालत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण यही है जिसके लिए नन्दाजी कहते हैं, जिसके लिए इन्द्राजी कहती हैं, जिसके लिए कामराज कहते हैं, जिसके लिए भारत के प्रान्तीय नेता कहते हैं कि हमारी योजनाओं के फेल होने का कारण भ्रष्टाचार है, हमारे जितने भी प्रयास हैं वे उपयोगी नहीं होते, इसका कारण भ्रष्टाचार है। ये सारी चीजें हैं लेकिन राजस्थान की हुकूमत इन चीजों के प्रति ध्यान नहीं देती। मैं एक एक मंत्री के बारे में इस सदन को इस विश्वास में लेकर कहना चाहता हूँ कि वह यह नहीं समझें कि मैं कोई विरोधी दल का सदस्य बोल रहा हूं बल्कि जरा गम्भीरता से इस पर विचार करें। मैं जो मामले इस मंत्रिमण्डल के लिए रख रहा हूँ उसमें किसी प्रकार की अतिरंजना नहीं है, उनमें किसी प्रकार की जांच की जरूरत नहीं। इसी

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार के मामलों के अन्दर प्रतापसिंह कैरो गये, ऐसे मामलों के अन्दर ही बख्शी गुलाम मोहम्मद के खिलाफ इन्क्वायरी चल रही है और ऐसे मामलों के अन्दर के. डी. मालविया और हमारे टी. टी. कृष्णमाचारी गये। ऐसे मामलों के अन्दर बीजू पटनायक गये। इन सब मामलों से भी कहीं गम्भीर मामला मैं इस राजस्थान की विधान सभा में रखना चाहूँगा और सदन को इस विश्वास में लेकर रखना चाहूँगा कि वह उन पर गम्भीरता से विचार करें और इन्हें गम्भीरता से ही लें। कहीं कांग्रेस पार्टी के अपने मेनीफेस्टों में यह नहीं लिखा है कि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार करें, भ्रष्टाचार के जरिये कांग्रेस शासन करेगी, कोई भी कांग्रेस का नेता ऐसी बात कहता हो, यह भी मैं नहीं मानता। इसलिये मैं कांग्रेस पार्टी के भी ईमानदार सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करें और जो भ्रष्टाचारी मंत्री हों उनको लात मार कर बाहर निकाल दें और उनसे कह दें कि तुम्हारा यहां पर कोई स्थान नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में नमक के प्लाट अलाट किए जाते हैं। पिछले पांच वर्षों से मैं लगातार क्वेश्चन करता आया हूं और उन क्वेश्चन के जरिये जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन ले सकता था ली हैं। राजस्थान की सरकार ने नियम बनाए कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू (सेलाइन एरियाज) अलाटमेंट रूल्स, १९६२, इसका नोटिफिकेशन निकला १८ दिसम्बर १९६२, को। १८ दिसम्बर, ६२ को नोटिफिकेशन निकल गया। यह मामला केबिनेट के अन्दर गया था १७–१०-६२ को और कौंसिल का आर्डर हुआ है ७–१२–६२ को और इन अलॉटमेंट के लिए रूल्स बनाने को एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी ने नवम्बर के अन्दर, जिसके चेयरमैन चन्दनमलजी वैद हैं, रिपोर्ट दी और लॉ डिपार्टमेंट से सेलाइन एरिया के बारे में जो रूल्स आए हैं, जो ड्राफ्ट आया है उस ड्राफ्ट को इस कमेटी ने एप्रूव किया है, इसको मंत्रिमण्डल में भेजा जाय और मंत्रिमण्डल से जल्दी से जल्दी एप्रूव कराया जाय और फिर ये मंत्रिमण्डल से एप्रूव हो गए ७–१२ को, नोटिफिकेशन निकल गया १८–१२ को, गजट में प्रकाशित हो गया जनवरी ६३ में। अब जब ये रूल्स फाईनेलाईज कर रहे थे, ये रूल्स अण्डर कंसीडरेशन थे उस समय डायरेक्टर ने एक आदेश निकाला कि चूंकि सेलाइन एरिया के रूल्स राज्य सरकार के पास केबिनेट के सामने पड़े हैं, जब तक ये फाईनल नहीं हो जायं किसी को भी जमीनों का अलॉटमेंट नहीं हो सकता। अब आप यह सोचें कि एक तरफ तो यह कहा जाय कि राजस्थान के अन्दर ये रूल्स अण्डर कंसीडरेशन हैं और इसलिए किसी प्रकार जमीन का अलॉटमेंट नहीं हो सकता और दूसरी तरफ जब कि केस केबिनेट के अन्दर कंसीडरेशन हो, लोगों को जमीनों का अलॉटमेंट होता है। यह कैसे होता है ? यह मेरी समझ में नहीं आता है कि यह अलाटमेंट किस प्रकार से हुआ ? मैं तारीख वार बताता हूँ। श्री पी. के. चौधरी, जो कांग्रेस पार्टी के महामंत्री हैं उनको ५० बीघा जमीन का अलॉटमेंट किया गया है सरगोट के खारड़ा में नमक बनाने के लिए। आज सुखाड़ियाजी स्वयं यह मानते हैं कि राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह)

की जनता बहुत भूखी है। सब यह चाहते हैं कि लोगों को किसी प्रकार का रोजगार मिले। पी० के० चौधरी को एक तरफ तो नमक बनाने के लिए जमीन का अलॉटमेंट किया जाता है और दूसरी तरफ जयपुर में पोल्ट्री फॉर्म के लिए १२ बीघा जमीन भी मिलती है। उनको पोल्ट्री फार्म के लिए पैसा भी दिया जाता है। तो एक तरफ से पोल्ट्री फॉर्म के लिए पैसा दिया जाय, जमीन दी जाय और दूसरी तरफ नमक बनाने के लिए ५० बीघा भूमि और अलॉट की जाय तो क्या राज्य सरकार यह मानती है कि केवल कांग्रेस के महामंत्री या कांग्रेस के नेता ही राजस्थान में हैं जिनको पेट भरने का अधिकार है बाकी के लोगों को पेट भरने का कोई अधिकार नहीं है ?

इसी प्रकार से श्री प्रह्लादचन्द्र अग्रवाल है उनको ५० बीघा जमीन दी गई। एक मैसर्स जीवराज वलिष्ठकुमार को ७५ एकड़ जमीन दी गई। जौहरी मल को ९९ एकड़, भैरोंदान कुंडलिया को ८० बीघा जमीन दी गई। रामचन्द्र चौधरी, मिनिस्टर रामचन्द्र नहीं, इनको ७० बीघा, जसराज सोमानी को ८१ बीघा और सोहनलाल सांची को ७९ बीघा जमीन दी गई।

ये जमीनें भी तब दी गई जब कि रूल्स केबिनेट में अप्रूव कर दिए गए। रूल्स केबिनेट के अन्दर मन्त्रीमण्डल अप्रूवल के लिए चले गए और रूल्स के सम्बन्ध में कमेटी बन गई और कमेटी ने अपनी राय दे दी और उसके बाद जब राजस्थान का इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट लोगों को यह कह दे कि जब तक ये रूल्स नहीं बनते तुम्हारी एप्लीकेशन्स पर विचार नहीं किया जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि अधिकांश ऑर्डर राजस्थान के आज के विद्युत मंत्री ने दिए हैं। इन विद्युत मंत्रीजी ने डायरेक्ट एप्लीकेशन्स ली और उन पर ऑर्डर लिखकर भेजा और ऑर्डर लिखकर भेजने के बाद इतना तकाजा किया कि रोज टेलीग्राम जाते, डिप्टी डायरेक्टर को भेजा जाता और वहां का कलेक्टर यह लिखकर भेजता कि यह लेंड रेवेन्यू लेंड हैं, इसका अभी तक कन्वर्शन नहीं हुआ है, यह इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित नहीं किया गया है लेकिन राजस्थान के वर्तमान विद्युत मंत्रीजी कहते हैं कि नहीं इन जमीनों को तो इनको अलॉट कर दिया जाय। अब यह अलॉटमेंट क्यों किया गया? चन्द लोगों में मंत्री महोदय का क्या इंटरेस्ट हो सकता है ? अभी राजस्थान के ही नहीं, सारे भारतवर्ष के मिनिस्टरों के लिए कोड ऑफ कण्डक्ट बनाया गया। हम आज तक कोड ऑफ कण्डक्ट सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू करकर चलते हैं लेकिन यह कोड ऑफ कण्डक्ट बनाया गया कि कोई भी मन्त्री हो वह अपने रिश्तेदारों के मामले में किसी प्रकार की कोई दखलअन्दाजी नहीं करेगा। बदकिस्मती की बात यह है कि हम भ्रष्टाचार को रोकने की बात करते है लेकिन क्या आप बतायेंगे कि इन जीवराज वलिष्ठकुमार में आपका क्या इन्टरेस्ट था ? मैं आपको बताता हूँ कि यह वलिष्ठकुमार आप श्रीमान मन्त्रीजी के साले हैं जिनको यह जमीन दी गई है।

जिन लोगों को जमीनें दी गई वे रिश्तेदारों को जमीनें दी गई ! मैं मुख्य

(श्री भैरोंसिंह)

मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि मुख्य मन्त्रीजी क्या यह खुला करप्सन नहीं है ? क्या इसी करप्सन के लिए आपने इनको डिप्टी मिनिस्टर से मिनिस्टर बनाया है ? क्या इसी कारण से इनको मिनिस्टर बनाया है कि वह जमीनों का इस प्रकार से अलॉटमेंट कर सकें और कानून की अवज्ञा करते रहें, जनता को इसी प्रकार से धोखा देते रहें और अपने परिवार वालों का पालन-पोषण करते रहें ? क्या इसीलिए आपने इन्हें बिजली मन्त्री बनाया है ? मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों का स्थान किसी भी राज्य के मंत्रिमण्डल में हो सकता है। बल्कि ऐसे लोगों का स्थान तो केवल जेलों में ही हो सकता है जिन्होंने कि अपने रिश्तेदारों को जमीनें देकर राजस्थान की जनता को तबाह करने की कोशिश की है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि एक सदस्य हैं, इसी सदन के माननीय सदस्य हैं वे यहां बैठे हैं या नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन एक माननीय सदस्य हनुमानसिंहजी चौधरी हैं, उन्होंने कोई कोआॅपरेटिव सोसाइटी बनाई और उसके लिए दरख्वास्त दी कि कुचामन के अन्दर कोआॅपरेटिव सोसाइटी को नमक उत्पादन के लिए जमीन अलाॅट की जाय लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनको यह लिखकर दिया गया और जब उनके सम्बन्ध में इस विधान सभा में भी पूछा गया तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हमारी सरकार ने उत्तर दिया कि उनकी दरख्वास्त रेग्युलर नहीं है, इन आॅर्डर नहीं थी। आज इन कोआॅपरेटिव सोसाइटीज को जमीनें नहीं दी जा सकतीं, लेकिन इन लोगों को जमीनें कैसे दे दी जाती हैं ? दरख्वास्तें भी और किसी के पास नहीं जातीं, दरख्वास्त सीधी चन्दनमल वैद के पास आती है। ये दोनों दरख्वास्तें हैं जो उनको दी गई हैं। उसके बाद में, उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी आॅर्डर्स आते हैं, मैं एक दो आॅर्डर को बताता हूं यह डायरेक्टर आॅफ इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट की तरफ से कलेक्टर चूरू को लिखा गया कि इनको जमीन अलाॅट की जाय और उसके नीचे लिखा है :

"Copy forwarded to Private Secratary to Deputy Ministr Industries for informasion ।"

मतलब इसका कि तकाजे चल रहे हैं, तार चल रहे हैं, चिट्ठियां जा रही हैं और उनके कहने से आॅर्डर्स इश्यू करते हैं, और इनके पास इन्फाॅर्मेशन के लिए इत्तिला भेजते हैं।....

दूसरा आॅर्डर जाता है सन् ६२ में वह भी डाइरेक्टर का है उसमें लिखा है कापी डिप्टी मिनिस्टर के पी० एस० के पास जाय। उसके बाद फिर आॅर्डर जाता है और आॅर्डर्स डाइरेक्टर आॅफ इन्डस्ट्रीज और सेक्रेट्री के हैं, और सब लिखते हैं। जब काफी पी० ए० के पास कापी चली जाय तो यह इस बात काफी प्रमाण है कि राजस्थान के विद्युत मंत्री अपने रिश्तेदारों को पनपाने के लिए रूल्स का वाॅयलेशन करते हुए नमक बनाने के लिए प्लाॅट्स एलाॅट करते हैं।

अब मैं एक बहुत बड़ा राज़ आपके सामने रखता हूं। सैलाइन एरिया के

Page No. 69

(श्री भैरोंसिंह)

बारे में जो सरकार ने १९६२ में बजट में रूल्स प्रकाशित कराये उसके आधार पर यदि जमीन दी जाय तो १० साल से ऊपर ज्यादा कीलीज नहीं दी जा सकती । ये ६२ के रूल्स कहते हैं, लेकिन मंत्री महोदय, चाहते हैं कि उनके साले के परिवार को सदा सर्वदा के लिए जागीर दे दें इसलिए ९९ वर्ष के लिए उन्होंने वह जमीन लीज़ पर दे दी ।

इस एरिया में किसी को एलॉटमेंट हुआ है या होता है तो सैलाइन रूल्स के मातहत होता है जब कि अपने रिश्तेदारों को उन्होंने एलॉटमेंट इंडस्ट्रियल एलॉटमेंट रूल्स के मातहत किया । इन्डस्ट्रियल एलॉट-मेंट रूल्स यह मेरे पास पड़े हैं । मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि उन रूल्स के मातहत किसी तरह भी जमीन का एलॉट-मेंट नहीं हो सकता जब तक कि उस जमीन को इन्डस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर नहीं किया गया हो । न वह सैलाइन एरिया डिक्लेयर हुआ और न इन्डस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर हुआ । उसको ९९ ईयर्स की लीज़ पर अपने रिश्तेदारों को जो कि राजस्थान की हुकूमत के लिए सदा सर्वदा के लिए एक आमदनी का सोर्स बन सकती थी देकर उन्होंने अपने परिवार का पोषण किया है ।

यह एक ही मामला नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आगे आपके सामने रखना चाहता हूं दूसरे मसले । अब मैं यह निवे-दन करना चाहूंगा कि इसमें केवल चन्दनमल जी ने कुछ किया हो ऐसी बात नहीं । इसमें हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री लड्ढा भी पीछे नहीं रहे । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी भी पीछे नहीं रहे । (मुख्य मंत्रीजी की ओर देखते हुए) यह आप जानते होंगे पृथ्वीराज सोमानी ? (मुख्य मंत्री के नकारात्मक गरदन हिलाने पर) आप चाहें तो आपके लिखे हुए पत्र पढ़कर सुना दूं या आप चाहें तो उन्हें सदन की मेज पर रख दूं । पढ़ने में समय बहुत लगेगा । सोमानीजी ने एक अर्जी दी माननीय मुख्यमंत्रीजी को । वह अर्जी मुख्य मंत्री के पास जोधपुर के जॉइंट डाइरेक्टर ने भेज दी वैसे उसे आना तो चाहिए था डाइरेक्टर के पास । वह डाइ-रेक्टर के पास नहीं आई, लेकिन सीधे मुख्यमंत्रीजी के पास चली गई । मुख्य मंत्रीजी ने उस पर लिख दिया ।

"Dy. Minister, Industries will please take early necessary action."

यह आपने १२–३–६२ को लिखा । उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर ने आगे भेजा—

"Please see that this land is allotted to the party immediately so that they may start working immediately. The file may be sent to the Secretary, Industries for orders."

यहां से वह चलता है, उपाध्यक्ष महोदय, और चलते चलते जब तक रूल्स बने इस जमीन का एलॉटमेंट हो जाता है । उस व्यक्ति को एलॉटमेंट हुआ । उसके पहले रूल्स बनायें और बनायें तो लागू करें और लागू कर दिये तो किसी भी प्रकार उस जमीन का एलॉटमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन

(श्री भैरोंसिह)

इस व्यक्ति को एलॉटमेंट किया गया। यदि आप डायरेक्टोरेट से कागज मंगायें और देखें तो आपको पता लगेगा कि डाइरेक्टर के पास जब यह कागज भेजा गया कि जमीन का एलॉटमेंट कर दिया जाय तो डाइरेक्टर कहते हैं कि सैलाइन एरिया एलॉटमेंट रूल्स के अनुसार इस लैण्ड को सैलाइन एरिया डिक्लेयर नहीं किया गया इसलिये मुझे एडवाइस की जाय ! तो डिप्टी मिनिस्टर साहब लिखते हैं कि एडवाइस की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा काम एलॉटमेंट करने का है इसलिए एलॉटमेंट कर दो। उसको उसमें एलॉटमेंट हो गया।

जैसा मैंने अर्ज किया कि रेवेन्यू मिनिस्टर उस समय मुख्य मंत्री थे और डिप्टी मिनिस्टर रेवेन्यू, श्रीमान् रामप्रसादजी लड्ढा थे तो श्री रामप्रसादजी लड्ढा ने क्या किया कि महावीरप्रसाद जैन नाम का कोई व्यक्ति है तो महावीर प्रसाद को ६२ में नहीं; ६३ में नहीं और २४-४-६४ को बिना सैलाइन एरिया डिक्लेयर किये, सैलाइन रूल्स के मातहत उनकी अवहेलना करते हुए, इन्डस्ट्रियल एरिया एलॉटमेंट रूल्स की अवहेलना करते हुए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आदेश दे दिया २४-४-६४ को कि जाफरी नगर की खारड़ी में इनको नमक का प्लॉट एलॉट कर दिया जाय। फिर भंवरी देवी के साथ तीन महिलाएं हैं और एक व्यक्ति है, इन चारों को फिर ६-७-६४ को जमीन एलॉट कर दी। यह जमीन कहां एलॉट की ? साम्भर में जाफरी नगर का एरिया है, उपाध्यक्ष महोदय, तो इस जाफरी नगर के बारे में साम्भर में साल्ट के सम्बन्ध में जो ट्रीटी हुई थी तो उस समय विवाद चला था उस समय तय हुआ था और उसके बाद में कृष्णमाचारी एवार्ड हुआ है उसमें साफ लिखा है कि राजस्थान सरकार इसके आसपास में नमक बनाने के लिए कोई प्लॉट एलॉट नहीं करे, क्योंकि इसके कारण से वाटर का जो फ्री फ्लो है वह रुक जाता है। वहां के साल्ट कमिश्नर ने इसका विरोध किया। एक बार नहीं कई बार विरोध किया और डिप्टी मिनिस्टर से आकर पर्सनली रिक्वेस्ट की....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : One minute. माननीय उपाध्यक्ष, जो आपने महावीर प्रसाद जैन के ऑर्डर का हवाला दिया है तो एक बात आपकी जानकारी में नहीं है इसलिए आपके कमेन्ट्स होने से पहले आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि राजस्थान गवर्नमेंट के कन्वर्शन के जो रूल्स हैं उसके अन्दर ...

कुछ माननीय सदस्य : जोर से बोलिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप ठहरिये।

२०-७-६३ या २०-१२-६३ को एमेंडमेंट किया गया कि जो जमीन जिसकी खातेदारी की है यदि वह कन्वर्ट करना चाहे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उन्हीं शर्तों के साथ कन्वर्ट कर सकता है कि जो सैलाइन रूल्स में शर्तें दी हुई हैं। यह २०-१२-६३ को नोटिफिकेशन निकला जिसके अन्दर रूल्स जो कन्वर्शन के हैं उनके अन्दर एमेंडमेंट किया, और इस एमेंडमेंट करने की वजह से जिस आदमी का आप नाम लेते हैं उसकी वह खातेदारी की जमीन थी उसने यह जाहिर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

किया कि चूंकि खातेदारी की मेरी जमीन है और काश्त के काम में नहीं आती है इसलिए साल्ट बनाने के काम में लेना चाहता हूँ। उसके ऊपर हमने डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ से रिपोर्ट ली और कलेक्टर से रिपोर्ट ली और उनकी रिपोर्ट लेने के बाद जब उनका नो ऑब्जेक्शन मिला तो अपने रूल्स के अन्दर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसने १५ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उन्हीं शर्तों को लागू करते हुए जो कि सैलाइन एरियाज़ के लिए १० वर्ष की लीज़ है यह की गई है। कन्वर्शन के जो एमेंडेड रूल्स थे उनके तहत किया गया है। उसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। इसका कानूनी दृष्टि से आप दुबारा अध्ययन कर लें। और यह भी कहना चाहता हूँ कि न तो वे मेरे रिश्तेदार हैं और न मैं साझेदार और न किसी तरह की जान-पहचान है। रूटीन के अन्दर जो कन्वर्शन के लिए कलेक्टर के यहां से जो फाइलें आई और डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ से जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर फाइल पर निर्णय लिया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी इसमें इतनी दिलचस्पी रही, क्योंकि आपको याद बहुत है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री महोदय ने एक बात स्वीकार की है लैण्ड कन्वर्शन रूल्स के अनुसार हुई है। उनके मातहत इस प्रकार के ऑर्डर्स दिए। जब कलेक्टर और दूसरे अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में सिफारिश की तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सैलाइन एरिया और साल्ट मैन्युफेक्चरिंग करने के लिए सैलाइन एरिया एलॉटमेंट रूल्स सरकार ने बनाये हैं और १९६२ में प्रकाशित किये हैं कि नमक बनाने के लिए यदि प्लाट्स एलॉट किये जायं तो इन रूल्स के अलावा किन्हीं रूल्स के आधार पर जमीन एलॉट नहीं की जा सकती।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : This has also been examined. इसकी कानूनी स्थिति को हमने एक्ज़ामिन कराया तो लॉ डिपार्टमेंट ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को उन रूल्स के तहत स्वयं ही कन्वर्शन करने का अधिकार है। गवर्नमेंट की अनआक्युपाइड लैण्ड नहीं थी। उसने खातेदारी लैण्ड को सरेन्डर किया गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट को सरेन्डर करने के बाद वह सरकार की मिल्कीयत हो गई। जब वह गवर्नमेंट की मिल्कीयत हो गई तो उसको १० वर्ष की लीज़ पर दी गई।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला कन्वर्शन का नहीं है। माननीय मंत्री जी यह कहते हैं....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकारी जमीन नहीं थी। उनके स्वयं की खातेदारी की जमीन थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब गवर्नमेंट को जमीन सरेन्डर कर दी तो एलॉटमेंट के लिए गवर्नमेंट का टाईटल हो गया।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि गवर्नमेंट को सरेन्डर कर दिया और सरेन्डर करने के बाद आपने कन्वर्शन ऑर्डर दे दिये। आप

(श्री भैरोंसिह)

लॉ डिपार्टमेंट की बात कहते हैं तो मैं यह आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि लॉ डिपार्टमेंट ने यह आपको लिखा है कि जब तक सैलाइन एरिया डिक्लेयर नहीं होता है तब तक....

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : Absolutely wrong.

श्री भैरोंसिह : Absolutely correct. आप उस फाइल को यहां पर पेश कर दें ताकि इस बात का पता लग जायगा कि कौन सच्चा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I have no objection.

श्री भैरोंसिह : मैं इतना और निवेदन करदूं कि आप जो कह रहे हैं खातेदारी मानते है पर आज भी उसको खातेदारी राइट्स नहीं हैं बल्कि बालू रेगर को खातेदारी अधिकार है। आप किसकी जमीन एलॉट कर रहे हैं ? बालू के नाम का खाता है। मीठड़ी साल्ट कॉर्पोरेशन....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बालू कौनसा आ गया, महावीर प्रसाद जैन....

श्री भैरोंसिह : आप कह रहे हैं कि मीठड़ी साल्ट कॉर्पोरेशन, महावीरप्रसाद जैन और भंवरी देवी ये तीन हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस भंवरी देवी ने नमक उत्पादन का काम नहीं किया जब रूल्स ये हैं कि ६ महीनों तक यदि नमक–उत्पादन का काम नहीं करे तो एलॉटमेन्ट कैंसिल होगा लेकिन एलॉटमेन्ट कैंसिल करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। आज भी उसका जमीन पर कब्जा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये हैं कौन देवीजी ?

श्री भैरोंसिह : देवीजी बहुत हैं।

कोटा में एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री के लिये जमीन एलॉट की गई। इस दृष्टि से जमीन एलॉट करनी हो तो उसके लिये सरकार ने नियम बना रखे हैं और यह तय कर दिया है कि कोटा शहर से १५ मील के क्षेत्र में यदि कोई लैंड एलॉट की जायगी तो १५००) रु. प्रति एकड़ के हिसाब से की जायगी। इसके मुताबिक उक्त फर्टिलाइजर फैक्ट्री ने लैंड एलॉट करने के लिये राज्य सरकार से मांग की कि हमको जमीन दी जाय। जमीन किस भाव से दी जाय यह आखिर में तय हुआ कि १५००) रु. प्रति एकड़ के भाव से दी जाय। इसको मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया, इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर ने स्वीकार किया और चीफ सेक्रेटरी ने स्वीकार किया। सबने स्वीकार कर लिया और फैक्ट्री को अंत में कहलवा दिया कि १५००) रु. प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन दी जायगी। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उस फैक्ट्री को १५००) रु. प्रति एकड़ के भाव से देने का निर्णय लेने के बाद वह जमीन उसको १०००) रु. प्रति एकड़ के भाव से दी गई और इससे राज्य सरकार को ५ लाख रुपयों का घाटा हुआ। मैं पूछता हूं कि इसमें वित्त मंत्रीजी और वित सचिव दोनों ने इस बारे में कहा था कि १५००) रु.

(श्री भैरोंसिंह)

एकड़ के हिसाब से ही दी जाय। इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर और इन्डस्ट्रीज सेक्रेटरी दोनों ही कहते है कि १५००) रु. प्रति एकड़ वसूल किये जाय इससे कम में देने से ५ लाख का घाटा होगा जो नहीं उठाना चाहिये और इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर ने तो यहां तक कह दिया कि रूल्स बने हुए हैं उसी हिसाब से एलॉटमेन्ट करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात यह है कि सुखाड़ियाजी ने मंत्रीमंडल में शिवजी की बारात क्यों बना रखी है। आखिर पता लगाने से पता चला कि उन्होंने शिवजी की बारात इसलिये बना रखी है कि केबिनेट में मुख्य मंत्रीजी कहें जैसा हाथ उठादें। उस फैक्ट्री से एप्लीकेशन ली गई जिसमें उसने कहा कि यह जमीन उसको १०००)रु० प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाय। इस पर फाइनेन्स सेक्रेटरी कहते हैं कि १५००) रु. प्रति एकड़ से वसूल किया जाय। तब मामला केबिनेट में चला गया और केबिनेट की मीटिंग उस दिन रखी जिस दिन इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर अनुपस्थित रहे। उस समय कागजात पेश किये गये। बाकी मिनिस्टरों से पूछा जाय कि आपको पता है क्या कि किस बात पर आपने दस्तखत किये हैं और कौनसी बात स्वीकार की है तो उनको पता नहीं होगा। लेकिन उस फर्टिलाइजर फैक्ट्री को १० हजार एकड़ भूमि १५००)रु० प्रति एकड़ के हिसाब से देने के स्थान पर १०००) रु० एकड़ के हिसाब से दी गई और उसमें ५ लाख रुपये का घाटा हुआ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कह दूं तो सुविधा होगी। जिस फैक्ट्री को एक हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन देने का जिक्र वे कर रहे हैं उस फर्टिलाइजर फैक्ट्री को हनुमानगढ़ में फैक्ट्री लगाने के लिए १ हजार एकड़ या कुछ ज्यादा जमीन ३००) रु. एकड़ के हिसाब से दी गई थी। ३००) रु. एकड़ के हिसाब से जमीन देने के बाद हनुमानगढ़ में फैक्ट्री लगाना इकोनॉमिक रीजन्स से सम्भव नहीं था इसलिये कि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट ज्यादा पड़ती थी और उन्होंने चैन्ज ऑफ साइट के लिए एप्लीकेशन दी कि हनुमानगढ़ के बजाय कोटा में लगाना चाहते हैं तो वैसे तो जिस साल में रूल्स थे उस साल कोटा में जमीन ली हुई होती तो ५००)रु० एकड़ के भाव से मिलती लेकिन ३००)रु० के हिसाब से हनुमानगढ़ में दी थी, चैन्ज ऑफ साइट के लिये एप्लाई किया था। लैंड में साइट की कॉस्ट है उसको रिवाइज करते तो वाजिब नहीं होता क्योंकि उनके साथ लैंड के बारे में एग्रीमेन्ट था इसलिए ३००) के बजाय १०००) रु० चार्ज किया तो मैं समझता हूँ इससे गवर्नमेंट के पास रुपये ज्यादा आये जब कि प्रीवियसली ३००) रु० के हिसाब से हनुमानगढ़ में एलॉट कर चुके थे।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मुख्य मन्त्रीजी जो कह रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए सही मान लिया जाय। यह बात भी सही है कि पहले फर्टिलाइजर फैक्ट्री हनुमानगढ़ में लगाने वाले थे और यह बात भी सही है कि ३००) के हिसाब से वहां पर जमीन दी जाने वाली थी। उसके बाद हमने एलॉटमेंट रूल्स बदले और एलाटमेंट रूल्स में यह तय किया कि कोटा में इन्डस्ट्रियल एरिया के लिए १५

(श्री भैरोंसिंह)

मीन में जमीन दी जायगी तो १५००) रु. प्रति एकड़ के भाव से दी जायगी । मुख्यमन्त्रीजी कह रहे हैं तो उनको मालूम होगा कि यह पॉईन्ट रेज किया था पहले भी....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बाद में जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी उसके साथ गवर्नमेन्ट के आर्डर्स उनके पास सेक्शन के थे। पहले हनुमानगढ़ के बारे में उनके पास आर्डर पहुंच चुका था । पहली एप्लीकेशन के साथ नहीं था बाद में कॉपी अटेच करदी थी ।

श्री भैरोंसिंह : यह बात गलत है, उस फैक्ट्री ने शुरु से झगड़ा किया । उसका आरम्भ का मेमोरेन्डम है उसमें इस बात का जिक्र है कि हनुमानगढ़ में ३००) में जमीन मिलने वाली थी इस बात को स्वीकार नहीं किया । उसके बाद मुख्य मन्त्रीजी ने ११-४-६६ को इस बात को स्वीकार कर लिया सारे रिप्रजेन्टेशन, मैमोरेन्डम के बाद कि किसी भी हालत में १५००) प्रति एकड़ से दी जायगी कम में नहीं दी जायगी यह तय है । बाद में कहा यह बात असत्य है । शुरु का जो रिप्रजेन्टेशन है उसके बाद मीटिंग हुई है पॉइन्ट डिस्कस किया है और बाद में गवर्नमेन्ट ने डिसीज़न लिया है कि १५००) प्रति एकड़ से दी जायगी । उसके बाद १०००) रु० प्रति एकड़ के हिसाब से देकर ५ लाख रुपयों का गवर्नमेंट को घाटा हुआ है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : This is lease.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हनुमानगढ़ में ३००) से देकर कौन सा उचित कार्य कर रहे थे । वहां पर एग्रीकल्चर लैंड का भाव ३०००) एकड से दे रहे थे पहला स्केन्डल तो यह हुआ और सैकण्ड कोटा का हुआ ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : This is not outright sale.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ इन्डस्ट्रीज के मामले पहले उठाये गये थे, वे मामले सारे, अध्यक्ष महोदय के चेंबर में प्रस्तुत किये गये और निर्णय यह लिया गया कि सारे मसले पर राज्य सरकार को इन्क्वायरी करानी चाहिये । उस समय इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जबसे ब्लेक मार्केटिंग की शिकायत उसके खिलाफ आई है तब से उसको कोटा नहीं दिया । मैं कहना चाहता हूँ कि जयपुर मेटल उद्योग ने उदयपुर में एक कारखाना खोलने के लिये राज्य सरकार से सेंक्शन मांगी है और इम्पोर्ट करने के लिए सेंक्शन मांगी । बदकिस्मती इस बात की है कि उस कम्पनी ने जमीन एलॉटमेन्ट के लिए दर्ख्वास्त दी और कलेक्टर, उदयपुर से जमीन का एलॉटमेन्ट नहीं हुआ उसके पहले हमने उसको इम्पोर्ट लाइसेन्स के लिए सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया । आवश्यकता यह है कि पहले जमीन एलॉट हो फिर माल मंगाने के लिये लाइसेन्स दिया जाय । लेकिन इस मामले में बदकिस्मती यह है कि पहले जमीन एलॉट नहीं हुई उससे पहले माल देने के लिये सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया । अब इस प्रकार के सर्टिफिकेट्स कैसे इश्यू होते हैं इस बारे में मैं आपको एक लेटर पढ़ कर सुनाता हूँ जिससे अपने आप स्पष्ट हो जायगा कि कानून का अभी पालन नहीं हुआ........

"My dear Sadasivan,

(श्री भैरोंसिंह)

Sometime back while I was working as Director of Industries and Civil Supplies, I had addressed a letter to your predecessor, Shri Kochar to expedite the case for allotment of land to this unit in order to enable them to start production early. I am now given to understand that probably there was some difficulty as regards the allotment of particular land earlier but the matter has been since then settled I shall be grateful if you will finalise the allotment early and inform the Director of Industries so that he can take further action as is needed."

उस लेटर को एन्डॉर्स करके आगे लिखते हैं :

"Copy forwared to the Director of Industries and Supplies with a request that since the party stated that they have purchased machinery worth Rs. 3 lacs and the same are lying at Calcutta, As the land has not been allotted, E. C. valued Rs. 80,000/-as requested by the party and as per approved programme may be issued. After the issue of the E. C. the concerned officers may pursue the programme of the unit and keep the Government also informed.

ये दोनों लेटर्स, ये दोनों आज्ञायें, जो इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट से जारी की गईं, मैं समझता हूँ, कानून के बिल्कुल खिलाफ हैं, एलॉटमेंट आफ रॉ मैटिरियल का जो कानून है उसके खिलाफ हैं और जो सरकार ने नियम बना रखे हैं उनके खिलाफ हैं। आखिर यह खिलाफत क्यों चलती है ? वह खिलाफत इस लिए चलती है कि कुछ लोग आज ब्लैक मार्केट करने में, उपाध्यक्ष महोदय, इतने प्रवीण हो गये हैं कि उनको किसी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं रहती है वह कितना ही ब्लैक मार्केट क्यों न करें। राज्य सरकार ने इस विधान सभा के अन्दर और विधान सभा के बाहर कई बार ऐसी सूचियां भी दी हैं जिनमें राजस्थान की लगभग ४६ फर्म्स को ब्लैक लिस्ट में दर्ज किया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिन फर्म्स को ब्लैक लिस्टेड किया गया है उनके खिलाफ एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत कभी प्रॉसीक्यूशन नहीं किया गया है। लेकिन इससे भी बदकिस्मती की बात यह है कि ब्लैक लिस्ट जिन फर्म्स को किया गया उनमें से कई फर्म्स को फिर उस लिस्ट से हटा कर फिर कोटा दे दिया गया। और, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी फर्म्स की संख्या कोई कम नहीं है, राजस्थान में ऐसे ब्लैक मार्केटियर्स की संख्या किसी प्रकार से कम नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैं नाम के लिए कुछ ऐसी फर्म्स के नाम बताऊं जिनकी फर्म्स ऐसी हैं जिनमें प्रोडक्शन के नाम कुछ भी नहीं किया गया है—रूंगटेल इन्डस्ट्री अलवर, मोटवानी इन्डस्ट्रीज, न्यू केमिकल इन्डस्ट्री जयपुर, मेटल इन्डस्ट्रीज जयपुर। यह मेटल इन्डस्ट्रीज जयपुर के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि स्टेनलैस स्टील का कोटा देते हैं जब कि इसके सम्बन्ध में सरकारी आफिसरों की रिपोर्ट है। आपके जो डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर हैं उनकी रिपोर्ट है कि इस फर्म ने जो माल खरीदा, और

(श्री भैरोंसिंह)

माल उठाया, उसको दूसरी कम्पनी को बेच दिया और वह माल उठा कर मद्रास लेगई। यह सरकारी रेकार्ड पर बात है कि इस कम्पनी ने कोटे के माल को बेचा है और जबर्दस्त ब्लेक मार्केट किया है। लेकिन उसके बाद भी इसको ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है और इसको दुबारा कोटा दिलाना चाहते हैं। इस प्रकार राजस्थान के अन्दर ३१ इन्डस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने कोटा में मिले माल का ब्लेक मार्केट किया है, लेकिन राजस्थान की सरकार ने किसी प्रकार का उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मैं दो प्रश्न इस सम्बन्ध में और रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, १९५९ के अन्दर साल्ट पीटर का कॉन्ट्रेक्ट हुआ और उस साल्ट पीटर के कॉन्ट्रेक्ट को दो साल के लिए किया गया था, वह कान्ट्रेक्ट २३०० रुपये में किया गया था। उस समय उसका आक्शन नहीं किया गया। १९६१ के अन्दर कुछ पार्टीज ने दरख्वास्त दी कि हम २३०० की जगह इस कॉन्ट्रेक्ट के लिए बीस हजार रुपये देने को तैयार हैं लेकिन उनकी इन दर्ख्वास्तों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और १९६१ में पांच वर्ष के लिए उसी कॉन्ट्रेक्टर को एक्सटेंशन दे दिया गया। कॉन्ट्रेक्ट के इन पांच वर्षों के अन्दर कई पार्टीज ने केवल एप्लीकेशनें ही नहीं दीं बल्कि इसके लिए बीस हजार देने के लिए तैयार थे इस हजार रुपये देने के लिए तैयार हैं, बल्कि १९६६ के अन्दर तो एक पार्टी द्वारा यह कह दिया गया कि हम इसके लिए पचास हजार रुपये देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन्डस्ट्रीज विभाग और राजस्थान सरकार ने यह तय किया कि इस साल्ट पीटर का ऑक्शन होना चाहिए। इसके बाद में आक्शन होने का आर्डर हो गया और २५ जुलाई आक्शन के लिए तय हुई। २५ जुलाई को जब बिडर्स वहां पहुँचे तो आफिसर ने कहा कि अगले महीने के अन्दर आक्शन होगा। फिर अगस्त के अन्दर बिडर्स पहुंचे तो उनको आफिसर द्वारा कह दिया गया कि आक्शन नहीं होगा, बल्कि एक व्यक्ति को २३०० रुपये से बढ़ा कर ४६०० रुपये के अन्दर लीज को एक्सटेंड कर दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि इस व्यक्ति, जिसने यह शिकायत की थी, ने राजस्थान के उद्योग विभाग के सचिव के पास जाकर उनके सामने पचास हजार के नकद नोट रख दिये और कहा कि आप आदेश फर्मायें तो मैं इस साल्ट पीटर के कान्ट्रेक्ट के लिए, ४६०० रुपये जो वह पार्टी दे रही है, उसके बजाय पचास हजार रुपये देने को तैयार हूं, मैं साल्ट पीटर इन्डस्ट्री इन्स्टाल करने के लिए तैयार हूँ, उस एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए तैयार हूं। इससे पहले जो आक्शन का आर्डर दिया गया था और बिडर्स को बुलाया गया था तो इसमें बदकिस्मती यह है कि यह सब चुपचाप नहीं हुआ। आपके डाइरेक्टर महोदय गये हुए थे हनुमानगढ़ और वहां एक डिप्टी मिनिस्टर मनफूलसिंहजी थे। उनके सामने लोगों ने शिकायत की थी और यह कहा था कि साल्ट पीटर का कॉन्ट्रेक्ट ऑक्शन के द्वारा होना चाहिए और जिसको कॉन्ट्रेक्ट दे रखा है उसकी लीज एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उस वक्त कहा कि यह लीज एक्सटेंड नहीं होगी और इसका ऑक्शन होगा। लेकिन उसके बाद भी ऑक्शन नहीं हुआ और लीज को एक्सटेंड

(श्री भैरोंसिंह)

कर दिया गया । मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और चीज क्या होगी जिससे यह साबित हो कि राजस्थान सरकार किस प्रकार जनता के धन को बर्बाद कर रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार शीप एण्ड वूल विभाग के द्वारा वूल पेक्स खरीदने का कॉन्ट्रेक्ट किया गया । उसके अन्दर जो लोएस्ट बिडर था उसकी बिड स्वीकार कर ली गई । जब ऐसे आदेश हो गये कि माल सप्लाई करना शुरू कर दिया जाय, उसके बाद में जो दूसरा बिडर था, पता नहीं विभाग ने जाने क्यों, मैं कारण कह नहीं सकता, उस दूसरे आदमी को भी उस कॉन्ट्रेक्ट के अन्दर शामिल कर दिया, बिना सरकार के कहे उस आदमी को शामिल कर दिया गया । जब उनको कहा गया तो उन्होंने कहा कि यह हमारे अधिकार में आता है । लेकिन अब उन दोनों आदमियों के अन्दर कसमकस चलेगी और उसके बाद में एक आदमी अदालत में जायगा और राज्य सरकार से पूरा धन वसूल करना चाहेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस राजस्थान सरकार ने कम से कम राजस्थान को बर्बाद करने में तो किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्रीजी जब अजमेर से आये तो वित्त मन्त्री बनने के बाद इन्होंने गारन्टी सिस्टम इन्ट्रोड्यूस किया । यह बात सही है कि गारन्टी सिस्टम से शराब की बिक्री ज्यादा होती है । यह बात भी सही है कि गारन्टी सिस्टम से शराब से होने वाली आमदनी ज्यादा हुई है । लेकिन इन शराब के ठेकेदारों के अन्दर आज भी इस राजस्थान सरकार का ६८ लाख रुपया बकाया है, जब कि गारन्टी सिस्टम के अनुसार इस बकाया रकम को तुरन्त वसूल करना चाहिए । इस रकम को वसूल करने का यह मामला कई बार केबिनेट के सामने गया है और कई बार इस बकाया के मसले के ऊपर सम्बन्धित विभागों के मन्त्रियों के बीच में विचार-विमर्श किया गया है । और जब शराब के इन ठेकेदारों के रिप्रेजेंटेशन आये उस समय मन्त्रियों ने यह कहा कि यह मामला पी. डी. आर. के अन्दर चला गया है और इस बकाया रकम को वसूली करने के लिए कलेक्टर्स को चिट्ठी लिख दी है फिर भी इन केसों को पी० डी० आर० से विथड्रा कर लिया जाय, और कलेक्टर्स को जो हिदायत दी गई थी वह भी विथड्रा कर ली जाय । उसके बाद में अब उन ठेकेदारों के साथ में नेगोशियेशन्स चल रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूँ कि राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता को शराब पिलाने में माहिर है, राजस्थान की सरकार शराब से आमदनी करने में माहिर है, लेकिन राजस्थान की सरकार इस बात में भी माहिर है कि ६८ लाख रुपए की बकाया में छूट देकर शराब के ठेकेदारों से चन्दे में पैसा ले ले और इस मामले को दबाने की कोशिश करे ।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि भारत सरकार ने जब ज़ोनल कॉन्फ्रेन्स बुलाई थी और जिस ज़ोनल कॉन्फ्रेन्स में हमारा रिप्रेजेन्टेटिव

(श्री भैरोंसिंह)

गया था उस वक्त में यह उसमें यह स्वीकार किया गया था कि अमल हिन्दुस्तान में प्राइ-वेट फर्म से नहीं बिकेगी और सरकारी दूकानों से ही विकेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में और स्थानों पर तो सरकारी दूकान से बिकने का इन्तजाम कर दिया गया लेकिन बीकानेर के अन्दर वहां का ठेकेदार भूरे खां द्वारा, जो कि कानून के बिल्कुल विपरीत है, अमल बिकता है और भूरे खां अमल का व्यापार करता है। अमल का ठेका उस व्यक्ति को इस राजस्थान की सरकार द्वारा दिया हुआ है। और वह ठेका उस व्यक्ति को इसलिए दिया गया है कि पाकिस्तान के अन्दर जो अमल का तस्कर व्यापार होता है, वह तस्कर का व्यापार यह व्यक्ति करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह कौन सी बात थी जिसको लेकर राज्य सरकार ने यह सारी व्यवस्था की है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ जमीन के एलॉटमेंट का जिक्र किया था। मैं इस सदन की जानकारी के लिए उसके सम्बन्ध में कुछ प्रमाण रखना चाहता हूं। इस मामले में तीन व्यक्ति थे ललिता प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद और कन्हैया लाल। इन्होंने ४-६-६१ को माननीय भूत-पूर्व राजस्व मन्त्री श्री दामोदरलाल व्यास के पास एप्लीकेशन दी है और इन्होंने उस पर लिख दिया है बाई हैन्ड :

"Tehsildr, Sanganer, to report if any land is available for allotment."

और उसके बाद में तहसीलदार की रिपोर्ट आती है १६-६-६१ को और ३१-७-६१ को माननीय मन्त्री का इन तीनों के लिए आदेश हो जाते हैं कि इन तीनों को सांगानेर में जमीन एलॉट कर दी जाय। उसके बाद में सांगानेर में जमीन इन तीनों को एलॉट करदी गई। यह कोई सांगानेर में रहने वाले लैंडलैस टेनेन्ट नहीं थे। और इन्हीं मन्त्री महोदय का वह कानून बनाया हुआ है जिसके आधार पर ही जमीन एलॉट की जा सकती है और उसमें यह प्रावधान है कि इसके लिए डिक्ले-रेशन होना चाहिए कि आर्थिक स्थिति खराब है, दूसरे ऐसे लोगों को देनी चाहिए जो लैण्डलैस टेनेन्ट हों, तीसरे तहसीलदार द्वारा उनके प्लॉट काटने चाहिए, चौथे उसके लिए एप्लीकेशन होनी चाहिए और फिर लैण्ड एलॉटमेंट कमेटी के द्वारा जमीन के एलॉटमेंट का प्रस्ताव पास करना चाहिए इसके बाद ही जमीन का एलॉटमेंट किया जा सकता है। इसके बाद में प्रॉयोरिटीज देने के लिए भी राजस्थान की सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसके ज़रिए हरिजनों को प्रॉयोरिटी देनी चाहिए। इसके अलावा यह बात तय की गई है, यह बात सही है कि जयपुर के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला कि बारह मील के क्षेत्र के अन्दर बिना राज्य सरकार की अनुमति के एलॉटमेंट नहीं होगा। लेकिन उसमें यह नहीं है कि यह मसला लैण्ड एलॉटमेंट कमेटी में नहीं जायगा, यह भी नहीं है कि तहसीलदार प्लॉट नहीं काटेगा, यह भी नहीं है कि बाकी का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जायगा। हर मामले के अन्दर प्रोसीजर को फॉलो करना जरूरी होगा, सिर्फ यह है कि जयपुर के आसपास की जमीन को देने के लिए

(श्री भैरोंसिंह)

एलॉटमेंट निश्चित रूप से राज्य सरकार की स्वीकृति से होगा। लेकिन इस मामले में कलेक्टर से नहीं पूछा, न वहां के एस. डी. एम. से पूछा है, न लैण्ड एलॉटमेंट कमेटी ने उनको एलॉटमेंट करने की बात कही है। बस इनको जमीन एलॉट कर दी गई है। इसके अलावा रूल्स के अनुसार दस वर्ष तक खेती करने के बाद ही खातेदारी के राइट मिलने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उनके साथ इस बात की कोई कन्डीशन नहीं है, उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है और उनको खातेदारी के राइट मिल गए हैं। आज जमीन पर उनका कब्जा है और राजस्थान के सवर्ण, हरिजन और एक्स-सोल्जर्स किसी प्रकार से कुछ भी प्रार्थना करते रहें उनकी प्रार्थना को सुनने के लिए आप तैयार नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार मैंने हथियारों का मामला उठाया था और उसके बारे में विजिलेन्स कमीशन के पास उसको भेज दिया गया था। इस बार मैं उसका एक मामला और आपके सामने रखना चाहता हूं। १९५४ में कुछ तोड़ेवाली और कुछ दूसरी देशी बंदूकें जो १ हजार थीं उनको एक चिमनलाल ने १६) रु० की बिड दी थी और उसकी वह बिड स्वीकार हो गई। उसके बाद उसने २०० बन्दूकें उठाई और उसके बाद में बाकी की बन्दूकों को उठाने से इन्कार कर दिया। फिर आगे चल कर इसके लिये कमेटी बनी और उस कमेटी ने दुबारा टेन्डर इन्वाइट किये और टेन्डर आये उसने एक व्यक्ति ने २८) की बिड दी और उसकी वह बिड २८) की स्वीकार हो गई और जब वह उन बन्दूकों को उठाने गया तो उस समय पहले वाले व्यक्ति ने अपील की और उसका नतीजा यह हुआ कि उसी चिमनलाल को जिसने १९५४ में १६) में उन बन्दूकों को खरीदी थी उनको वे बन्दूकें दे दी गई जिसके एवज में २८) की बिड आई थी, और इस प्रकार एक हजार बन्दूकें बेचने के आदेश दिये गये थे और इससे जनता को १० हजार का घाटा खाना पड़ा।

इतना ही नहीं, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा यह सरकार कहती है कि हम ब्लेक मार्केट नहीं करते। इसके संबंध में निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार ने फीएट कारों में ब्लेक मार्केट किया है। इसके बारे में राजस्थान में कई दिनों से घोटाला चल रहा है और वह इस प्रकार है कि यदि ब्लेक मार्केटिंग में किसी का चालान किया जावे तो मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें राजस्थान सरकार के मंत्रीजी को बचने की कोई सूरत पैदा नहीं होती और वह क्यों नहीं होती उसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार का कन्ट्रोल ऑर्डर है। उस कन्ट्रोल ऑर्डर के मातहत कोई

(श्री भैरोंसिंह)

प्राइवेट आदमी दो वर्षों से पहले अपनी फीएट को बिना आज्ञा के नहीं बेच सकेगा। इसमें कुछ रिजर्व कोटा भी है और वह है मिनिस्टरों, एम० एल० ए०, पब्लिक नोटेरीज आदि जो पब्लिक के यूज के लिये गाड़ी लेना चाहते हैं। रिजर्व कोटा है उसमें किसने किस हिसाब से गाड़ी ली यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्री रामकिशोरजी व्यास ने अगस्त-अक्टूबर १६५६ में गाड़ी ली। फरवरी-अप्रेल ६०-६१ में फिर एक ली। मई-जुलाई ६२ में फिर एक गाड़ी ली और नवम्बर ६५ में फिर एलॉटमेंट करवा कर गाड़ी ली। इसके बाद और मिनिस्टरों ने भी गाड़ियें लीं।

इसी प्रकार श्री बरककतुल्ला खां ने मई जुलाई १६६० में एक गाड़ी ली। मई-जुलाई १६६१ में एक गाड़ी ली। अगस्त-अक्टूबर १६६२ में एक गाड़ी ली। नवम्बर-जनवरी १६६४-६५ में फिर गाड़ी ली।

उसके बाद श्री मथुरादासजी माथुर ने फरवरी-अप्रेल १६६३ में एक गाड़ी ली। फरवरी-अप्रेल ६५ में एक गाड़ी ली।

श्री कौल सहाब ने फरवरी-अप्रेल १६६३ में एक गाड़ी ली और फरवरी-अप्रेल १६६५ में एक गाड़ी ली।

श्रीमती प्रभा मिश्रा ने इसी प्रकार मई-जुलाई ६३ में ली। नवम्बर ६५-६६ के लिये जो अभी आया नहीं है फिर गाड़ी रिजर्व कराई है।

अब कायदा क्या है वह भी मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं। कायदा यह है कि सरकार ने जो तय किया है उस कायदे के अनुसार जो गाड़ियें दी जावेंगी उसके लिए १६६४ जनवरी में नियम बनाये—

"Allotment of Government quota of cars will be subject to the condition that if the allottee desires to sell his car earlier than 5 years from the date of delivery he would be bound to sell it to the Government at a depreciated value assessed by the Chief Superintendent, Motor Garage in accordance with the rules."

अब ऐसी हालत में पांच वर्ष पूरे नहीं हुए और दो वर्ष पहले गाड़ियें खरीदीं और राजस्थान सरकार को डेफिसिट वेल्यू से नहीं बेची। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर इसकी इन्क्वायरी कराई जावे तो आपको मालूम होगा कि किसी ने फीएट

(श्री भैरोंसिंह)

में १२ हजार कमाये और किसी ने २० हजार कमाये हैं और किसी ने ४० हजार इस प्रकार ब्लेक मार्केटिंग के जरिये कमाये हैं।

बदकिस्मती यह है कि माथुर साहब जो ट्रान्सपोर्ट के मिनिस्टर थे और अब उनके बाद में हमारे चन्दनमलजी मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट हुए हैं। जब ये मिनिस्टर हुए तो इनको चिन्ता इस बात की हुई कि उनके पहले के मंत्री हैं उन्होंने पहले ही सब गाड़ियों को ६७ तक एलॉटमेंट करा दी तो मेरे पास क्या एलॉटमेंट का फायदा हैं। मैं यह कहूंगा कि भूतपूर्व मंत्री ने जो एलॉटमेंट किया था उसको गलत मानकर किया। तो आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि पब्लिक कोटा से किस व्यक्ति को एलॉट किया है तो हम इस बात को भी स्वीकार करेंगे कि अगले कोटा की गाड़ी समय से नहीं आने से पहले दूसरों को एलॉटमेंट। नहीं कर सकते। यह सारी गलत कार्यवाही यातायात मन्त्री ने की है। मैं यह कहूंगा कि जो हुकूमत यह कहना चाहती है कि ब्लेक मार्केट को रोकना चाहिये उसको पहले यह देखना चाहिये कि इस हुकूमत में कितने लोग ऐसे हैं जो ब्लेक मार्केटिंग करते हैं और बैठे हैं?

अगर आज कोई भी कानूनी मसला उठाया जावे तो किस को जाकर कहा जाए ऐसी मुश्किल आ गई है? राजस्थान की सरकार ने एक गैस टरबाइन खरीदा और उसके लिये बिजली की कमी का बहाना बनाया। इसके साथ–साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान विद्युत मंडल के इंजीनियरों ने यह राय दी थी एक बार कि ऐसे टरबाइन को खरीदने से १६ लाख का घाटा होगा और ४७ पै० प्रति युनिट खर्चा होगा। जो हम चला नहीं सकेंगे और इसमें हाई स्प्रिट डिजिल काम में आवेगा। और इस पर राजस्थान के मन्त्री–मण्डल ने यह निर्णय ले लिया कि इसको नहीं खरीदा जावे और किसी भी प्रकार से बिजली को पूरा किया जाए। इसके लिये कोई आल्टरनेटिव निकाला जाए। उसके बाद दिल्ली में बैठक हुई और दिल्ली में फैसला हुआ। वहां यह तय हुआ राव साहब ने कहा कि इसको खरीदा जावे। पद्मनाभन् और दूसरे इंजीनियरों ने जिन्होंने पहले अपनी रिपोर्ट दी थी कि इसको नहीं खरीदा जावे वे फिर बदल गये और उन्होंने कहा कि १३.५ पैसे यूनिट से बिजली इससे पैदा होगी और ६० लाख का खर्चा होगा। इसमें कोई खर्चा नहीं होगा और गैस टरबाइन आ गया। इसके लिये एक करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। ५० पैसे युनिट का खर्चा और चलावे तो ५० लाख का घाटा हमारे सामने आयेगा।

अजमेर में अमलगेटेड कं० है। उसका कॉन्टेक्ट १९५८ में हुआ। जब उसको टेक ओवर करने के लिये गये तो वह हाई कोर्ट में गये और वहां पर वह हार गये और उसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट में गये और जब हम जीतने वाले थे तो राजस्थान सरकार ने वह मुकदमा वापिस ले लिया और ३० वर्षों का लीज उनको वापिस दे दिया। हमने उनसे जो कन्डीशन की थी कि अमुक समय तक बिजली लेनी होगी। उसने यह तय

(श्री भैरोंसिंह)

किया चम्बल की बिजली इस भाव से और बाकी की बिजली इस भाव से मिलेगी। मगर उसने बिजली नहीं ली। अजमेर की जनता चिल्लाई तो फिर वित्त मन्त्री ने उसको नोटिस दिया। मैं इस बात के लिये उनको धन्यवाद देता हूं कि झगड़ा जो एक करोड़ का था वह रुपया तो उन्होंने उस कम्पनी से दिला दिया। मैं यह कहूंगा कि आज वह कं० राजस्थान सरकार के कब्जे में आती तो उसको राजस्थान सरकार ने यह कह कर नहीं खरीदी कि हमारे पास पैसा नहीं। मगर १ करोड़ १० लाख गैस टरबाइन में खर्च कर दिये जिसमें घाटा होता है।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायतों ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुख्य मन्त्री जी की ५१ वीं वर्ष गांठ है इसलिये ५१ मामले होने चाहिये, गिन लीजिये कितने हो गये।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मन्त्री महोदय, या इनकी सरकार या सरकारी अधिकारी काले भंडों के लिये नोटिस दे सकते हैं, बीमारी से अनुपस्थित हो जाय तो अपदस्थ कर सकते हैं प्रधानों को और सरपंचों को, पर मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि डीडवाने के प्रधान श्री चैनाराम जिनके खिलाफ तीन वर्षों से मामले इस सदन में उठाये जा रहे हैं, उसके लिये आपने क्या एक्शन लिया है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनके स्केन्डल सुनाइये।

श्री भैरोंसिंह : आपने कोई एक्शन नहीं लिया और उसका परिणाम यह हो रहा है कि एक सांसी है खूबसूरत, मेले में चूंदड़ी का साफा बांध कर चला गया, प्रधान की और उसकी मूछें एक सरीखी हैं, किसी ने कह दिया कि प्रधान तो जा रहे हैं, इतना कहना था कि प्रधान जी ने उसको बुलाया और उसके साफे से उसको बांध दिया, उसकी मूछें उखाड़ लीं नाक पर जूते मारे और कहा कि यहां मूछों वाला कोई नहीं घूम सकता, जब तक कि चैनाराम है। वे यहीं दर्शक गेलेरी में हैं देखना चाहें तो देख लें। मैं पूछना चाहता हूं, यह राजस्थान की हुकूमत है क्या ? तेजाराम सरपंच हैं मेड़ता के ...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बोलो, राजा अच्छे थे या आप अच्छे हो ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जहां मंत्रियों के सांड घूमते हों वहां मूछों वाला कोई नहीं घूम सकता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : राजाओं के राज में हरिजनों की कड़िया नहीं पहनने देते थे, तुम्हारे राज में हरिजनों की मूंछे उखाड़ लेते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मजिस्ट्रेट ने आपके राज में हुक्म दिया है कि इस आदमी की मूछें मूंड लो सर मूंडलो और उसको मूंछें और सिर मुंडवाना पड़ा। इस प्रकार का हुक्म दिया है इस राज्य में।

Page No. 83

श्री भैरोंसिंह : उसी प्रकार एक सरपंच है तेजाराम मेड़ता में, इतना ही नही कि वे सिर फुड़वायें, क्रय-विक्रय संघ के बिल दे दें, बिल नं० ७३३, बिल नं० ७६१, बिल नं० ७१०, बिल नं० ७१४, बिल नं० ७३७, बिल न० ७६५, शक्कर की ५० बोरी, ६६४६ रुपये का, ब्लेक किया। होल सेल डीलर के यहां आमद, रिटेलर के यहां आमद नहीं, चीनी का पता नहीं। मोठड़ी के सरपंच को पीटा, राणासरी में मीटिंग हो रही थी तो गुंडों को शराब पिला कर कार्यकर्ताओं को पत्थर फिकवा कर पिटवाया उनके सर फोड़ दिये। मैं दामोदरजी व्यास से पूछना चाहता हूं कि आप छोटे–मोटों के खिलाफ तो एक्शन ले लेते हैं पर आप मरते हैं, आपके प्राण निकलते है चेतराम के खिलाफ एक्शन लेने में। जो सरपंच को पिटवा दे, लोगों के सर फुड़वा दे, जो लोगों की मूछें उखड़वा ले उसके खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं लेते।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और किस्सा मैं माननीय मंत्रीजी के समक्ष रखूंगा, सेंसड़ा पंचायत है, वहां सरपंच को चुने इतना अर्सा हो गया, आज तक उसको चार्ज नहीं दिया गया, वह घूम रहा है, मन्त्री महोदय के मकान पर बैठ कर चला गया, जीता हुआ सरपंच घूम रहा है और उसको चार्ज नहीं मिल रहा है, इस हुकूमत की कितनी बलिहारी बताई जाय!

एक माननीय सदस्य : जय हो पंचायती राज की!

श्री भैरोंसिंह : सर्विसेज के बारे में निवेदन, करूं आज मंहगाई का क्या हाल है?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, अब तो आपका भी दिल भर गया होगा इनकी बुराइयों से।

श्री भैरोंसिंह : जैसी आज मंहगाई है, वह किसी से छिपी नहीं है। सरकारी कर्मचारियों ने मांग की मंहगाई भत्ता बढ़ाने के लिये, प्रदर्शन किये। ५ रु० १५ रुपया और २० रु० सरकार ने बढ़ाया और मंहगाई बढ़ी है इन गत दस वर्षों में ६३ पर्सेन्ट। ८०% डिवेल्यूएशन से पहले और १३ पर्सेन्ट डिवेल्यूएशन के बाद। ९३ पर्सेन्ट मंहगाई बढ़ने के बाद इन कर्मचारियों का कितना मंहगाई भत्ता बढ़ा, ५, १५ और २०। पर बदकिस्मती की बात है कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने डायरेक्टर माइन्स जिनको १०५० रु० मिलते थे अधिकतम १५०० रुपये तक मिल सकते थे उनका उनका वेतन बढ़ाया गया बेसिक सेलेरी १८०० फिर अधिकतम २२५०। एक दम ८०० रु० की इन्क्रीमेंट। डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट को मिलते थे ५५०, बढ़ा कर कर देते थे ११००, उसकी ६०० बेसिक पे। एल. डी सी., यू. डी. सी. इनकी तनख्वाह बढ़ाने में राजस्थान सरकार को घाटा हो रहा है, यह घाटा पूरा करने के लिये गरीब कर्मचारियों का पेट काटा जाता है।

एल. एल. जोशी, खेरी, बी. एल. रावत, सुखवाल, डा० सिरीन और सत्संगी ऐसे स्तम्भ हैं, पिलर्स हैं राजस्थान हुकूमत के कि मैं समझता हूं सुखाड़ियाजी और उनका मन्त्रीमण्डल समझता है कि इन पिलर्स को अगर निकाल दिया गया तो राजस्थान की हुकूमत खड्डे में चली जायगी, बच नहीं सकेगी। बार-बार, एक्स्टेन्शन पर एक्स्टेन्शन। किसी के खिलाफ मामूली शिकायत हो तो दण्ड

(श्री भैरोंसिंह)

और किसी के खिलाफ जोरदार शिकायत हो तो कुछ नहीं । झुन्झुनू कलेक्टर अलाऊद्दीन खिलजी के खिलाफ विजिलेंस कमिशन में चार्जेज लगाये गये प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने इनके आरोपों की जांच के लिए भूख हड़ताल की विजिलेंस कमीशन ने इन कलेक्टर साहब के खिलाफ १७ में से १३ चार्जेज साबित कर के भेज दिए । चार्जेज क्या थे ? मिस्कन्डक्ट के, फोर्जरी के, एम्बेजलमेंट के, मिसएप्रोप्रिएशन के और दुनियां भर की शिकायतें होने के बाद केवल चार्जशीट दे दिया, आराम से बैठे हैं, जवाब नहीं देते, बांसवाड़ा में कलेक्टर बना कर भेज दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय, इनके एक मर्जीदान अफ़सर हैं श्री गोकुललालजी डॉयरेक्टर इन्डस्ट्रीज थे, इन्होंने आइरन एण्ड स्टील की दूकान से २० हजार रुपया लिया, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, हिन्दुस्तान की स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ने एन्क्वायरी की, उन्होंने बही खाते पकड़े और राजस्थान सरकार को चिट्ठी लिखी कि एन्क्वायरी की जाय । पर एन्क्वायरी नहीं की । एस० पी० ने चार्जशीट बना कर भेजी, एक साल हो गया चार्जशीट को, राज्य सरकार दबा कर बैठी है, बही–खाते पड़े हैं, सरकार एन्क्वायरी नहीं करती, दण्ड नहीं देती । २० हजार की रिश्वत लेना जिसके खिलाफ साबित हो गया उसको प्रमोशन मिला है, चैयरमैन, राजस्थान ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के पद पर, अभी हटे हैं चैयरमैन हुए स्टेट एन्टर प्राइजेज के । गोकुल लालजी मेहता जिनके मुकाबले कोई आई० ए० एस० अधिकारी अयोग्य नहीं है, अयोग्यतम नहीं हैं उन्होंने पैसे खा लिए तो भी जांच का कोई सवाल पैदा नहीं होता ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि, जेल मन्त्री जी यहां बैठे हैं । एक खुशालचन्द डागा को बम्बई से १० साल की सजा हुई और १५,००० रु० का जुर्माना, मूदड़ा केस में । उनको जयपुर लाया गया, स्पेशल कैम्प में भेजा, उन्होंने पंचायत की जमीन ली, उसमें मकान बनवाया, जेल से निकल कर उस मकान में चले गए, आराम से रह रहे हैं, सिनेमा देख आते हैं, रेडियो है, मोटर है । ब्लैक मार्केटिंग, चीटिंग और फोर्जरी के मामले में १० साल की सजा भुगतने वाला कैदी फर्स्ट क्लास सिटीजन की तरह रह रहा है उसको नए जेल मन्त्री जी ने आते ही वापिस जेल में भेज दिया । मैं पूछता हूं कि पहले वाले मन्त्रीजी ने कैसे रखा, दूसरे मन्त्रीजी ने आते ही वापिस कैसे जेल में डाला, इसका मतलब है....

श्री निरंजननाथ आचार्य (गृह मन्त्री) : क्लेरिफिकेशन के लिए मैं निवेदन कर दूं । जेल में नहीं भेजा, बीमारी की हालत में जेल में गए हैं और ट्रीटमेंट के लिए जेल में हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : कांग्रेस से चुनाव लड़े हुए हैं, कांग्रेस के ही हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय कहते हैं कि बीमारी की हालत में जेल गए हैं । मैं उनसे कहूंगा कि कम से कम सदन में तो सही बात कहें, बाहर भले ही कुछ भी कहें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं सही कह रहा हूँ । बीमार हुए, ट्रीटमेंट के लिए जेल में गए, जेल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं ।

श्री भैरोंसिह : यह उपाध्यक्ष महोदय, इतना गलत है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं । उस आदमी ने जेल में भेजने के बाद रिप्रेजेन्टेशन किया है कि मैंने इसी शर्त पर यह बंगला बनाया है कि जेल की सजा के पीरियड में मुझे इसी बंगले में रहने दिया जायगा । मुझे धोखा देकर बंगला बनवा लिया और मुझे वापिस जेल में भेज दिया है।

(३.०० म० प०)

श्री निरंजननाथ आचार्य : कन्ट्रोवर्सी का पॉइंट ही नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : उनको यहां भेजा किसने ? महाराष्ट्र सरकार ने भेजा या राजस्थान सरकार ले आई ?

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : जेल में आदमी को भेजा वह तो ठीक लेकिन बंगले में क्यों रहने दिया ?

श्री भैरोंसिह : जेल के नियम ऐसे हैं कि १।३ हिस्सा जेल भुगतने के बाद उस व्यक्ति को खुली जेल में रखा जाता है। १।३ हिस्सा भुगतने से पहले खुली जेल में नहीं रख सकते । यह आपका नियम है । जब ऐसे नियम हैं तो फिर आवश्यकता इस बात की नहीं है कि उसको खुली जेल में भेजा जाय । इसका मतलब यह है कि आप खुले रूप से कानून की अवहेलना करना चाहते हैं ।

अंत में मैं केवल दो मामले रखूंगा । मैं, जो प्रिविलेजेज़ कमेटी ने आपके पास रिपोर्ट रखी है, आज तक मैं वित्त मन्त्री के खिलाफ आरोप लगाता रहा । मैं समझता था कि वित्त मन्त्री उनका स्पष्टीकरण सही रूप से करेंगे लेकिन वह नहीं कर पाए । बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से मेरे आरोपों को स्वीकार किया और बाद में चलकर प्रत्यक्ष रूप से आरोपों को स्वीकार किया । इस सदन में रिपोर्टिंग हुई है जिस पर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन मूव किया गया । कमेटी की रिपोर्ट सदन में दी गई और उसने इस बात को मानलिया कि 'राष्ट्रदूत' की रिपोर्टिंग सही है । मन्त्रीजी ने, जो इन पर आरोप लगाए थे, उनका जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जो भाषण दिया उससे रीजनेबल इन्फरेंस निकाला जा सकता है कि जो रिपोर्टिंग हुई है वह सही है । मैं मुख्य मंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि राजस्थान में कांग्रेस के जितने १०० सदस्य हैं, उनमें सौ के सौ ही चरित्रवान् नहीं हैं, उनमें से किसी के अन्दर नैतिकता नहीं है । ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में प्रिविलेजज़ कमेटी ने रिपोर्ट दी, राजस्थान की जनता ने, राजस्थान के सारे अधिकारियों ने आलोचना की दृष्टि से मिस्कन्डक्ट के आरोप लगाए, तो मुख्य मन्त्रीजी आपके पास और कोई फाइनेन्स का काम संभालने वाला व्यक्ति नहीं रहा ? अगर ऐसी ही हालत है कि इनको अलग नहीं कर सकते तो मजबूर होकर राजस्थान की नैया डूबने वाली है, बचने वाली नहीं है ।

पिछले दिनों 'राजस्थान पत्रिका' पर हमला हुआ । उसके कारण कुछ ऐसी स्थिति पैदा हुई । मुझे लगता है कि राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार ने यह अपना प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है कि हमने यदि हमलावरों को पकड़ लिया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए उनको नहीं पकड़ा। मैं मुख्यमंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आपकी पुलिस अधिकारियों ने रेकॉर्ड बदला है, रेकॉर्ड बदलने से रजिस्टर्स बदले हैं, सारे कामों को छिपाने के लिए कार्यवाही की है और आई. जी. पी. महोदय स्पष्ट रूप से यह कहें कि 'पत्रिका' पर हमला होता या नहीं होता, लेकिन हॉस्पीटल को जो बूचड़खाना बताया गया, तो जो भी उसको बूचड़खाना बताएगा तो उसका यही हाल होगा। मुख्य मन्त्रीजी, आई० जी० पी० से यह अपेक्षा नहीं, राजस्थान के आई० जी० पी० इस प्रकार की बातें कहें और कहें कि हमला होगा और यदि यह कहें कि अपराधियों को पकड़ो, तो लोगों को डराया जाय और कहा जाय कि आपके दबाव से हम काम करने वाले नहीं हैं। तो नतीजा यह होता है कि पुलिस बेड़ा एक तरफ, उनके साथ में राजस्थान का मंत्रिमण्डल, उसके साथ चिकित्सा विभाग के अधिकारी, सबने मिलकर अपराधियों को बचाया है और उसके कारण यह स्थिति पैदा हो गई है कि न पत्रकार सुरक्षित हैं और न जिन्होंने पत्रकारों के मसलों को विधान सभा में उठाया है, वे सुरक्षित हैं। पुलिस का बेड़ा गर्क हो गया।

कल शाम को जब मैं मकान पहुंचा तो वहां टोंक से एक व्यक्ति आया। वह कहने लगा कि बरोनी थाने के पास थानेदार शराब पीकर खड़ा हो गया। जितने ट्रक्स आए, उनको रोका। किसी से ५०) रु० किसी से ६०) रु० लिए। एक आदमी ने दिया नहीं, उसकी छाती पर पिस्तौल रख दिया उसकी कमीज फाड़ दी और घड़ी छीन ली।

अब पुलिस विभाग को जयपुर शहर में देखिए। हमने जयपुर शहर में आन्दोलन किया। एक आंन्दोलनकारी पीछे ट्रक में नहीं बैठ सका, पुलिस उठाकर हथकड़ी लगाकर थाने में ले गई, रात को ८ बजे तक थाने की कैद में रखा।

सरदार शहर में कत्ल हुई भंवरसिंह पुरोहित की। एक प्रमुख आदमी के पास मुल्जिम मिला। आज मुल्जिम को पकड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है। पुलिस की हालत, राजस्थान की, जनता की सुरक्षा की हालत स्वायत्त शासन संस्थाओं की हालत खराब हो चुकी है। इसलिए राजस्थान के ढांचे को सुधारा जाय। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि राजस्थान का ढांचा वर्तमान हुकूमत नहीं सुधार सकती। वर्तमान हुकूमत इतनी अनियमित कार्यवाहियां करने में होशियार हो गई है कि जैसे हुकूमत ने समझ लिया है कि वह १९६७ में जाने वाली है। उससे पहले जितना लूटा जाय, जितना धन बनाया जाय, जितना भी चुनाव के लिए खर्चा इकट्ठा किया जाय, वह करना चाहिए। और सब बातों का परिणाम यह निकलता है कि यदि राजस्थान की हुकूमत को आगे काम करने दिया गया तो राजस्थान की जनता, राजस्थान की सरकार और अधिकारी, राजस्थान का भविष्य सारे के सारे अंधकार में डूब जायेंगे। इसलिए मैं सदस्यों से अपील करना चाहूँगा कि मैंने जो सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

पर आरोप लगाए हैं वे तथ्यपूर्ण हैं, यदि कोई रेकॉर्ड देखना चाहे तो मैं रेकॉर्ड दिखाने को तैयार हूँ। इसके अन्दर कोई और विशेष जानकारी करना चाहे तो मैं तैयार हूँ। भ्रष्टाचार के मामले और भी हैं लेकिन समय के अभाव के कारण मैं उनको नहीं रख पा रहा हूं। इसलिये मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचारी हुकूमत को हटाया जाय, गांधीजी के नाम को बदनाम करने वाली सरकार को हटाया जाय। इसमें न जनता का विश्वास है, न सदन का विश्वास है। ऐसी सरकार को भंग किया जाय और निवेदन करूंगा कि इस अविश्वास–प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता तथा कुछ अन्य विरोधी पार्टियों के नेताओं ने जिस प्रकार से छोटी-मोटी छींटा-कशी को लेकर यह जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जहां तक इस अविश्वास का प्रश्न है, उन्होंने जो है, राजस्थान में किस प्रकार इन १७ वर्षों में में कांग्रेस ने काम किया है और कांग्रेस ने जो राजस्थान को आगे बढ़ाने के प्रयत्न किये हैं, उसको मद्दे नजर नहीं रखा है। जहां तक राजस्थान की प्रगति का प्रश्न है, वह एक देखने लायक चीज है। इन १७ वर्षों में राजस्थान, जो हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे पिछड़ा हुआ प्रांत था, उसको किस प्रकार कांग्रेस आगे ले आई यह देखने की बात है। लेकिन फिर भी ये प्रतिक्रिया-वादी लोग जो राजाओं और जागीरदारों के हमदर्द लोग हैं, जो लोग समाजवाद की व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते, वे लोग आपस में गुटबन्दी करके अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। मैं नहीं मानता कि जिस प्रकार की बातें यहां सदन में कही गई हैं उन में थोड़ा बहुत भी तथ्य है। जहां तक कांग्रेस ने इन १७ वर्षों में काम किया है वह सबके सामने मौजूद है। कांग्रेस के पहले यहां अंग्रेजों, राजाओं और जागीर-दारों का राज था। उन राजाओं और जागीरदारों के जमाने में किस प्रकार गरीब लोगों के साथ जुल्म किया जाता था यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज माननीय विरोधी दल के नेता इस बात की दुहाई देते हैं कि यह किस प्रकार का समाजवाद है लेकिन जब उनका राज्य था तो भीलों को सरे बाजार मोटर के पीछे घसीटते हुए ले जाते थे। और आज वे यहां आकर इस प्रकार की बातें कहते हैं। जब कांग्रेस ने शासन सम्भाला तो कांग्रेस ने सबको बराबर किया। यहां आज छूत-छात की प्रथा नहीं रही, दलित जाति का प्रश्न नहीं रहा और सब को समान संरक्षण दिया गया है, और तब हमारे विरोधी दल के नेता इस प्रकार की बात कहते हैं। यह बड़ा शोचनीय प्रश्न है। जहां पर कि हमने इस प्रकार के प्रयत्न किये जो बीड़ा उठाया है, इस देश में जो प्रथायें, जो व्यवस्थायें पहले थीं उनको बदल कर बरा-बरी का एक दर्जा दिया हमने कहा कि हम समाजवाद अपनायेंगे और सब को समान अवसर देकर गरीबों का ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे। इसीलिये पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनायें बनाईं और

(श्री भैरोंसिंह)

और देश को आगे बढ़ाने के लिये जिस प्रकार का प्रयत्न किया वह किसी से भी छिपा हुआ नहीं है।

जहां तक समाजवादी समाज का प्रश्न है, इस देश में गरीबी कम हो, सब को धन्धा मिले, सब का आर्थिक स्तर ऊंचा हो, सब को पढ़ाई-लिखाई, दवा-दारू और रोज़गार का प्रबन्ध हो।

श्री अब्दुल जब्बार खां : अस्पतालों में दवाई मिलती कहां है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : कितने ही अस्पताल खोले हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका मेडीकल ज्युरिस्ट भी रंगे हाथों पकड़ा गया।

श्री गिरधारीलाल व्यास : राजा महाराजाओं के समय में क्या मेडीकल फैसीलिटी थी और उसके मुकाबले में आज क्या फैसीलिटी है और कितनी प्रगति की है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। कोई भी व्यवस्था की जाती है उसमें कुछ न कुछ खराबी तो रह ही जाती है उस नुक्ते नज़र से उसको देखें। आपका नुक्ते नजर वैसा होना चाहिये कि जो खराबी हो उसको दूर किया जाय और व्यवस्था में सुधार किया जाय। कन्स्ट्रक्टिव सुधार होना चाहिये न कि एक कम्पाउन्डर या डाक्टर ने खराबी कर दी इसलिये सारी चीज़ खराब हो गई।

मैं लैंड पॉलिसी के बारे में जिक्र करूंगा। जहां तक काश्तकारों का प्रश्न है, राजस्थान सरकार और हिन्दुस्तान की सरकार ने जो काम काज सम्हाला है उस समय काश्तकारों की कैसी व्यवस्था थी किसी काश्तकार को सिक्योरिटी नहीं थी कि वह जमीन पर कायम रह सकेगा या नहीं, मर्जी आये जब उसको वे दखल कर दिया जाता था, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था। हमारी सरकार ने इस प्रकार के कानून कायदे बना कर परमानेन्सी पैदा की। काश्तकारों को मौका दिया कि स्वयं जमीन के मालिक बनो। उनके साथ किस प्रकार धांधली बाजी की जाती थी, उनके साथ किस प्रकार से अन्याय किया जाता था, उसके मुकाबले में हमारी सरकार के आने के बाद काश्तकारों को इस बात की तसल्ली दे दी गई है कि जमीन स्वयं उनकी है और वे ही उसके मालिक हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिये उनके दिमाग में एक फर्क पैदा किया।

इसी प्रकार काश्तकारों की हालत सुधारने के लिये, खातेदारी अधिकार दिलाने के लिये राजस्थान सरकार ने कई काम किये किस प्रकार प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, खेती-बाड़ी की तरक्की की जा सकती है उसमें तरह तरह की सुविधायें काश्तकारों को प्रदान करने की कोशिश इस सरकार ने की। आप को मालूम होगा कि १५ वर्ष पहले राजस्थान में कितने कुए थे और आज कितने हैं, कितने तालाब थे और बांध थे और आज कितने हैं। आज इरिगेसन की फैसिलिटी इस सरकार ने प्रोवाइड की उसमें और पहले में कितना अन्तर है इसको सोचें तो आपको स्पष्टतया

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

मालूम हो जावेगा कि १७ वर्ष में राजस्थान ने कितनी तरक्की की है।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : राजस्थान का किसान बरबाद हो गया, श्रीमान् जी। हम जानते हैं। आपको क्या मालूम है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप स्वयं जानते हैं कि पहले में और आज में कितना बड़ा फर्क है। स्वतन्त्रपार्टी में आप चले गये इसलिये आप इस तरह की बात करो इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। गांव वाले को जाकर पूछो, पहले कैसी हालत थी और क्या हालत है आज। कमियां जरूर हैं। हम यह मानते हैं कि हमने सब कुछ नहीं दे दिया है। जिस प्रकार की व्यवस्था चाहते थे वह हो गई या नहीं लेकिन पहले के हालात में कितना अन्तर आया है, कितना सुधार आया है, कितना आगे बढ़े हैं यह सब को मालूम है। पहले काश्त-कार के मकान किस प्रकार के थे वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप हम गांव के रहने वाले हैं, खेती-बाड़ी करके काम चलाते हैं। किस प्रकार के खाने के बरतन थे और आज कैसे हैं। उसमें हेर फेर हुआ है और तब्दिली आई है। जब इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है तो बड़ी से बड़ी चीज मिलने पर भी संतोष नहीं होता है और संतोष न होना ही इस बात का नमूना है कि हमारा किसान भी, विदेशों में किसान मोटर और रेडियोसेट रखते हैं उसी प्रकार रखने के लिये इच्छुक हैं। जिस प्रकार वहां उनको एशोआराम मिलता है उसी प्रकार हमारे किसान भी एशोआराम से रहना चाहते हैं। और वह जब तक नहीं मिलता वे आराम से नहीं बैठ सकते और संतोष नहीं कर सकते। हम इस प्रकार की व्यवस्था लाने की कोशिश कर रहे हैं और कई बातों में तरक्की की है और इस देश में जो कार्य करना चाहते थे हालांकि हम उस हद तक नहीं पहुँचे हैं फिर भी कोशिश जारी है।

जो खाद बीज देने का सवाल है, माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा कि हमारे यहां खाद बीज नहीं मिलता किटाणु-नाशक दवाइयां नहीं मिलीं और मिलती हैं तो समय पर नहीं मिलती हैं इसलिये प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाते। यह सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया बताने के लिये है यह बात कही तो मैं यह बात मान सकता हूं आप विरोध की बात करते हैं। जहां तक प्रोडक्शन बढ़ाने का सवाल है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये जो बात कही गयी हैं उसमें कुछ भी तथ्य नहीं मानता। मैं सरपंच से लेकर प्रधान और एम० एल० ए० बना हूं और जब से पंचायती राज बना है हालांकि उसमें खराबियां हैं, इक्की-दुक्की बातें बताई कि सरपंच या प्रधान इस प्रकार की बात करते हैं इसलिये इससे तमाम पंचायती राज, प्रधान और सरपंच खराब हैं मैं इसको नहीं मानता। एक दो एक्जाम्पल से पंचायती राज को भ्रष्ट मान कर चलें और खराब व्यवस्था माने यह कोई समझ की बात नहीं है। यह भी माने कि पंचायती राज कायम हुआ है उससे किसी प्रकार का रद्दोबदल नहीं हुआ है यह कहना असत्य है। हमने इसके द्वारा यह भावना पैदा की है कि हम आप सब

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

समाम हैं, हम इस काबिल है कि अपना शासन, पंचायत और पंचायत समितियों को सम्हालने के योग्य हैं। इस प्रकार की इकाई कायम करके गांव के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया है। पहले ऐसी व्यवस्था थी कि जो आदमी पढ़ा-लिखा था, वाचाल था, वह आगे बढ़ कर सिप्पा जमा लेता था। आज लोगों को मौका मिला है। छोटे से छोटा आदमी भी पंचायत के सरपंच, प्रधान और बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंच सकता है ओह ये सब बातें पंचायती राज के द्वारा प्राप्त की गई हैं। प्रजातन्त्र प्रणाली हमने अपनाई है।

इसी प्रकार खाद बीज, किटाणुनाशक दवाई, तकाबी वगैरा दी जाती है वह काश्तकारों को बराबर मिल रही है। उसके द्वारा प्रोडक्शन प्रोग्राम भी बढ़ाया गया है और जैसा कि माननीय विरोधी दल के नेता ने कल फरमाया था कि प्रोडक्शन पहले से कम हो रहा है। विरोधी दल के नेता को स्वयं को मालूल है कि तीन चार वर्ष से हमारे राजस्थान में वर्षा की किनती कमी रही है और प्रोडक्शन किस प्रकार कम रहा है। गया साल तो ऐसा भयंकर निकला कि प्रोडक्शन बहुत ही कम हुआ। इसको इस श्रेणी से लेकर आंके तो कम से कम मैं इसके लिये तैयार नहीं हूं।

राजस्थान का रेगिस्तानी हिस्सा खासकर और बाकी का सारा हिस्सा आम तौर पर वर्षा पर निर्भर करता है। खरीफ की फसल अगर बरसात न हो तो रुपये में चार आना भी नहीं होती तो इन कारणों से कठिनाई आई है।

आप यह कह सकते हैं कि इजराइल ने या दूसरे मुल्कों ने जैसे अननेचुरल बरसात कराकर पैदावार बढ़ाई है तो वैसे साधन अभी हमारे यहां उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। हमारे साधन सीमित हैं। इन सीमित साधनों द्वारा भी जो अच्छी से अच्छी हो सकती थी, वह व्यवस्था करने का प्रयत्न इस सरकार ने किया है, यह किसी से छिपा नहीं है।

अन्न उत्पादन बढ़ाने के लिये तकावी है, लोन है और अन्यान्य सुविधाएं हैं, वे दी हैं। इरिगेशन के भी काम सरकार ने इसके लिये किये हैं, वे भी किसी से छिपे नहीं हैं।

अब तक सरकार ने लगभग ६० हजार कुओं में बिजली देने का प्रावधान किया है। तीसरी योजना के बाद चौथी योजना में भी काफी प्रावधान इसके लिये रक्खा है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक गांवों में बिजली दी जा सके ताकि सिंचाई के साधन सुगम हों और अन्न के मामले में हम आत्म निर्भर ही न हों बल्कि सरप्लस होकर दूसरे देश के राज्यों में हम अन्न भेज सकें।

जहां तक औद्योगीकरण का प्रश्न है उसमें भी काफी प्रयत्न हुए हैं। छींटाकसी की गई कि अमुक पूंजीपति को इतना पैसा और सुविधा दे दी। मैं निवेदन करूं कि

जबतक सुविधाएं हम लोग नहीं देंगे तब तक व्यवसायी आकर्षित नही होगा। यहां नहीं आवेगा। तो इस पर पूंजीपतियों से मिलने का आरोप गलत है। इससे कोई

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

बात हल नहीं होने वाली है । पहले पहले तो व्यवसाइयों को उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिये काफी सुवाधाएं देनी होगीं । गड़बड़ियां हों, भ्रष्टाचार हो, गफलत होती हो तो यह आप बताइये पर विकास में रोड़ा बनकर मत खड़े होइये ।

पब्लिक सेक्टर का जहां तक सम्बन्ध है जन संघ के नेता ने कहा कि पांच करोड़ के इन्वेस्टमेंट में पांच लाख रिटर्न मिलता है । इस बारे में जब तक इस सेक्टर में जो खराबियां हैं, वे सारे देश में हैं, राजस्थान में ही हों, ऐसी बात नहीं है. उनको नहीं निकालेंगे तब तक ये पूंजीपतियों के एजेन्ट उसे पनपने नहीं देंगे । कैपिटेलिस्टों के एजेन्टों का काम विरोधी दल के लोग करते हैं । इस प्रकार का काम करते हैं कि जिससे पब्लिक सेक्टर न पनपे और राजस्थान सरकार की आय न बढ़ पाये । तो हमें इन एजेन्टों से सावधान रहना है । हम चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर ज्यादा से ज्यादा पनपे ताकि स्टेट की आमदनी बढ़े । एडमिनिस्ट्रेशन इसका जरूर अच्छा किया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्कम इनसे हो सके । राजस्थान के विकास में इससे योग मिलेगा ।

खेतीबाड़ी और अधिक अन्न वृद्धि के लिये हमें किसानों को तकावी है लोन है सहकारी समितियों के माध्यम से तथा और माध्यमों से देने की अच्छी व्यवस्था करनी होगी । आज की व्यवस्थाएं स्थिति के अधिक अनुकूल नहीं हैं । ऐसा करना चाहिये कि किसानों को जितना धन चाहिये उतना उनको अपनी जमीन की हैसियत के मुताबिक तुरन्त सुविधा पूर्वक मिलना चाहिये ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है ।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : कोरम है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से ऋण तुरन्त किसान को उसकी आवश्यकता पड़ने पर मिल सके इसके लिये गांव गाव में या पंचायत समिति में बैंक स्थापित किये जाने चाहिये । तभी हमारे ये कार्यक्रम सुचारु रूप से चल सकेंगे ।

लेबर प्रॉब्लम के सम्बन्ध में कहा गया । विरोधी दल यह मानकर चलता है कि सारे मजदूरों के हितों की देखभाल का ठेका उन्होंने ही ले रक्खा है चाहे फिर वे सामन्तवादी भले ही हों । चाहे राजाओं के गुलाम हों, कैसे भी लोग हों । इधर वाले तो मानो उनके खिलाफ हों । ऐसी बात नहीं है ।

ये तमाम श्रम सम्बन्धी कानून, कायदे, ट्रिब्यूनल जो श्रमिकों के हित के लिये बनाये गये हैं, सब कांग्रेस की इस हुकूमत ने बनाये हैं । इस कांग्रेस ने ही यह व्यवस्था की है कि श्रमिकों का शोषण न होने पावे, उनका विक्टीमाइजेशन नहीं किया जा सके । वेतन में कटौती न की जा सके, इसके लिये सरकार ने वेज बोर्ड कायम

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

किये । तो ये सामन्तवादी, प्रतिक्रिया वादी तत्वों की हिमायत करके गलत बात कहते हैं । आपकी बातों में किसी प्रकार का कोई तन्त नहीं है । मजदूरों का जहां तक प्रश्न है उनके हितों की रक्षा के लिये कांग्रेस की इस हुकूमत ने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं, यह सब किसी से भी छिपा नहीं है । प्रोवीडेण्ट फण्ड की व्यवस्था हमने की है, बीमारी की अवधि में तनखाह मिले इसकी व्यवस्था की है । रिट्रेन्च न कर सकें इसकी व्यवस्था हमने की है । बोनस की व्यवस्था की है । ये सारी व्यवस्थाएं कांग्रेसी हुकूमत ने कायम की हैं न कि सामन्तबादी तत्वों ने । मैं अच्छी तरह जानता हूं आप कैसे बोलते हैं । पर इन तिलों में तेल नहीं है । सरकार ने क्या क्या उनके हितों की रक्षा के लिये किया है यह मजदूर लोग अच्छी तरह जानते हैं । आज इसका प्रमाण है इन्टक की सदस्य संख्या । राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान भर में मजदूरों के हितों के सम्बन्ध में किन लोगों ने हिमायत की है, कौन उनकी पैरवी करता है, और कैसी व्यवस्था कायम की है, यह किसी से छिपा नहीं है । आप देखिये आज इनटक की कितनी संख्या है, और दूसरी यूनियनों की कितनी है ।

आज सिचाई के साधनों के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के अन्दर पहले जिस प्रकार के सिचाई के साधन थे और आज उन साधनों के अन्दर हमने किस प्रकार से प्रगति की है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है । हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनियां के अन्दर सबसे बड़ी नहर यहां हम ला रहे हैं राजस्थान कैनाल वह एक आदर्श नमूना है जिसके द्वारा हम राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहेंगे और हम राजस्थान ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान का भरण पोषण करने की स्थिति में आ जायेंगे जब कि राजस्थान कैनाल बनकर तैयार हो जायेगी ।

उसके साथ ही साथ हमने कई बांध बनवाये हैं जिसके कारण हमारे सिचाई के साधन बढ़े हैं । इन पांच–सात वर्षों के दौरान में दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने सिंचाई के साधन पहले से भी दुगने उपलब्ध कर लिये हैं और हम चाहते हैं कि जो साधन हमने अब तक प्राप्त किये हैं वह अभी पर्याप्त नहीं हैं और हमारा लक्ष्य है कि जब तक प्रत्येक काश्तकार को पानी, बिजली और जो साधन उसको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चाहिए वह उसको उपलब्ध नहीं हो जाते हम शांति से नहीं बैठेंगे और इस प्रकार उनके लिए हम प्रयत्न करेंगे और राजस्थान का काश्तकार जब पेट भरकर खायेगा जब कि इन साधनों को उपलब्ध कर सकेंगे । हम इसके लिए बराबर कोशिश कर रहे हैं राजस्थान के अन्दर आधा प्रदेश मरूस्थल है जहां न तालाब है और न कोई बांध बन सकते हैं वहां पर ट्यूब वैल्स के द्वारा सिंचाई के साधन पैदा हो जाये जिससे राजस्थान हराभरा प्रदेश बनकर हिन्दुस्तान को खाद्यान्न का स्थान बन जाये जो कि सारे हिन्दुस्तान को खाद्यान्न दे ।

इसके आगे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक फूड

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

प्रॉब्लम का प्रश्न है यहां पर विरोधी दल के माननीय नेता ने कई प्रकार की बातें गढ़ी और इस प्रकार की बातें कहीं कि राजस्थान में लोग भूखों मर रहे हैं और लोगों को अन्न का दाना भी नहीं मिला और तरह तरह की बातें कहीं। उपाध्यक्ष महोदय, आप सारी स्टेट्स का एवरेज लगायें और आंकड़ों को देखें तो आपको मालूम होगा कि सिर्फ पंजाब को छोड़कर कोई ऐसा प्रान्त नहीं है जहां कि राजस्थान के इलाके से कम भाव हों। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है इस राजस्थान में २ सालों से १९६४–६५ और १९६५–६६ के अन्दर इस प्रकार का भयंकर अकाल रहा है कि पहले साल में तो २६ में से २४ जिलों में अकाल रहा और यहां अकाल होने के बाद भी राजस्थान में बाहर के इम्पोर्ट के द्वारा और यहाँ जो भी अन्न पैदा हुआ उससे किसी आदमी को भूखों नहीं मरने दिया। सस्ती दूकानें खोलकर, अनाज की सप्लाई करके हमने उस समस्या का समाधान किया। और यह कहना कि यह जो विरोधी दल के नेता ने कहा कि बहुत से लोग अनाज के अभाव में भूखों मर गए कम से कम मैं तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि राजस्थान में कहीं इस प्रकार की बात हुई हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

यह इस प्रकार की बात है कि जो कि सिर्फ कहने की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं फेमिन रिलीफ के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। पिछले तीन–चार साल से राजस्थान के कुछ इलाके में बल्कि पिछले साल तो तमाम के तमाम इलाकों में फेमिन की सी स्थिति थी। इसके अन्तर्गत राजस्थान सरकार ने ७ करोड़ रुपये खर्च करके राजस्थान में चार–पांच लाख लोगों को जीवन निर्वाह करने का अवसर दिया है और उसके साथ ही साथ उन्होंने इस प्रकार का भी प्रयत्न किया कि जो भी व्यक्ति काम करते हैं उसके अनुकूल उनको काम पर लगाया जावेगा और उस काम के बाद में कोई भी आदमी बेकार नहीं रहे जो कि इसके द्वारा काम प्राप्त न कर सके।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा सा समय और दें। किसी को तो आप दो दो घन्टे दे देते हो।

श्री उपाध्यक्ष : अभी मूवर ऑफ दी मोशन भी बोलेंगे। जल्दी समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक फेमिन का ताल्लुक है फेमिन के अन्दर राजस्थान सरकार ने कई प्रकार की व्यवस्था की। हर एक आदमी जो काम करने के लायक था उसको काम दिया। जो इसके लायक नहीं थे उनको ग्रेचुइटस रिलीफ देकर घर पर पैसा दिया गया। और उसके अलावा बहुत से लोगों को दूध वगैरह की व्यवस्था करके उनको दूध दिया गया और दूसरी ओर जो प्रेगनेन्ट औरतें थीं उनको मेटरनिटी बेनिफिट्स देकर उनको काम पर लगाया गया। इस प्रकार से व्यवस्था करके जो कठिन से कठिन साल था और जिसका मुकाबला करें तो ५६ में अकाल पड़ा था

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

हमारा अकाल उस अकाल के मुकाबिले कहीं अधिक था और जिसको लोगों ने महसूस तक नहीं किया सिर्फ इस बात को छोड़ कर कि कुछ मंहगाई प्रतीत हुई। बाकी सामान नहीं मिलना या फूड ग्रेन नहीं मिलना या पैसा नहीं मिलना और पैसे के अभाव में अनाज लोग नहीं खरीद सकते हों ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई। इससे राजाओं, महाराजाओं और अंग्रेजों के जमाने में जिस प्रकार की फैमिन में व्यवस्था थी उससे लाखों करोड़ों दर्जे जो हमारी सरकार ने व्यवस्था की वह बहतर है।

डिवेल्यूएशन के संबंध में बहुत से लोगों ने कहा कि यह करके हमने हमारे देश के साथ गद्दारी की है। जहां तक डीवेल्यूएशन का प्रश्न है पहली, दूसरी और तीसरी पंच वर्षीय योजना के बनने के बाद जहां मनी का सरक्यूलेशन बढ़ा और उसकी वजह से इन्फ्लेशन आया और मंहगाई बढ़ी। यह नेचुरल फिनॉमिना है कि जब मनी का सरकुलेशन बढ़ जाता है तो मार्केट में इंन्फ्लेशन आता है और महंगाई बढ़ती है। उस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था हाथ में ली जाती है। आप रूस को देख लें, फ्रान्स को देख लें, इंग्लैन्ड को देख लें जिनकी आप दुहाई देते हैं। बहुत से कम्युनिस्ट भाई रूस की दुहाई देते हैं, बहुत से फासिस्ट लोग दूसरे देशों की दुहाई देते हैं, मैं उनको थोड़ा कहना चाहता हूं कि अमेरिका को छोड़कर कोई देश आप बता दें कि जहां इस प्रकार की स्थिति नहीं आई हो। डिवेल्यूएशन में सबसे आवश्यक बात यह है कि जब सरकुलेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन आता है और हमारे यहां से जो लोग देश के साथ गद्दारी करना चाहते हैं जो स्मगलर्स हैं, जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं वह इस प्रकार के वक्त पर तूफान उठाकर देश को गारत करने की फिराक में रहते हैं तो इन सब बातों से बचकर इस देश की आर्थिक हालत को दृढ़ करने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया गया है। सन् ५० में जब भारत ने डीवैल्यूएशन किया था अमेरिका के डालर के साथ तो उस समय पाकिस्तान ने डीवेल्यूएशन नहीं किया तो उसके बाद में सन् ५६ में पाकिस्तान ने डीवेल्यूएशन किया। आप देखें कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की आर्थिक हालत में कितना फर्क है यह आपकी आंखों के सामने हैं। डीवेल्यूएशन के पीछे कुछ न कुछ मजबूत मुद्दा हमारे हाथ में होना चाहिए। जब तक हम मजबूती से काम नहीं करेंगे तब तक डीवेल्यूएशन का फायदा नहीं हो सकता। हम हमारे खर्च म कटौती करें। जो इस प्रकार की गड़बड़ियां करते हैं ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें और जो हमारी वेजेज हैं, तनख्वाह हैं या दूसरी बाते हैं उन्हें हम रोक कर इस प्रकार के स्ट्रांग मैजर्स लें जिससे ज्यादा से ज्यादा खर्च में कमी आये। तभी डीवैल्यूएशन का फायदा है वर्ना इसका कोई फायदा नहीं होगा।

इसी प्रकार से इन्डोनेशिया ने किया था। उसका सारे का सारा इतिहास आपके सामने है। वहां भी डीवेल्यूएशन होने के बाद में उन्होंने स्ट्रांग इकोनॉमिक मैजर्स नहीं लिए इसलिए डीवेस्यूएशन का जो फायदा होता है वह फायदा नहीं हो पाया और उससे देश

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

को और ज्यादा नुकसान हुआ। तो डीवे-ल्यूएशन के दोनों प्रकार के मुद्दे हैं। अगर आप स्ट्रांग मैजर्स लेकर देश को फायदा पहुँचाना चाहते हैं तो डीवैल्यूएशन से हो सकता है। डीवैल्यूएशन के पीछे जिस प्रकार से स्ट्रोंग मैजर्स लेना चाहिए वह नहीं ले पाते हैं तो उससे देश को खतरा भी है और देश गारत में भी जा सकता है और देश में गड़बड़ियां भी हो सकती हैं। तो यह सब बातें जो है आपने कहीं उसको कम से कम मैं मानने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि पिछली दफा हमारे देश में जो डीवेल्यूएशन हुआ उसके बाद में भी ज्यादे से ज्यादा यहां पर तरक्की करने के काम किये हैं और आंकड़ों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस अर्से में काफी प्रगति की है। तीन चार वर्ष पहले हमारे पर हमला हुआ चीन का और उसके बाद हमारा प्रोडक्शन भी रुक गया बरसात की कमी के कारण और उसकी वजह से यह जो सारी कठिनाइयां हमारे सामने आ रही हैं और ये इस प्रकार की कठिनाइयां हैं जो सन ४७ के अन्दर भी हमारे सामने नहीं आई थी जिस प्रकार की कठिनाइयां आज हैं। तो इन कठिनाइयों का हिम्मत के साथ और हौसले के साथ मुकाबला किया गया। तो इस प्रकार से छींटाकशी करने से कोई काम चलने वाला नहीं है और जब तक इस देश को अपना देश मानकर और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी मानकर जो कुछ स्ट्रोंग इकोनॉमिक मेजर्स उठाने की गवर्नमेंट ने कोशिश की है उसमें जो गवर्नमेंट में बैठी हुई पार्टी है उस पार्टी का हाथ मजबूत करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो यह जो व्यवस्था लागू की है वह व्यवस्था गड़बड़ा जायेगी और उसकी वजह से हमको ही नहीं सारे देश को हानि होने वाली है। मेरा यह भी निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, और मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो क्रिटिसिज्म होता है वह सही क्रिटिसिज्म होना चाहिए न कि पोलिटिकल क्रिटिसिज्म। और क्रिटिसिज्म फॉर दी सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। जहां तक हमारे देश का प्रश्न है, हमारे देश को मजबूत करने का प्रश्न है, मैं यह मानता हूं कि अगर कोई भी गल्ती करता है तो उसकी गल्ती बतानी चाहिए लेकिन गल्ती भी वही करेगा जो काम करेगा, काम करने वाले से गल्ती होगी ही, मजबूरी भी किसी प्रकार से हो सकती है, लेकिन देश के लिए जो मेजर्स हम लेते हैं उसमें आपका सहयोग भी मिलना चाहिए और जब गवर्नमेंट में बैठने वाली पार्टी और अपोजीशन पार्टी ये दोनों मिल कर देश को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करेंगी तभी यह देश आगे जा सकेगा। आगे बढ़ सकेगा।

जहां तक पेय जल का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने मरूस्थल के अन्दर और दूसरे इलाकों में भी पेय जल को पहुंचाने का काफी प्रयत्न किया है हालांकि वह प्रयत्न उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। आज हमारे यहां पर पेय जल को उपलब्ध कराने के लिए मास्टर प्लान बन गए हैं और दूसरी व्यवस्था भी कर दी गई है। हम चाहते हैं कि तमाम एक एक गांव में इस प्रकार की व्यवस्था हो जाय जिससे कि कोई भी आदमी इस प्रकार की

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

बात नहीं कर सके कि पीने का पानी नहीं है और पानी के अभाव में हमको कठिनाई महसूस हो रही है। इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए हमारी सरकार बराबर प्रयास कर रही है और वह बराबर प्रयत्नशील है और आगे भी ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करेंगे कि हम तमाम गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करें।

जहां तक सोशियल सिक्योरिटीज़ का प्रश्न है इसके लिए कहा गया कि यह सरकार कुछ भी नहीं करती। इसके लिए हमने यहां तक कदम उठाए हैं कि इस तरह के जो लोग हैं, जो भी ऐसे आदमी हैं जो कोई काम नहीं कर सकते, जो बूढ़े हैं, अपंग हैं और अंधे हैं उन लोगों को सरकार के द्वारा पेन्शन दी जाय और उनकी सोशियल सिक्योरिटी कायम की जाय। इस प्रकार के जो लोग हैं और जिनके दिल में यह बात है कि उनके आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है और उसकी कोई देखभाल नहीं कर सकता तो सरकार ने उसकी जिम्मेदारी ली है और सरकार ने उसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है। अगर आपने उस का फायदा उठाया हो, अपने क्षेत्र में जो लोग ओल्ड एज में हैं, अपंग हैं तो सरकार के इस प्रकार के प्रावधान का फायदा उठाया जा सकता है और इसके तहत हजारों लोगों की पैंशने भी कायम की हैं। तो यह तमाम व्यवस्था की गई है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

जहां तक लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति का प्रश्न है, आज बहुत सारी बातें यहां पर कही गई कि अमुक औरत को पकड़ कर कत्ल कर दिया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में सब जगह कानून की व्यवस्था है। हम अपना काम कॉस्टीट्यूशन के तहत में चलाते हैं। यह नहीं हो सकता कि जिसको चाहें उसको पकड़वा दें और फांसी पर चढ़ा दें। इस प्रकार की यहां बातें पर नहीं हो सकतीं। यहां पर कानून के तहत काम होता है। आप कानून के तहत जाइए जो भी सहयोग मिल सकता होगा वह मिलेगा। तो इस प्रकार की कोई गड़बड़ यहां नहीं होती। राजस्थान बनने के पूर्व राजस्थान में कौने-कौने के अन्दर डकैतियां पड़ती थी, कौने २ में इस प्रकार के सामन्तवादी तत्व थे जिन्होंने इस प्रकार की गडबड़ियां देश में की और वे चाहते थे कि किसी प्रकार से कांग्रेस का शासन टिक नहीं सके और भारत का यह शासन भ्रष्ट हो जाय, खत्म हो जाय। लेकिन उनकी यह बात नहीं चलने दी गई और ये तमाम डाकू और इनके गिरोह भी समाप्त कर दिए गए और इस प्रकार की व्यवस्था की गई। कोई छुट-पुट मामले हो जायं वह अलग बात है। लेकिन आज राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है कि यहां पर रोजमर्रा डकैतियां पड़ती हों जैसी कि माननीय सदस्यों के जमाने में पड़ती रहती थी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह सब बातें इस सरकार की ही देन हैं और इस सरकार ने ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न किया है। हालांकि कुछ कमियां जरूर रही हैं और काम करने वालों के साथ कुछ न कुछ कमियां रहती हैं, इन गल्तियों का

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

सुधार हो सकता है, मगर यह नहीं कह सकते कि इस सरकार ने समाजवादी समाज की व्यवस्था कायम करने के लिए कुछ नहीं किया और देश के अन्दर फैली हुई गरीबी से देश को ऊपर उठाने के लिए कुछ नहीं किया और जो व्यवस्था हम करना चाहते थे, जो हमने आश्वासन दिए थे उन आश्वासनों को पूरा करने में हम किसी प्रकार से असफल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में पिछले दो दिनों से एक प्रस्ताव जो इस प्रकार का प्रस्ताव है जिसे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने रखा है, वह अविश्वास का प्रस्ताव है, और उस पर बहस चल रही है। पिछले दो दिनों से सदन के उधर बैठने वाले विरोधी पक्ष के अलग-अलग दलों के माननीय नेताओं ने जो वातावरण इस सदन में बनाने की कोशिश की है वह मैं मानता हूँ कि उनका एक स्वाभाविक प्रयास है। इसलिए कि हमारे इस सदन का यह आखिरी सेशन है और इस आखिरी सेशन में हमारे यहां से जाने के बाद आने वाले आम चुनावों के लिए अपनी अपनी तैयारी में लगेंगे। यह बहुत स्वाभाविक बात है विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों के लिए और वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो प्रस्ताव इस सदन में रख रहे हैं और जैसा जयपुर से आने वाले जनसंघ के माननीय नेता ने कहा कि हम यह चाहते हैं कि यह सरकार चुनावों से पहले पहले समाप्त हो जाय और यह सरकार अगर अभी समाप्त नहीं होती है और आने वाले चुनावों के अन्दर यह सरकार कायम रहती है तो फिर वह इस बात का प्रयास करना चाहते थे अपने बहुत से मुद्दों को यहां रख कर कि यह सरकार नाकाबिल सरकार है। इस सरकार की वजह से राजस्थान आर्थिक संकट में फंस गया है, इसकी नीतियां जो हैं वे दूषित नीतियां हैं और इस सरकार में भ्रष्टाचार होने के कई उदाहरण यहां पर उन्होंने रखे। इसी प्रकार विरोधी दल के माननीय नेता ने खास तौर से भीलवाड़ा से आनेवाले, बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ मामलों और मुद्दों के बारे में शुरू शुरू में कुछ जनरल बातों को कह कर आखिर में वे उसी सोने के लम्बे चौड़े किस्से पर आ गए और इस बात का धुआं आम तौर से बनाने की कोशिश की कि इस राज्य सरकार के मन्त्री लोग, इस राज्य सरकार को सपोर्ट करने वाले कांग्रेस के लोग सब के सब दोषी हैं और कांग्रेस की सरकार अगर इस देश में, इस प्रान्त में रहती है तो हिन्दुस्तान की जनता का भला उनके जरिए नहीं हो सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह धुआं उन्होंने बनाने की बराबर कोशिश की है, आज तो यह धुआं वे इस सदन में बना रहे है और वे जानते हैं कि जो आज इस प्रकार का प्रस्ताव रखा गया है उसमें कामयाबी नहीं मिलने वाली है। यह सरकार चुनावों के पहले जब तक इसकी मियाद है रहने वाली है। चुनावों के बाद भी चूंकि वह अपने अपने अलग अलग इलाकों में जाकर स्टेज पर अपनी अपनी बातें कहते हैं, आम तौर से उन्होंने वही बातें जो कि पोजीटिव नीति नहीं है बल्कि इस राज्य के बारे में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उनकी आलोचनाएं चाहे वह केन्द्र का राज्य हो चाहे वह राज्यों का राज्य हो, उन्हीं बातों को जो वे जनता के सामने आम तौर से कहते हैं वही बातें उन्होंने सदन में उठाने की कोशिश की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता ने यह कहा कि कांग्रेस की सरकार की नीति चाहे वह राज्य की सरकार की नीति हो चाहे भारत सरकार की नीति हो, सब पैमानों से नापा जाय, उन्होंने खास तौर से घरेलू नीति का जिक्र किया। उन्होंने खास तौर से हमारे देश की वैदेशिक नीति का जिक्र किया और हमारी योजनाओं का जिक्र किया और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि जो हमारी सीमा है उन सीमाओं की सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है उनका भी उन्होंने जिक्र किया और सारी नीतियों का जिक्र करने के बाद उन्होंने यह बताने की कोशिश की....

(३.५० म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत सभा-नेत्री, पदासीन)

कांग्रेस सरकार की नीति किसी भी दायरे में कामयाब नीति नहीं है और वे नीतियां गलत नीतियां हैं। उनके इम्प्लीमेन्टेशन में कांग्रेस के लोगों के चरित्र में दोष होने की वजह से उनका ठीक तरह से पालन नहीं होता है, और इस वजह से हिन्दुस्तान की जनता और राजस्थान की जनता को चाहिए कि इन भाषण देने वालों पर भरोसा करके इस कांग्रेस के राज्य को हिन्दुस्तान से समाप्त कर दिया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय; माननीय सभा-नेत्री महोदया, मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने तीक्ष्ण भाषणों में सत्य या असत्य जो कुछ फैक्ट्स हैं उनको यहां रखकर न तो इस सदन के लोगों में कोई गलतफहमी पैदा कर सकते हैं और न वह आम जनता के लोगों में गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। जनता इस प्रकार के भाषण देने वालों को भी जानती है। जिनको इस देश में भाषण ही नहीं देना है बल्कि भाषण देने के साथ साथ करनी से उन चीजों को लागू करना है, उनको इम्प्लीमेंट करके जनता के सामने जिनको परिणाम लाने हैं उनकी कितनी ही ज्यादा जिम्मेदारी उन भाषण देने वाले लोगों से हैं। जो इस प्रकार भाषण देते हैं मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ सीमाओं के मामले को लेकर इस सदन में कहा गया, एक तरफ चीन का जो हमला हुआ उसका भी जिक्र हुआ, पाकिस्तान का हमला हुआ उसका भी जिक्र हुआ। दोनों हमलों के बारे में खास तौर से चीन के हमले के बारे में आपने कहा कि जिस समय हमला हुआ उन परिस्थितियों में हमारे देश की जो फौज की तैयारी थी या उस समय हमारे देश पर जिस तरह से हमला हुआ उस तरह से आम तौर से हमारे देश के ९०–९५ फी सदी लोगों का खयाल था कि १६ और २० हजार फीट की ऊंचाई से इतनी बड़ी तादाद में फौज आकर हिन्दुस्तान के अन्दर इस तरह से तेजी से चले आये, जिस हिमालय को हम अजेय समझते थे उस हिमालय पर आज १६–२० हाजर फीट की

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ऊंचाई पर फौजों ने निकलकर जहां पर आज हिन्दुस्तान की फौजों के बड़े बड़े दस्ते कितनी मुश्किलों में तनात हैं, आई इस सदन को मैं सोचता हूं, कि अच्छी तरह जानकारी होगी। और हिन्दुस्तान में जो चीन के हमले के बाद परिस्थिति बनी या पाकिस्तान के हमले के बाद परिस्थिति बनी वह भारत सरकार के सामने है और हिन्दुस्तान की आम जनता के सामने बहुत चिन्ता का विषय बनी हुई है और उस चिन्ता के विषय का, उसकी जिम्मेवारी का अहसास आज जितनी गम्भीरता से यह कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की नीतियों को मानने वाले लोगों को है, मैं सोचता हूं, उतनी गम्भीरता से किसी पार्टी को चिन्ता नहीं है।

× × × ×

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): सभानेत्री महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस प्रश्न के ऊपर कि एक पक्ष को चिन्ता है देश की रक्षा की और दूसरे को नहीं है–मैं समझता हूँ थोड़ा सा भी इसमें मतभेद नहीं है, और किसी का किसी के प्रति आक्षेप नहीं है और इस सदन के अन्दर सोचने का प्रश्न भी नहीं हो सकता, इस प्रकार की गरमा–गरम बहस में मैं उचित नहीं समझता। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी ने जहां से 'चिन्तन' या 'चिन्ता', जो भी शब्द हों, या वाक्य कहे हैं तब से लगा कर अब तक प्रोसीडिंग्स को एक्सपंज कर दिया जाय ताकि जो इस सम्बन्ध में बातें हुई हैं वह इसमें न हों।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : Thank you.

श्रीमती सभानेत्री : सारे को एक्सपंज कर दिया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : सभानेत्री महोदया, मैं सदन में कोई इस प्रकार के रोष–पूर्ण व्यवहार की आशा नहीं करता था। मेरे कहने का मतलब तो यह था....

श्री रामकिशन : इसको छोड़ो, आगे बोलो।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस देश की योजनाओं में सुरक्षा की योजनाओं को कांग्रेस की सरकार ने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है, जहां तक इस देश की सीमाओं की सुरक्षा का प्रश्न है, उससे सम्बन्धित योजनाओं को देश के अन्दर ज्यादा से ज्यादा टॉप प्रॉयोरिटी दी गई है। जो हमारे डिफेन्स का बजट था, जिसका बहुत बड़ा बोझ हमारे देश की जनता के ऊपर आया है, जो डिफेन्स का बजट इस देश का आज है और जो आज से दो साल पहले था, उसमें चार गुना और साढ़े चार गुना अन्तर आया है और डिफेन्स का बजट बारह-तेरह सौ करोड़ के लगभग पड़ता है। हिन्दुस्तान के अन्दर सीमाओं की सुरक्षा करने के सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा जितने आदमियों की जरूरत होगी उस हिसाब से उनको रखा जायगा, और उन आदमियों को अस्त्र–शस्त्र

× × × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार यह भाग निकाला गया।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

से सुसज्जित करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उस दृष्टिकोण से व्यवस्था की गई है और देश के अन्दर जितने भी हमारे बोर्डर एरियाज हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि से आज भी हमारे फौज के लोग तैनात हैं। उन लोगों के लिए हमें लाखों और करोड़ों रुपये का खर्चा उठाना पड़ेगा। इतनी मुश्किल हालत में चाहे डेज़र्ट की कन्डीशन हो, चाहे पहाड़ी बर्फ की कन्डीशन हो, वहां उन सारे लोगों को तैनात करके जिन मुश्किलात के साथ उनकी जरूरत की चीजों को उन तक पहुंचाने का बड़ा से बड़ा खर्च उठाया जाता है, वह भी इस देश की सरकार ने इस बात की जरूरत समझकर कि सीमाओं की सुरक्षा इस देश को अखण्ड रखने के लिये सबसे पहली और बुनियादी जरूरत की चीज है, इस सारे खर्च को उठाया है। और उन खर्चों को उठाने के परिणाम स्वरूप आज देश के अन्दर योजनाओं के लिए हमें जो धन चाहिए, जिन योजनाओं के ऊपर धन खर्च करने के जरिये हम इस देश के अन्दर सिंचाई से ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिस ज्यादा धन के जरिए देश के अन्दर ज्यादा उद्योग पनपा सकते हैं, जिस ज्यादा धन के जरिए हम बिजली का विकास कर सकते हैं और देश के लोगों की सुख सुविधा के ज्यादा से ज्यादा साधन जुटा सकते हैं–उन सारी योजनाओं के अन्दर हमको कटौती करनी पड़ी है। इसके बावजूद भी देश को धन की जरूरत हो तो चाहे दुनिया के दूसरे देशों से, मित्र देशों से, मदद के रूप में हम लायें, चाहे देश के अन्दर से लोगों से कर्ज लेकर उसको जुटायें चाहे देश की जनता के ऊपर करों का बोझ डालकर उस धन को जुटायें फिर भी ऐसी जितनी भी धन राशि एकत्रित होती है, उस राशि की लिमिट भी एक जगह जाकर खत्म हो जाती है। फिर भी सीमाओं की सुरक्षा का ज्ञान इस कांग्रेस की सरकार को नहीं होता तो फिर सीमाओं की सुरक्षा पर इतना खर्च बढ़ाया है, उनके सारे प्रोग्रामों के आगे बढ़ाने की दृष्टिकोण से वह सब क्यों उठाया गया है?

यह बात ठीक है, विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने कही, कि जोधपुर के अन्दर जिस वक्त पाकिस्तान का हमला हुआ था, पाकिस्तान के हवाई जहाजों द्वारा वहां पर आकर बम्ब गिराए गए–तब वहां ऐसा नजर आने लगा कि जोधपुर के अन्दर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। माननीय सभानेत्री महोदया, मैं भी जोधपुर का रहने वाला हूँ, और मैं भी उन दिनों में वहां था, और उस समय जो घटनायें घट रही थीं, उनमें यह ठीक बात है कि पाकिस्तान के हवाई जहाज जो सुपीरियर क्वालिटी के थे, आते थे और हमारे पास जो कुछ हवाई जहाज थे, कुछ गन्स का अरेन्जमेंट था, उस स्टेन्डर्ड के हवाई जहाज के मुकाबले के हवाई जहाज चाहे वहां जोधपुर में नहीं थे लेकिन हिन्दुस्तान के जोधपुर जैसे कई शहरों के लिए व्यवस्था करनी थी जिनके लिए भी जोधपुर की तरह ही खतरा मौजूद था। हमारे पास इतनी ज्यादा चीजें होतीं, देश के अन्दर इतनी ज्यादा चीजें होतीं– एन्टी एअर क्राफ्ट गन, इस प्रकार से सुपीरियर हवाई जहाजों का मुकाबला करने के लिए सुपीरियर हवाई

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जहाज हिन्दुस्तान में मोर्चे में होते तो सब शहरों की सुरक्षा का बढ़िया से बढ़िया इन्तजाम जुटाया जाता और मैं सोचता हूं कि इस हिन्दुस्तान में किसी को तकलीफ नहीं होती। पर उन साधनों की कमी है। हमारे पास न बढ़िया किस्म के हवाई जहाज थे, न सस्ते किस्म के जो हवाई जहाज चाहिए, वे थे। इसी का परिणाम यह था कि जोधपुर के अन्दर इस प्रकार से वह आते जाते थे। लेकिन जोधपुर की जनता और राजस्थान के लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतना खतरा होते हुए भी लोगों ने हिम्मत और साहस के साथ उस कठिनाई का मुकाबला किया। यहां हमारे जोधपुर शहर के ऊपर और इधर पंजाब के अन्दर शहरों के ऊपर बम्ब गिराए गए जहां लड़ाई का मोर्चा नहीं था। वहां भी इस प्रकार की व्यवस्थायें जैसी बढ़िया होनी चाहिए, वैसी नहीं थी। तो बम्ब इधर भी गिरे और उधर भी गिरे और बम्बों के गिरने के बाद जो नुकसान और क्षति जनता की होती है उसको भुगतना पड़ा और उसको उठाना पड़ा। हम भी आगे बढ़े हुए राष्ट्र होते और धन की सीमा नहीं होती, हमारा देश आज से बीस वर्ष पहले गुलाम नहीं होता तो जैसे दुनिया के अन्य देशों ने फौजी शक्तियों को कायम कर रखा है उनके मुकाबले में हम भी फौजी शक्ति करते। पर हमारा दुर्भाग्य है कि आज से बीस वर्ष पहले हम गुलाम थे, हमारा देश गुलाम था....

श्री विजयसिंह झाला : पाकिस्तान के मुकाबले में आप अपने देश को कमजोर समझते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : चेयरमैन महोदया, मन्त्रीजी जो इस तरह की बात कह रहे हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा : हम गुलाम थे आजादी मिलने से पहले तक इसलिए हमारे सामने यह मुश्किलात आई।

श्री विजयसिंह झाला : पाकिस्तान के मुकाबले में आप अपने देश को कमजोर समझते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस दृष्टिकोण से आजादी के बाद हिन्दुस्तान आगे बढ़ा है....

श्री जोधसिंह चौहान : यह साबित हो चुका है कि आप अपने को कमजोर समझते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : और हिन्दुस्तान ने अब काफी तरक्की की है।

श्री मुरलीधर व्यास : पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तब याद रखिए, ऐअर फोर्स हमारे पास रही थी। वहां नहीं रही थी। क्या फालतू इस प्रकार की बात कहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मेरे मन की बात मुझे कहने दीजिए। मैं आपके कहने से बाधित नहीं हूं। मैं अपने मन की बात कहूँगा, माननीय सदस्य के मन की बात नहीं कहूंगा।

श्री विजयसिंह झाला : आप अपने आपको पाकिस्तान से कमजोर नहीं समझें।

श्री श्रवणलाल : सुरक्षा कोष के नाम पर जो पैसा लिया गया है और लोग उसको

(श्री श्रवणलाल)

हजम कर गए हैं उसको आप अभी तक वसूल नहीं कर पाए हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सभानेत्री महोदया, हमारा देश तरक्की कर पायेगा । आज से बीस साल पहले हमारे आजाद होने के बाद एक दो वर्ष में जो कुछ हुआ है....

श्री विजयसिंह झाला : सभापति महोदया, मंत्री महोदय को इस विषय पर नहीं बोलना चाहिए, यह इनका विषय नहीं है। इनको डिफेन्स के बारे में नहीं बोलना चाहिए ।

श्री नाथूराम मिर्धा : उस समय सूई जैसी चीज जापान से आती थीं, बटन जैसी चीज भी दूसरे देशों से आती थी । लेकिन इस देश के अन्दर सब साधन आगे बढ़े हैं और हिन्दुस्तान की फौज ने, जिस समय हमारा पाकिस्तान की फौजों से मुकाबला हुआ था, उस समय अस्सी प्रतिशत ऐसी चीजें इस्तेमाल की थीं जो हिन्दुस्तान के कारखानों की बनी हुई थीं और वह हमारे स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के समय में हिन्दुस्तान में कांग्रेस सरकार ने ही बनाई थी जिसकी वजह से हिन्दुस्तान की फौजों ने अपनी शक्ति दिखाई....

श्री जोधसिंह चौहान : उस वक्त भी गन पाउडर बनता था और चीजें बनती थीं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे यहां एन्टी टैंक गन तैयार की गई, गोले तैयार किए गए और यह सब हिन्दुस्तान के कारखानों के ही बनाए हुए गोले थे ...

और आर्म फोर्स के लिए ८० पर्सेन्ट माल जो यूज किया गया वह हिन्दुस्तान का बना हुआ ही यूज किया गया । पाकिस्तान के पास एक पर्सेन्ट भी उसका बना हुआ माल नहीं था । इन सारी बातों को आप छुपाते हैं और यही कहते हैं कि अत्याचार हुआ । सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी सीमा है कहीं पर एक टुकड़ी आ गई और वह कितने घण्टे वहां पर पड़ी रही यह भी तो आपको देखना है । सीमाओं का बोर्डर १४०० स्क्वायर मील का है और कहीं कहीं तो १६०० स्क्वायर मील का है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री मुरलीधर व्यास आदि कुछ माननीय सदस्य एक साथ : कोई भी आराम से आए भले ही आए ।

श्रीमती सभानेत्री : आॅर्डर प्लीज ! आॅर्डर !!

श्री मुरलीधर व्यास : हिन्दुस्तान एक गरीब देश है यहां की गरीब जनता....

श्रीमती सभानेत्री : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि आप इस प्रकार बीच बीच में बार बार डिस्टर्ब नहीं करें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बार बार ये सीमाओं के बारे में बोलते हैं तो कहना आ ही जाता है ।

श्री विजयसिंह झाला : आप इनसे कह दें कि ये सीमाओं के बारे में न बोलें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको जो कुछ कहना था वह आपने कहा और हमने उसको

Page No. 103

(श्री नाथूराम मिर्धा)

शान्ति से सुना अब आप भी मैं कह रहा हूं उसको शान्ति से सुनें ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : पहले तो यहां की जनता भूखे मर रही हैं उसको बचाना चाहिये और उस पर बताना चाहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले भी इस पर अभी २॥ घन्टे कहा है और बाकी की बात रह गई है तो उस पर भी कह दूंगा ।

श्रीमती सभानेत्री : आॅर्डर प्लीज । मैं माननीय सदस्यों से पुनः निवेदन करूंगी कि आप इस प्रकार बीच में बाधा न डालें और अगर आपको कहना है तो बाद में कहें ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सभापति महोदया, आॅन ए पॉइन्ट आॅफ आॅर्डर, सर, मेरा पॉइन्ट आॅफ आॅर्डर यह है कि डिफेन्स के बारे में और हमारी जो पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ लड़ाई हुई उसके बारे में बोल रहे हैं । उसकी चर्चा करने के बारे में विरोधियों को भी रोका गया था ; इसलिए इनको भी मना किया जाए । आज ये कह रहे हैं कि हिन्दुस्तान की सरकार इन इन मामलों में कमजोर रही उसका नाजायज फायदा चीन अब भी उठा सकता है । इसलिये इनको भी इसके बारे में कहने से रोका जाना चाहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदया, यह सीमाओं का मसला नहीं है । इन्होंने कहा कि सरकार ने क्या किया....

श्रीमती सभानेत्री : मैंने आपका पॉइन्ट आॅफ आॅर्डर सुन लिया ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने पूरा तो उसे कहा ही नहीं फिर आपने कैसे सुन लिया ।

श्रीमती सभानेत्री : कहें ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जो बात उन्होंने जोधपुर के बारे में एन्टी एअर क्रेफ्ट गन्स के बारे में कही, मैं चीफ मिनिस्टर को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने खुद ने यह कहा था कि यह .

(शोरगुल–अश्रव्य)

और यह कहा था कि यह हमारी कमजोरी है । इसलिये मैं कहता हूं कि इन मन्त्रीजी ने जो कहा है वह गलत कहा है और इनको आप इस पर बोलने से रोकिये ।

(शोरगुल–व्यवधान)

श्रीमती सभानेत्री : आॅर्डर प्लीज ! आप पॉइन्ट आॅफ आॅर्डर का निर्णय सुन लीजिये । आपका यह पॉइन्ट आॅफ आॅर्डर कोई पॉइन्ट आॅफ आॅर्डर नहीं है ।

(हियर, हियर)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उनको फिर आप कहने दीजिये जो कुछ वे कहना चाहें कहें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस कांग्रेस की तरफ से ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है और कांग्रेस ने कोई सीमाओं पर काम नहीं

Page No. 104

(श्री नाथूराम मिर्धा)

किया इसलिये मैं इस पर प्रकाश डाल रहा था।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप ऐसी बात मत कहो जो आप नहीं जानते हो।

(शोरगुल–व्यवधान)

गिरफ्तार हुए उनका भी कहें।

(शोरगुल)

श्रीमती सभानेत्री : आप सभा की कार्यवाही चलने दें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : चलने कैसे दें ? हिन्दुस्तान की प्रेस्टीज का प्रश्न है और आप कहती हैं कि इसको चलने दें।

श्रीमती सभानेत्री : आप ये कहते हैं वह सुनिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कैसे सुनें ? हिन्दुस्तान की प्रतिष्ठा के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर,....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कभी कांग्रेस में रहे नहीं और देखा नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदया, डिफेन्स के मामले और प्रोविन्स के अधिकारों के मामले आपके जुरिस्डिक्शन के नहीं हैं और इन मसलों पर कोई राय जाहिर नहीं की जावे। हमारे आर्म फोर्स ने ठीक तरह से काम किया और उसके लिये कोई आलोचना करे और सरकार की ओर से उत्तर दिया जावे उस पर पार्लियामेन्ट में बहस होती है और वह उनका ही सब्जेक्ट है। डिफेन्स के बारे में जहां तक राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है आर. ए. सी. वगैरा की उस सम्बन्ध में कोई कमजोरी राज्य सरकार की रही है उस तरफ सरकारी पक्ष की ओर से उत्तर दिया जाना चाहिये और मैं निवेदन करूंगा कि आप इस बहस को उसी हद तक सीमित रखिये। अगर आप डिफेन्स के सारे सबजेक्ट मेटर को लेकर उस पर हाउस में कहेंगे कि क्या हो रहा है तो उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे और ठीक तरह से कहेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : आपकी सीमा में वे कैसे घुस आये ?

श्रीमती सभानेत्री : आपने जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया कि आज सीमाओं के बारे में नहीं बोलें। आज जो डिबेट हुई है उसमें सीमाओं के बारे में लापरवाही होने के इलजाम लगाये गये हैं उसके उत्तर में जवाब दे रहे हैं। जो आम तौर से दिया जा सकता है।

(हियर, हियर)

श्री नाथूराम मिर्धा : अब मैं सीमाओं की घरेलू नीतियों पर आता हूँ। जो यह कहा गया कि गृह के मामले बिल्कुल बिगाड़ दिये गये। वे क्या मामले बिगाड़े, उसकी मिसालें जो माननीय सदस्यों ने दी उसको मैंने गहराई से सुना है। इसमें लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन इस राज्य में बिगाड़ दी उसकी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

चार पांच मिसालें खास तौर से बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने दी और दो तीन आत्म हत्याओं में लडकियों के बारे में कहा....

श्री मुरलीधर व्यास : उदयपुर में दो तीन हत्याएं हुईं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसका तो डिटेल में होम मिनिस्टर एक एक केस के फेक्ट्स आपके सामने रखेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लड़कियों के केसेज का तो आप अच्छी तरह जवाब दे सकते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो सब कह सकता हूँ । आप कह सकते है तो मैं भी कह सकता हूँ । यह जो वातावरण बनाया है कि घरेलू नीतियों में लॉ एण्ड आर्डर के मामलों में हमारी सरकार बिल्कुल नाकामयाब सरकार है इसलिये उनका विश्वास उठ गया है ।

मैं नये नये जो माननीय सदस्य आये है उनको कुछ नहीं कहना चाहता । कुछ पुराने माननीय सदस्य हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी उनमें से हूं जो १५ वर्षों से यहां बैठते है । उनको राजस्थान सरकार को देखने और समझने का मौका मिला है । मैं उन दिनों की याद करता हूँ जिस समय हम पहले चुनावों के बाद विधान सभा में आयें थे । उस समय कम से कम १०० डकैतों के गैंग यहां पर थे और उन १०० डकैतों के गैंगों में हजार आदमी उनके एसोसियेट थे । और वे लोगों के घर जला देते थे, लूट-खसोट करते थे लोगों को किस तरह से परेशान करते थे, किस प्रकार की हालत थी यह आपसे छिपी नहीं है । आज की आजादी से १५ वर्ष पहले यहां पर टेररिज्म का पीरियड था........

(शोरगुल)

कई माननीय सदस्य : जिन जिन लोगों का डाकुओं ने अपहरण किया उनमें से किसी एक को भी आप छुडवा कर लाये क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस राज्य की सरकार ने जनता की इन स्थितियों को लगातार सुधारने के लिए प्रयत्न किये और सभापति महोदय, मैं बहुत गर्व के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि आज राजस्थान के राज्य में जहां पहले १०० डकैतों के गैंग थे वहां एक भी नहीं है........

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज उनसे भी बड़े गैंग तो इन बैंचों पर बैठे हैं ।

(शोरगुल)

श्री नाथूराम मिर्धा : महरबानी करके सुनने की क्षमता रखें । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप शांति से सुनें ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आपकी बात को क्या सुनें ? आप बतावें कि कितने

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

आदमियों को जिनका अपहरण हुआ आप छुडा कर लाये।

श्री मुरलीधर व्यास : पाकिस्तान के डाकू आकर हमला करें और मवेशी ले जाएं। राजस्थान की सीमा पर हमला कर दिया और आप कहते हैं कि डकैती नहीं हुई। आपको इसके लिये शर्म आनी चाहिये कि वे आ कर हमला करके चले जावें।

(शोरगुल)

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सत्य को सुनना सीखो।

श्री मुरलीधर व्यास : आपको पता नहीं कि क्या क्या हमले हुए हैं....

(शोरगुल)

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो नये नये आये हैं।

सभानेत्री महोदया, राजस्थान की लॉ एण्ड आॅर्डर व्यवस्था के बारे में मैंने निवेदन किया कि जो हमारे पड़ौसी राज्य हैं उनके मुकाबले में हमारे यहां अच्छी व्यवस्था रही........

(शोरगुल)

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज ! मुझे बड़े खेद के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि आप शांति से क्यों नहीं सुनते, एक एक शब्द पर क्यों टोक रहे हैं।

श्री श्रवणलाल : ये × × × क्यों बोल रहे हैं ?

श्री जोर्धासह चौहान : इनको आप कह दें कि ये × × × × × न बोलें।

(शोरगुल)

श्रीमती सभानेत्री : आॅर्डर। आॅर्डर प्लीज ! मुझे बार-बार दुख के साथ कहना पड़ रहा है....

श्री हरिप्रसाद शर्मा : हमें भी बड़ा खेद है कि हमें बार बार खड़ा होना पड़ रहा है।

श्रीमती सभानेत्री : आप स्थान ग्रहण करें। अगर इस प्रकार बार बार टोकेंगे तो ये भी आप बोलेंगे तब टोकेंगे, इस प्रकार की परम्परा न डालें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो विरोधी पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों की बड़ी इज्जत करता हूँ, उनका बड़ा कद्रदान हूँ। उनकी बातों को बड़ी गम्भीरता से सुनता हूँ और फिर काम करता हूँ। पर मेरी बात को वे सुनने को तैयार नहीं हैं। इस स्थिति में आखिर प्रजातन्त्र टिकेगा कैसे ? हम तथ्य रखना चाहते हैं....

श्री हरिप्रसाद शर्मा : बस आप × × × न बोलें, × × × भी तो थोड़ा बोलें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने मेरे जीवन में × × × × × सीखा ही नहीं।

श्री जोर्धासह चौहान : वाह रे, धर्मावतार !

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप तो सत्य के पुजारी हो।

(शोरगुल)

श्रीमती सभानेत्री : बार बार × × × × शब्द का प्रयोग किया गया है, इसको निकाल दिया जाय प्रोसीडिंग्स में से।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी का कहा हुआ × × × शब्द निकाल दिया इसका अर्थ उल्टा हो जायगा कि ये × × × बोले ।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो मैंने निवेदन किया कि लॉ एण्ड आर्डर के बड़े बड़े मसले राजस्थान के अन्दर थे और राजस्थान का जो पुराना चित्र था उसमें कितना सुधार हुआ है ? इसका थोड़ा सा जिक्र मैंने सदन के सामने किया है । आज विरोधी पक्ष के नेता ने और विरोधी पक्ष के दूसरे माननीय सदस्यों ने यह वातावरण बनाने की कोशिश की कि आज हमारे प्रान्त की क्या हालत है, जिधर देखो उत्पात, जिधर देखो जलूस निकलते हैं और उन लोगों पर लाठियां चल रही हैं और यह सारे हालात पैदा करने का जिम्मा इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों पर है । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हृदय पर हाथ रख कर टटोलें कि आज इस देश में इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करने के लिये सबसे ऊंचा झण्डा किसने उठा रखा है । जब कोई बस नहीं चलता, मजबूरी की हालत में जब हम सोचते हैं कि जनता हमसे खिसकती जा रही है तो हमें छोटी से छोटी बात पर भी जब मौका मिले, चाहे किसी में सत्य हो, चाहे किसी में असत्य हो, बिना सोचे विचारे ही उसमें बीच में कूद पड़ते हैं । बीच में राजनैतिक लाभ के लिये कौन कूदेगा, वही कूदेगा जिसको ज्यादा लालसा है इस सरकार को हटाने की ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : हटाना तो चाहते ही हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो बीच में कूदते हैं चलो भाई विद्यार्थियों उठाओ झंडा, आओ मजदूर भाइयों लगाओ भूख हड़ताल का खेमा, करो सरकार को मजबूर । और इस तरह सारी अव्यवस्था को फैलाने में मैं सोचता हूं इधर बैठने वाले ही जिम्मेदार हैं । उधर बैठने वाले तो बिलकुल साधु हैं । यह कह कर वे अतिशयोक्ति कर रहे हैं क्योंकि जो सही हालात हैं उनको सारा देश और दुनियां जानती है । दुनियां में देखने वाले बहुत हैं । यह हालात आज देश में पैदा करना अच्छी बात नहीं है । हां जो वाजिब बात है, उसको कहा जाय, प्रजातन्त्र के कई तरीके हैं, कहा जाय, सुना जाय, रिप्रेजेन्टेशन किये जायं, फिर भी सुनवाई नहीं हो तो प्रदर्शन करने का तरीका है । अगर वाजिब प्रदर्शन होता है तो प्रदर्शन के बाद भी सरकार को मौका मिलता है और सरकार सॉल्यूशन निकालती है और इस प्रकार के सॉल्यूशन्स हुए हैं । देश में अशान्ति हो तो इस देश के अन्दर इन तरीकों को मान लेंगे उस दशा में अशान्ति जरूर है पर प्रजातन्त्र में यह अशान्ति जितनी आप बड़ी बना कर कहना चाहते हैं, उस प्रकार की आज भी मैं इस देश में नहीं मानता । इस देश की बहुत बड़ी मेजोरिटी जो गांवों में रहती है, किसान और दूसरे धंधे करने वाले जो गांवों में लोग हैं वे आज भी देश में बहुत फंडामेंटल ढंग से सोचने वाले हैं, उनमें आज भी प्रजातन्त्र के असली बीज जमे हुए हैं और बड़ी मजबूती से जमे हुए हैं । जिनके दिमाग में ये बीज जमे हुए हैं उनको इस प्रकार के इन तरीकों से निकालना नामुम–

× × × × अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार निकाले गए ।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

किन है, प्रदर्शनों से यह कोशिश करना कि अशान्ति हो जाय और राज्य सरकार इससे उखड़ जायगी, इस बात को मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूं ।

हिन्दुस्तान की जनता आज कामन सेंस रखने वाली है और जनता एवं वोटर्स जानते हैं कि कहां से भाषण आ रहा है, वह कितना तथ्यपूर्ण है, उस स्टेज पर भी वे नाप तौल करते हैं और उस स्टेज पर हम बोलते हैं, उसका भी नाप–तौल होता है । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि घरेलू नीतियों के सवाल को लेकर लॉ एण्ड ऑर्डर अशान्ति के बारे में उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों द्वारा बताया गया और उनको ऐसा लगता है कि इससे राजस्थान सरकार पीटे बैठ जायगी, जनता उग्र हो जायगी, कांग्रेस सरकार को जनता खराब समझेगी और आगे आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार नहीं होगी, कांग्रेस सरकार उखड़ जायगी तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा । आज जनता सब कुछ जानती है, उनका जनता नाप तौल करेगी और जो परिणाम सामने आयेंगे उनको आप और हम सब भोगेंगे ।

घरेलू नीतियों के बारे में स्पेसिफिक इन्स्टान्स दिये हैं, मेरी जानकारी नहीं क्योंकि मैं गृह मंत्री नहीं. कुल मिलाकर चार पांच लॉ एण्ड ऑर्डर की बातें बड़े जोर से उठाई गई........

एक माननीय सदस्य : एक डिस्ट्रिक्ट की हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : काफी समय सदन का गया, पत्रिका के मामले को ले कर, एक कत्ल के मामले को ले कर, प्रधान जी की अरेस्ट के मामले को ले कर, चार-पांच बहुत बड़े-बड़े मसले बता कर, उन पर घंटों समय लगाया । ... ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर सदन का दो महिने का समय इसके लिये रखें तो केवल पुलिस की घटनाओं को लेकर, अराजकता पर दो महीने सदन चल सकता है ....

(शोरगुल)

ये तो एक जगह के मामले हैं.......

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदया, I am in the possession of the House........

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके पास कोई काम नहीं, ६ महीने बाद सदन बुलाया है, केवल तीन बिल दिये हैं, चारों ओर अराजकता फैली हुई है और आप कहते है कि ४, ५ घटनाएं हैं ।

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : : आपकी सदन को बुलाइए, चलाइए, आपकी कई घटनाओं से राजस्थान काला हो रहा है ।

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य । मैं आपसे कई बार निवेदन कर चुकी हूं ।

(श्रीमती सभानेत्री)

मुझे आशा है, आप मेरी बात मानेंगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भविष्य में आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं जैसा निवेदन कर रहा था, यहां कई बुड्ढे १०-१५ साल से बैठे हुए हैं। आज की स्थिति और १०-१५ साल पहले की स्थिति में कितना अंतर है, वे जान सकते हैं। सदन में कई बार डिस्कस करते थे। आज कहां टिक गए हैं और आज का और उस जमाने का क्या मुकाबला है? मैं नहीं कहता कि कोई खराबी नहीं है लेकिन इन १०-१५ सालों में कितना सुधार हुआ है और यह सुधार कांग्रेस शासन के जरिए हुआ है।

कुछ माननीय सदस्य : वाह वाह !

श्री नाथूराम मिर्धा : वाह, वाह क्या, जो यहां बुड्ढे बैठे हैं वे समझते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : भ्रष्टाचार ...

श्री नाथूराम मिर्धा : भ्रष्टाचार पर आता हूं। घरेलू और दूसरी नीतियों को कहने के बाद आर्थिक नीतियों पर विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने और जनसंघ के माननीय नेता ने राजस्थान की खराब आर्थिक स्थिति के बारे में जिक्र किया, योजनाओं को एम्बीशस बताया, योजनाओं के जरिए आज देश के अंदर गरीबी का नग्न नाच है, जितना होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ, इस बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। भारत का एक एक इन्सान अच्छी तरह से जानता है कि आज देश के अंदर गरीबी है, आज से २० साल पहले भी देश के अंदर गरीबी थी, पर आजादी के बाद, प्रजातंत्र के जिस विधान को हमने स्वीकार किया. उसके बाद जो सरकारें चुनावों के बाद बनीं, उन सरकारों ने योजनाओं का सहारा लिया, योजनाओं के अन्दर धनराशि खर्च करने की स्थितियां पैदा कीं, धनराशि को जुटाने की स्थिति पैदा की और दूसरे भी कई तरीके और साधन जुटाए। जनता से टैक्स के रूप में कुछ पैसा लेकर, जिनके पास ज्यादा पैसा है उनसे कर्जा लेकर और दुनियां के कई मित्र देशों से कर्जा लिया, जो हमारी इज्जत के साथ मदद करना चाहते हैं। मैं कभी कभी मन में महसूस करता हूं और खास तौर से यहां जो वैदशिक नीति के बारे में जिक्र किया कि हमने दूसरे देशों के सामने सबसे ज्यादा भिखमंगी का प्रदर्शन किया है, वह हमें भिखमंगा कहते हैं जब किसी दूसरे देश से मदद लेने की बात करते हैं। आज यह जमी हुई सरकार है, इसकी एक प्रतिष्ठा है उसकी वजह से, उसके टिकाऊपन की वजह से दूसरे जो प्रजातंत्र हैं, वे इस देश के प्रजातंत्र को टिकाऊ मानकर, सब दुनियां में सबसे बड़ा प्रजातंत्र मानकर, हम जमकर चले हमारे प्रजातंत्र को टिकाऊपन देने के लिए, हमारी सहायता में आना चाहते हैं, दुनिया के कई देशों ने इन योजनाओं में सहायता दी है। माननीय विरोधी दल के नेता ने कुछ आंकड़े दिए, वे गलत आंकड़े हैं। पार्लियामेंट में भी यह सवाल उठा था और वहां कितने कुल कर्जा योजनाओं के अंदर भारत सरकार ने दुनियां के दूसरे देशों से लिया है, वह बताए थे कि पांच हजार करोड़ और कुछ रुपए थे। मैं समझता हूं कुल मिलाकर चार हजार करोड़ रुपये हैं।

श्री रामकिशन : गलत है, ६५ अरब तो उन्होंने माना है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : गलत है, नहीं माना है । तीनों योजनाओं में दूसरे देशों से ४ हजार करोड़ रुपया कर्जे के रूप में लिया, तो पर कैपीटा कर्जा भारत में ८० रुपए आता है ।

श्री रामकिशन : वित्तमंत्री ने १-७-६६ को जवाब दिया है कि तमाम देश पर कर्जा ६५ अरब और ६० करोड़ रुपया था ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ६॥ हजार करोड़ हो गया ।

श्री रामकिशन : यह तो अमूल्यन से पहले है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : पर कैपिटा खर्चा में बता रहा हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : डीवैल्युएशन से पहले का आंकड़ा है उसके बाद तो ११ हजार करोड़ हो गया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : दुनिया के दूसरे देशों से कर्जा लाए भारत के लोगों ने कर्जा लेकर योजनाओं को बनाया । तो विरोधी पक्ष वाले कहते हैं कि जनता की कमर तोड़ दी टैक्स के बोझ से दिवालिया बना दिया....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसमें कोई शक है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : शक तो कुछ नहीं है । आपको तो कुछ करना ही नहीं है, केवल भाषण ही देना है और फिर चुनाव में तो हारना है ही ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपकी जमानत जब्त करानी है । आप ७०० वोटों से चुन कर आए, मैं १६,००० वोटों से चुनकर आया और अब की बार २५,००० वोटों से आऊंगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसके बाद ये कहते हैं कि कर्जा लाओ मत, टैक्स लगाओ मत । भारत के लोगों से उधार मत लो और गरीबी मिटाओ और फिर कहते हो कि इस गांव में इतनी गरीबी है, उसमें इतनी गरीबी है । विरोधी दल के सदस्य ऐसी दलील दे सकते हैं, इस ओर वाले नहीं । इस ओर बैठने वाले लोग जिन्होंने सचमुच देश की गरीबी मिटाने का जिम्मा लिया है, जो जिम्मा भारत की जनता ने उन्हें सौंपा है, इन योजनाओं के जरिए ज्यादा से ज्यादा बोझ उठाकर और देश की जनता को आह्वान करते हैं और इस देश को बेरोजगारी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, शिक्षा का विकास करना चाहते हैं, उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं बिजली का विस्तार करना चाहते हैं, यातायात की सुविधाओं को जुटाना चाहते हैं, तो और ज्यादा बोझ उठाकर चलना पड़ेगा, कमर कसकर चलना पड़ेगा । विरोधी दल के नेताओं की बातों में यदि जनता आ गई, व उन्होंने जो नाटक किया है उसमें आ गए तो जनता गरीब की गरीब ही रह जायगी, देश के अन्दर काम नहीं होगा, योजनाएं बंद हो जायंगी....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह कौनसी नौटंकी कर रहे हैं ?

(शोरगुल)

श्री मानिकचन्द सुराणा : मानकचौक की चौपड़ की सभा समझ रखी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : टाटा और बिरला का टट्टू चल रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : फिर कहते हैं कि देश के अन्दर बिजली का विस्तार नहीं किया, शिक्षा का विकास नहीं किया, शिक्षा महंगी दी जा रही है, महंगा इलाज दिया जाता है। मैंने दुनिया देखी है, दुनिया के बड़े बड़े शहरों को देखा है, भारत के एक एक प्रांत के कोने कोने को देखा है। मुझे गौरव है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: अमरीका के बैंकों में पैसा जमा करने गए थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : आज शिक्षा के अन्दर जो सस्तापन राजस्थान की सरकार ने किया है, स्वास्थ्य की व्यवस्था का इन्तजाम किया है वह दुनिया और भारत में सबसे सस्ता है।

(शोरगुल)

मैं इन बातों की पुष्टि करना भी जानता हूँ।

(व्यवधान)

दुनिया में सबसे सस्ती शिक्षा व्यवस्था यहां है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सभानेत्री जी, मंत्री महोदय ने दुनिया देखी है, तो आपने भी दुनिया देखी है। मैं आपकी ऑब्जर्वेशन्स चाहता हूँ कि जो मंत्री महोदय कह रहे हैं क्या वह सही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप घबड़ायें नहीं। मैं आपके बनाये हुए धुंए को उड़ा रहा हूं। नहीं उड़ाऊंगा तो जनता में गलतफहमी हो जावेगी और आप भी भ्रम में रह जावेंगे।

श्री विजयसिंह झाला : यह नाटक बन्द करो, बहुत हो गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : स्वास्थ्य सेवाओं की बात कही थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके अस्पताल तो बूचड़खाने हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बड़ा ढोल पीट रहे हो ! बूचड़खाने हैं।

(शोरगुल)

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके बम्बई के कई आदमी, कलकत्ता के कई आदमी, हिन्दुस्तान की और जगहों के कई आदमी, पैसे वाले और मालदार होते हैं वे यहां राजस्थान में आकर इलाज कराना पसन्द करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बूचड़खाने हैं। सब जानते हैं।....

(शोरगुल)

श्री नाथूराम मिर्धा : यहां डाक्टरों का इन्तजाम अच्छा है।

(शोरगुल)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यहां डाक्टर कितना पैसा लेते हैं, गरीब इलाज नहीं करा सकते । यह बात तो आपके भाषण से ही सिद्ध हो रही है ।

(शोरगुल)

श्री नाथूराम मिर्धा : जनता में ऐसा प्रचार करते हैं कि बूचड़खाने हैं और अस्पताल नहीं हैं मैं उनकी आंखें खोलना चाहता हूँ ।

(शोरगुल)

यहां पर इलाज की अच्छी व्यवस्था है । हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनिया के अन्दर भी गरीबों के लिये ऐसी हितकर व्यवस्था नहीं है जैसी हमारे यहां अस्पतालों में व्यवस्था है ।

श्री रामकिशन : मंत्री जी चाहें तो उनके द्वारा दिये हुए ही ये आंकड़े देख लें ।

(शोरगुल)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इन ढपोलशंखों की आवाज बन्द कर दो ।

(शोरगुल)

श्री जयनारायण सालोदिया : यह तो त्रिपोलिया गजट है । त्रिपोलिया गजट । रॉग स्टेटमेंट दे रहे हैं, सदन में ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ढपोलशंख है, ढपोलशंख ।

(शोरगुल)

श्री जयनारायण सालोदिया : कोई तथ्यों से वास्ता ही नहीं है ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : गलत बोल रहे हो....

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री नाथूराम मिर्धा : भैरोंसिहजी । आप से कहूंगा कि आप इनको बन्द करो । कुछ हमारी भी सुनो ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : बिलकुल गलत बोल रहे हैं ! इनका भाषण नहीं सुनना चाहते !

(शोरगुल)

इनका भाषण नहीं सुनना चाहते । गलत बयान कर रहे हैं । इनको शर्म नहीं आती है कि ये कैसे गलत बोल रहे हैं ।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज !!

श्री जयनारायण सालोदिया : उदयपुर की मीटिंग में गलत भाषण देना चाहा तो मंत्री महोदय को जनता ने नहीं सुना और विधान सभा में भी गलत बोल रहे हैं । नाटक बना रखा है ।

श्री भैरोंसिह : एक क्लेरिफिकेशन कर दें, माननीय मंत्रीजी । उन्होंने अपनी चिकित्सा सेवाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज के अस्पतालों को बूचड़खाना बताने वालों को कहना चाहता हूँ कि उनको नहीं लिखना चाहिये, इससे यह समझ लें कि

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान पत्रिका ने बूचड़खाना लिखा और इसी कारण से उस पर हमला हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : न हमले का और न ही बूचड़खाने का मैंने कहा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इतनी झूठी और निकम्मी सरकार है....

श्री मोहनलाल सारस्वत : बन्द करो यह नाटक अपना। गलत बोल रहे हो....

(शोरगुल)

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरा कोई संबंध उस हमले से नहीं है। मैं तो एक फैक्ट है, मेरे को और राजस्थान की क्या हिन्दुस्तान की जनता को तथ्य महसूस होता है वह कहता हूं।

मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता था कि राजस्थान के १५ साल के इतिहास में तीन योजनाओं को कार्यान्वित किया है, पहली योजना ६० करोड़ की, दूसरी योजना १०० करोड़ की और तीसरी योजना २०६ करोड़ की हम पूरी कर चुके हैं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आधा तो खा गये।

श्री नाथूराम मिर्धा : सिंचाई की व्यवस्था जमायी....

श्री मोहनलाल सारस्वत : ये गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं।

(शोरगुल)

श्री नाथूराम मिर्धा : इस आदमी को काबू करो। यह बिलकुल आहू आदमी है।

श्रीमती सभानेत्री : पांच बजे का समय हो रहा है। सदन की मंशा हो तो सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री मोहनलाल सारस्वत : इनके भाषण के लिये नहीं।

(शोरगुल)

श्री नाथूराम मिर्धा : सदन का समय नहीं बढ़ाया जाय तो मैं इनको सुनाऊंगा जरूर, आज नहीं तो कल।

श्री रामकिशन : मंत्री महोदय....

(शोरगुल)

श्री राधाकृष्ण गोयल : मंत्री परिषद् के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव है और....

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री जोधसिंह चौहान : गलत बोल रहे हैं मंत्री महोदय....अब नहीं सुनना चाहते।

(शोरगुल)

श्रीमती सभानेत्री : मंत्री महोदय उत्तर दें तब तक के लिये समय बढ़ाया जाता है।

(No, No की आवाजें)

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह अध्यक्ष के आदेश की अवहेलना क्यों की जा रही है ? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लेना है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कांग्रेस पार्टी से कोई बोला ही नहीं है। मैं तो पहला ही आदमी हूं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या कांग्रेस से आप ही बोलें हो ? और बोल चुके हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो दो दो घंटे बोले हैं। मैं मंत्री भी हूं और सदन का सदस्य भी हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : झूठ बोलने का आपने रिकार्ड तोड़ दिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हम नहीं बोलने देंगे। आप झूठ बोल रहे हो।

श्री जोधसिंह चौहान : आप रिकार्ड तोड़ रहे हो झूठ बोलने में।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आधे घंटे में खत्म कर दूंगा। घंटा भर भी लग सकता है। तथ्य मेरे पास बहुत हैं।

(शोरगुल)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्यों....

श्री मोहनलाल सारस्वत : झूठ बोलगिया नीचे बैठ जाओ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय मोहनलालजी ! माननीय मोहनलालजी ! ! समय होता जा रहा है आप महरबानी करो यांने बोलवा दो, सदन की कार्यवाही चालवा दो।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं राजस्थान की योजनाओं के खर्चे के आंकड़े देकर राजस्थान की जनता और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता था कि राजस्थान का बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में एकीकरण हुआ जिस पुराने बैक ग्राउन्ड से निकल कर यह राज्य बना वह राज्य बनने के बाद इसका विकास हुआ। उसके बारे में जो कुछ भी निवेदन किया, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सेवा गिनी जाती है वह महत्वपूर्ण सेवायें हैं जिनके बारे में मैंने निवेदन किया कि राज्य के अन्दर चिकित्सा की स्थिति हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों से ऊंची हैं।

खास कर के राजस्थान में सिंचाई के साधन जुटाये गये। जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सिंचाई की योजनायें जो राजस्थान में ली गई हैं चाहे वे बड़ी योजनायें थीं या छोटी, मध्यम प्रकार की योजनायें थीं; ३५.३६ लाख की उठाई गई उनके बारे में आम तौर पर कहा कि ये योजनायें और जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर जो कुछ भी ब्याज का खर्चा, मैन्टीनेन्स का खर्चा जो कुछ भी उनके ऊपर अब तक पड़ा है उतना पैसा भी उनसे रिकवर नहीं कर पाते हैं।

(५ ०० म० प०)

उन्होंने खास तौर से गंग कैनाल का नाम लिया। सभानेत्री महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गंग कैनाल तो अपने आप में भी पेइंग प्रोजेक्ट है। उस पर खर्चा भी कॉन्स्टेन्ट है तो रिटर्न भी कॉन्स्टेन्ट है। इसके बारे में तो कोई किसी प्रकार का भ्रम नहीं होगा। पर खास तौर से ....

श्री भैरोंसिंह : इसकी आमद कम हो रही है।

श्री नाथूराम मिर्धा : ज्यादा हो रही है ।

श्री भैरोंसिंह : आपके कहने से कैसे मान लूं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर पानी कम गया है तो रिटर्न कम हो गया ।

श्री भैरोंसिंह : चार्ज तो यही था कि आमदनी आधी रह गई है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप जॉइन्ट कन्ट्रोल सिस्टम नहीं बिठा सके अभी तक तो आपकी इस महरबानी की वजह से पानी नहीं आ सका ।

श्री भैरोंसिंह : किसी भी तरह से हो, आमदनी तो कम हुई है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसको मैं समझ रहा हूं । मैंने जैसे पहले भी निवेदन किया था कि राजस्थान के अन्दर इस पिछले तीसरी योजनाकाल में राजस्थान की दुर्भाग्य-पूर्ण स्थिति रही है । ईश्वर और प्रकृति के प्रकोप की वजह से पिछले पांच सालों में एक साल थोड़ी ठीक वर्षा हुई, तीन साल अकाल के थे और एक साल ठीक था । तो इस कारण कुदरत की वजह से पानी जो कम आया कैनाल में और बन्धों में तो गंग कैनाल में भी कम आया और इस वजह से एरिया में घटोतरी हुई और जैसा पिछले सालों के रिटर्न के आंकड़ों का जिक्र किया, वे कम हैं । मुझे मालूम है । पर बेसिक तौर से हमेशा के लिये कटोती हो गई हो ऐसी बात नहीं है । इस साल पानी ठीक चल रहा है । रकबा भी ज्यादा सिंचित होगा और आमदनी भी ज्यादा होगी और गंग कैनाल के लिये तो यह भी कह सकते हैं कि उसका तो प्लान्टेशन ही खर्चा पूरा कर देने को तैयार है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो आपकी महरबानी है । पानी की कमी होने में आपकी सौ फी सदी जिम्मेदारी है । आप जिम्मेदार हैं इसके लिये पूरे के पूरे । कुदरत नहीं । आप भी जिम्मेदार हैं । वर्षा राजस्थान में नहीं हुई, गंग कैनाल के लिये जहां से पानी आता है, वहां तो हुई है । आप तो जॉइन्ट कन्ट्रोल सिस्टम नहीं बिठा सके इसलिये पंजाब ने ज्यादा पानी ले लिया । आप घाटे में रह गये, तो इसके लिये आप जिम्मेदार हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी इस जॉइन्ट कन्ट्रोल वाली बात का भी मैं कई बार जवाब दे चुका हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप इसे ६६ तक तो बिठा नहीं सके ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस तरह से इन कैनाल्स का पानी का वर्क आउट किया जाता है, इसकी आमदनी और खर्चे को वर्क आउट किया जाता है इस बारे में भी भारत सरकार के स्तरपर बड़ी समितियां गठित हुई हैं । जो डाइरेक्ट बैनिफिट को ही कन्सीडिरेशन में लेते हैं इनडाइरेक्ट लाभों को कन्सीडिरेशन में नहीं लेते हैं । तो इसलिये मौजूदा केलक्युलेशन करने के तरीके से राजस्थान में जो इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट मीडियम या माइनर लिये गये हैं जो कम एरिया सिंचित करते हैं अगर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उनकी रेट को बटरमेंट लेवी की सारी बातों के इरिगेशन की रेट के तरीकों को डायरेक्ट तरीके से वर्क आउट करें तो ऊंची रेट होगी। इस बेसिस पर अगर रिटर्न को वर्क आउट करने वाले बनाते हैं तो यह कहेंगे आप कि इस पर कन्स्ट्रक्शन पर खर्चा अधिक कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : बात है भी यही, कन्स्ट्रक्शन में इनता ज्यादा खर्चा किया है और इरिगेशन में कैचमेंट एरिया इतना कम रहा है कि उससे रेटें अगर लगाई जावें तो बहुत ऊंची आवेंगी। तो इनमें प्रोजेक्ट की कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा आई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह दलील है आपकी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके काम आपका सारा कन्स्ट्रक्शन स्लो, डिफेक्टिव और करप्ट है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसका तो यही काफी है सुबूत कि जितनी कास्ट में जितने टाइम में पंजाब वालों ने ११० मील का एरिया बनाया राजस्थान कैनाल का उतने में आपने कितना बनाया, आप देख लीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बैठिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने खड़ा नहीं हुआ हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपके पास इसका कोई उत्तर ही नहीं है, देंगे क्या आप?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय जयपुर से आने वाले सदस्य ने जो कहा है ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, उसका उत्तर दे दीजिये, क्या जयपुर के सदस्य को बताते हैं, उनको टैक्निकल बातों का पता नहीं है टैक्निकल बातों का उत्तर मुझे दीजिये। बाकी दूसरी जो उनको बातें समझानी हैं उनका उत्तर उनको दीजिये। आप दीजिये उनकी बातों का उत्तर नमक वाले काण्ड का। जिसका उत्तर आप दे नहीं सकते। जो कोटा के कारखाने को जमीन दी है दीजिये उसका उत्तर।

श्री नाथूराम मिर्धा : इन का उत्तर देने में एक ही खड़ा नहीं हुआ हूं, घणे हैं उत्तर देने वाले। आप उन सबको सुनते सुनते थक जावेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक सवाल का जवाब बताइये आप।

(व्यवस्था–सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : आप जब बोले थे तो काफी विस्तार से अपनी बात कह चुके अब जब ये जवाब देने जा रहे हैं उन बातों का तो उनको बोलने दीजिये, बीच में क्यों बोल रहे हैं।

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभानेत्री महोदया, तो फिर से हमें एड्रेस करना छोड़ दे वे बार बार कहते हैं जयपुर वाले माननीय सदस्य, फलाने माननीय सदस्य तो जब ये माननीय सदस्यों से बोलेंगे और जब जयपुर वाले बोलेंगे तो माननीय सदस्य रायसिंह नगर वाले भी बोलेंगे ।

(शोरगुल)

श्रीमती सभानेत्री : मन्त्रीजी का कहना है कि अगर शान्ति से आप उनको सुनना पसन्द नहीं करते है तो आज की सभा की कार्यवाही समाप्त कर दी जावे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सर । अभी काल अटेन्शन नोटिसों का जवाब भी देना बाकी है । आपने सदन की कार्यवाही समाप्त नहीं की है । सदन की कार्यवाही चलनी चाहिये और काल अटेन्शन नोटिसों का जवाब आना चाहिये ।

(शोरगुल)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : स्पीकर महोदय ने भी यह व्यवस्था दी है कि काल अटेन्शन नोटिस इसके बाद में लिये जावेंगे । इसलिये आप विराजे रहिये और सारा काम करवाइये ।

(शोरगुल)

श्रीमती सभानेत्री : तो मन्त्री महोदय अपना जवाब कल पूरा करेंगे, आप प्रस्ताव रखियेगा कि मन्त्री महोदय अपना उत्तर कल पूरा करेंगे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो फिर घबराते क्यों हैं, सुनो मेरे को ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो फिर आज आप बोल लें जितना झूठ बोल सकते हैं ।

श्रीमती सभानेत्री : आप बोलिये ।

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदया, टाइम समाप्त हो चुका । हम नहीं बोलने देंगे ।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदया, आपने आदेश दे दिया कि मन्त्री बोलें तो क्या अब यह स्थिति है कि वे आपका आदेश नहीं मानेंगे ।

श्रीमती सभानेत्री : कह दिया है उनको बोलने के लिये, वे बोलें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं बोलने के लिये तैयार हूं । खाली लम्बा करने की हमारी इच्छा नहीं है । पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप थोडा सुनें मेरी बात को ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप गम्भीरता से कहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं जयपुर वाले माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूँ कि इर्रिगेशन के तमाम प्रोजेक्ट पेंडिंग

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नहीं हैं । रिटर्न जैसा मिलना चाहिये था नहीं मिल सकता है। इसे कहने से मेरी मंशा यह थी कि रिटर्न को वर्क आउट करने में जो फार्मूला बनाया हुआ है वह सर्वमान्य है उसे हमें भी मानना होगा।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने फार्मूला बनाया पहले रिटर्न का कैलक्युलेट करने का और उसी के बेसिस पर उसने आंकड़े रक्खे हैं, मैं उन्हीं आंकड़ों की बात कहता हूँ । मेरे अपने कोई आंकड़े नहीं हैं, आप के ही आंकड़े हैं और आपका ही बेसिस है। अब अगर कोई बेसिस बदल गया हो तो आप जानें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने कहा कि कन्स्ट्रक्शन में पैसा ज्यादा खर्च होता है।

श्री भैरोंसिंह : मैं याद दिलाऊं आपको एक उदाहरण तो दे ही सकता हूँ अभी हिन्द कन्स्ट्रक्शन कम्पनी का मोरेल बान्ध का ।

श्री नाथूराम मिर्धा : क्या मामला है ?

श्री भैरोंसिंह : वह भी सुन लीजिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : फिर मैं जवाब भी दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप कहें तो एक छोटा सा मामला मैं भी अर्ज कर दूं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं अभी नहीं दूंगा जवाब आपको। आप बैठ जाइये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फिर आप छेड़ते क्यों हैं ? कृपा करके आप हमें न छेड़िये अगर आप में जवाब देने की हिम्मत नहीं है तो।

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां तक वर्क आउट करने के फार्मूले का सवाल है यह हिन्दुस्तान का है, हमारा नहीं है। जिसके बारे में राजस्थान सरकार ने भी समय-समय पर भारत सरकार को और केन्द्रीय सरकार को यह कहा है कि डाइरेक्ट रिटर्न को ही जो रिटर्न मानते हैं तो वह किसी भी प्रोजेक्ट को वर्क आउट करने का सही तरीका नहीं है। निजलिंगप्पा की चेयरमैनशिप में एक समिति का भी इसके लिए गठन हुआ था और उस फार्मूले को काफी रूप से संशोधित करने के बाद फिर सरकार के सामने रक्खा है।

श्री भैरोंसिंह : जैसे राजस्थान में हो रहा है, वैसे ही देश में हो रहा है। अपनी गलतियों को अपनी फिजूल खर्चियों को कन्स्ट्रक्शन में हुए घोटालों को छिपाने और व्हाइट-वाश करने के लिये आप ही कमटियां बिठाते हैं और उनसे हमें सन्तोष दिलाने और बहकाने की कोशिश करते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : पर हम सही स्थिति को लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं, पर हमारा दृष्टिकोण आपके अनुकूल नहीं बैठता ।

श्री भैरोंसिंह : आपका दृष्टिकोण जो पहले था वह अब बदल गया । आपने जनता को पहले तो यह कहकर ये प्रोजेक्ट हाथ में लिये थे कि इन पर इतना खर्चा

(श्री भैरोंसिह)

होगा और इनसे यह रिटर्न मिलेगा । आप अब अपना फार्मूला बदल रहे हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं नहीं ऐसा नहीं कहा । हमने जो रिटर्न्स वर्क आउट किये हैं....

श्री भैरोंसिह : प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी उनमें सब में है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने जो रिपोर्ट्स वर्क आउट की हैं उसको बदलना नहीं चाहते । अगर कुछ वस्तुस्थिति को बदलने के फैक्टर्स हो सकते हैं तो इनकरेक्ट सर्वे होने की वजह से एरिया कमान्ड किसी प्रोजेक्ट में ज्यादा हो गया और एक्चुअल पानी आने में अन्तर हो गया तो वह अन्तर जो सर्वे में कुछ डिफेक्ट हो गए उससे एरिया जितना कमान्ड होना चाहिए था उसकी वजह से सर्वे में गलती होने की वजह से होगा । तो उतना पलटाव तो टेक्नीकल लोगों के कुछ गलत काम से हो गया लेकिन उसके लिए यह कहना कि हमारे सारे प्रोजेक्टस बेकार हैं, यह योजनायें ठीक नहीं है और योजनाओं के अन्दर अपव्यय हुआ है और भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए सारे प्रोजेक्टस अनपेइंग हो रहे हैं । मैं कहता हूँ कि यह बहुत अतिशयोक्ति होगी । अगर आप ऐसा एलीमेन्ट भी मानें कि उसमें कुछ गड़बड़ खर्चा हो गया या मितव्ययता किसी पोइन्ट पर बरती जा सकती थी वह नहीं बरती गयी तो वह उस प्रोजेक्ट का मुश्किल से कहीं आधा या एक परसेन्ट हो सकता है और अगर आप इसको ९९ परसेन्ट का धुंआ बनाते हैं तो कुछ सच्चाई से बहुत दूर चले जाते हैं ।....

श्री भैरोंसिह : एक मामला रख दूं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं फिर सुन लूंगा । आप मुझे बोलने तो दो ।

श्री भैरोंसिह : एक कम्पनी ने जिसने मोरेल बांध बनाया उसने फुल सेटिस्फेक्शन के लिए ९८ हजार रुपया ले लिया और उसने १ लाख ९१ हजार रुपये का क्लेम किया है । जब उसने ९८ हजार रुपये का फुल सेटिस्फेक्शन में पेमेन्ट ले लिया तो उसके बाद में आपने स्वयं ने अपने दस्तखतों से उसी कम्पनी ने जब १ लाख और कुछ रुपयों का दावा किया तो आपने और लड्ढा साहब ने अपने दस्तखतों से टाइम बार्ड केस को रिव्यू किया और कहा कि उसको पेमेन्ट कर देना चाहिए ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं भैरोंसिह जी आप जैसे जिम्मेदार व्यक्ति से इस प्रकार की उम्मीद नहीं रखता....

श्री भैरोंसिह : वह केस राणावत कमेटी के सामने पड़ा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब आप मेरी बात सुनिये । भैरोंसिह जी, मैं आप जैसे जिम्मेदार आदमी से ऐसे आरोपों की आशा नहीं करता था और मैं चेलेन्ज करता हूं....

श्री भैरोंसिह : वह जो मैंने कहा है आज भी चेयरमैन राणावत की कमेटी के सामने फाइल पड़ी है । एक आदमी जिसने फुल

(श्री भैरोंसिंह)

सेटिस्फेक्शन लिए ६८ हजार रु० का पेमेन्ट ले लिया उसके १ लाख ६१ हजार रूपये के क्लेम को किस प्रकार से वाजिब माना जा रहा है ? उसका किस प्रकार से पेमेन्ट रोका जाये उस मामले की फाइल पूरी की पूरी राणावत के सामने पड़ी है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं बहुत नम्रता से भैरोंसिंह जी निवेदन करना चाहता हूँ कि जिसने ६८ हजार में फुल पेमेन्ट का 'हां' कर लिया तो मैंने और लड्ढा साहब ने लिख दिया कि १ लाख और....

श्री भैरोंसिंह : दुबारा ६८ हजार लेने के बाद उसी अमाउन्ट के खिलाफ और अमान्ट के लिए क्लेम किया है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह रिप्रेजेन्ट करता है और हमने ना किया है ।

श्री भैरोंसिंह : आपने दस्तख्त किये हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : बिलकुल गलत बात है । भैरोंसिंह जी जैसे आदमी को यह बात नहीं कहनी चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह : अगर आप दस्तखत नहीं करते तो फिर राणावत कमेटी के सामने यह मामला नहीं आता ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तो आपने कई मुद्दे उठाये हैं और जब मैं जवाब देने लगता हूँ बीच में और लट्टू उठा देते हैं । श्री भैरोंसिहजी आप जैसे बुजुर्ग आदमी को सदन में ऐसी बात कहना शोभा नहीं देता ।

श्री भैरोंसिंह : यह तथ्य है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बिलकुल तथ्य नहीं है भैरोंसिहजी । अगर तथ्य होता तो नाथूराम कभी का 'हां' कर लेता ।

श्री भैरोंसिंह : उस कम्पनी को ६८ हजार का फुल पेमेन्ट कराया····

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने नहीं कराया । चीफ इन्जीनियर के यहां से उसका फुल पेमेन्ट ६८ हजार में सैटल हुआ । उसके बाद में इस मुद्दे को उस कान्ट्रेक्टर ने उठाया । उसने कहा कि कलेक्टर, सवाई माधोपुर ने मोरेल बांध के अन्दर इरिगेशन डिपार्टमेन्ट ने कहा था कि कुछ मिल का चक्कर है । इस पाइन्ट के ऊपर कहा कि मेरे पार्ट ऑफ दी मील को फुल मील माना जाना चाहिए यह केस सवाई माधोपुर कलेक्टर की इन्क्वायरी में गया था । कलेक्टर ने वहां पर इस मील को जो कि टेक्नीकल लोगों की राय के खिलाफ है इस पार्ट मील को फुल मील मान और कान्ट्रेक्टर को १ लाख और कुछ रुपयां मिलना चाहिए यह लिखा । वह मामला जब मेरे सामने आया तो मैंने वापिस चीफ इंजीनियर को कहा कि यह कलेक्टर की बात को लेकर कहता है । मैंने कहा कियह एक तरफ का फ़ैसला दिया है आप क्या कहते हैं ? उन्होंने कहा कि इसका क्लेम वाजिब नहीं है । मैंने कहा कि कोई क्लेम वाजिब नहीं है इसलिए मेरे दस्तखत करने का सवाल नहीं होता । यह मामला अभी तक लटकता है । कॉन्ट्रेक्टर ने अभी भी यह दावा कर रखा है कि मैं यह पार्ट ऑफ दी मील से

(श्री नाथूराम मिर्धा)

फुल मील पाने का हकदार हूं। इसलिए गवर्नमेंट ने नोटिस दे रखा है। एक ३ मेम्बर्स की कमेटी बनी हुई है जिसमें बी.एण्ड. आर. और इरिगेशन के कुछ झगड़े हों तो उसमें राणावत हैं चेयरमैन। मैंने कुछ नहीं किया, लड्ढा साहब ने कुछ नहीं किया। अब वह ठेकेदार खुद उस मामले को राणावत कमेटी के सामने ले गया है। अब वह क्या करेगा, क्या नहीं करेगा और इस मामले को राणावत को कैसे डील करना है, इस पर भी गवर्नमेंट विचार कर रही है। अभी फाइनल नहीं है इसलिए आप भैरोंसिहजी मेरे नाम के साथ इसको मत जोड़ो।

श्री भैरोंसिंह : उसमें राणावत साहब को आपने खुद ने फाइल भेजी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह मैंने नहीं भेजी।

श्री भैरोंसिंह : वह आपकी नॉलेज से और आपके दस्तखतों से गयी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं झूठ नहीं कहता। आप मान जाओ। मैं क्या झूठ बोलूं आपके सामने ऐसी छोटी बात पर ? मैं उसमें इन्ट्रेस्टेड नहीं हूँ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरी भी बात सुन लो....

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे तो बहुत कुछ कहना है। बीच बीच में मुद्दे उठायें तो वह उठा लें। मैं जवाब नहीं दूं तो मारा जाऊं भैरोंसिंहजी आप जैसे जिम्मेदार माननीय दस्य....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं सिर्फ यह कहता हूं कि यह बात चलती रहेगी जब तक आप गलत बात कहते रहेंगे कि आप जैसे जिम्मेदार आदमी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप जब तक सच्ची बात नहीं कहेंगे तो नहीं मानेंगे। जिम्मेदार आप जैसे इनको नहीं कहने चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : आपको जलन यह है कि आप इनको जिम्मेदार कह दीजिए जो हमेशा गैर जिम्मेदारी से बात करते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं माननीय सदस्यों को तो जिम्मेदार सदस्य ही कहना पसन्द करूंगा। वह चाहे कुछ भी कहें। क्योंकि जिम्मेदारी नहीं होती तो यहां क्यों आते ?

मैं निवेदन करूंगा कि आज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के रिटर्न्स के मामले में मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस हिसाब से जैसे रिटर्न्स वर्क आउट किए जाते हैं उनको अगर रेम्युनरेटिव प्रोजेक्ट्स बनाना है तो हमें उनकी बैटरमेन्ट की रेट्स जो आज हैं उनसे कई गुना ऊंची करनी पड़ती है, लेण्ड रेवेन्यू के चार्जेज को बढ़ाना पड़ता है, इरिगेशन की रेट्स को बढ़ाना पड़ता है और जिस गरीब किसान की आप और हम सब बातें करते हैं और जब कहते हैं कि उनकी बोझ उठाने की शक्ति नहीं है उन पर बोझ बढ़ेगा। सरकार ने अभी इस दृष्टिकोण को नहीं अपनाया है उससे और ज्यादा लिया जाये। और फिर आप ही कहेंगे कि इस दृष्टिकोण को तुरन्त अपनाया जायेगा तो किसानों के ऊपर बोझ पड़जायेगा। आखिर इसका जनरल टैक्स-पेयर के ऊपर वजन पड़ता है। आखिर यह

(श्री नाथूराम मिर्धा)

व्याज वगैरह उसी से मीट आउट होता है मैं सभापति महोदया, बहुत नम्रता से कहना चाहता हूं कि इसको रेम्युनरेटिव बनाने के लिए इसका दृष्टिकोण और इनका रिटर्न्स केलकुलेट करने के प्रोसीजर को बदलना पड़ेगा कि उससे जो किसानों को लाभ होता है जिसका रिटर्न हम मानें तो प्रॉफिटेबली जो अनप्राफिटेबली लगता है शायद उसमें परिवर्तन हो जाये ...

तो मैं बहुत नम्रता से निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के अन्दर इन तीन योजनाओं के अन्दर इस कांग्रेस की सरकार ने, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया और आज भी फिर बड़ी नम्रता से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो सिंचाई का एक रकबा राजस्थान में कुल मिलाकर २७–२८ लाख के लगभग था आज वह चालीस लाख के लगभग रकबा है ।

इस राजस्थान के अन्दर, माननीय सभानेत्री महोदय, जिस समय यह राजस्थान बना था जो बिजली की शक्ति इस राजस्थान में थी वह कुल मिलाकर १५ मेगावट की थी, इस राजस्थान की राजधानियों के अन्दर इन गलियों के अन्दर टिमटिमाती हुई कुछ थोडी सी लाईट जलती थी वहां आज राजस्थान के एक हजार गांवों के अन्दर आज बिजली मौजूद है। राजस्थान के बारह सौ गांवों में आज बिजली मौजूद है। जहां पहले राजस्थान के दो सौ, तीन सौ कुओं में बिजली थी वहां आज राजस्थान के १४ हजार कुओं में बिजली है। राजस्थान की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जहां साढे छः लाख कुओं के अन्दर में से ७५ हजार कुओं में बिजली पहुँचा देंगे, वहां इस कांग्रेस को यह कहना कि गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, लोगों के धन्धे के लिए कुछ नहीं किया और उनके रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, गरीबी बढ़ी है, मैं बहुत नम्रता से आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि यह कोई देश के अन्दर लोगों के गले में घण्टी नहीं बज गई है। मैं बहुत नम्रता से निवेदन करका चाहता हूं कि देश के अन्दर महंगाई हुई है और किसी भी प्रगतिशील देश में, चाहे वह अमेरिका का इतिहास हो, चाहे आप दुनिया के किसी इतिहास को लीजिए, चाहे योजनाएं बनाते हों चाहे न बनाते हों, कोई कोई तो योजनाएं भी नहीं बनाते, उनके यहां फ्री ट्रेड है, जहां डवलपमेंट और विकास होता है, जहां पर कारखाने नए खुलते हैं, जहां छोटे उद्योग खुलते हैं और जहां बड़े उद्योग खुलते हैं, जहां पर कृषि का विकास होता है, जब तरक्की की तरफ बढ़ चलते हैं तो पैसा इन्वेस्ट होता है....

(अश्रव्य)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, आप इस तरह बीच में न बोलें, बहुत ज्यादा हो चुका है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां पर डिफेंस का खर्चा एक हजार करोड़ बढ़ा हो और जो यह पैसा जनता में फैल रहा है....

श्री भैरोंसिंह : जर्मनी और जापान जैसे देश भी हैं जिन्होंने आपके बाद काम शुरू किया और आज आपको कर्जा दे रहे हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जर्मन और जापान की बातें करते हैं लेकिन वहां की जनता का चरित्र क्या है, यह भी आपने देखा है ? वहां के विरोधी दल का रोल कैसा है ? वह आप जैसा नहीं है, जैसा इस सदन में है वैसा नहीं है। और वह, मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी आसान तरीके से वाह वाह करके वाजिब बातों को कहें तो कान बन्द करके बैठ जायं और हल्ला करके बातों को सुनें नहीं, ऐसा रोल भी नहीं है। मैंने आस्ट्रेलिया की पालियामेंट को देखा है, मैंने इंग्लैंड की पालियामेंट को देखा है, मैंने इटली और ईजरायल की पालियामेंट को देखा है लेकिन मैंने एक भी जगह इस तरह से हो हो करने वाले नहीं देखे....

(व्यवधान, शोरगुल, अश्रव्य)

ऐसा विरोधी पक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया, माफ करना मैं हाथ जोड़ कर कहता हूं ...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ऐसे भ्रष्ट लोग भी नहीं देखे जैसे तुम हो।

(शोरगुल)

श्री नाथूराम मिर्धा : जापान और जर्मनी की हम बातें कर रहे हैं। जापान और जर्मनी के मसलों को हमारे हिन्दुस्तान के लोगों को गहराई से समझना पड़ेगा। जहां चरित्र है उन लोगों का, एक का ही नहीं, राज्य करने वाले और राज्य नहीं करने वाले का अलग अलग नहीं, सबका एक सा चरित्र है। उधर बैठ कर चिल्लाने से चरित्र नहीं बन जाता है। मैंने समझा था कि भैरोंसिंह जी १५–२० की बहुत लम्बी चौड़ी लिस्ट लाये हैं तो कोई बहुत बड़ा सांप निकलेगा, लेकिन ले देकर जो उन्होंने बातें, उनका मेरे से सम्बन्ध नहीं है, थोड़ा बहुत होगा तो उसके बारे में जरूर कहूँगा। मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सी बातें कहीं, महंगाई की बातें भी कहीं, टैक्स नहीं देने की बातें भी कहीं और दुनियां से कर्जा लाते हैं तो दिवालिया बनने की बात भी कही। मैंने दूसरे देशों में भी विरोधी पार्टियों के पालियामेंट में भाषण सुने हैं, मै बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि जब भी देश को उठाना चाहते हैं तो सब तरफ से कमर कस कर जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य को पूरा करना चाहिये और सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना जरूरी है। अपने मन में चिंतन करने की जरूरत है। हम भाषण देते हैं दूसरों के बारे में कभी यह भी चिंतन करते हैं कि मेरे अन्दर क्या बोल रहा है ? लेकिन हम देखें कि यहां पर हम कितनी आम बातें बोलते हैं और कितनी वास्तविक बातें बोलते हैं। यहां पर तो कोई भी आदमी विद्वान बन जाता है और कोई भी बात हो बोलने के लिए खड़े हो जायेंगे। हमारे बांसवाड़ा से जो नेताजी आए हैं वे तो बात बात पर खड़े हो जाते हैं और बोलने लग जाते हैं ...

श्री मुरलीधर व्यास : कोई तो ऐसी बात कहो कि जिससे यह मालूम पड़े कि उपनेता हो।

श्री भैरोंसिंह : आपने दुनिया भर की पालियामेंटें देखी हैं, आपकी तरह से कहीं कोई मिनिस्टर भी बोलता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपको यही सिखा रहा हूं।

तो मैं कह रहा था कि देश को बनाने में मेरे कहने का मतलब यही है कि....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके मुंह से अण्डे और टमाटर टपक रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई भी देश उत्थान की ओर अग्रसर होता है प्रगति की ओर अग्रसर होता है तो एक एक इन्सान को पकड़ना पड़ता है और समझना पड़ता है, एक एक समस्या का जिम्मेदारी से हल ढूंढ़ना पड़ता है। कथनी और करनी में समानता लानी पड़ती है, कथनी और करनी में कम से कम फर्क रहे और उस आदर्श को रखने के लिए....

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा द्वारा व्यवधान-अश्रव्य)

क्या बताऊं, भैरोंसिहजी ! यह हाण्डा जैसे गैर–जिम्मेदार सदस्य जो एक एक मिनिट में उठकर प्रदर्शन करते हैं और फिर बैठ जाते हैं, मैं क्या बताऊं।

(शोरगुल–अश्रव्य)

इस राजस्थान को बहुत दूर मंजिल पर जाना है, इस हिन्दुस्तान की जनता को बहुत दूर मंजिल पर जाना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की जनता और राजस्थान की जनता को और उनके नुमा–यन्दों को कि अभी तो मण में पाव नहीं पीसा गया है, अभी तो पौने चालीस सेर पीसना है। जो देश के अन्दर व्यवस्था करनी है उसमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। देश के हर इंसान के लिए पूरे खाने–पीने की व्यवस्था करनी है, उसके लिए कपड़े की व्यवस्था करनी है। हर एक इंसान के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक एक खद्दर-धारी को मोटा बनाने की व्यवस्था करनी है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : एक एक मिनिस्टर को करोड़पति बनाने की व्यवस्था करनी है।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको अधिकार है कि आप कुछ भी कहते रहें, मैं उनको उलाहना नहीं देता हूँ। वह तो आज उस समाजवाद की कल्पना रखते हैं जिस समाज-वाद को इस देश में ला नहीं सकते। उस समाजवाद को इस देश में लाने के लिए तो उन्हें कई हजार वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जिस समाजवाद की तस्वीर उनकी खोपड़ी में भरी है, हिन्दुस्तान की जनता एक हजार वर्ष तक उनके समाजवाद को न तो मानेगी और न समझेगी।

(व्यवधान)

वह तो एक लट्टू की तरह उछले और अन्दर बैठ गए। इतना सा ही काम है उनका। मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभानेत्री महोदया, कि इन अहम मसलों को हल करना है तो आज जनता को

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सही बात को समझाना हमारा काम ही नहीं है इसकी आप की भी जिम्मेदारी है। इसमें आपकी जिम्मेदारी भी कम नहीं है। आप भी लोगों को कहें कि कैसे चलना है, कैसे समस्याओं को हल करना है। हम कह दें कि योजनाएं एम्बिशस हैं, योजनाएं ठीक नहीं है तो काम चलने वाला नहीं है। अगर हम कह दें कि योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में एक पर्सेन्ट, दो पर्सेन्ट या तीन पर्सेन्ट खराबी हो गई, या जो कुछ इकोनॉमी होनी चाहिए थी वह नहीं हुई, भ्रष्टाचार हो गया, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इन सारी बातों को सही भी मान लूं तो भी फिर आप बताइये कि देश को आगे ले जाने का क्या रास्ता है? आखिर हम आज प्रजातन्त्र के राज्य में आकर बैठते हैं।

(शोरगुल)

(अश्रव्य)

श्री ढाबरियाजी, अभी आपको कई बातों....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपको जेलों में डाल कर डण्डे लगाते ही सब समस्यायें हल हो जायेंगी।

(शोरगुल)

श्री नाथूराम मिर्धा : आखिर इतने उछलते क्यों हो, आखिर एक ही वोट की ताकत तो आपकी है, इतने जोर जोर से उछलने से ताकत थोड़े ही बढ़ जायेगी। आपकी ताकत एक वोट की खुद की ही तो है। जनता ने एक मौका दे दिया है इसका, आगे भी फिर पता भी नहीं लगेगा श्रीमानजी का।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप भी मेरे मुकाबले में खड़े हो जाइए, जमानत नहीं जब्त करवा दूं तो देख लेना।

(शोरगुल)

श्री नाथूराम मिर्धा : इस सदन को ...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आजाओ मुकाबले में।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस दल (स्वतन्त्र पार्टी) की सबसे ज्यादा ताकत है और इतनी ही ज्यादा जिम्मेवारी से काम करता है। उससे कम ताकत रखता है यह दल (जनसंघ) और गम्भीरता से, गहराई से बोलता है और सोचता है और कहता है। पर बीच की बैन्चों पर यह मतीरे का भारा बैठता है जिसका कोई सिद्धान्त नहीं है जो सबसे ज्यादा उछलता है और जोर जोर से बोलते हैं मानो सारे प्रजातन्त्र के मामले को इन्होंने अपनी जेब में डाल रखा है। मैं बहुत नम्रता से बीच में बैठने वाले माननीय सदस्यों से अर्ज करता हूं कि वे अपने दिलों को टटोलें कि वे कहीं एक, कहीं दो, कोई सोशियलिस्ट, कोई प्रजा सोशयलिस्ट, कोई घासलेट ये सारे देश में कितने वर्षों से रहते हैं और इनके समाजवाद को एकाध ने ही समझा है। उनकी बात लोगों को समझ में नहीं आती है और आगे आने वाले चुनावों में उनकी भी सफाई होने वाली है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सम्भलो....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : १९५१ की किसान सभा का मेम्बर बोल रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जनता किनको चाहती है और जिनको जनता चाहती है उनको गैर ईमानदार कहने वाले लोग कितने ईमानदार हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप कितना खा रहे हैं यह जनता जानती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं नम्रता से निवेदन करता चाहता हूं कि बिजली का विकास, सिंचाई का विकास, कृषि के उत्पादन का विकास, एनीमल हस्बेन्ड्री का विकास राजस्थान में जो जीरो था, जहां शुरुआत जीरो से थी वहां यह हुआ है।

हिन्दुस्तान की अहम समस्या आज हमारी खाद्य-समस्या है और उस अहम समस्या को हासिल करने के लिये हिन्दुस्तान की सरकार चिन्ता रखती है और हिन्दुस्तान की सरकार हिन्दुस्तान की जनता को इस बात के लिए तैयार करना चाहती है कि हिन्दुस्तान के लोग अपने पांवों पर खड़े होकर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए अपने सोर्सेज और सेविंग्स को मोबिलाइज़ करें और छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, कृषि के उत्पादन में ज्यादा से ज्यादा उस धन को खर्च करें और ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाकर ज्यादा से ज्यादा रोजगार के काम करें। मैं मानता हूं कि इस देश के अन्दर काफी बेकारी है। हमारे एम्प्लॉयमेंट का जो पुराना डेडलॉक है वह आज भी चालू है। चौथी योजना के अन्दर जिसको हम बहुत बड़े पैमाने पर तीसरी योजना के मुकाबले में दुगुना बनाकर चलाना चाहते हैं तो इन सारी बातें पर निश्चित तौर से अन्तर पड़ेगा। वह अन्तर लाने से देश के बहुत से बेरोज़गारों का काम मिलेगा। हम भी इस बात को जानते हैं कि चौथी योजना में नहीं....

(घण्टी)

पांचवीं योजना में नहीं देश हिम्मत और हौंसले के साथ अपने पांवों पर खड़ा रहकर इस देश की योजनाओं से साधन जुटाकर ७–८ योजनाओं तक लगातार काम करते रहें तो जिस स्टेज से हम गुजर रहे हैं उससे आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप महरबानी करके इन सारी सच्चाई की बातों पर गौर करें और जनता के सामने उसी रूप में रखें। एक तरफ तो यह कहें कि टैक्स मत दो, कमर टूट गई और दूसरी तरफ कर्जा लाते हैं तो कहते हैं दिवालिया हैं, भीखमंगे हैं। एक तरफ योजना बनाते हैं तो कहते हैं कि एम्बीशस बना दी। योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो कमियां रह गईं इस वजह से सारी योजनाओं को छोड़ दो। मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि कमियां हैं तो उनको दूर किया जाना चाहिए। कोई प्रजातांत्रिक सरकार इस बात का दावा नहीं कर सकती, चाहे उधर बैठने वालों की हो सकती है अगर उनको ५–४ योजनाओं के बाद जिम्मेवारी से अपनी योजनाओं के बनाने का मौका मिलेगा तो उसमें भी कमियां रह सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सारे के सारे लोग नीतियां रखने वाले, पार्टियां चलाने वाले बेईमान हैं और इनके और हमारे पास ईमानदारी का कोई तकाजा नहीं है।

मंत्रि–मण्डल के लिए कहा गया कि बड़ी फौज मन्त्रियों की कर ली। इस इकोनॉमी के युग में मंत्रि–मण्डल को बढ़ा दिया।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इस सदन के माननीय नेता अपना कर्तव्य समझते हैं कि कितने मंत्रियों से काम चल सकता है। इकोनॉमी करने के लिए राजस्थान के अन्दर पिछले ४-६ महीनों में बहुत प्रयत्न किया और माननीय सदस्य जानकारी करना चाहें तो वित्त मन्त्रीजी बोलेंगे और बतायेंगे कुछ डिटेल में लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूं कि कम से कम २ करोड़ रुपये की इकोनामी राजस्थान में इन पिछले २:३ महीनों में कई चीजों में की है। वे केवल चपरासी की वर्दियों में कमी, मकानों की सफाई की बात करके रह गए। लेकिन हमने बड़ी बड़ी पोस्टों को कम किया है और जिन आफिसरों की प्रायोरिटी में जरूरत नहीं हैं उनकी पोस्टों को हटाया है और कई चीजों में कमी की है....

श्री अब्दुल जब्बार खां : कहां ले गये सरकार को ?

श्री नाथूराम मिर्धा : खर्चे के अन्दर राज्य सरकार ने कमी लाने के लिए जिसको नान-डेवलपमेंट खर्चा कहते हैं उसके अन्दर काफी खर्चे में इन पिछले महीनों में हमने कमी की है । यह आज सारे देश की सरकारों के सोचने और करने की चीज है क्योंकि हम कठिन आर्थिक स्थिति में से गुजर रहे हैं चाहे भारत सरकार की हो या राजस्थान की सरकार कहो। आज इस आर्थिक विषम परिस्थिति में मंहगाई के बारे में कहा जाता है कि योजनाओं के जरिये जो कुछ हुआ उसका यह परिणाम हुआ है कि मंहगाई के अन्दर हिन्दुस्तान की जनता फंसती जा रही है और हिन्दुस्तान की जनता की कमर टूट रही है। माननीय सभानेत्री जी, मैंने इस प्रश्न को एक बार आगे भी एक दिन रेफर किया है, लेकिन उस दिन सदन में माननीयसदस्य थोड़े ही थे वह हिसाब मंहगाई का आज देश में हो रहा है और जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कोई भी देश आगे बढ़ता है, उसकी इकोनॉमी विकासशील इकोनॉमी होती है, उसके अन्दर निश्चित तौर से जब पैसा फैलता है उसके साथ-साथ जितनी चीजें लोगों के कन्जम्प्शन की हैं वे उतनी मात्रा में पैदा नहीं होती हैं तो निश्चित मानिये कि उसका असर पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : साथ ही साथ पर्चेजिंग पावर नहीं बढ़ रही है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि हिन्दुस्तान के लोगों की आपने कहा कि पर्चेजिंग पावर नहीं बढ़ रही है इसके बारे में आगे कहा था। उस रात को आप थे नहीं। मैंने विस्तार से निवेदन किया था। आज हमें सोचना है कि इतनी मंहगाई के बाद भी, मैं आपसे प्रेक्टिकल बात कहना चाहता हूँ, कुछ लोग है जो इस महंगाई से ज्यादा त्रस्त हैं, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है और सूचना है, और राजस्थान के लोगों के सामने जब मैं गांवों में जाता हूँ और मीटिंगों में जाता हूँ तो स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन को उनके सामने रखता हूँ कि भाई, ५६ का काल भी आप में से बहुतों को याद होगा और ६६ का काल भी आप में से बहुत सों को याद होगा। ६६ के काल में जब आपकी तीन रुपये मन बाजरी बिकती थी और एक रुपये का एक सेर घी बिकता था, उस समय लगान दो आना खालसा के गांवों में जहां आप देते थे उस समय आपके बच्चों के कपड़े जो आप लेते थे,

Page No. 128

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लोहा आप खरीदते थे और जो कन्जम्प्शन गुड्स आप बाजार से लाते थे गुड़ और शक्कर आदि और उसके लिए जो पैसा चुकाते थे तो उसकी अपेक्षा आज ज्यादा सुखी हैं या ६६ के बाद ६७ का जमाना हुआ था उस समय सुखी थे ? मैं एक-एक इन्सान से सवाल पूछता हूँ। जिस मंहगाई के बारे में विरोधी लोग काफी जोर देते हैं और जिसके बारे में इतने प्रदर्शन और भूख हड़तालें हो रही हैं ...

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : ३६ रुपये क्विन्टल में आपने व्यापारियों को मक्का दिलाई किसानों से और जब किसानों को जरूरत पड़ी तो आपने १०० रुपये क्विन्टल में किसानों को दी।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझ गया। १०० रुपये क्विन्टल है तो महाराष्ट्र में १४५ रु० क्विन्टल बिक रही है और १४५ रुपये में लेकर आराम से खाते हैं, जिन्दा हैं।

श्री हीराभाई : आपने ३६ रुपये में खरीदकर १०० रुपये में सप्लाई की है और ईमानदारी बता रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस प्रश्न पर प्रेक्टिकल रूप से एलाइव हूं और हजारों के मजमे के अन्दर लोगों के सामने इस प्रश्न को रखता हूं कि इस सभा में बैठे हुए भाइयो, इस मंहगाई के होने के बाद १० रुपये किलो में घी बिकता है, जब तुम्हारी १ रुपये की डेढ़ किलो बाजरी बिकती है और एक रुपये की दो किलो ज्वार बिक रही है, इतना मंहगा लोहा लाते हैं, इतना मंहगा कपड़ा लाते हैं, इतना मंहगा अपने बच्चों के लिए नेकर और कमीज लाते हैं। तो आप लोग, भाईयो, बताइये कि वह जमाना आराम का था या यह जमाना आराम का है ?

श्री अब्दुल जब्बार खां : जो मध्यम दर्जे के लोग हैं....

श्री मुरलीधर व्यास : भूमिहीन कितने हैं ?

श्री भैरोंसिंह : यह आप किस तरह के किसानों से जाकर पूछते हैं ?

प्लानिंग कमीशन की इकोनॉमिक कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है कि हिन्दुस्तान में जिस गति से मंहगाई बढ़ रही है उस गति से कहीं कम गति से पर्चेजिंग पावर बढ़ रही है। क्या वह आपके कहने अनुसार गलत है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इन रिपोर्टों के चक्कर में एक हद से बाहर पढ़ता नहीं हूं।

(शोरगुल)

आप इन रिपोर्टों को पुराण मानें, गीता मानें, लेकिन मैं इन रिपोर्टों की कीमत जितनी माननी चाहिये उतनी ही मानता हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सुनिये, ज्वाला प्रसाद जी, क्या रहे हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मैं कह रहा हूं...

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री हरिराम चौहान : सभानेत्री महोदया, इस सब का नतीजा कुल मिलाकर यह हुआ कि अमीर ज्यादा अमीर हुए और गरीब ज्यादा गरीब हुए ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जिन रिपोर्टों का जिक्र कर रहे है उनको आप गीता माने, रामायण माने

(शोरगुल)

हिन्दुस्तान के बनाये हुए इन्सान अपना दृष्टिकोण रखते हैं उसके अनुसार रिपोर्ट को समझते हैं । इन रिपोर्टों के आडंबर में पड़ जाऊं ऐसा गूंगा मैं नहीं हूँ । मैं आंखें रखता हूं, कान रखता हूँ, खोपड़ी रखता हूं, अक्ल रखता हूं उससे सोचता हूँ

श्री मुरलीधर व्यास : सभी रखते है लेकिन माथा नहीं रखते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : भूमिहीन किसानों के मैंने मकान देखे हैं श्रीमान लोगों के मैंने खुद ने....

श्रीमती सभानेत्री : Order please! मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहती हूँ कि दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बाकी हैं ।

श्री **दामोदरलाल व्यास** (पंचायत मंत्री) : वे आज नहीं होंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज ही होंगे ।

श्रीमती सभानेत्री : आप स्वयं बैठें । Order please! Order please!! मैं बोल रही हूं आप बीच में बातें करते जा रहे है । आप ध्यान से सुनिये, चेयर क्या कह रही है । मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं आप बीच में रोक-टोक करेंगे तो काफी लम्बा चलेगा । मैं निवेदन करती हूं कि या तो मंत्रीजी १०-१५ मिनिट में भाषण पूरा कर देंगे यदि आप रोक-टोक नहीं करेंगे तो । यदि आपका रोक-टोक करने का मूड हो-तो आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ले लें और मंत्री से कह दें कि कल बोलें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनको तो आज ही खत्म होने दीजिये ।

श्री अब्दुल जब्बार खां : On a point of order! हमारे लिये तो चेयर की ओर से आदेश दिया जाता हैं टाइम लिमिट लगाया जाता है इन पर पाबन्दी नहीं लगाई जाय ।

श्रीमती सभानेत्री : आप कृपया बीच में नहीं बोलें तो जल्दी खत्म हो जायगा ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उनको बोलते हुए दो घंटे हो गये इनके दिमाग में पता नहीं क्या भरा है । २ घंटे में ५ मिनिट के लिये भी सेंस की बात नहीं कही है इधर-उधर की बात कर रहे हैं ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ! आप बीच बीच में बोल कर समय बढ़ा रहे हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिये स्पीकर साहब से पूछ लेती हूँ । आप कंटिन्यु रखिये । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में बाद में देख लेंगे, या कल के लिये रख लें ।

Page No. 130

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसके लिये व्यवस्था हो गई है आज ही होगा।

श्रीमती सभानेत्री : अभी मैं रूलिंग देती हूँ कि मंत्रीजी अपनी स्पीच समाप्त करदें। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिये स्पीकर साहब से पूछ लेते हैं।

कु० श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : जितना लंबा होना था वह तो हो गये, अधिक लंबा होने की जरूरत नहीं।

श्रीमती सभानेत्री : आप जानते हैं कि जितना आप टोकेंगे मंत्रीजी उतने ही ज्यादा बोलेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं मंहगाई के प्रश्न पर बोल रहा था।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : On a point of order Sir Madam। हम इस बात से डरने वाले नही है कि ज्यादा चले या कम चले क्योंकि पैसा देते हैं, मिनिस्टर बनाते है तो बोलना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : This is no point of order-

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : आप सुनिये। मैं यह कह रहा हूँ कि मिनिस्टर गुमराह कर रहे हैं किसानों को मंहगाई से कोई फायदा नहीं हुआ है।

श्रीमती सभानेत्री : This is no point of order. वे अपने विचार पेश कर रहे हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप हिन्दुस्तानी में बोलिये।

श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल : ये विलायत घूमकर आये हैं राजस्थान की बात क्या जानेगें। या तो यह बतावें कि किसानों को मंहगाई से क्या फायदा हुआ है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य !

श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल : मैं दो मिनिट लूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ! मैंने निवेदन किया कि आप बीच में न बोलें। कृपा करके बैठिये। अभी कोई बीच में भाषण नहीं हो रहा है ये बोल रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभानेत्री महोदया, मंहगाई के प्रश्न पर हमारा दृष्टिकोण है वह मैं रख रहा हूँ।

श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल : माननीय सभानेत्री जी

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं बोल रहा हूँ या आप मेरे बीच में बोलेंगे। सभानेत्री महोदया, वे कह रहे हैं कि वे बोलेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : जोर से बोलिये तो आवाज आयेगी।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : मैं यह कहना चाहता हूं कि मंहगाई से किसानों को क्या फायदा होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वही तो मैं सुना रहा हूं।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : मैं कह रहा हूं कि मंहगाई से किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। किसान लोग नाज अपने घर में पैदा करके पहले भी खाते थे और अब भी खाते हैं। ट्रेक्टर पहले ५ हजार में आता था वह आज २५ हजार में बिक रहा है। आपकी गवर्नमेंट ट्रेक्टर के लिये पैसा तभी मंजूर करती है जब पहले उनको रिश्वत मिल जाती है। लोगों को गुमराह करते हैं

(शोरगुल)

समाजवाद का नारा लगाते हैं।

श्री हरिराम धारू (सिवाना सु०) : वह जमाना लद गया जब किसानों से सस्ता धान लेते थे।

(शोरगुल)

श्रीमती सभानेत्री : Order please! माननीय मंत्रीजी बोलना नहीं चाहते हैं आप कहें तो आज की कार्यवाही कल के लिये रख दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कल नहीं वे आज ही बोलने चाहिये।

श्री राधाकृष्ण गोयल : सभापति महोदया, मेरा निवेदन है........

श्रीमती सभानेत्री : Order please!

श्री नाथूराम मिर्धा : पार्टी मीटिंग है इसलिए लोग जाना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मंत्रीजी को आज खत्म करा दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : कल के लिये राजी नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका हुक्म होगा तो बोलूंगा, राजी कौन होवे और नाराज कौन होवे। हम इनकी बात सुन सुन कर खुश होते हैं।

श्रीमती सभानेत्री : सदन की कार्यवाही....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : सभापति महोदया, इनसे जवाब दिलवाया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदया, इनसे जवाब दिलवायें! स्पीकर महोदय की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही चलनी चाहिए।

श्री राधाकृष्ण गोयल : सभापति महोदया, अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है कि पहले वह भाषण देंगे और उसके बाद में दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिए जायेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : मैं सदन की कार्यवाही तब चलाऊं जब पन्द्रह मिनिट आप ध्यानपूर्वक सुनें।

श्री नाथूराम मिर्धा : पार्टी मीटिंग में जाना है सब लोगों को टाइम पर, इसलिए कह रहे हैं।

श्रीमती सभानेत्री : आप अपना भाषण दो मिनिट में समाप्त कर दीजिये।

श्री जोधसिंह चौहान : सभापति महोदया, मंत्री महोदय खड़े होकर क्यों नहीं कहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : और दो मिनिट भी मैं कुछ कहूँ तो वह भी तो शांति से सुनें।

श्री जोधसिंह चौहान : मन्त्री महोदय खड़े होकर क्यों नहीं कहते हैं। चेयर से बैठे बैठे कैसे बात करते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बन्द कर दें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : इनको खड़े होकर बोलना चाहिए।

श्री जोधसिंह चौहान : बैठे बैठे चेयर से क्यों बात करते हैं। मैं इनका विरोध करता हूँ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : चेयर पर महिला हैं तो क्या, यह चेयर का अपमान है।

श्री जोधसिंह चौहान : चेयर से बात करनी है तो खड़े होकर बात करें। इस प्रकार कुर्सी पर बैठे बैठे किस प्रकार बात करते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : महिला का तो वैसे भी आदर होना चाहिए। हमें चेअर का आदर करना चाहिए।

श्री सभापति : आप लोग गम्भीरता से विचार नहीं कर रहे हैं इसलिए आज की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५.५७ म. प. बुधवार, दिनांक २८ सितम्बर १९६६, के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट १

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोतर)

सांचोर रानीवाड़ा सड़क

२६४. **रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सत्य है कि एक ठेकेदार को सांचोर-रानीवाड़ा सड़क पर ६ मील पक्की डामर सड़क बनाने का ठेका विभाग द्वारा दिये एक साल से अधिक हो गया है ? और क्या यह भी सत्य है कि उसको सड़क ६ माह के अन्दर २ ही पूरी करनी थी ? अगर हां, तो समय पर काम पूरा क्यों नहीं किया गया ?

(२) इस देरी के लिए ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? क्या यह भी सत्य है कि अभी भी ६ मील ठेके की सड़क अधूरी पड़ी है ? अगर हां, तो क्या सरकार विभागीय कार्य करवा कर शीघ्र काम पूरा करवाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि सांचोर से हाड़ेतर तक ५ मील सड़क का टुकड़ा भी सरकार जल्दी ही पक्का डामर का करवाना उचित समझती है ? अगर हां, तो जनता एवं सुरक्षा की दृष्टि से इस टुकड़े को सरकार कब तक बनवा देगी ?

उत्तर

(१) जी हां, किन्तु यह कार्य ६ माह की अवधि में पूर्ण करने को नहीं दिया गया था। ठेकेदार की ढिलाई के कारण कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका है।

(२) ठेकेदार पर १० प्रतिशत पेनाल्टी लगा दी गई है; बाकी कामठेकेदार की जिम्मेदारी पर अन्य ठेकेदार या विभाग द्वारा कराये जाने के आदेश १६-६-६६ को दे दिये हैं।

(३) जी हां, किन्तु अर्थाभाव के कारण अभी नहीं कहा जा सकता कि बाकी टुकड़े का कार्य कब हाथ में लिया जा सकेगा।

निम्बाहेड़ा तहसील में ट्रेक्टर्स

२६५. **श्री अब्दुल जब्बार खां** (निम्बाहेड़ा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) निम्बाहेड़ा तहसील में कितने ट्रेक्टर्स हैं तथा उनके रजिस्ट्रेशन कहां कहां के हैं ?

(२) क्या उन्हें यह छूट है कि वे माल लादने, लाने तथा ले जाने का काम ट्रकों की तरह करें ? यदि नहीं, तो इस कारण आज तक कितने ट्रेक्टर्स के चालान हुए ?

उत्तर

(१) निम्बाहेड़ा तहसील में कुल १५ ट्रेक्टर्स हैं तथा उनके रजिस्ट्रेशन १३ चित्तौड़गढ़ तथा २ भीलवाड़ा के हैं।

(श्री यातायात मंत्री)

(२) माल लादने, लाने तथा ले जाने का काम ट्रकों की तरह करने की छूट 'पब्लिक केरियर, व 'प्राइवेट केरियर' के रूप में टैक्स देने व परमिट प्राप्त करने पर ही है अन्यथा नहीं। दो ट्रैक्टर्स के खिलाफ पत्थर ढोने के अपराध में कानूनन गलत चलाने के कारण चालान किये गये हैं जो अदालत में पेंडिंग हैं।

सारून्डा-पांचोड़ी सड़क की मरम्मत

२६६. **श्री गंगासिंह राठौड** (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि श्री बालाजी, तहसील नागौर से शुरू होकर सारून्डा तहसील नोखा होती हुई पांचौड़ी, तहसील नागौर तक एक सड़क सं० २०१७ के अकाल में सार्वजनिक निर्माण विभाग, बीकानेर डिवीजन द्वारा बनाई गई थी लेकिन सड़क बनने के बाद सारून्डा व पांचौडी के बीच अभी तक कभी मरम्मत नहीं हुई है ?

(२) क्या यह सत्य है कि सारून्डा व पांचौड़ी के बीच यह सड़क मरम्मत न होने के कारण बिल्कुल टूट गई है ?

(३) क्या यह सत्य है कि सड़क खराब होने के कारण दो बसें इस सड़क पर जल चुकी हैं ? यदि हां, तो ये बसें कब कब जलीं ?

(४) सारून्डा व पांचोड़ी के बीच अभी तक सड़क की मरम्मत न होने के क्या कारण हैं ?

(५) सरकार कब तक इस सड़क की मरम्मत कराने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(१) यह सड़क २०१७ में अकाल सहायता में न बनाई जाकर पी. डब्ल्यू. डी. बजट से ग्रेवल रोड १९६३-६४ में पूर्ण की गई है। सारून्डा व पांचोडी के मध्य मरम्मत नहीं कराई गई है।

(२) सड़क की दशा सारून्डा-पांचोडी के बीच संतोषप्रद नहीं हैं।

(३) बसों के जल जाने के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(४) अर्थाभाव।

(५) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा सकता।

जयपुर-कोटा मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियां

२६७. **श्री राधाकृष्ण गोयल** (टोंक) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) जयपुर-कोटा मार्ग पर जनवरी, १९६६ से ३१ अगस्त, १९६६ तक रोडवेज की कितनी यात्री गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुईं ?

(२) इस अवधि में कितनी यात्री बसें मार्ग में खराब हुईं ?

(३) कितनी बसें डिपो से समय पर रवाना नहीं हुईं ?

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

(४) कितनी बसें निर्धारित समय पर गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुँची ?

उत्तर

(१) जयपुर-कोटा मार्ग पर जनवरी, ६६ से अगस्त, ६६ तक ५ गाडियां दुर्घटना-ग्रस्त हुई हैं।

(२) जयपुर-कोटा मार्ग पर उक्त अवधि में १४५८० सर्विसों में से १३२ बसें रास्ते में खराब हुईं जो एक प्रतिशत से भी कम है।

(३) १४५८० सर्विसों में से ६३५ सर्विसें विलम्ब से रवाना हुईं।

(४) १४५८० सर्विसों में से १३१५ सर्विसें अपने निर्धारित स्थानों पर देरी से पहुँचीं।

बिदयाद रेल्वे स्टेशन से कोला डूंगरी सड़क में आई किसानों की भूमि का मुआवजा

२६८. **श्री जेठमल बरवड़** (परवतसर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम बिदयाद, जिला नागौर में बिदयाद रेल्वे स्टेशन से जो कोला डूंगरी माइन्स रोड बनाई गई थी उसमें किसानों की काश्त की भूमि गई थी उसका मुआवजा सरकार ने तय कर दिया उसके बाद भी अभी तक किसानों को नहीं दिया गया है और सड़क के अन्दर जमीन गई उसका लैन्ड रेवन्यू अभी तक उन किसानों से लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

ग्राम बिदयाद के काश्तकारों का मुआवजा ५१६.२३ रु० का तय किया गया है जिसका चैक भूमि अवाप्तगी अधिकारी, जोधपुर को २१-६-६६ ई. को भेज दिया गया है। लैण्ड रेवेन्यू लिया जा रहा है या नहीं, इस विभाग को जानकारी नहीं है।

सीकरी और गोपालगढ़ के लिए बिजली

२६९. श्री **मजलिस खां** (कामां): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति नगर, जिला भरतपुर के कस्बा सीकरी और कस्बा गोपालगढ़ के लिए बिजली देने की मंजूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो उक्त दोनों कस्बों के लिए बिजली कब तक सप्लाई कर दी जावेगी ?

उत्तर

जी नहीं।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना

२७१. **श्री रामानन्द अग्रवाल**(अलवर): क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार कर लिया है ? यदि हां, तो प्रारूप की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) यदि नहीं, तो प्रारूप तैयार करने में इतना समय क्यों लग रहा है ? क्या सरकार विश्वास के साथ कह सकती है कि आगामी वित्तीय वर्ष नई पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत होगा और तब से योजना पर अमल होना शुरू हो जावेगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं, अभी तक सिर्फ प्रारम्भिक ज्ञापन ही तैयार किया गया है जिसकी प्रतियें सभी माननीय सदस्यों को भेज दी गई हैं।

(२) योजना आयोग द्वारा राष्ट्र की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने में विलम्ब हुआ जिसके कारण राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना भी तैयार नहीं की जा सकी। अब योजना आयोग ने प्रारूप की रूप रेखा (Draft outline) बनाली है जो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिनांक २० व २१ अगस्त को अनुमोदित की जा चुकी है। योजना आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष के अन्त तक राज्य की चतुर्थ योजना का प्रारूप तैयार होने की आशा है जिस पर अगले वित्तीय वर्ष से अमल शुरू हो जावेगा।

नमक के भाव

२७२. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में नमक कहां कहां बनाया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) सरकार कहां कहां, किस किस भाव से नमक बनाने वालों से नमक खरीदती है तथा उसे किस भाव से बेचती है ? बाजार में वह नमक किस भाव बिकता है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सांभर, गुढ़ा व नावां में नमक उत्पादन का कार्य हिन्दुस्तान साल्ट्स लि० करती है जो उत्पादित नमक को विभिन्न भावों से बेचती है। ये भाव निम्न प्रकार हैं :—

(i) पान साल्ट रु० ३३.४० प्रति टन नेक्ड एफ. ओ. आर. सांभर, नांवा, गुढ़ा

(ii) क्यार साल्ट रु० ३७.४० ,,

(iii) रेस्ता ,, रु० ३८.६० ,,

(ब) राज्य सरकार पचभद्रा व डीडवाना में क्रमश: खारवालों व देशवालों से निम्नांकित दरों पर नमक खरीदती व बेचती है :—

(i) पचभद्रा	खरीद प्रति क्विन्टल	बिक्री प्रति क्विन्टल
सैट	रु० १.१० पैसे	रु० १.८० पै.
अनसैट	रु० १.०५ ,,	रु० १.८० पै.

(श्री उद्योग मंत्री)

(ii) डीडवाना

पहला दर्जा रु० ०.५७ रु० २.०५

दूसरा दर्जा रु० ०.४६ रु० १.६५

बाजार में इनके भाव घटते बढ़ते रहते है। निजी क्षेत्र में उत्पादित नमक के बेचने की व्यवस्था वे स्वयं ही करते हैं।

राजस्थान में जहां जहां नमक बनाया जाता है उसकी सूची

(१) सांभर

(२) गुढ़ा

(३) नावां

(४) पचभद्रा

(५) डीडवाना

(६) मलार रिण (तहसील फलौदी)

(७) बापरिण (तहसील फलौदी)

(८) ताल छापर (तहसील सुजानगढ़)

(९) पोकरण रिण (तहसील–पोकरण)

(१०) कुचामन लेक (तहसील नावां)

(११) सरगोठ (तहसील नावां)

(१२) कानोद (जैसलमेर तहसील)

(१३) जसवन्तगढ़ (तहसील लाडनूं)

(१४) मिठड़ी (तहसील नावां)

(१५) जावदीनगर (तहसील नावां)

नोट––सांभर, गुढ़ा व नावां क्षेत्र सांभर साल्ट्स लि० में नमक उत्पादन का कार्य कर रही है।

(ii) पचभद्रा व डीडवाना क्षेत्र राज्य सरकार के नियन्त्रण में हैं यहां क्रमशः सारवाल व देशवाल निकालते हैं।

(iii) मलाररिण, बापरिण, तालछापर, पोकरण, कुचामन लेक, सरगोठ घाट, कानोद, जसवन्तगढ़, मिठड़ी, जावदीनगर, आदि क्षेत्रों में पार्टियां निजी तौर पर नमक बना रही हैं। राज्य केवल आवन्टित भू भाग का १५ रु० प्रति एकड़ प्रति वर्ष लगान के रूप में वसूल करती है।

फैली–के–पुरा से कोटरी सड़क

२७३. श्री छगनलाल (हिण्डौन-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे––

(१) क्या यह सच है कि फैली-के-पुरा से कोटरी सड़क बहुत खराब हो चुकी है?

(२) क्या यह भी सच है कि इस रोड से सरकार को बहुत बड़ी आमदनी हर साल होती है?

(३) क्या यह भी सच है कि पत्थर उद्योग को पनपाने के लिए इस सड़क को डामर रोड बनाना जरूरी है?

(श्री श्रवणलाल)

(४) यदि हां, तो सरकार इसे डामर रोड़ कब तक बना रही है ?

उत्तर

(१) सड़क की दशा साधारण है ।

(२) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है ।

(३) जी हां, किन्तु यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है ।

(४) अर्थाभाव के कारण ।

करवर ग्राम के किसानों को बिजली

२७४. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यही सही है कि नैनवा तहसील, जिला बूंदी के करवर ग्राम में कुओं पर बिजली लगाने हेतु किसानों ने प्रार्थना-पत्र दिए हैं ?

(२) यदि हां, तो अब तक किसानों के कुओं तक बिजली नहीं पहुंचाने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या सम्बन्धित सरपंच, प्रधान आदि ने इस सम्बन्ध में विभाग से लिखा-पढ़ी की है ?

(४) अब कब तक करवर के किसानों को बिजली दी जा सकेगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) ग्राम का अभी विद्युतिकरण ही नहीं हुआ है ।

(३) जी हां ।

(४) अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की बकाया

२७५. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष १९६६ के कांग्रेस अधिवेशन, जयपुर के लिए सरकारी स्तर पर कौन कौन से मद पर कितना व्यय किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि सरकार को कांग्रेस दल से कुछ रकम लेनी बकाया है ? अगर हां, तो किस किस मद पर कितनी कितनी ?

उत्तर

(१) इस विभाग द्वारा कांग्रेस अधिवेशन के लिए खर्चा नहीं किया गया है ।

(२) जी हां, लगभग २८८७) रु० स्टेडियम के किराए के बाकी हैं ।

गुलाबपुरा में सहकारी क्षेत्र में कपड़े की मिल

२७६. **श्री उमरावसिंह ढावरिया** (बनेड़ा) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No. 139

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

(१) क्या यह सही है कि गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा में सहकारी क्षेत्र में एक कपड़े की मिल लगाने की योजना है ?

(२) यदि हां, तो क्या इस मिल का लाइसेन्स मिल गया है ?

(३) इस मिल में कितना रुपया लगेगा और यह मिल कब तक बनकर चालू हो जावेगी ?

उत्तर

(१) जी हां, एक स्पिनिंग मिल खोलने की योजना विचाराधीन है ।

(२) जी नहीं ।

(३) इस मिल को बनाने के लिए लगभग डेढ़ करोड़ रुपया लगेगा तथा मिल लाइसेन्स प्राप्त होने के कम से कम एक वर्ष पश्चात् चालू हो सकेगी ।

साहबा-भालेरी सड़क निर्माण कार्य

२७७. **श्री मोहर्रसिंह** (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) साहबा से भालेरी सड़क निर्माण कब किया गया और उस पर अब तक कितना रुपया व्यय किया गया है ?

(२) इस सड़क की कुल लम्बाई क्या है ? इस पर अब तक क्या काम हुआ है ? इसका विवरण देने की कृपा करेंगे ।

(३) इस सड़क का जो काम अधूरा है वह कब तक पूरा किया जावेगा ?

उत्तर

(१) साहबा-भालेरी सड़क का कार्य अकाल सहायता में वर्ष ६३-६४ तथा ६६-६७ में किया गया है; अब तक ७,७३,३८७) रुपये व्यय किया गया है ।

(२) इस सड़क की लम्बाई २४ मील है; २०।। मील में जंगल कटाई एवं मिट्टी डलाई का कार्य किया है और इन २०।। मील से ११।। मील में पाथला बिछाई का कार्य किया गया है ।

(३) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

विद्युत मण्डल के इंजीनियरों के सेवा सम्बन्धी नियम

२७८. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने अपनी सेवा के इंजीनियर्स को यह ऑप्शन फाइल करने को कहा था कि वे एक माह में या तो आर० एस० ई० बी० की सेवा ऑप्ट करें या राज्य सरकार की सेवा को ?

(२) यदि हां, तो क्या आर० एस० ई० बी० ने इंजीनियर्स से सम्बन्धी सेवा नियम बना लिए हैं ? यदि नहीं, तो उन नियमों के अभाव में आर० एस० ई० बी०

(श्री मानिकचन्द्र सुराणा)

का यह निर्णय कहां तक न्यायोचित है ? क्या इंजीनियर्स से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सेवा नियमों को देखे बिना ही व उसके फ़ायदे-नुकसान को सोचे समझे बिना ही किसी विशेष सेवा को ऑप्ट कर लें ?

(३) क्या राज्य सरकार आर० एस० ई० बी० के उक्त निर्णय से सहमत है ? यदि नहीं, तो उसने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(१) जी हां, परन्तु बाद में राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ.४ (४६) पी. डब्लू बी। ५८, दिनांक २६-४-६४ में स्पष्टीकरण आने से विद्युत मण्डल में समस्त प्रतिनियुक्ति इंजीनियर्स को ऑप्शन सम्बन्धी आदेश लागू नहीं होता।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि जब तक अभियन्ताओं की अखिल भारतीय सेवा नहीं बन जाती है तब तक अभियन्ताओं पर ऑप्शन देने का दबाव डालना उचित न होगा। भारत सरकार को राज्य सरकार की परेशानियां बतलाते हुए जल्दी सेवाओं को बनाने के लिए निर्णय लेने के बारे में लिखा जा रहा है।

केन्द्र द्वारा सहायता और अनुदान

२७६. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) सार्वजनिक निर्माण कार्यों हेतु केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को कितनी प्रकार की सहायता और अनुदान दिए जाते हैं और सन् ६४-६५ तथा ६५-६६ में राजस्थान राज्य को कितना रुपया मिला ?

(२) उपरोक्त केन्द्र से प्राप्त धन-राशि में से उपरोक्त वित्तीय दो वर्षों में किस २ जिले में कितना कितना रुपया व्यय किया गया ? विवरण देने की कृपा करें।

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक २७ सितम्बर, १९६६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	अन्तिम से ८, २	ऋण	ऋण
२	१, ८, ९, १४	ऋण	ऋण
३	अन्तिम से ९, १	ऋण	ऋण
,,	अन्तिम से ४	प्लान	प्लान्ट
४	४, ५	ऋण	ऋणों
५-६	शीर्षक	२६	२७
५	५, ७	ऋण	ऋण
६	अन्तिम से १३	वेंठना	बैठाना
७	९	ऋण	ऋण
९	३	इन्डस्ट्रीय लाइजेशन	इन्डस्ट्रियेलाइजेशन
,,	२१	नही	नहीं
,,	अन्तिम	कन्ट्रीब्यूट	कन्ट्रीब्यूट
११	अन्तिम से ५	प्रायोरटी	प्रायोरिटी
,,	अन्तिम से ४	फ्लान	प्लान
१४	अन्तिम से १२, ११, ८	विद्युत	विद्युत्
,,	अन्तिम से ५	व्योरा	ब्योरा
१५	१	विद्युत	विद्युत्
,,	२	व्योरा	ब्योरा
,,	६	सतपुरा	सतपुड़ा
,,	१२	कनाड़ा	कनाडा
१७	६, १२	टार्जेट	टार्गेट
,,	२०	सतपुरा	सतपुड़ा

१	२	३	४
१७	अन्तिम से ४	मै०	मै०
१८	अन्तिम से १०	आदीवासियों	आदिवासियों
२०	१	गीयल	गोयल
२१-२२	शीर्षक	सितम्वर,–	सितम्बर, ६६-
२१	अन्तिम	सोशयल	सोशियल
२२	अन्तिम से ८	ब	डूब
२३-२४	शीर्षक	सितम्वर,-	सितम्बर, ६६-
२५	शीर्ष	वरकतुल्ला खां	बरकतुल्ला खां
२६	६	इन्क्वयरी	इन्क्वायरी
२७	४-५	सरकार नोटिस	सरकार ने नोटिस
२६	अन्तिम से १०	विद्युति	विद्युत्
३०	३, ४	विद्युत	विद्युत्
३१	अन्तिम से ६	इन्कलूड	इन्क्लूड
३२		स्वकृति	स्वीकृत
"	१०	भीमंसिह	भीमसिंह
३४	१६	इन्स्टाइल	इन्स्टाल
३७	५	ताहत	तहत
५१	२१	वक	बकाया
५४	३	वहा	वहां
६३	१६ व २१	परिशिष्ठ	परिशिष्ट
६६ से २६३	शीर्षक	मंत्रीमंडल	मन्त्रिमण्डल
७१	२०	अच्छी	अच्छे
"	अन्तिम से ५	जाते	आते
७३	१३	की	ही
७४	११	पूजीपतियों	पूंजीपतियों
८१	१५	मेमीरेण्डम	मेमोरेण्डम
८४	७	सादड़ा	सादड़ी
८७	२०	अध क्ष	अध्यक्ष
९२	अन्तिम	हतला	हालत
६३	१२	चौरी	चोरी

१	२	३	४
६६	६	अपने	आपके
१०५	३	नियमावलि	नियमावली
	५	कार्ययाही	कार्यवाही
१२५	७	कि	की
१३६	२६	बात काफी	बात का काफी
१४७	७	सेक्शन	सैक्शन
१६२	अन्तिम से १०	अमलगेटेड	अमलगमेटेड
,,	अन्तिम से ६	कान्टेक्ट	कॉन्ट्रेक्ट
१६४	१५	चाहना	चाहता
,,	अन्तिम से ८	क	को
१६८	१	आयोग्गतम	अयोग्यतम
१७०	१०	रिपोर्टिंग	रिपोर्टिंग
१७२	१८	राजस्वान	राजस्थान
१७४–१७५	अन्तिम व प्रथम	और और देश	और देश
१७८	१३	किटाणे	कीटाणु
१७९	१	समाम	समान
,,	१४	किटाणु	कीटाणु
,,	अन्तिम से १३	मालूल	मालूम
,,	अन्तिम से १२	किनती	कितनी
१८१	३	सुवाधाएं	सुविधाएं
१८४	१०	वषों	वर्षों
,,	१२	मी	भी
,,	अन्तिम से ९	मरूस्थल	मरुस्थल
१९०	अन्तिम से ६	हसारे	हमारे
१९१	१८	ओर	और
,,	अन्तिम से ३	षमय समाप्ति	समय-समाप्ति
२०२	१८	ऐयर	एयर
२०७	शीर्ष	(ति	श्री)
२०८	२	ओर	और
२१०	१६	महोदय,	महोदया,

१	२	३	४
२१४	अन्तिम से ५, ६	फड़ामेंटल	फंडामेंटल
२१६	,, ,, ६	आपकी	आप
२२६	३	बिलकुल	बिल्कुल
,,	५	मंत्री परिषद्	मन्त्रि-परिषद्
२२८	४	वह	व
,,	१०	हैं।	है।
२२६	७	श्री भरोंसिह	श्री भैरोंसिह
,,	अन्तिम से ३	कटोती	कटौती
२३०	अन्तिम से ६	किय।	किया
,,	,, ,, ८	मारत	भारत
,,	,, ,, ६	इनडाइरेस्ट	इनडाइरेक्ट
२३१	शीर्ष	मिर्घा)	मिर्धा)
,,	१	बटरमेंट	बेटरमेन्ट
,,	६	इनता	इतना
,,	१२	आवेंगीं।	आवेंगी।
,,	अन्तिम	उत्तर दे दिजिये	उत्तर दे दीजिये।
२३२	२, ४, ६, १२, १४, १५, १६, १७, १६, २० व २२	उत्तर	उत्तर
२३४	अन्तिम	गर्रिगेशन	इर्रिगेशन
२३६	१५	रुप	रूप
,,	अन्तिम से ६	दृष्ठिकोण	दृष्टिकोण
२३७	शीर्ष	(श्री भैरोंसिह्)	(श्री भैरोंसिह)
,,	४	रिटर्नस	रिटर्न्स
२३८	४	सन	सुन
,,	अन्तिम से ८	मिधा	मिर्धा
,,	,, ,, ४	हुं	हूं
,,	अन्तिम	पड़ीं	पड़ी
२३६	१६	हे।	है।

१	२	३	४
२३६ व २४०	१६ व ४	विलकुल	बिल्कुल
२४०	१५	मिल	मील
,,	१६	ग्रॉफ	ग्रॉफ
,,	२२	मान	माना
,,	२४	मैने	मैंने
२४१	ग्रन्तिम	दस्य	सदस्य
२४२	२२	लेण्ड	लैण्ड
२४३	६	जाये....	जायें।
,,	१५	वेना	देना
२४४	१०	करका	करना
,,	१६	डवलपमेंट	डेवलपमेंट
,,	२४	वोलें	बोलें
२४५	ग्रन्तिम से ८	जर्भनी	जर्मनी
२४६	१०	वात्	बात
,,	ग्रन्तिम से ३	श्री भैरांसिह	श्री भैरोंसिंह
२४६	१७-१८	(शोरगुल) (ग्रश्रव्य)	(शोरगुल-ग्रश्रव्य)
२५१	ग्रन्तिम	वेरोजगारों का	वेरोजगारों को
२५२	८	स्टज	स्टेज
२५३	१	कर्तव्य	कर्तव्य
२५४	२४	हे	है
२५६	४	भाईयो	भाईयों
,,	२०	पढ़ता	पड़ता
,,	ग्रन्तिम से ३	क्या रहे	क्या कह रहे
२५७	६	वर रहे है	कर रहे हैं
,,	ग्रन्तिम से ७	ध्नाकर्षण	ध्यानाकर्षण
२५८	१	बाते	बातें
२५६	१६	Sir Madam	Sir,
२६३	७	जेवसिंह	जोधसिंह
२६५-६६	स्कम्म	—	२६५] [२६६

१	२	३	४
२६६	४	काभठे केदार	काम ठेकेदार
२७०	७	ग्रवास्तगी	ग्रवाप्तगी
२७४	३	चेत्र सांभर	चेत्र में सांभर
,,	४	लि० में नमक	लि० नमक
२७८	७	किया गया है	किये गये हैं
,,	अन्तिम से ३	सम्बन्धी	सम्बन्धित
२८०	,, ,, ६	वन-राशि	धन-राशि